लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price: Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 26, बुधवार, 29 मार्च, 1978/8 चैत्र, 1900 (शक)
No. 26, *Wednesday, March* 29, 1978/*Chaitra* 8, 1900 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	1—16
*तारांकित प्रश्न संख्या 490 से 492 और 494 से 496	Starred Questions Nos. 490 to 492 and 494 to 496	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	16—139
तारांकित प्रश्न संख्या 493, 497, 498 और 501 से 510	Starred Questions Nos. 493, 497, 498 and 501 to 510	
अतारांकित प्रश्न संख्या 4638 से 4652, 4654 से 4832 और 4834 से 4837	Unstarred Questions Nos. 4638 to 4652, 4654 to 4832 and 4834 to 4837	
ध्यान आकर्षण प्रस्तावों आदि के बारे में	Re. Calling Attention Notices etc.	140—141
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	142
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	143—148
25 मार्च, 1978 को केनवरा में भारतीय उच्चायुक्त के निवास स्थान पर एक टाइम बम के पाये जाने का कथित समाचार	Reported detection of a time bomb on 25th March, 1978 at the residence of the Indian High Commissioner at Canberra.	
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	143
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	143
श्री जर्नादन पुजारी	Shri Janardhana Poojary	146
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	147
श्री श्याम सुन्दर लाल	Shri S.S. Lal	148

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	149
15वां प्रतिवेदन	Fifteenth Report	
नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under Rule 377	149—151
(1) गुजरात की खंडसारी फैक्टरियों में शीरे के भारी स्टाक जमा हो जाने का समाचार	(i) Reported Accomulation of molasses in Khandsari factories in Gujarat	
श्री धर्म भाई सिंह पटेल	Shri Dharm Singh Bhai Patel	149
(2) कोयले के लाने ले जाने के बार में रेलवे वैगनों की कमी का समाचार	(ii) Reported shortage of railway wagons for coal.	
डा० वसंत कुमार पंडित	Dr. Vasant Kumar Pandit	149
(3) उत्तर प्रदेश के शीतागारों में आलू जमा करने से सम्बद्ध कठिनाइयां	(iii) Difficulties for cold storage of Potatoes in Uttar Pradesh	
श्री राम प्रकाश त्रिपाठी	Shri Ram Prakash Tripathi	150
(4) दुर्गापुर उर्वरक फैक्टरी में कथित हड़ताल का समाचार	(iv) Reported strike in Durgapur Fertiliser Factory	
श्री राज कृष्ण डान	Shri Raj Krishna Dawn	150
अनुदानों की मांगे, 1978-79	Demands for Grants, 1978-79	151—174
उद्योग मंत्रालय	Ministry of Industry	
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	151
प्रो० आर० के० अमीन	Prof. R.K. Amin	153
श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी	Shri Shambhu Nath Chaturvedi	155
श्री बी० के० नायर	Sh. B.K. Nair	155
कुमारी आभा मयती	Kumari Abha Maiti	157
प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना	Prof. Shibban Lal Saxena	159
श्री युवराज	Shri Yuvraj	160
श्री पायस टिर्की	Shri Pius Tirkey	161
श्री सी० एन० विश्वनाथन	Shri C.N. Visvanathan	161
श्री लखन लाल कपूर	Shri L.L. Kapoor	161
श्री मदन तिवारी	Shri Madan Tiwary	162
श्री एम० अरुणाचेलम	Shri M. Arunachalam	163
श्री रूप लाल सोमानी	Shri Roop Lal Somani	164

श्री विजय कुमार मलहोत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra	164
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	165
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	166
श्री जार्ज फर्नान्डीज	Shri George Fernandes	166
औषध और फार्मेस्यूटिकल्स उद्योग सम्बन्धी हाथी समिति पर सरकारी निर्णयों के बारे में वक्तव्य	Statement *re*. Government's Decisions on the Report of the Hathi Committee on Drugs and Pharmaceutical Industry	
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H.N. Bahuguna	174
बदरपुर ताप विद्युत परियोजना और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र का प्रबन्ध राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को अन्तरित किये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement *Re*. transfer of Management of Badarpur Thermal Power Project and Badarpur Thermal Power Station on National Thermal Power Corporation	
श्री पी० रामाचन्द्रन	Shri P. Ramachandran	174-175
आधे घंटे की चर्चा —	Half-An-Hour Discussion	175—179
राज्य विद्युत बोर्डों का कार्यकरण	Functioning of State Electricity Boards	
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani	175
श्री पी० रामचन्द्रन	Shri P. Ramachandran	176
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	176
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	177
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar	177

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 29 मार्च, 1978/8 चैत्र 1900 (शक)

Wednesday, March 29, 1978/Chaitra 8, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बज समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

छठी पंचवर्षीय योजना

*490. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **योजना** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) प्रस्तावित छठी पंचवर्षीय योजना में, जैसा कि विभिन्न स्तरों पर चर्चा के बाद पता लगा है, सरकारी क्षेत्र में बिजली उत्पादन, सिंचाई और कृषि पर कितने आकार की तथा किस दर से वृद्धि होगी तथा उसका परिव्यय कितना होगा ;

(ख) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा की गई चर्चा से पता लगता है कि योजना के मुख्य उद्देश्यों में समानता है ; यदि हां, तो किस बारे में; और

(ग) योजना का मसौदा अंतिम रूप से कब तक तैयार हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अपेक्षित ब्यौरा निम्नलिखित है :—

कुल योजना परिव्यय	116240 करोड़ रुपए
वृद्धि दर	4.7 प्रतिशत प्रति वर्ष
सरकारी क्षेत्र परिव्यय	69380 करोड़ रुपए
जिसमें से—	
विद्युत उत्पादन	15750 करोड़ रुपए
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	9650 करोड़ रुपए
कृषि और संबद्ध कार्य-क्लाप	8600 करोड़ रुपए

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् ने योजना के मुख्य उद्देश्यों का अनुमोदन किया । ये मुख्य उद्देश्य हैं—बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी और असमानताओं को कम करना और आत्मनिर्भरता की दिशा में सतत प्रगति तथा कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत तथा ग्राम और लघु उद्योगों के लिये समनुरूप बढ़े हुए आवंटन ।

(ग) राज्य सरकारों के साथ और आगे विचार विमर्श करने के बाद तथा सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट को, जिसके चालू वर्ष के अंत तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, ध्यान में रखते हुए योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दिए जाने की आशा है ।

SHRI DHARM VIR VASISHT : Mr. Speaker, Sir, Sixth plan is going to start next month and as the Prime Minister has stated in his reply that the draft plan is expected to be finalised after discussions and in the light of the report of the Seventh Finance Commission which is expected to be submitted towards the end of the current year, I want to know from the Prime Minister whether some action is being taken to finalise the plan early. The Prime Minister has stated in his reply that there has been approval on the main objectives of the plan between the State Government's representatives who came to attend the meeting of the National Development Council, I want to know whether there are certain other objects on which no approval has been obtained and it is for that reason that you are calling the meeting of the National Development Council.

SHRI MORARJI DESAI : All States have approved the Plan which is going to start next year, there was no time for approval for the rest of the plan. But all the States have seen it and generally approved it. The rest will be finalised after the report of the Finance Commission is received in October-November.

SHRI DHARAM VIR VASISHT : Our hon. Prime Minister had stated on 1st February. 1978 while inaugurating Indian Engineering Trade Fair :—

> "what the country was trying to do was to place man in the centre of things by relating all industrial activities to his needs."

I want to know whether the Prime Minister will clarify this thing particularly taking into consideration that Dr. Lakarwala has stated that during the First Plan the expenditure on Social Services was 21% of the total expenditure, it was 15.5 per cent during Second, Third and Fourth plan and 13.2 per cent during Fifth Plan.

अध्यक्ष महोदय : यह सब को पता है । कृपया अपना प्रश्न पूछें ।

SHRI DHARM VIR VASISHT : I want to know what provision has been made for Social Services in Sixth Plan which will be a rolling plan ?

SHRI MORARJI DESAI : We can only say anything about the whole plan when it is approved, but the whole plan has been prepared taking into consideration the welfare of the people.

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने की नीति पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में चर्चा की गई थी ?

श्री मोरारजी देसाई : जी, हां ।

डा० सुब्रमण्यम स्वामी : मैं प्रधान मंत्री द्वारा उल्लिखित उद्देश्यों के बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा । एक उद्देश्य यह था कि आत्मनिर्भरता की ओर पुनः कार्य होगा । प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार योजना के लिये दी गई विदेशी सहायता भूतपूर्व योजनाओं की तुलना में कम नहीं है । क्या प्रधान मंत्री का विचार किसी विशेष अवधि में विदेशी सहायता समाप्त करने का है ? दूसरे, योजना में घाटे की अर्थ-व्यवस्था के लिये 2,000 करोड़ रुपये की अनुमति दी गई है जबकि प्रस्तुत बजट के अनुसार योजना के पहले वर्ष में 1050 करोड़ रुपये की अनुमति दी गई है। क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि योजना के पहले ही वर्ष में इतनी अधिक राशि का घाटा होगा, क्या घाटे की अर्थव्यवस्था के लिये दी जाने वाली राशि में कोई परिवर्तन होगा ?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसी व्यवस्था है परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि इससे घाटे की अर्थव्यवस्था होगी। मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि शायद घाटा न भी हो और हम इस बात का प्रयास भी कर रहे हैं। हम दो या तीन अन्य साधनों के बारे में विचार कर रहे हैं।

यदि विदेशी सहायता पूर्व वर्षों की तुलना में कम नही होती है तो माननीय सदस्य यह देखेंगे कि योजना अब बहुत बड़ी है। अतः प्रतिशतता बहुत कम है और इस प्रकार यह धीर धीर घटती जायेगी। कोई सीमा निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है। हम इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि विदेशी सहायता प्राप्त होती है अथवा नहीं इससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

श्री चित्त बसु : क्या प्रधान मंत्री यह बतायेंगे कि क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अपनी पिछली बैठक में मुख्यतया केन्द्र राज्य माली सम्बन्धों के पुनरीक्षण, राज्यों के बीच केन्द्रीय सहायता के आवंटन के सम्बन्ध में गाडगिल फार्मुला के पुनरीक्षण और अन्ततः योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्षेत्र के बारे में पुनरीक्षण के लिये समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया था ? मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या उक्त समिति नियुक्त की जा चुकी है और क्या उक्त समिति से देश के संघीय ढांचे और राष्ट्रीय एकता में असमानता लाये बिना केन्द्र राज्य सम्बन्धों के पुनः समंजन के लिये आवश्यक संवैधानिक संशोधनों के बारे में सुझाव देने का भी अनुरोध किया जायेगा ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार दस्तावेज के मसौदे को अन्तिम रूप देने के मामले पर राज्य सरकारों की आयोग से सीधे चर्चा किये जाने के पश्चिम बंगाल सरकार के सुझाव को स्वीकार करेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं समझ नहीं सका कि वास्तव में माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं। यदि उनका अभिप्राय राज्य सरकार की आयोग से सीधे वार्ता से है तो उनकी वार्ता पहले ही हो चुकी है। राज्यों की योजनाओं पर केवल राज्य सरकारों से चर्चा की जाती है और अन्य योजना पर उन से पृथक से चर्चा की जानी है। अतः उनसे विचार विमर्श न करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उनसे इस मामले में पूरा विचार विमर्श किया जाता है।

जहां तक अन्य प्रश्न का सम्बन्ध है गाडगिल फार्मूला की जांच करने वाली समिति को संवैधानिक संशोधनों के बारें में कुछ नहीं करना है। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त समिति व्यवहार्यतः सब मुख्य मंत्रियों और उपाध्यक्षों की समिति होगी। वे इस फार्मूले पर विचार करेंगे और इस बारे में सुझाव देंगे कि इस बारे में क्या किये जाने की आवश्यकता है।

श्री हितेन्द्र देसाई : क्या संसाधनों के जुटाने के बारें में हमें कोई जानकारी दी जायेगी और इसमें से कितनी राशि केन्द्र द्वारा वहन की जायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : सब बातों को अन्तिम रूप दिये जाने पर माननीय सदस्य को इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी।

श्री के० लक्कप्पा : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 491—श्री मावलंकर।

तटीय राजपथों के लिये राज्यों को केन्द्र से सहायता

491. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने का है जो अपने अपने क्षेत्रों में तटीय राजपथों का निर्माण करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इस कार्य के लिये केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है, और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) सड़क राज्य पद्धति में विशेषकर तटीय राजमार्गों के विकास के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि में से केन्द्रीय सहायता देने की योजना है । इस योजना के अन्तर्गत संसाधनों की उपलब्धता, उनकी पारस्परिक प्राथमिकता और सभी राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाती है ।

(घ) और (ङ) गुजरात सरकार से समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, गुजरात तटीय राजमार्ग के विकास के लिए अब तक अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन और केन्द्रीय सड़क निधि से कुल 5.96 करोड़ रुपये की लागत के कार्यों को स्वीकृति दी गई है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : जैसा कि सदन को ज्ञात है गुजरात देश में मुख्य समुद्रतटीय राज्य है । इसकी तटरेखा पर 39 लघु एवं माध्यमिक बन्दरगाह एवं एक मुख्य बन्दरगाह है । अब मंत्री महोदय ने लम्बा उत्तर दिया है और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह राज्य को बहुत अधिक सहायता दे रहे हैं । लेकिन वह केवल उस राशि से उनकी सहायता कर रहें हैं जो कि पहले ही से राज्य की राशि है अर्थात् केन्द्रीय सड़क निधि जो कई राज्य के अंश से ही स्थापित होती है । अतः राज्य सरकारों को कोई केन्द्रीय सहायता नही दी जाती ।

फिर भी, मेरा प्रश्न है : गुजरात की बहुत लम्बी तट रेखा है और कोई भी सीधा तटीय राजपथ नहीं है और राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित साधनों का अंश व्यय किया जा चुका है । इस पर 18 करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है जबकि केवल 1.5 करोड़ रु० का ऋण सहायता नहीं दिया गया है । उस सब को देखते हुए क्या सरकार का विचार ऐसे राज्यों को जो भारतीय गणराज्य का अंग है और जिनकी तटीय सीमा है और इस कारण वहां पर तटीय राजमार्गों की बहुत आवश्यकता है, अतिरिक्त महत्व देने अथवा सहायता देने की कोई योजना बनाने का है ? सरकार इस मामले को इस दृष्टि से क्यों नहीं देख रही और गुजरात जैसे राज्यों की सहायता क्यों नहीं करती क्योंकि राज्य के संसाधन सीमित हैं और केन्द्रीय सहायता के बिना इन तटीय राजमार्गों का निर्माण नहीं हो सकता ।

श्री चांद राम : भारत के संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है और जहां तक राज्य के राजमार्गों का संबन्ध है हम केवल ऋणों के रूप में ही सहायता देते हैं और कभी कभी अनुदान देते हैं तथा केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन जो भी अनुदान दिया जाता है हम उसका आवंटन पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार तथा राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों का उल्लेख किया है। अत: मेरा प्रश्न स्पष्टतया उसी पर आधारित है।

क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्र को राज्य के अनेक राजमार्गों को विशेष रूप से काण्डला से बम्बई **बरास्ता** जामनगर ओखा, पोरबन्दर, वेरावल, भावनगर तथा खम्बात तक के राज्य के तटीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिय बार-बार अभ्यावेदन दिये हैं? क्या यह सच है कि महाराष्ट्र गोआ, कर्नाटक तथा केरल राज्यों में गुजरने वाली पश्चिम तट सडक पहिले ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की जा चुकी है? (**अन्तर्बाधा**) मुझे इस की प्रसन्नता है। मेरा तात्पर्य यह नहीं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये था। परन्तु यदि उसे किया गया तो गुजरात सरकार द्वारा केन्द्र को बार बार अभ्यावेदन देने तथा इस औचित्य के बावजूद कि गुजरात राज्य उपरोक्त विभिन्न बन्दरगाहों से, विशेषरूप से काठियावाड स्वराष्ट्र तट के बन्दरगाहों से प्रतिवर्ष 150 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा आय हो रही है, जबकि राष्ट्रीय कोष को अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा आय हो रही है तो फिर राज्य सरकार की इस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सन्तोषजनक कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही और जबकि गुजरात राज्य राजमार्गों के सम्बन्ध में लगभग 60 % पिछड़ा हुआ भी है।

मंत्री महोदय के अधिकारी प्रश्न के उत्तर को इस रूप में पेश करने में बहुत चतुर हैं कि लोगों को यह प्रतीत होता है कि सब कुछ किया जा रहा है जबकि कुछ भी नहीं किया जा रहा। गुजरात बहुत पिछड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह उल्लेख किया है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : गुजरात 1961–81 के लक्ष्यों से 60 प्रतिशत पिछड़ा हुआ है। उनके स्वयं के आवंटनों के अनुसार गुजरात में एक तिहाई राजमार्ग हैं। केन्द्र सरकार काण्डला से बम्बई तक के इस तटीय राजमार्ग को तथा अन्य बन्दरगाहों को, जिनका मैंने उल्लेख किया है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों नहीं घोषित कर रही है और राज्य सरकार के उत्तरदायित्व को ग्रहण क्यों नहीं कर रही?

श्री चांद राम : माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें उठाई हैं। जहां तक पश्चिम तट सड़क का संबन्ध है 7 मार्च 1972 को इसके राष्ट्रीयकरण से पूर्व हमने इसके लिये भी सहायता दी और वह राज्य की सड़क थी जो मुख्य सड़क से गुजरती थी। अब इसका राष्ट्रीय-करण किया गया है और चूंकि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है तो केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिये शत-प्रतिशत आवंटन किया जा रहा है। परन्तु जहां तक गुजरात सरकार का संबंध है, 1961 में गुजरात राज्य के गठन के समय से हमने गुजरात सरकार को 75 करोड़ 34 लाख रुपये दिये हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : तटीय राजमार्ग के संबंध में बतायें?

श्री चांद राम : इसकी लम्बाई लगभग 17,520 किलोमीटर है। गुजरात राज्य के गठन के समय से हमने इस सड़क के लिये 5.96 करोड़ रु० दिये हैं।

मेरा उत्तर बहुत स्पष्ट है । जहां तक इस सड़क का संबंध है हमने 5.96 करोड़ की सहायता दी है । गुजरात के दावे की अपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं है ।

गत सप्ताह मैं अहमदाबाद में था । गुजरात के मुख्य मंत्री ने भी यह शिकायत की थी कि उन्हें उचित अंश नहीं दिया गया । मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है हम इसकी जांच करेंगे और राज्य के साथ न्याय करेंगे ।

श्री राज कृष्ण डान : सैंकड़ों एकड़ भूमि पहले ही . . . . . मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसे पूरा करने के लिये कब कार्यवाही करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ नहीं सका कृपया फिर से कहें ।

श्री राज कृष्ण डान : कलकत्ता से दुर्गापुर तक राजमार्गों के लिये सैंकड़ों एकड़ भूमि का अभिग्रहण किया जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न गुजरात के बारे में है । यह तटीय राजमार्ग के बारे में नहीं है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : प्रश्न के (क) भाग के अन्तर्गत सभी राज्य आ सकते हैं ।

श्री डी० डी० देसाई : हमने तटीय राजमार्ग की बात की है । तटीय राजमार्ग के बारे में यह पता है कि गुजरात के बन्दरगाह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं । गुजरात उद्योग, व्यापार, मोटर वाहनों आदि के सम्बन्ध में शीर्ष पर है । नागपुर योजना के अनुसार राज्यों के लिये सड़कों के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे । अधिकतर अन्य राज्यों ने नागपुर योजना के लक्ष्यों से अधिक काम किया है । दुर्भाग्य से गुजरात सब से नीचे है और यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों से भी पीछे है । मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात राज्य को राज्य में तटीय राजमार्गों के बारे में नागपुर योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के सक्षम कब बनाया जायेगा ।

श्री चांद राम : यह मेरा दुर्भाग्य है कि योजना आयोग ने उक्त कार्यों के लिये अतिरिक्त धनराशि नहीं दी है ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : अपने मुख्य उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार को समय समय पर गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए । जैसा कि मैं समझा हूं 5.96 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई । इस को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार को समय समय पर गुजरात से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और वे गुजरात के तटीय राजमार्ग के किन किन सैक्टरों के संबंध में थे ? कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

श्री चांद राम : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री के० लकप्पा : राष्ट्रीय विकास परिषद् के बारे में पहला प्रश्न पूर्णतया सम्बद्ध है और इसको उसके साथ सम्बद्ध करना होगा प्रधान मंत्री यहां पर हैं । प्रश्न के भाग (क) में कहा गया है कि क्या सरकार का विचार उन राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने का है जो अपने क्षेत्रों में तटीय राजमार्गों का मार्गदर्शन करने के लिए सहमत हैं । यह प्रश्न है । तटीय राजमार्ग के विषय से सम्बद्ध सभी मुख्य मंत्रियों ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया । उन्होंने अपने राज्यों के विकास के अनुकूल न होने वाले कुछ प्रस्तावों को रद्द कर दिया है उन्होंने कहा है कि वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं है । और उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है । इन सब बातों को देखते हुए क्या मंत्री महोदय इन सभी तटीय राजमार्गों के समीकरण के प्रश्न पर विचार करेंगे ? क्या

वे उन्हें गुजरात से गोआ और कर्नाटक तट से जोड़ने के प्रश्न पर विचार करेंगे ? क्या इस बारे में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ? क्या अब इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित वित्तीय सहायता उपबन्ध करेंगे ? क्या विभिन्न राज्यों की मांगों की पूर्ति के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

श्री चांद राम : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

श्री के० लकप्पा : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । हां अथवा नहीं में उत्तर दें ।

श्री चांद राम : ऐसी कोई योजना नहीं है ।

जाति के आधार पर रेजिमेंटों के नाम

*492. **श्री बी० पी० मंडल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन जातियों के नाम पर रेजिमेंटों के नाम हैं;

(ख) क्या राज्य के धर्म निरपेक्ष स्वरूप और सरकार के जाति-विहीन समाज की स्थापना के ध्येय को ध्यान में रखते हुए सरकार का उक्त सभी रेजिमेंटों के नामों से जातियों के नाम हटाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन विभिन्न अन्य जातियों के नामों पर भी रेजिमेन्टों के नाम रखने का है जिनका भारतीय सेना में प्रतिनिधित्व प्राप्त है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह:) : (क) ऐसी कुछ रेजिमेन्टें हैं जिनके नाम वर्गों/जातियों/समुदायों/क्षेत्रों के आधार पर रखे गये हैं इनमें मराठा लाईट इंफन्ट्री, राजपूत रेजिमेन्ट, जाट रेजिमेन्ट, सिख रेजिमेन्ट, सिख लाइट इन्फेन्ट्री, डोगरा रेजिमेन्ट, माहर रेजिमेन्ट, गोरखा रेजिमेन्ट असम रेजिमेन्ट, बिहार रेजीमेन्ट और मद्रास रेजिमेन्ट आते हैं ।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार, सेना में भर्ती सभी वर्गों/जातियों/धर्मों के व्यक्तियों के लिए खुली है बशर्ते वे शारीरिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी मानकों को पूरा करते हों । परन्तु उन कुछ रेजिमेन्टों के मामले में, जो वर्ग/जाति के आधार पर गठित की गई हैं, भर्ती विनिर्दिष्ट वर्गों के लिए आरक्षित है ।

वर्ग के आधार पर गठित रेजिमेन्टों को इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि उन्हें समाप्त कर देने से सम्बन्धित वर्गों में असंतोष पैदा हो जाने की सम्भावना है । परन्तु इन रेजिमेन्टों के मामले भी यह प्रयत्न किए जा रहे हैं कि धीरे-धीरे उनमें भर्ती अन्य वर्गों के लिए भी खोल दी जाए ।

श्री बी० पी० मंडल : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटिश शासकों ने रेजिमेन्टों के जाति के आधार पर नामों की प्रणाली आरम्भ की थी क्योंकि वे लड़ाओं और शासन करो की नीति में विश्वास रखते थे और जातिनिर्पेक्षता से उन्हें कुछ लेन देन नहीं था । इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए देश की रक्षा के लिये कुछ जातियों को अनुमति देना भी हजारों वर्षों गुप्तकाल से ही देश के हित में सिद्ध नहीं हुआ है तथा इस विचार से भी कि हमने धर्मनिर्पेक्षता और वर्ग विहीन समाज का बचन दिया है जातियों के नामों पर रजिमेन्टों के नाम बनाये रखने का क्या औचित्य है ?

मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि इससे सम्बद्ध जातियों में असन्तोष पैदा होगा । बड़े आश्चर्य की बात है कि चार पांच रजिमेन्टों के बारे में मंत्री महोदय ने ऐसा उत्तर दिया है । कुछ अन्य लोग भी ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं और सेना में कार्य कर रहे हैं उनकी कोई मान्यता नहीं है और उन्हें

दूसरी जातियों के नामों के अधीन काम करना पड़ता है। बड़े आश्चर्य का विषय है कि मंत्री महोदय बहुत सी जातियों के असंतोष से चिन्तत नहीं हैं। इस धर्मनिर्पेक्षता तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के प्रति वचनबद्ध हैं तब जातियों के नाम पर रजिमेन्टों के नाम बनाये रखने में क्या औचित्य है। श्रेत्रीयता के प्रति मैं चिन्तित नहीं हूं मेरी चिन्ता जातियों के बारे में है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : जैसा कि मैं बता चुका हुं सरकार की नीति सशस्त्र सैनाओं में सभी जातियों के लोगों को लेने की है। कुछ रैजिमेन्ट वर्ग तथा जाति के नामों पर आधारित हैं। इस बारे में भी मैंने बताया है कि हम धीरे धीरे इन रजिमेन्टों में अन्य जातियों, वर्गों के लोगों को ले रहे हैं और धीरे धीरे जाति प्रभुत्व समाप्त कर रहे हैं।

श्री बी० पी० मंडल : मंत्री महोदय ने जो कहा है कि वह धीरे-धीरे जाति प्रणाली समाप्त कर रहे हैं तो इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्ष पश्चात् भी जाति के नामों पर रजिमेन्टों के नाम बनाये रखने के क्या कारण हैं? क्या यह सच नहीं है कि अन्य बहुत सी जातियां उदाहरण के लिये, ब्राह्मण, भूमिहार, अहीर, जादव, तथा उत्तर प्रदेश और पंजाब के जाट इन रजिमेन्टों में 34 माउन्टेन रैजिमैन्ट, 38 माउन्टेन रैजिमेन्ट अधिकांशतया नियुक्त हैं तो जातिवाद के आधार पर रैजीमैंट बनाये रखने के क्या कारण हैं? जब सेना में अन्य जातियों के लोग, पंजाब के अहीर और जाट, कार्य कर रहे हैं तब इसका क्या औचित्य है? उनके नाम पर रैजीमैंट के नाम नहीं हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटिश शासन काल में वर्ष 1957 में, क्योंकि इन जातियों ने ब्रिटिश लोगों के साथ सहयोग नहीं किया, विशेषतया हरियाणा के राव तुलाराम के नेतृत्व में अहीरों ने अंग्रेज़ों को सहयोग नहीं दिया था इसलिये कुछ समय तक सैना में इन्हें नियुक्त ही नहीं किया गया.....

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछ रहे हैं अथवा इतिहास बता रहे हैं?

श्री बी० पी० मंडल : मेरा प्रश्न यह है कि जब सेना का अन्य रैजिमेंन्टों में अन्य जातियों के बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं तब जातियों के आधार पर कुछ रैजिमेन्टों के नाम बनाये रखने का क्या औचित्य है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : माननीय मित्र चाहते हैं कि रैजिमेन्टों के नाम जाति के नामों पर नहीं रखे जाने चाहिये। परन्तु ये ऐतिहासिक चीजें हैं। पहले सेना में केवल लड़ाकू जातियों के लोगों को ही नियुक्त किया जाता था। परन्तु हमने यह भेद-भाव समाप्त कर दिया है। अब लड़ाकू जाति का प्रश्न ही नहीं है। सभी समान हैं अतः सभी की नियक्ति की जाती है। परन्तु कुछ नाम ऐतिहासिक रूप में चले आ रहे हैं। उन्होंने प्रतिष्ठा भी पाई है। परन्तु इस समय इन रैजिमेन्टों में सभी जातियों का मिश्रण पाया जाता है। नाम का कोई विशेष अर्थ नहीं है। जिस प्रकार से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बहुत से हिन्दू छात्र हैं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में मस्लिम छात्र भी विद्यमान हैं। परन्तु नाम चल रहे हैं। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब इन नामों को बदला जा सकेगा परन्तु इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससें शान्ति के स्थान पर अशांति फैलती है।

SHRI KACHARU LAL HEMRAJ JAIN : May I know whether the Regiments have been named after the independence or the names are continued even before the independence was achieved?

प्रो० शेर सिंह : Names are continued from pre-independence period मैं वर्ष भी बता सकता हूं जब ये रैजिमेन्ट स्थापित हुये। मराठा लाईट इन्फैन्ट्री वर्ष 1768 में स्थापित हुई थी। राजपूत रैजिमेन्ट, 1798 में, जाट रैजिमेन्ट 1803 में, सिक्ख रैजिमेन्ट

1846 में, सिक्ख लाईट इन्फैन्ट्री वर्ष 1941 में, डोगरा रैजिमेन्ट वर्ष 1858 में और महार रैजिमेन्ट वर्ष 1941 में स्थापित हुई ।

श्री वेदव्रत बरुआ : राष्ट्रीय एकता मनोविज्ञान की चीज़ है, मस्तिष्क की स्थिति है । क्या मैं जान सकता हूं कि ये नाम क्यों चले आ रहे हैं । नामों का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक महत्व है । ये लोग अखिल भारतीय विचारधारा तथा जाति पाति से परे इन नामों का प्रभाव लेकर और ऐसी ही विचारधारा लेकर ग्रामवासियों के पास जाते हैं । मेरा कहने का अर्थ यह नहीं है कि इन्हें कम अवसर दिये जाने चाहिये । इन्हें रोजगार के अवसर दिये जाने चाहिये । परन्तु मेरी विशेष चिन्ता नामों के बारे में है । क्या आज जाट तथा मराठों को ऐसा आश्वासन दिया जाना संभव नहीं है कि उन्हें पहले की तरह नियुक्तियों के मामले में प्राथमिकता मिलेगी ? मैं जानता हूं कि आज भी इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है । मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के लिये कम से कम नाम अवश्य बदल जाने चाहियें । यह बहुत आवश्यक है क्योंकि बहुत से लोग अपने गांवों को वापस जाते हैं ।

प्रो० शेर सिंह : प्रधान मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इन सब चीजों के पीछे एक इतिहास है । अत: नाम नहीं बदले जा सकते । परन्तु फिर भी उन सभी रैजिमेन्टों में जो वर्ग चरित्र के स्वरूप की हैं, केवल वे वर्ग विशेष ही नहीं हैं.....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि आप नामों को समाप्त क्यों नहीं करते ।

प्रो० शेर सिंह : मैं विवरण भी दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल इतना पूछा है कि सरकार नामों को क्यों नहीं बदलती ।

प्रो० शेर सिंह : इन रैजिमेन्टों में अन्य वर्गों के लोग भी हैं ।

SHRI CHHABIRAM ARGAL : The Constitution of India provides that no discrimination will be made on the basis of castes, creed and sex or community. May I know whether maintaining of these names is not a violation of constitution ? I know that the people from other classes or the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are not recruited to these Regiments of class character. Marathas are recruited for Maratha Regiment and Sikhs for Sikh Regiment and the people from Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not given proper representation according to the reservation quota. May I know whether the hon. Minister will ensure that these names will be removed and casteism will be abolished and the people from Scheduled Castes and Tribes will be given full representation according to the provisions of the Constitution ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने फिर वही प्रश्न पूछा है । अब हम प्रश्न संख्या 493 लेते हैं ।

फरवरी, 1978 में दिल्ली में दर्ज किये गये अपराधों के मामले

*494. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978 के फरवरी महीने में दिल्ली में हत्या सेंधमारी, माल छीनने और मार-पीट के कितने मामले दर्ज किये गये ;

(ख) क्या इन अपराधों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी; और

(घ) राजधानी में आई हुई अपराध लहर को दबाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख), और (ग) दिसम्बर 1977, जनवरी, 1978 और फरवरी, 1978 के दौरान हत्या, सेंधमारी, माल छीनने और मार-पीट के दर्ज किये गये मामलों के बारे में तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है :—

अपराध का शीर्ष	दिसम्बर 1977	जनवरी 1978	फरवरी 1978
हत्या	17	15	9
सेंधमारी	302	322	367
छीनने	22	12	14
मारपीट	175	201	146

इस विवरण से यह पता चलता है कि दिसम्बर, 1977 के मुकाबले में फरवरी, 1978 में हत्या, माल छीनने और मार-पीट के मामलों में कमी हुई है ।

(घ) अपराध स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) अपराध ग्रस्त क्षेत्रों में वायरलेस के साथ पैदल तथा चलती फिरती गश्त सशक्त की जा रही है और विषम समय में निरन्तर नाकाबन्दी की जा रही है ।

(2) महत्वपूर्ण स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं ।

(3) नामी अपराधियों पर निगरानी कड़ी की जा रही है और अपराधियों के रिकार्ड अद्यतन बनाये जा रहे हैं ।

(4) अपराधियों के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाहियां तेज की जा रही हैं ।

DR. BALDEV PRAKASH : The hon. Minister has just now stated that some steps have been taken to keep the crime situation under control, such as foot and mobile patrolling with wireless is being strengthened in the crime affected areas and armed pickets are also being deployed at strategic points. Inspite of these measures 8–10 murders have taken place in Delhi within the last two-three days in the month of march and these are in the news. I want to know why these crimes increased when such specific measures were taken ? Why their number did not decrease ? Why the Government did not consider earlier at the time of the function of holi that crimes could increase these days and why no special measures were taken. This has resulted in 8–10 murders in the capital in the last 3-4 days.

SHRI DHANIK LAL MANDAL : Mr. Speaker, Sir, we can not arrive at any conclusion regarding any tendency on the basis of two-three days or one-two months.

DR. BALDEV PRAKASH : My question was why the Government did not take special steps during holi festival to contain the crimes and why the Government did not make full arrangement in the capital ? Why special steps were not taken in these two-three days because there remains a possibility of crimes during holi ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : They were not murders. The deaths occurred due to holi. They consumed spurious liquor and that also in a large quantity. That is they have not consumed quality liquor and in less quantity. And such deaths took place and not murders. It is possible one or two murders took place but it is not correct to say that some murders took place due to holi festival. There is a case of assault on a girl. In that news it was written that the law and order situation is very bad but after one sentence it was written that the Police arrived immediately and took away the goondas.

DR. BALDEV PRAKASH : In the fourth part of the reply it is stated that enternment proceedings against criminals are being stepped up. Do I want to know the

number of criminals against whom enternment proceedings have been initiated and how many have been externed from Delhi ?

SHRI CHARAN SINGH : Enternment proceedings have been going on against about 250 criminals. Most of them are pending in the court and about 100 criminals have been externed.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The crimes figures have increased or decreased, I do not want to entangle myself in this controversy. It is in my knowledge that the hon. Minister has initiated some steps. He is taking personal interest. But inspite of this in Delhi the feeling of security among the people is decreasing specially among the women. I want to know what he is doing to restore a feeling of security among the people so that they may go out in day light with confidence because criminals operate during the day rather than in the night. He had called a meeting in which three-four decisions were taken. First, the posts will be increased, secondly, some new Police stations will be set up and some Police officers will be transferred to other States. I want to know what progress has been made regarding these three-four important decisions. Why the Lt. Governor has discontinued the calling of meeting every month ?

SHRI CHARAN SINGH : The hon. friend says that crimes may have decreased but this is the impressions of the people that crimes are increasing. I do not deny this but the Government acts on the basis of importation available to it. Whatever my honble friend suggests, we will consider over it. I read out some figures so that facts may be known. It may be correct to say that we are not concerned with the figures. It is one's arguments. But we plan on the basis of figures. Shri Kanwar Lal Gupta also must running his house after planning on the basis of figures. (*Interruption*). I am giving you figures of crimes. In 1970 the figures for dacoity was 0.75 per lakh, in 1974 it was 0.6 per lakh and 0.36 per lakh in 1977 it was 0.36 per lakh.

Now come to murder. It was 3.4 per lakh in 1970, 3.7 per lakh in 1974 and 3.4 per lakh in 1977. These have decreased compared to 1974. As regards attempts to murder, it was 3.47 per lakh in 1970, 5.85 per lakh in 1974 and 3.9 per lakh in 1977. In the case of robbery it was 9.26 per lakh in 1970, 7.3 per lakh in 1974 and 6.7 per lakh in 1977. Now take riots. These are such crimes which cannot be concealed. Other crimes can be concealed but not riots. In riots it was 5.12 per lakh in 1970, 6.0 per lakhs in 1974 and 2.78 per lakh in 1977. In burglary it was 91.8 per lakh in 1970, 59.0 per lakh in 1974 and 50.6 per lakh in 1977. As regards thefts, it was 4.54 per lakh in 1970, 4.36 per lakhs in 1974 and 4.11 per lakhs in 1977.

The miscellaneous crimes registered under I.P.C. are 229 in 1970, 205 in 1974 and 200 in 1977. The total are 796.3 in 1970, 724.34 in 1974 and 670 in 1977.

This is the position on the basis of figures. It was another thing that figures are not given their due place by Shri Kanwar Lal Gupta. I admit that cases of snatching have increased but there is a reason for it. The per capita income in Delhi is highest—more than Bombay and Calcutta. With the result, costly jewellery is being put on.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Please do not encourage it by saying so.

SHRI CHARAN SINGH : Don't misunderstand me. Secondly, Delhi is a modern city. These modernism is increasing and where under the present civilisation cities are expanding, the crimes are also increasing. We cannot deny this. You have read in the newspapers that Americans are leaving the big cities due to pollution, crimes and artificial life. Last year the population of cities have dwindled by 17.4 millions. It is the policy of the Government not to encourage the expansion of cities but different pleas are given such as electricity grid should be here, all India offices should be here. With the result cities are expanding. The more the cities expand, the more the crimes. No one can contain them.

Most of the murders are committed out of passion. The number of premeditated murders are very less. So, under such circumstances, what the police can do. But I am not satisfied with this situation. I have had talks with officers several times.

श्री ए० के० एम० : मंत्री महोदय को सुसंगत उत्तर देना चाहिए ।

SHRI CHARAN SINGH : The hon. Member has suggested that the strength of the Police should be increased. This is right. We have decided to do so and this force is going to be strengthened. But I want to tell that in Delhi the strength of the Police is more against per lakh population. This was not in my mind previously. I have come to know only today. In Delhi the number of Policemen is more against per lakh population

in comparison to Europe, America and some other countries. It is true that the Police of cities of other countries have more facilities of investigation. Such facilities are not available here. So their less number is not the specific reason for increase in crimes. What other question you had asked ?

अध्यक्ष महोदय : नही, नही गृह मंत्रालय की मांगों पर बहस होनी है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय मेरा प्रश्न पूछ रहे हैं, वह दूसरी बात भूल गए हैं । मैं उनको बता रहा हूं कि मैं उनसे क्या पूछना चाहता हूं । मैं उसमें कुछ और नहीं जोड़ रहा हूं ।

मेरा प्रश्न है कि उन्होंने हमारी उपस्थिति में कुछ निर्णय लिया था । उदाहरण के लिए दिल्ली से कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को अन्य राज्यों में भेजा जाना । इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

SHRI CHARAN SINGH : It was not a question of corrupt or incorrupt, the point was that many officers whose residence was Delhi, were posted in Delhi. The principle of good administration is that officers should not be posted at the place of their residence. So we brought about some changes. I would like to say this also that whatever transfers are effected of some big officers, pressure was exerted on me. Shri Kanwar Lal Gupta is acquainted with this.

So far as the transfer of sub-Inspectors is concerned, the difficulty is where to transfer them. It is possible that an officer belonging to Meerut may be transferred to Aligarh. Similarly an officer belonging to Aligarh may be transferred to Deoria. But here a officer can be transferred from one place to another only in Delhi. Because Delhi is a city and it has its own Police. Since Delhi is a Union Territory, at the most we can transfer him to Andamans. But this does not to be proper. This is the problem which is defying a satisfactory solution.

श्री नाना साहिब बोंडे : उनका कहना है कि अपराधों की रोकथाम के लिए कुख्यात गुंडों को एक से दूसरे स्थान में भेज दिया जाता है । मैं उनसे विशेषकर यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह नीति ठीक है, क्या उनको उस स्थान से, जहां उन पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त साधन हैं, किसी अन्य स्थान पर भेंजना वांछनीय अथवा राष्ट्र के हित में है ? क्या इन कुख्यात राष्ट्र गुंडों को अन्य स्थानों पर भेजना तथा वहां, जहां उन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है, और अधिक परेशानियां पैदा करना वांछनीय होगा ? मेरा यह कहना है कि इस नीति को बदलने की आवश्यकता है । ऐसा न करने से यह गुंडे अन्य स्थानों में जहां उन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, और अधिक उत्पात मचायेंगे ।

श्री चरण सिंह : यह एक सीधी सादी आपत्ति है जो इस व्यवस्था के प्रति उठाई जा सकती है परन्तु अनुभव ने सिद्ध किया है कि जब गुंडों को उनके रोजमर्रा के स्थानों से अलग कर दिया जाता है, जब उन्हें नए स्थानों को भेज दिया जाता है, तब वे कुछ समय तक अपराध नहीं कर सकते हैं जब तक वे नए संबंध न बनायें, नई मित्रता आदि न बनायें । इसलिए जब दिल्ली से कोई व्यक्ति गाजियाबाद जाता है तब वह उतना प्रभावी नहीं होगा ।

आगरा के समीप सूक्ष्म तरंग टावर

*495. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा से आठ किलोमीटर दूर टोरा गांव में एक सूक्ष्म तरंग ट्रांस्मीशन टावर खड़ा किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या लाभ होगा ।

(ग) क्या इससे दिल्ली के टेलीविजन स्टेशन के प्रभावकारी क्षेत्र में वृद्धि होगी तथा इससे आगरा और इसके आस-पास के क्षेत्र में कार्यक्रम देखे जा सकते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार आगरा में एक टेलीविजन स्टेशन अथवा कम से कम एक रिले केन्द्र स्थापित करना चाहती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) यह सूक्ष्म तरंग (पावकी वेव) केन्द्र दूरदर्शन और दूरसंचार सुविधाओं का संचारण करने के प्रयोजन से, दिल्ली और कलकत्ता के महानगरीय केन्द्रों को अंत:सम्बद्ध करने की परियोजना के अंग के रूप में बनाया गया है। इस केन्द्र से आगरा को कुछ टेलीफोन/टेलीग्राफ चैनल भी उपलब्ध किए जाएंगे।

(ग) और (घ) इस सुविधा से दिल्ली दूरदर्शन के प्रेषणों का आगरा तक विस्तार स्वत: नहीं हो सकता। तथापि, दिल्ली या कलकत्ता की दिशा से टेलीविजन सिगनलों का निस्सारण या अंत:क्षेपण करना और उनकी आगरा में टेलीविजन रिले केन्द्र के जरिये रिले करना संभव है। तथापि, आगरा में टेलोविजन केन्द्र या रिले केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : आगरा देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक केन्द्र है और वहां दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए काफी समय से लगातार मांग रही है। यह एक असंगत बात है कि वहां पर्यटकों के लिए टेलीविजन की व्यवस्था नहीं है जो उनके लिए एक आम सुविधा है। यहां अनेक पांच स्टार होटल और अन्य होटल स्थित हैं। आगरा में विश्वविद्यालय हैं और यहां अनेक स्नातकोत्तर कालेज तथा संस्थाएं हैं। इनमें मेधावी छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली के इस प्रसिद्धि पर पहुंचने से पूर्व भी आगरा देश की राजधानी था। मैं यह बताना चाहता हूं कि आगरा में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना से न केवल उत्तर प्रदेश को अपितु राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा क्योंकि आगरा महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। यह अनेक कवियों जैसे मियां नाजिर, मिर्जा गालिब सूरदास, सत्यनारायण का जन्म स्थान रहा है। यह सूरदास का साधना स्थान था। यहां टेलीविजन केन्द्र की स्थापना करके आप इन कवियों और अनेक प्रसिद्ध संगीतिज्ञों जिनके कारणों ने अभी तक इस परम्परा को कायम रखा हुआ है, के प्रति सम्मान करेंगे। इन बातों को देखते हुए जब आगरा में ट्रांसमिशन टावर खड़ा किया जा रहा है तब दूरदर्शन प्रेषण के लाभ का विस्तार आगरा तक करना संभव क्यों नहीं है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय सदस्य ने आगरा की सांस्कृतिक विशेषताओं का जिक्र किया है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यह बात उठाई जा रही है कि चूंकि आगरा के निकट सूक्ष्म तरंग टावर खड़ा किया जा रहा है, तो हमारे लिए दिल्ली के दूरदर्शन प्रेषण का विस्तार आगरा तक करना संभव होना चाहिए। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि रिले केन्द्र के लिए भी केवल सूक्ष्म तरंग टावर प्रर्याप्त नहीं है। इसके बाद भी वहां ट्रांसमीटर की आवश्यकता होगी और उसके लिए रिले केन्द्र की लागत 1.3 करोड़ रुपये आयेगी तथा इसमें को-एक्सियल के सबल, जिसकी आवश्यकता टावर को रिले केन्द्र के साथ जोड़ने के लिए होगी, की लागत अलग है। इस समय धन की कमी के कारण आगरा में टेलोविजन रिले केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : इस टावर को खड़ा करने से रिले केन्द्र की लागत कितनी कम हो जायेगी ? देश में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना करने का मापदंड क्या है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इससे दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर की लागत बिलकुल भी कम नहीं होगी देलीविजन रिले ट्रांसमीटर की लागत 1.3 करोड़ रुपये आयेगी।

यह अंत:सम्बद्ध दो उद्देश्यों से किया जा रहा है, दूर संचार के लिए और इसका प्रयोग टेलीविजन के लिए भी किया जा सकता है। अंत:सम्बद्ध होने का यह मतलब नहीं है कि हम दिल्ली के कार्यक्रमों को आगरा को प्रेषण कर सकेंगे और मैं यह बताना चाहूंगा कि इसका तात्पर्य 1.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत होना जो कि इस समय सम्भव नहीं है।

दूसरी बात यह है कि विशेषकर नई सरकार के सत्तारूढ़ होने के पश्चात् यह विचार सामने आया है कि दूरदर्शन के विस्तार का औचित्य केवल तभी है जब यह विकास और बड़े पैमाने पर ग्रामीण शिक्षा के हित का संवर्धन कर सके। यह एक व्यापक विचार है।

श्री के० ए० राजन : मंत्री महोदय ने दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए मापदंड का उल्लेख किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केरल में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has just replied that the separation of television to the rural areas can be done only with a view to propagate education there. The Government is thinking to expand television facility to the villages for the propagation of education there. I want to know when there is no provision of drinking water in the villages, how the television will help in the propagation of education? This is not understanable to us.

अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न प्रश्न है। यह प्रश्न नहीं उठता है, वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं।

SHRI RAGHBIR SINGH : The cost of relaying television was to Rs. 1.3 crores. This much expenditure can be recovered and this cannot be called improductive.

SHRI L. K. ADVANI : I have stated that an expenditure of Rs. 1.3 crores will be incurred in relaying of television. A capital expenditure of Rs. 4 crores has to be incurred on erecting the main television centre. Additional recurring expenditure is also there. It does not seem possible that this will be recovered.

श्री बी० राचैया : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि राज्यों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के बारे में क्या नीति है? क्या राज्यों की राजधानियों को इस मामले में प्राथमिकता दी जाती है और यदि हां, तो कर्नाटक में बंगलौर में टेलीविजन केन्द्र किस वर्ष तक स्थापित हो जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता है। उन्होंने इस बारे में सरकार की नीति बताई है।

सी० आई० एल० और बी० सी० सी० एल० की कोयला खानों में मशीनीकरण

***496. श्री ए० के० राय :** क्या **ऊर्जा** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खानों के लिए मशीनों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई और कोल इंडिया लिमिटेड के मशीनीकरण की प्रक्रिया में इसका कितना प्रतिशत खर्च किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि आपात स्थिति के दौरान मशीनों के आयात से जनशक्ति की आवश्यकता में कमी हुई, विशेष रूप से माल डिब्बों में माल चढ़ाने-उतारने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कम की गई और परिणामत: बेरोजगारी बढ़ी है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 25 कम लागत वाली कोयला खानों में मशीनें कम लगी हैं जबकि 25 अधिक लागत वाली कोयला खानों में मशीनें अधिक लगी हैं और इससे स्पष्ट है कि मशीनीकरण का उत्पादन लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी मशीनों के आयात को बंद करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) राष्ट्रीयकरण के बाद से 1976-77 तक कोयला खानों के लिए मशीनें आयात करने पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा की कुल धन राशि लगभग 49.3 करोड़ रुपए है और यह यंत्रीकरण की लागत का 13.7% है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। उत्पादन की लागत केवल यंत्रीकरण के स्तर से ही सम्बद्ध नहीं है। उसका संबंध अन्य बातों जैसे प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक दशाएं, खान की स्थिति, गैस की डिग्री आदि से भी होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए० के० राय : जब हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि व्यक्ति समूची आयोजना का केन्द्र होता है और उद्योग मंत्री कहते हैं कि वह श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता देंगे। तब मैं जानना चाहता हूं कि कोयला उद्योगों में मशीनीकरण आरम्भ करने में शीघ्रता क्यों की गई जिससे मशीनों का आयात करने के कारण श्रमिकों को नौकरी से निकालना पड़ा ? मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि प्रयोग की जाने वाली अधिकांश मशीनों में विदेशी पुर्जे लगे होते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितनी कोयला खानों का पूरी तरह से मशीनीकरण किया जा रहा है, आंशिक मशीनीकरण किया जा रहा है और मशीनीकरण नहीं किया जा रहा है। इस बात को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि मशीनीकरण करने की प्रक्रिया में कितना लाभ और हानि होगी ?

श्री पी० रामचन्द्रन : मशीनीकरण के कारण श्रमिकों को नौकरी से निकालने का प्रश्न नहीं उठता है। राष्ट्रीयकरण के बाद मशीनीकरण के कारण हमने एक भी श्रमिक को नहीं निकाला है। वास्तव में राष्ट्रीयकरण करने के समय काफी श्रमिकों को काम पर रखा गया और हम उन्हें काम से निकालने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं क्योंकि हम कोयला खानों से किसी श्रमिक को निकालना नहीं चाहते हैं। अब तक जैसा कि मैंने पहिले कहा है, यह हानि मशीनीकरण के कारण नहीं है यह कोयला खानों में निहित अन्य विभिन्न कारणों से है।

श्री ए० के० राय : मंत्री महोदय ने बताया है कि मशीनीकरण के कारण एक भी व्यक्ति को निकाला नहीं गया है, मैं तो कहूंगा कि यह नितांत गलत बताया है। मंत्री महोदय ने स्वयं मुझे लिखा था कि आपातस्थिति के दौरान वैगन में माल चढ़ाने उतारने वाले 1858 श्रमिकों को काम से हटाया गया मतलब ऐसे श्रमिकों को काम से हटाया गया जिनके नाम पहले ही सूची में थे और जो काम कर रहे थे तथा उनको निकाले जाने का कारण यह था कि उन्होंने माल चढ़ाने के लिए यंत्रीकृत के लोडर का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया

था बजाये इसके इस काम को हाथ से किया जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोयला खानों में श्रम शक्ति वर्ष 1974 में निर्धारित की गई थी। इसके बाद श्रमिक कार्य कर रहे थे और वर्ष 1976 में उन्होंने विभिन्न कोयला खानों में विशेषकर वैगनों में माल चढ़ाने में मशीन का प्रयोग आरम्भ किया था। इसके बाद 1858 श्रमिकों के नाम सूची से हटा दिए गए, उन्हें काम से हटा दिया गया। उनमें से अधिकांश श्रमिक हरिजन और आदिवासी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मशीनीकरण के लिए जब उन्हें रोजगार से नहीं निकाला गया तब उन्हें काम से हटाने का क्या कारण है? उन्हें काम पर नहीं रखा गया। यहां तक कि मंत्री महोदय ने यह दावा नहीं किया है कि उन्हें काम पर रखा गया है। मशीनों के कारण अर्थात् ये लोडरों के प्रयोग से निर्धन हरिजनों और आदिवासियों को काम से हटाया गया। मैं किसी जांच के सामने इसको दावे के साथ कह सकता हूं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सभा को यह आश्वासन दिया है कि मशीन का प्रयोग करने के कारण काम से हटाये गए श्रमिकों को वापिस ले लिया जायेगा?

श्री पी० रामचन्द्रन : ज्यादा से ज्यादा ऐसे व्यक्तियों को पुन: रोजगार दिया जा सकता है जिनको वैगन में माल चढ़ाने/उतारने के काम में नहीं लगाया जा सका है। यह सच नहीं है कि मशीनीकरण के कारण श्रमिकों को काम से हटाया गया। यह नितांत गलत है। मुख्य बात वैगन में माल चढ़ाने/उतारने की है। वैगनों के शीघ्र आने के कारण हमें यह देखना होता है कि माल चढ़ाने का काम तेजी के साथ हो और हम कभी-कभी माल चढ़ाने के काम में आंशिक रूप से मशीन का प्रयोग करते हैं। इन सभी व्यक्तियों को जिन्हें काम नहीं मिल सका है, अन्य किन्हीं खानों में लगाया गया है जहां वे अभी तक काम कर रहे हैं। इसलिए यह सच नहीं है। जहां तक हरिजनों और आदिवासियों का संबंध है, मैं बताना चाहता हूं·····

श्री ए० के० राय : यह उत्तर नहीं है। मेरा प्रश्न था·····

अध्यक्ष महोदय : वह अभी उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ए० के० राय : मेरा प्रान निश्चित था। मशीनों के प्रयोग से हाथों से किए जाने वाले काम के अवसर कम हुए हैं·····

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ····

(व्यवधान)

श्री पी० रामचन्द्रन : कम रोजगार के अवसर कम नहीं हुए हैं बल्कि दूसरी ओर·····

(व्यवधान)

श्री पी० रामचन्द्रन : माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं। जहां तक हरिजनों और आदिवासियों का संबंध है, मैं उन्हें बता सकता हूं कि बी०सी०सी०एल० में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता 32 है और अनुसूचित जनजातियों की 11 है; सी०सी०एल० में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता 22 है और अनुसूचित जनजातियों की 21 है, डब्ल्यू० सी० एल० में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता 26 है और अनुसूचित जनजातियों की 18 प्रतिशत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Saharsa) : An hour has been devoted to six questions. There are twenty questions on the list. At this rate three hours should be fixed for question hour. If not three, then at least two hours should be fixed.

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा सुझाव है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दूसरा प्रैस आयोग

*493. **श्री महीलाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे प्रैस आयोग का पुनर्गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उसके निदेश-पद क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं । तथापि, सरकार ने एक प्रेस आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

(ख) आयोग की संरचना और उसके विचारणीय विषयों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) इस अवस्था पर प्रश्न नहीं उठता ।

CLOSURE OF RAJGHAT POWER HOUSE, DELHI

†*497. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether the 'A' Station Boiler of Westing House of the Rajghat Power House in Delhi has been lying closed for the past two to three years;

(b) whether there are some technical difficulties or is it because of official indifference ?

(c) whether some officers have been found guilty of closure thereof; and

(d) if so, the action taken against them ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRA) : (a) Yes, Sir.

(b) The generating units at 'A' Station of Rajghat Power House are not being run for the last 24 months as their generating capacity has been reduced because of old age and they have become unreliable and uneconomical, to operate. These units have not been closed down because of any official indifference.

(c) & (d). In view of the position indicated at (b) above, this question does not arise.

INDUSTRIAL HOUSES AS MONOPOLY HOUSES

*498. SHRI RAMANAND TIWARY
SHRI SHARAD YADAV : } : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing :

(a) the number of industrial houses which are considered as monopoly houses, which have been given permission to set up new industries from March, 1977 to-date; and

(b) the names and details of these industrial houses and the details of the new industrial units to be set up by them?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) and (b). 14 Letters of Intent and 4 Industrial Licences were issued during March, 1977 to February, 1978 under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 to undertakings registered under the M.R.T.P. Act, 1969 for setting up of new undertakings. A detailed statement is laid on the able of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1953/78].

पटसन उद्योग सम्बन्धी बोस-मलिक समिति

501. **श्री एस० जी० मुदगय्यन** : क्या **उद्योग** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पटसन उद्योग सम्बन्धी बोस-मलिक समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जूट उद्योग के बारे में बोस मलिक समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें तथा उन पर की गई कार्रवाई इस प्रकार है :—

	सिफारिश	की गयी कार्रवाई
1	2	3
1.	अपेक्षाकृत कम निवेश तथा मजदूरों का कम से कम हटाये बिना लागत कम करने के लिये यह वांछनीय होगा कि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित जूट उद्योग के आधुनिकोकरण के कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दिया जाये। इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त उदारता पूर्वक वित्तीय संस्थानों से सहायता दिलायी जाना चाहिये।	वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ जूट उद्योग के आधुनिकीकरण की समस्याओं का पता लगाने के लिये एक कृतिक वार्ता (टास्क फोर्स) स्थापित किया गया था। इस कृतिक बल की सिफारिशों के फलस्वरूप आई० डी० बी० आई० ने आधुनिकीकरण हेतु जूट उद्योग के लिये एक साफ्ट विंडो की स्थापना की थी। इन्टरनेशनल फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया को जूट उद्योग के लिये 'प्रमुख संगठन' के रूप में नामित किया गया था।
2.	जूट निर्माता विकास परिषद् को चाहिये कि वह उद्योग के परामर्श से विषय की गहराई से जांच करे तथा कच्चे पटसन की खपत में बचत तथा जूट के भाव को प्रतियोगिता के योग्य बनाने के लिये भारी निर्माण के स्थान पर हल्के निर्माण स्थापित करने के आवश्यक अभ्युपाय करे।	उद्योग द्वारा अपेक्षाकृत हल्के किस्म विशेषकर काटन बैगिंग का विकास किया गया व उसे उद्योगों द्वारा अपनाया गया है। बी टिवल बैगों के लिये अपेक्षाकृत हल्की जूट वस्तु का विकास भी किया गया तथा इसके आधे रूप का परीक्षण चल रहा है।

1	2	3
	3. अनेक बार लगने वाले बिक्री कर को हटा दिये जाने से निजी पूंजी निवेश करने तथा बाजार की स्थिति सुधारने में बड़ी सहायता मिल सकती है ।	इस विषय में पश्चिम बंगाल सरकार से आगे कार्रवाई करने के लिये कहा जा रहा है ।
	4. संश्लिष्ट क्षेत्र में हुए हाल ही के विकास तथा अन्य संगत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एक विशेषज्ञ-निकाय द्वारा आगामी 10 से 15 वर्षों में भारतीय जूट के माल की निर्यात की संभावनाओं का निर्धारण पुनः गहराई से किया जाना चाहिए।	इस प्रयोजन के लिये 31-12-76 को एक दल की स्थापना की गई थी व उसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।
	5. उत्पादकता से सम्बद्ध करके जूट उद्योग में मजदूरी की दरों का पुनः निर्धारण की पर्याप्त गुंजाइश है । जूट निर्माता विकास परिषद् की तकनीकी समिति द्वारा बताये गये सिद्धान्तों के संदर्भ में सरकार इस मामले में विचार करने के लिये राज्य सरकारों से कह सकती है ।	जूट निर्माता विकास परिषद ने उत्पादकता के प्रतिमान बनाये हैं और यह प्रश्न श्रम मंत्रालय के विचाराधीन है ।
	6. सरकार को कच्चे जूट की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिये जूट कारपोरेशन आफ इंडिया के माध्यम से मूल्यों को युक्तियुक्त स्तर पर स्थिर रखने व जूट के मध्यवता स्टाक आदि के लिये एक समिति का गठन करना चाहिये ।	इस कार्य के लिये 31-12-76 को जूट आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गयी और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।
	7. सरकार को बोरे बनाने के लिये उत्पादन शुल्क को पूरी तरह से हटा दिये जाने तथा उनके लिये न्यूनतम सांविधिक मूल्य नियत करने पर विचार करना चाहिये ।	संबंधित मंत्रालयों तथा योजना आयोग के परामर्श से इन प्रस्तावों पर विचार किया गया था किन्तु उन्हें कार्यान्वित न करने का निर्णय लिया गया था । जब भी और जैसे आवश्यक समझा जायेगा स्थिति की समीक्षा की जायेगी ।
	8. जूट की फसल का फसल पूर्व की स्थिति का वैज्ञानिक अनुमान लगाने की क्रियाविधि का विकास किया जाना चाहिये तथा "गहन जूट जिस कार्यक्रम" का विस्तार किया जाना चाहिये ।	यह सिफारिश आवश्यक कार्यवाही के लिये कृषि मंत्रालय को भेज दी गयी है ।

1	2	3
	9. रुग्ण एककों का पता लगाने के उद्देश्य से जूट उद्योग में नियमित समय पर प्रत्येक एकक के कार्य की समीक्षा करने की एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि सरकार समुचित कार्रवाई कर सके ।	इस कार्य के लिये एक समिति की स्थापना की गई थी तथा इन प्रयासों के फलस्वरूप उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत तीन जूट मिलों (खाद्य, यूनियन तथा अलेक्जेन्ड्रा) का प्रबन्ध हाथ में ले लिया गया है ।
	10. जिन कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों पर तुरंत ही ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है उनमें शीघ्र परिणाम सुनिश्चित करने हेत यह जरूरी है कि आगामी कुछ वर्षों के लिये एक प्रावस्थाबद्ध अनुसन्धान का कार्यक्रम बनाया जाये । अतएव आगामी कुछ वर्षों की कार्य योजना में विकास परिषद् को निम्नलिखित का निर्धारण कार्य करना चाहिये (क) कौन सी प्राथमिकता वाली अनुसन्धान परियोजना की सर्वोच्च प्राथमिकता है (ख) यदि साधन सीमित नहीं हैं तो इस प्रकार की उच्च प्राथमिकता वाली परियोजना को पूरा करने में लगने वाला आवश्यक न्यूनतम समय (ग) आवश्यक धनराशि की परिमाण (घ) न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कोशल के रूप रेखा को अन्तिम रूप दिया जाना । एक बार यह कार्य पूरा कर लिया गया तो समुचित प्राधिकारी इस कार्यान्वित करने हेतु अपेक्षित साधन प्राप्त करने पर विचार किया जा सकेगा ।	इस संबंध में जूट निर्माताओं की विकास परिषद् से आवश्यक कार्यवाही शुरू करने को कहा गया है तथा वह सुझाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्य कर रही है ।

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा बम्बई यातायात का अध्ययन

502. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे** : क्या **विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान को बृहत् बम्बई के लिये यातायात और परिवहन के अध्ययन का कार्य सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) उक्त अध्ययन के क्या मुख्य निष्कर्ष हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) यह कार्य 1 नवम्बर 1977 से प्रारम्भ किया गया।

(ग) 4 वर्ष की अवधि में अध्ययन कार्य पूरा किया जाने की आशा है। इस समय जांच के मुख्य परिणामों के बारे में कुछ भी कहना समयानुकूल नहीं होगा।

SETTING UP OF A FILM AND T. V. INSTITUTE IN NORTH INDIA

*503. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether there is no Film and Television Institute in North India and in its absence people of Agra, Mainpuri, Farukhabad, Etah and Etawah regions are unable to avail of this facility; and

(b) if so, when T. V. Centre and Studios are likely to be set up in these districts and in case it is not proposed to do so, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF INFORMATION & BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) While it is true that there is no Film and Television Institute in North India, the Film and Television Institute of India, Pune, imparts training to students from all over the country. Admission to this Institute is open to candidates of all States for firm courses and there is no State-wise reservation.

(b) Due to servere financial constraints, it is not proposed to set up T. V. Centre and Studios in these districts for the present.

GENERATION OF POWER FROM KATAIYA HYDEL POWER HOUSE UNDER KOSI PROJECT

†*504. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether Kataiya Hydel power house has been set up under Kosi project;

(b) the original estimate of Kataiya hydel power house and the expenditure incurred till the end of 1977

(c) the target fixed in regard to generation of power from the said hydel power house and the quantum of power, in Kilowatt actually generated till, 1977; and

(d) whether Government have ascertained as to why this power house is not working to its capacity keeping in view the expenditure incurred thereon ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) Yes, Sir.

(b) The Bihar State Electricity Board have intimated that the original estimated cost of the Kataiya Power House was Rs. 220 lakhs and the revised estimated cost Rs. 616 lakhs. The expenditure till the end of 1977 has been indicated as Rs. 616 lakhs.

(c) The Project Report envisaged a power potential equivalent to a firm generation of 90 million units annually, in terms of an installation of 4 units of 4.8 MW capacity each, based on a minimum discharge of 7500 cusecs and an average operating head of 20 ft. The fourth unit was commissioned only in March 1977, but went on prolonged shutdown shortly thereafter. Upto December, 1977, the total quantum of power generated at the Power Station was about 40.57 million units.

(d) The Bihar State Electricity Board have intimated that the Power House is not generating to its full capacity due to high silt discharge and frequent of carbin packing owing to high silt. They have further indicated that non-availability of the required quantity of water, accummulation of 'pater' grass near the power vent entry especially during the monsoon season and non-completion of the Bhengadhar Escape channel situated in the downstream side of the Power Station are other factors contributing to lower output from the Power Station.

तापीय संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

505. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तापीय बिजली संयंत्रों को घटिया कोयले की सप्लाई इन संयंत्रों की क्षमता के कम उपयोग का एक कारण है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले की किस्म में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० राम चन्द्रन) : (क) और (ख) कुछ विद्युत केन्द्रों ने सूचित किया है कि उनको सप्लाई किए गए कोयले की क्वालिटी के कारण पैदा हुई समस्याओं के फलस्वरूप उत्पादन क्षमता का उपयोग अपेक्षाकृत कम हुआ। विद्युत् केन्द्रों को उपयुक्त क्वालिटी के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से उठाए गए/उठाए जा रहे विभिन्न कदमों का उल्लेख उपाबन्ध में किया गया है।

विवरण

1. सप्लाईकर्ताओं द्वारा ढुलाई के स्थल पर निरीक्षक तैनात किए गए हैं ताकि जहां तक व्यवहार्य हो विद्युत् केन्द्रों को अपेक्षित क्वालिटी के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।
2. पत्थरों को चुनने, कोयले को छानने आदि की व्यवस्था करके कोयले में अधिक बारीक कोयले अथवा विजातीय पदार्थों की मिलावट को रोकने के लिए कोयले के सप्लाईकर्त्ताओं द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं।
3. जहां कहीं उपभोक्ता चाहते हैं, कोयले के सप्लाईकर्त्ताओं तथा विद्युत् केन्द्रों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से नमूने लेने तथा संयुक्त रूप से निरीक्षण करने की व्यवस्था की जाती है।
4. ताप-विद्युत् केन्द्रों को अपेक्षित मात्रा में/अपेक्षित क्वालिटी के कोयले का आबंटन करने हेतु स्थायी कोल लिंकेज समिति की बैठकें समय-समय पर होती हैं। इस समिति में, अन्यों के साथ-साथ, कोयला विभाग, कोयला सप्लाई अभिकरणों, विद्युत् विभाग तथा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ताप-विद्युत् केन्द्रों को सप्लाई किए जा रहे कोयले की क्वालिटी से संबंधित समस्याओं पर स्थायी लिंकेज समिति की बैठकों में नियमित रूप से चर्चा होती है ताकि विद्युत् केन्द्रों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है वे समस्याएं दूर की जा सकें।
5. जिन खानों के कोयले के बारे में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी कुछ खानों के कोयले को परिष्कृत करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।
6. विद्युत् केन्द्रों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं की अपेक्षित क्वालिटी के कोयले के उत्पादन और सप्लाई से संबंधित समस्याओं की व्यापक जांच करने हेतु कोयला विभाग द्वारा एक समिति स्थापित की गयी थी। इस समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।
7. विद्युत् केन्द्रों के लिए कोयले की सप्लाई संबंधी जो करार किए जाने हैं उनमें सप्लाई किए जिने वाले कोयले की क्वालिटी को नियन्त्रित करने के लिए उपबंध है।

औद्योगिक बस्तियां बनाने के लिये अफगानिस्तान द्वारा मांगी गई सहायता

*506. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के भारत के हाल के दौरे के समय अफगानिस्तान ने अपने यहां औद्योगिक बस्तियां बनाने के लिये भारत से सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको भारत ने औद्योगिक बस्तियाँ बनाने के लिये सहायता दी है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार हिराल, कन्धहार तथा मज़ारें शरीफ में एक-एक औद्योगिक बस्ती की स्थापना करने में अफगानिस्तान सरकार की सहायता करेगा। प्रस्तावित तीन औद्योगिक बस्तियों की स्थापना में भारत का जो योगदान होगा उसमें शेडों का निर्माण, मशीनों/उपकरणों की सप्लाई तथा विशेषज्ञों का प्रत्यायोजित करना शामिल है।

(ग) एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये शीघ्र ही विशेषज्ञों का एक दल अफगानिस्तान भेजने का विचार है।

(घ) औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने में भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान तथा तन्जानिया की सहायता की गई है।

सिंगरौली कोयला खानों के लिये सेन्ट्रल कोल्फील्ड्स द्वारा भूमि के लिये मुआवजा

*507. **श्री सूर्यनारायण सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला खानों के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड ने कम मुआवजा दिया है जबकि बीना कोयला खानों द्वारा, जो सी० सी० एल० की समकक्ष फर्म है, अधिक मुआवजा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सिंगरौली कोयला खानों द्वारा अधिग्रहीत भूमि बीना कोयला खानों द्वारा अधिग्रहीत भूमि की तुलना में कहीं अधिक अच्छी है जबकि बीना कोयला खानों ने अधिक मुआवजा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो दोनों कोयला खानों ने प्रति एकड़ कितना-कितना मुआवजा दिया है और एक मामले में कम मुआवजा दिये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता

*508. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1978-79 के लिए 5 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दिए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त पर्वतीय क्षेत्रों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए यह राशि मंजूर की है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

DISTRICTS OF M.P. DECLARED INDUSTRIALLY BACKWARD

*509. SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the number of districts in Madhya Pradesh declared as industrially backward districts and whether these distr.cts also include Rewa and Tikamgarh;

(b) whether it is a fact that bauxite deposits have been found in abundance near Semoria village in Dewa district and if so, whether the Central Government will prepare a scheme to set up a mini aluminium plant in Semoria village or in Rewa with a view to remove backwardness of this district;

(c) if so, whether efforts will be made to speed up implementation of this scheme during the current year; and

(d) whether straw is available in abundance in Tikamgarh district and whether a straw board mill will be set up there ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) 36 districts in Madhya Pradesh including Rewa and Tikamgarh have been declared industrially backward districts.

(b) and (c) Bauxite deposits have been located in Semoria area in Madhya Pradesh; but as yet there is no proposal to set up a mini aluminium plant in this area.

(d) Central Government has no information whether straw is available in abundance in Tikamgarh district and also about setting up a straw board mill in that district.

SMALL SCALE INDUSTRIES RUNNING IN LOSS

*510. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether many industries set up under the small scale industry scheme are running in loss; and

(b) whether these industries are not being supplied adequate quantity of raw material and if so, the steps being taken by Government to ensure that these industries do not run in loss ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) There are more than 5 lacs small scale units registered with State Directors of Industries and of them 2.7 lacs units are under the purview of Development Commissioner (Small Scale Industries). There is no system of formal/obligatory reporting of production, profit and loss in respect of these units. In view of this, it is not possible to indicate the number of units running in loss and whether there are many such units.

(b) The reasons for running in loss are many and raw material is not the important reason. There is a State Level Coordination Committee in each State to look into the problem of sick units and draw up programmes for revitalising them.

कलकत्ता पत्तन न्यास के लिये भूमि मैनेजर द्वारा मैसर्स सिनक्लेअर एण्ड कम्पनी के साथ अनुचित पक्षपात करना

4638. श्री सुशील कुमार धारा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपातस्थिति के दौरान (1975-77) कलकत्ता पत्तन न्यास के भूमि मैनेजर ने समाचारपत्रों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये बिना जो कि किसी भी सार्वजनिक संस्था के लिए जरूरी है, अनुसूचित किये गये एवं गजट में प्रकाशित किये गये किराये से कम किराये पर हल्दिया में एक होटल भूखंड आवंटित करके मैसर्स सिनक्लेअर एण्ड कम्पनी के साथ अनुचित रूप से पक्षपात किया; और

(ख) सरकार का कलकत्ता पत्तन न्यास तथा हल्दिया गोदी के सम्बद्ध अधिकारी अथवा अधिकारियों के विरुद्ध उपरोक्त अनियमित कार्यवाई के लिये क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): (क) मैसर्स सिनक्लेयर एंड कम्पनी ने 88 अन्य आवेदनकर्त्ताओं के साथ, हल्दिया में एक होटल के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि हेतु आवेदनपत्र दिया था। चूंकि आवेदनपत्र भारी संख्या में पहले ही प्राप्त हो चुके थे, आवेदनपत्रों को समाचारपत्रों के जरिए आमंत्रित करना न आवश्यक था और न ही आवश्यक समझा गया। पत्तन न्यास की भूमि तथा भवन नियतन स्थायी समिति ने इन सभी आवेदनों पर विचार किया और उसने इस क्षेत्र में अनुभव को ध्यान में रखते हुए मैसर्स सिनक्लेयर एंड कम्पनी की सिफारिश की पत्तन न्यास की स्टैंडर्ड अनुसूची के अनुसार किराये पर हल्दिया में एक 2-3 स्टार होटल की स्थापना के लिए 2 एकड़ भूमि का एक प्लाट उक्त पार्टी को आवंटित किया गया।

मैसर्स सिनक्लेयर एंड कम्पनी ने अब प्लाट छोड़ दिया है।

(ख) इन परिस्थितियों में किसी के भी विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

REHABILITATION OF EX-SERVICEMEN

4639. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the number of ex-servicemen rehabilitated last year indicating the names of the places where they were rehabilitated;

(b) the number of ex-servicemen provided employment in 1977; and

(c) the number of the widows or dependents of military personnel killed in 1971 war provided employment or other means of earning ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) and (b). 202 ex-servicemen were rehabilitated under various self-employment schemes including allotment of agricultural land and industrial plots. The places at which they were rehabilitated are shown in the attached statement. In addition, 13,440 ex-servicemen were provided employment through the Director General, Resettlement, and the employment exchanges.

(c) 2,945 widows or dependents of military personnel killed in the 1971 conflict have so far been provided employment or other means of livelihood.

STATEMENT

Names of places where ex-Servicemen were rehabilitated

Punjab	*Haryana*
Patiala	Sonepat
Pakhowal	Rewari
Ludhiana	Ambala
Delhon	Jagdhari
Kassel	Nangal Choudry
Mansa	Panuana
Jandiala	Raipur Rani
Nihalsinghwala	Barara
Sangrur	Tosam
Sangat	Pundri
Jandiala Guru	Indri
Faridkot	Luharu

Uttar Pradesh

Mirzapur
Saharanpur
Dehra Dun
Meerut
Lucknow
Roorkee
Bulandshahar
Karanda
Rudarpur
Siwan
Atawah

Rajasthan

Jaipur
Sri Vijay Nagar
Jhunjhunu

West Bengal

Malda-II

Karnataka

Bangalore

Maharashtra

Gondia
Malkapur
Kolhapur
Pune
Satara Road
Karad
Patan/Valva
Shivapur
Bhambore
Miraj
Sangli
Satara
Posegaon
Patan
Lonand
Koregaon
Deolali
Peth/Nerla
Dahvadi
Parli

Mahya Pradesh

Damoh
Nagda
Kondagaon
Jagdalpur
Raigarh

Himachal Pradesh

Nangal Devi
Pinjore

Gujarat

Jasdan
Jamnagar
Lalpur
Gondal
Kalavad

Tamil Nadu

Coimbatore
Madurai

Delhi

Great Nicobar Island
Chandigarh

CHANGES IN THE RULES RELATING TO APPOINTMENT OF PROGRAMME EXECUTIVES AND PRODUCERS

4640. SHRI T. S. NEGI
SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : } Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the difference in the procedures of Selection for Programme Executives and Producers;

(b) the rules for the appointment of producers in force in 1970 and during emergency;

(c) whether some changes were made in the rules in force in emergency after Janata Government came into power and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(d) whether the Selection rules in force in emergency encouraged nepotism and therefore a changes are necessary?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING SH. L. K. ADVANI) :

(a) Post of Programme Executive in All India Radio are civil posts in Group 'B'. in terms of the recruitment rules, 75% of these posts are filled by direct recruitment through UPSC. and 25% by promotion.

Posts of Producer in All India Radio are Staff Artist posts. Under the existing recruitment rules these posts are filled 100% by limited selection from all categories of staff artists. failing which by direct recruitment.

(b) During 1970 vacancies of Producers were filled by promotion of Assistant Producers o fthe category of programme concerned, with at least 6 years service as Assistant producer, failing which by direct recruitment. The category of Assistant Producer was merged with that of Producer as a result of rationalisation orders issued in February 1972.

There were no formal recruitment rules for staff artists prior to July 1972. In July 1972, recruitment rules for various categories of staff artists were finalised for the first time. These were, however, not statutory rules, but only in the nature of administrative instructions. On the basis of these rules, posts of Producers were filled as under :—

(a) 25% by limited promotion;

(b) 25% by limited selection; and

(c) 50% by direct recruitment through advertisement.

The recruitment rules for various categories of staff artists, including Producers, were revised in February, 1976, in terms of these rules, posts of Producer are filled 100% by limited selection open to all categories of staff artists, fulfilling the prescribed qualifications, failing which by direct recruitment from the open market.

(c) The following changes were made :

(i) The order for associating an officer of the Ministry on the Selection Board for selection of staff artists for posts carrying a fee scale o fRs. 500/- or above, issued in August 1976, was withdrawn in April 1977.

(ii) In order to ensure that recruitment is made according to the prescribed procedure, it was decided in August 1977 that one of the Deputy Director Generals of All India Radio should be associated as an Observer in every selection for the post of Producer.

(d) The irregular appointments made in Akashvani during the emergency were looked into by the Dass Committee and corrective action was taken wherever necessary. Government is detrimined to root out nepotism in all its facets. In all recruitments, outside assesors are associated. There is no proposal, at present, to change the recruitment rules, as such.

मिजोरम में सुरक्षा सेनाओं द्वारा भूमि, मकानों आदि पर जबर्दस्ती कब्जा करना

4641. डा० आर० रोघुअम : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार ने अपने शासन के अन्तिम 10 वर्षों में सुरक्षा सेनाओं को मिजोरम में भारी संख्या में गांवों में निजी भूमि, मकानों, बगीचों, सार्वजनिक क्षेत्रों तथा चर्चों पर भी जबरदस्ती कब्जा करने की अनुमति दी थी और उनकी चौकियां उन क्षेत्रों में गांवों के बीचों बीच अभी भी स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार इन सुरक्षा चौकियों को गांवों के बाहर ले जाने और इसके द्वारा निजी भूमियों, बगीचों आदि के उनके असली मालिकों को वापस देने तथा उन्हें उचित मुआवजा देने के लिये कदम उठायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन सभी मामलों पर विचार करेगी और नागरिकों एवं सुरक्षा सेनाओं के बीच अच्छी भावनायें एवं संबंध स्थापित करने के लिये ऊपर बताये गये कदम उठायेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं । सुरक्षा सेनाओं ने मिजोरम में किसी निजी भूमि, मकानों, चर्चों बगीचों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को जबरदस्ती और गैरकानूनी कब्जे में नहीं लिया है । सुरक्षा सेनाओं को वहां रखने का एक-मात्र उद्देश्य वहां की स्थानीय जनता को संघर्षपूर्ण लूटमार और प्रतिहिंसा से संरक्षण देना है । उन सभी मामलों में, जिनमें सुरक्षा सेनाओं द्वारा निजी भूमि कब्जे में ली जाती है, स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से भूमि के मालिकों को मुआवजा दिया जाता है और इस बारे में आमतौर से कोई कठिनाई नहीं होती है । चूंकि इन सुरक्षा सेनाओं को वहां की स्थानीय जनता को संरक्षण देने के लिए रखना जरूरी है इसलिए इस समय उन्हें वर्तमान स्थान से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पिछड़े वर्गों की दशा के अध्ययन के लिये एक पैनल की नियुक्ति

4642. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े वर्गों की दशा का अध्ययन करने के लिए एक पैनल को नियुक्ति की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए एक आयोग गठित करने के बारे में सिद्धान्त रूप से निर्णय किया है । आयोग के गठन, कर्तव्यों और कृत्यों के बारे में ब्यौरे को शीघ्र अंतिम रूप दिये जाने की आशा है ।

ईरान द्वारा सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की भारत की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग

4643. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान ने भारत के सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में भारत की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या उन्होंने हाल ही में ईरान के उद्योग मंत्री से अनेक बार बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला और इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी के पणजी केन्द्र के कर्मचारी

4644. **श्री अमृत कासर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के पणजी केन्द्र में कोंकणी सैक्शन में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) भर्ती के समय उन कर्मचारियों की शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव क्या था; और

(ग) वे किन किन पदों पर नियुक्त हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) आकाशवाणी, पणजी में कोंकणी का कोई अलग सैक्शन नहीं है। तथापि, आकाशवाणी, पणजी में कोंकणी की एक प्रादेशिक समाचार यूनिट है।

(ख) और (ग) आकाशवाणी, पणजी के प्रादेशिक समाचार यूनिट में निम्नलिखित व्यक्ति काम करते हैं :—

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	पद नाम	शैक्षिक अर्हताएं
1.	श्री वी० के० नायक	सहायक समाचार सम्पादक	बी० एस० सी० एल० एल० बी०
2.	श्री एस० एस० भट्ट	समाचार रिपोर्टर	———
3.	श्री एस० के० नायक	समाचार-वाचक व अनुवादक	वी० एस० सी० जूनियर

क्रम संख्या 1 और 2 के सम्मुख उल्लिखित पद केन्द्रीय सूचना सेवा के पद हैं और क्रम संख्या 3 के सम्मुख उल्लिखित पद स्टाफ आर्टिस्ट का पद है।

CREATION OF A CADRE FOR HINDI OFFICERS

4645. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the number of Hindi Officers for the progressive use of the Official language, Hindi, in the Government of India and their service conditions, scale of pay, experience and educational qualifications prescribed for these posts ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : The information regarding the number of posts of Hindi Officers working in various Departments of the Government of India and their recruitment rules is being collected from all the Ministries and Departments. It will be placed on the Table of the House when received.

HOODLUMS KILLED IN ENCOUNTERS WITH POLICE

4646. SHRI RAM LAL RAHI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of hoodlums killed as a result of the encounters which occurred between the police and the anti-social elements throughout the country in 1977-78 with a view to check crimes and the number of Harijans among those killed; and

(b) whether it is a fact that the so-called anarchic elements and offenders were killed in maximum number in Uttar Pradesh and Harijans among them constituted more than 60 per cent ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) & (b) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० को लाभ/हानि

4647. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 से पिछले पांच वर्षों में सम्पूर्ण देश में सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० के प्रबन्ध वाले कोयला उद्योग में कितना लाभ और घाटा हुआ; और

(ख) डेरा कोयला खान नन्दिरा कोयला खान डुएलबेरा कोयला खान, साउथ बालन्दा कोयला खान और जगन्नाथ कोयला खान में से प्रत्येक खान में सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० के अधीन तालचेर स्थित कोयला उद्योग में कितना लाभ या घाटा हुआ ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) :

आंकड़े हजार रुपयों में
(—) हानि
(+) लाभ

(क) सेन्ट्रल कोल्ड फील्ड्स लि० के तुलना-पत्र के अनुसार लाभ और हानि

(31-10-1975 तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सभी कोयला खानें तथा उसके बाद पुनर्गठित से० को० लि०)

1972-73	(—) 24308
1973-74	(—) 65914
1974-75	(+) 21786
1975-76	(+) 69948
1976-77	(+) 14462

(ख) उड़ीसा क्षेत्र के बारे में खानवार लाभ और हानि

कोयला खान	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77
साउथ बालंडा	5405	2014	1038	(—) 1853	(—) 6433
तालचेर (डेरा कोलियरी)	(—) 3477	(—) 5221	(—) 8841	(—) 9962	(—) 4023
ड्यूलबेरा	(—) 1741	(—) 3168	(—) 4242	(—) 7928	(—) 4537
जगन्नाथ	विकासाधीन	विकासाधीन	(—) 1531	(—) 710	2768
नंदिरा	विकासाधीन				

दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार के विस्तार के बारे में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की सिफारिशें

4648. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के आयुक्त ने वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि निवारक विधान की

क्रियान्विति संबंधी मामलों को सामान्य दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाये और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए पास किये गये विभिन्न विनियमों/कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 31 (ख) का उपयोग इस प्रकार किया जाये कि इन कानूनों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून बनाकर उन्हें चुनौती देना संभव न हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश पर उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) राज्यों से अपने कानूनों का पुनरीक्षण करने के लिए कहा गया है । क्या किसी कानून को नवीं सूची में सम्मिलित किया जाए इस प्रश्न पर पुनरीक्षण पूरा होने पर विचार किया जा सकता है ।

खण्ड स्तर की योजनाएं

4649. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चुने हुए 500 खण्डों में खण्ड स्तर की योजनाएं प्रारंभ करने का विचार है;

(ख) क्या खण्ड स्तर की योजनाओं की रूपरेखा को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पंजाब के ऐसे कितने खण्ड चुने गये हैं और वे कहां कहां पर हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (ग) खंड स्तर आयोजन के लिए मार्ग-दर्शी सिद्धान्त तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल बनाया गया है । इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आयोजन के हेतु लिए जाने वाले खंडों की संख्या और अन्य ब्यौरों का निर्णय किया जाएगा ।

नये पावरलूमों का पंजीकरण

4650. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 और 1976 के दौरान मध्य प्रदेश के सरकारी और औद्योगिक विभाग के माध्यम से नये पावरलूमों के पंजीकरण के लिए वस्त्र आयक्त को कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक व्यक्तियों ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया में पंजीकरण शुल्क जमा करा दिया है और पावरलूमों के पंजीकरण संबंधी उनके आवेदन-पत्रों के साथ चालान लगे हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो वस्त्र आयुक्त को कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और कितनी धनराशि जमा कराई गई थी;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क), (ख) और (ग) 1974-76 के दौरान राज्य सरकारों को राज्य कोटे के अन्तर्गत आने वाले विद्युतचालित करघों के सम्बन्ध में अनुमति-पत्र जारी करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थीं। अतः अनुमति पत्र जारी किए गए करघों/आवेदन पत्रों के बारे में वस्त्र आयुक्त के पास पूरा ब्यौरा नहीं है।

SETTING UP OF GROWTH CENTRES

4651. SHRI CHHITUBHAI GAMIT : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

.....

(a) the nature of the special programmes chalked out under the Sixth Five Year Plan for the balanced development of all the areas, in view of the fact that during the entire planning period of the country so far, there has been un-balanced development among the urban, rural and adivasi areas;

(b) whether there is a need to set up growth centres to check unbalanced development;

(c) if so, whether any scheme is proposed to be formulated for setting up growth centres for the balanced development of all the areas under the Sixth Five Year Plan and the details thereof, and

(d) the areas in the country which are being developed by setting up growth centres and the results of the experiment done in this regard ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The general strategy of the new plan is expected to lead to a more balanced development in as much as the main emphasis of the plan is on employment and poverty alleviation. With the poorer sections being helped with work and services, the more poverty-stricken (therefore backward) areas should correspondingly benefit more. Area development (with employment bias) is expected to have greater effect on the most backward parts of each State. Besides, emphasis on agriculture rural and small industries which are, by their nature, dispersed activities will have the same effect.

(b) Yes, Sir.

(c) Development of growth centres would be a part of area planning.

(d) Location of growth centres in the country would be determined by the criteria of maximum efficiency and accessibility.

हरिजनों के कल्याण के लिये पृथक मंत्रालय

4652. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्र में पृथक मंत्रालय बनाने का सुझाव काफी लम्बे समय से विचाराधीन है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में अत्याचारों की अभी हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त मांग अब अधिक जायज हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) हरिजनों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए केन्द्र में पृथक मंत्रालय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैसूर में शक्तिशाली प्रसारण केन्द्र की स्थापना

4654. **श्री के० लकप्पा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के लोग लम्बे समय से यह मांग करते आ रहे हैं कि मसूर में एक शक्तिशाली प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जाये;

(ख) वहां अब तक शक्तिशाली प्रसारण केन्द्र स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) वहां ऐसा शक्तिशाली केन्द्र कब तक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी, हां। इस प्रकार की मांग हाल ही में की गई है।

(ख) और (ग) मैसूर केन्द्र बंगलौर केन्द्र के योग से, क्षेत्र में अच्छी तरह सेवा प्रदान कर रहा है। मैसूर के रेडियो स्टेशन की शक्ति बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मैसूर में केवल दिन के समय प्रचालन के लिए उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के लिए फ्रीक्वींसियां दूर संचार संघ की योजना में समन्वित की गई हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वियन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

उड़ीसा में पुलों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार से निधि

4655. **श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुबनरेखा और चौदाबदली सड़क और अन्य सड़कों पर पुल बनाने के लिये उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार से धनराशि की आवश्यकता;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) क्या प्रस्ताव मिले थे तथा धनराशि दे दी गई थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) 115 लाख रु० की केन्द्रीय ऋण सहायता से खड़गपुर-बालासोर सड़क पर स्वर्ण रेखा पर पुल का निर्माण जिसमें पुल और उसके पहुंचमार्ग शामिल हैं, पर कार्य पहले ही हो रहा है। किसी अन्य स्वर्ण रेखा के लिए उड़ीसा सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, जनवरी, 1977 में, आनन्द-पुर-भादरक सड़क पर बतरनी नदी पर और पारलखेमुंडी गनुपर-विसम-कटक सड़क पर वंसधरा पर पुलों के लिए क्रमशः 90 लाख रु० और 108.00 लाख रु० स्वीकृत किए गये थे। परन्तु राज्य सरकार ने नयी योजना (1978-83) के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित और परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है :—

(i) कटक-चान्दवाली सड़क पर पत्रापुर घाट पर ब्राह्मणी पर पुल—200 लाख रुपये

(ii) वसाना पदमपुर सड़क पर औंग के ऊपर पुल—110 लाख रुपये

(iii) धेनकनाल–कमख्या नगर सड़क पर रामायल पुल—110 लाख रुपये

चूंकि नयी योजना (1978-83) को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, अतः इन प्रस्तावों पर इतनी जल्दी विचार नहीं किया जा सकता।

MADHYA PRADESH PROPOSAL RE : LINKING OF INTER-STATE POWER TRANSMISSION LINES WITH NEIGHBOURING STATES

†4656. SHRI CHHABI RAM ARGAL
SHRI SUBHASH AHUJA
SHRI MOHAN BHAIYA } : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether proposal have been received from Madhya Pradesh regarding linking of inter-State power transmission lines with the transmission lines of neighbouring States;

(b) if so, the present position thereof, and

(c) whether a reply has been received from the Orissa Government about inter-linkage of transmission lines and the efforts being made by Government to persuade Orissa Government to agree to the proposal ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) Yes, Sir. Madhya Pradesh State Electricity Board had submitted project report for (i) 132 kV Raigarh-Jharsuguda Transmission Line as Inter-State link between Madhya Pradesh (MP) and Orissa, (ii) 132 kV Ratlam-Dohad transmission line as inter-State links between Madhya Pradesh and Gujarat.

(b) & (c) In the light of the improved control, communication and load despatch facilities, it is felt that on technical considerations, transmission links between Madhya Pradesh and Orissa should be at a higher voltage. Hence, the Raigarh (MP)—Jharsuguda (Orissa) 132 kV transmission line is not being pursued.

The Gujarat Electricity Board has not so far concurred in the 132 kV Ratlam (MP)-Dohad (Gujarat) line.

रक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को एलाट किये गये कोटे का भरा जाना

4657. **श्री के० ए० राजू :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार के लिये उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये एलाट किया गया कोटा पूरी तरह भर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पूरा कोटा न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को नियुक्त करना हमेशा संभव नहीं हो सका क्योंकि इन समुदायों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो सके। फिर भी इन समुदायों के लिए एलाट किए गए कोटे को पूरी तरह से भरने के सभी प्रयत्न किए जाते हैं। आरक्षित रिक्त पदों को लगातार तीन नियुक्ति वर्षों तक आरक्षित रखा रहता है और जब आरक्षित समुदाय के पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो इन रिक्तियों को निर्धारित पद्धति के अनुसार अनारक्षित कर दिया जाता है।

अमरीकी फीचर फिल्मों के आयात के बारे में समझौता

4658. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार एवं अमरीकी मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसियेशन के बीच अमरीकी फीचर फिल्मों के आयात के बारे में हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) भारत में अमरीकी फिल्मों के वितरण के माध्यम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) भारत में फिल्मों के आयात के बारे में भारत सरकार और मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका के बीच हुए करार की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी०-1954/78]**

(ख) मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका की सदस्य कंपनियों द्वारा आयातित फिल्मों का वितरण भारत में उनकी अपनी व्यवस्था के जरिए किया जाता है। सभी सदस्य कंपनियों के कार्यालय भारत में काम कर रहे हैं और वे अपनी फिल्मों के वितरण का काम स्वयं करते हैं। मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका की कंपनियों द्वारा आयातित फिल्मों के अलावा, फिल्म वित्त निगम भी कुछ फिल्में अमरीका से आयात करता है। ये फिल्में अब उनके द्वारा प्रदर्शकों को सीधे वितरित की जाती हैं।

शास्त्री नगर, सराय रोहिल्ला से बस सेवा

4659. **श्री जी० ए० बूराडे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सराय रोहिल्ला के समीप स्थित शास्त्री नगर कालोनी से केन्द्रीय सचिवालय के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है और वहां के सैकड़ों लोगों की अपने कार्यालयों (केन्द्रीय सचिवालय आदि) को पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : जी, हां। यह सच है कि शास्त्रीनगर और केन्द्रीय सचिवालय के बीच कोई सीधी बस सेवा नहीं है। परन्तु रूट नं० 14 और 157 की काफी बस सेवाएं शास्त्रीनगर के लिए उपलब्ध हैं जो अशोक बिहार से क्रमश: मंडी हाउस और कनाट सर्कस तक चलती है और केन्द्रीय सचिवालय जाने वालों को बस बदलने की सुविधा प्रदान करती है।

LIBERALIZATION REGARDING SUPPLY OF MACHINERY AND LOAN FACILITIES TO SMALL INDUSTRIES

4660. SHRI RAJKESHAR SINGH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the policy regarding supply of machinery and loan facilities to small industries has been liberalised and adherence to procedures in this regard relaxed; and

(b) if so, the main features thereof and the maximum loan limit fixed for the unit ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) and (b) In the budget of 1977-78 and also in 1978-79 a new scheme of seed/margin money has been introduced for 'tiny' units in areas with population less than 50,000. According to this scheme margin money assistance up to 10% would be provided towards total fixed capital investment of small units with investment on plant and machinery not exceeding Rs. 1 lakh. Seed money to State Corporations is also provided to enable them to obtain institutional finance to supply machines on hire-purchase terms to small units. In case of entrepreneurs belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, seed money assistance is 15% of the total fixed capital investment or Rs. 20,000 which is lower. The maximum loan to a unit under this scheme is fixed at Rs. 20,000.

त्रिपुरा में कागज मिल

4661. **श्री किरीत बिक्रम देव बर्मन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में सरकारी क्षेत्र में एक कागज मिल स्थापित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी कितनी क्षमता होगी तथा उस पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इसको कब तक पूरा किया जायेगा।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (घ) त्रिपुरा सरकार ने राज्य में उपलब्ध बांस के साधनों पर आधारित 250 से 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन की एकीकृत कागज मिल/निर्यात परक लुगदी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। एक विस्तत संभाव्यता अध्ययन भी किया गया है। ईरान सरकार ने परियोजना में भाग लेने के लिये अपनी रूचि दिखाई है तथा इसके ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं।

अनुसंधान पर हुआ व्यय

4662. **श्री श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाल वर्ष के दौरान अनुसंधान पर कितनी राशि व्यय की गई है और इसके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों की मख्य बातें क्या हैं;

(ख) उनका उपयोग राष्ट्रीय विकास उद्देश्यों के लिए किस प्रकार किया जायेगा; और

(ग) वर्ष 1978-79 में किन कार्यक्रमों को आरम्भ किया जायेगा और इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वर्ष 1977-78 में अनुसंधान और विकास के लिये संशोधित अनुमान में 23.61 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(i) उपग्रह प्रक्षेपक राकेट (एस० एल० बी०-3) की उप-प्रणालियों को पूर्ण करना।

(ii) नवम्बर, 1976 में चाल किये गये प्रबलित प्लुस्टिक केन्द्र में एस० एल० बी०-3 के लिये तृतीय खण्ड और चतुर्थ खण्ड मोटर केसों और प्रज्वालक केसों का उत्पादन करना।

(iii) द्रव राकेट प्रौद्योगिकी की तकनीकी जानकारी का अर्जन और विशिष्ट किस्म के दबाव ट्रांसड्यूसरों का उत्पादन करना।

(ख) उपर्युक्त क्रियाकलाप कृषि, वानिकी, मृदा सर्वेक्षणों, भू-विज्ञान, हिम आच्छादन संबंधी मानचित्र, और विविध अन्य राष्ट्रीय संसाधनों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय संसाधनों के प्रबन्ध के लिये आवश्यक संचार, मौसमविज्ञान और सर्वेक्षणों के क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन उपयोग संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये न केवल उपयोग संबंधी परिक्षण किये गये हैं, अपितु आत्म-निर्भर प्रणाली बनाने के लिये स्वदेशी प्रौद्योगिकी का भी विकास किया गया है।

(ग) अनुसंधान और विकास के लिये 1978-79 में प्रस्तावित परिव्यय 30.82 करोड़ रुपये है। 1978-79 के कार्यक्रमों में, अनुसंधान और विकास के चालू क्रियाकलापों की गति को बनाये रखना और एस० एल० बी०-3, आर० एस०-1, एस० ई० ओ० और एप्पल परियोजनाओं से संबंधित कार्य को सुनिश्चित रूप में समय पर पूर्ण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, तीन मुख्य परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिये प्रस्तावित उपयक्त उपक्रम में से एक का संबंध भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह से है, जो कि भू-प्रेक्षण उपग्रह के लिये, प्रचालन के निकट एक अनवर्ती प्रणाली होगा; यह राष्ट्रीय संसाधनों के प्रबन्ध से संबंधित विभिन्न पहलुओं की आवश्यकता पूरी करेगा। अन्य परियोजना एस० एल० बी०-3 परियोजना को बृहत्तर प्रमोचन राकेट के रूप में उन्नयन से संबंधित है, जो कि राष्ट्रीय संसाधनों के सर्वेक्षण और मौसमविज्ञान के लिये आवश्यक उपग्रह को पथ्वी के निकट कक्ष में छोड़ने में सक्षम होगा। तृतीय परियोजना भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा से संबंधित, प्रयत्नों के बारे में है।

विदेशों में बिकने वाले भारतीय पत्र-पत्रिकाएं, मैगजीन तथा समाचार पत्र

4663. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी और कौन-कौन सी भारतीय पत्रिकाएं, मैगजीन और समाचारपत्र विदेशों में बिकते हैं और 1 जनवरी, 1978 को भारत में कितनी और कौन-कौन से विदेशी पत्र-पत्रिकाएं, मैगज़ीन और समाचारपत्र भारत में बिक रहे थे;

(ख) 1 जनवरी, 1978 को देश में कितनी विज्ञापन एजेंसियां थीं और पहली तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में उनकी संख्या क्या थी;

(ग) कितनी और कौन-कौन सी ऐसी विज्ञापन एजेंसिया हैं जिन्होंने गत वर्ष विदेशों में भारतीय विज्ञापन का कार्य किया था; और

(घ) ऐसी एजेंसियों के एसोसिएशन के नाम तथा पते क्या हैं और क्या इनका किसी सरकारी अथवा अर्धसरकारी समितियों में प्रतिनिधित्व है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय के अधीन उपक्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या

4664. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य कर रहे निम्नलिखित प्रत्येक उपक्रम में कुल कितने व्यक्ति श्रेणीवार (प्रथम, द्वितीय, ततीय, चतुर्थ) कार्य कर रहे हैं;

(1) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड,

(2) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड,

(3) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड,

(4) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड,

(5) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड,

(6) मझगांव डाक लिमिटेड,

(7) मिश्र धातु निगम लिमिटेड,

(8) प्राग टूल्स लिमिटेड;

(ख) अनसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक उपक्रम में, अलग-अलग, कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या इन उपक्रमों में भरती और पदोन्नति के मामलों में रिक्त पदों के आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण 1-3-78 के आंकड़े

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	कार्मिकों की कुल संख्या				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जन जाति			
	ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	ग्रुप 'ग'	ग्रुप 'घ'	ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	ग्रप 'ग'	ग्रुप 'घ'	ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	ग्रप 'ग'	ग्रुप 'घ'
भारत डायनामिक्स लिमिटेड	76	49	1082	—	6	9	198	—	—	—	36	—
भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड*	676	939	12408	2080	18	57	1865	—	3	4	21	4
गार्डनरीच शिपबिल्डर्ज एण्ड इंजीनियर लिमिटेड	555	282	9512	—	8	6	1308	—	5	2	381	—
गोआ शिपयार्ड लिमिटेड	30	15	1268	—	—	1	80	—	—	1	—	—
हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड*	1341	4153	32090	2797	46	196	3443	906	3	27	534	123
मजगांव डाक लिमिटेड	528	33	893	6628	14	1	59	506	6	—	10	120
मिश्र धातु निगम लिमिटेड	60	75	112	—	1	9	11	—	1	4	2	—
प्राग टूल्स लिमिटेड	42	120	1538	349	3	7	222	106	1	—	4	3

*जैसा 1-1-1978 को है ।

PERCENTAGE OF AREA IN THE COUNTRY COVERED BY T.V.

4665. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the percentage of area in the country covered by Television service so far; and

(b) the expenditure Government have to incur on these services ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) The percentage of area covered by Television Services so far is 5.154%.

(b) The revenue expenditure on running the service during 1976-77 was Rs. 786.04 lakhs.

आदिवासी उप-योजनाओं वाले राज्यों द्वारा भूमि सम्बन्धी कानूनों का पुनर्विलोकन किया जाना

4666. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए आदिवासी उप-योजनाओं वाले राज्यों को कहा है कि वे भूमि संबंधी अपने वर्तमान कानूनों का पुनर्विलोकन करें; यदि हां, तो कब;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उपरोक्त कार्य पूरा कर लिया है, यदि हां, तो कब और उसके परिणाम क्या रहे; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिये महाराष्ट्र सरकार ने क्या कारण बताये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार से सूचना मांगी गई है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड में टी० वी० पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन में कमी

4667. **श्री के० ए० राजन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में टी० वी० पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य और कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) अप्रैल 1977 से दिसम्बर 1977 तक पिक्चर ट्यूबों का औसत मासिक उत्पादन 5840 टयबें प्रति माह था। बिजली की अनियमित सप्लाई और श्रमिक अशांति के कारण जनवरी 1978 में उत्पादन में कमी आ गई । परन्तु फरवरी में उत्पादन 5401 टयूबों तक पहुंच गया । ऐसी आशा है कि मार्च 1978 में 9000 से लेकर 10000 तक टयूबों का उत्पादन होगा ।

असिस्टैन्ट ग्रेड विभागीय लिमिटेड प्रतियोगी परीक्षा

4668. **श्री मोहनलाल पिपिल :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असिस्टेंट ग्रेड विभागीय लिमिटेड प्रतियोगी परीक्षा, 1975 के परिणाम के आधार पर खपाये गये उम्मीदवारों की संख्या विभागीय लिमिटेड प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा असिस्टेंटों की भरती के लिए निर्धारित कोटे के अनुरूप है; और

(ख) उक्त परीक्षा की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये गये सभी 289 उम्मीदवारों को न खपाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) असिटैंट ग्रेड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, जैसा कि इसके नाम से ध्वनित होता है, एक प्रतियोगी परीक्षा थी न कि अर्हक परीक्षा और खपाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या इस कोटा के लिए उपलब्ध रिक्तियों पर निर्भर है । इन परिस्थितियों में, उक्त परीक्षा को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण किए गए सभी उम्मीदवारों को रिक्तियों की संख्या पर ध्यान दिए बिना खपाए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम में तकनीकी कुशलता का विकास

4669. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार किस प्रकार आसाम राज्य में तकनीकी कुशलता और उद्यम का विकास करने तथा वहां के स्थानीय व्यक्तियों का उद्योगों के विकास में सहयोग लेने का है;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से क्या अनुरोध किया है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) आसाम राज्य के लिए सरकार का किस प्रकार उपर्युक्त औद्योगिक मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराने का विचार है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) : 1978–79 की वार्षिक योजना के लिए ग्रामीण और लघु उद्योगों से सम्बन्धित अपने प्रस्तावों में आसाम सरकार द्वारा तकनीकी कुशलता के विकास के लिए तथा स्थानीय व्यक्तियों द्वारा उद्यमियता के लिए शामिल की गई योजनाऐं निम्नलिखित हैं :––

(1) राज्य में और बाहर शिक्षता और अंत संयंत्र प्रशिक्षण (2) लघु उद्योगों की स्थापना के लिए तकनीकी रूप से योग्य उद्यमियों को वित्तीयन (3) कुशल कारीगरों और पर्यवेक्षीय कर्मचारियों के लिए अंतः संयंत्र प्रशिक्षण (4) कर्मचारियों और अधिकारियों का (एस० आई० ई० टी०/राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् तथा अन्य के) प्रशिक्षण (5) उद्यमिता अभिप्रेरण और विकास योजनाएं । इस सम्बन्ध में गठित एक कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ इन प्रस्तावों पर भी विचार किया है तथा इस कार्यकारी दल की बैठक में निर्णीत परिव्ययों को वार्षिक योजना 1978––79 में शामिल करने की सिफारिश की है ।

(ग) राज्य सरकार आसाम में लघु उद्योगों के सवर्द्धल को सुकर बनाने के लिए राज्य में अवस्थापना सुविधा को मजबूत बनाने हेतु विभिन्न अभ्युपाय कर रही है । इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न निगमों की स्थापना की है जैसे : (क) आसाम स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन (ख) आसाम मार्केटिंग कारपोरेशन (ग) इन्फरास्ट्रेक्चर कार-पोरेशन आदि तथा कारखानों को स्थान देने के लिए अनेक औद्योगिक वस्तियों की स्थापना की है ।

मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

4670. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण की कोई वृहत योजना मध्य प्रदेश के जनजाति जिलों में वर्ष 1976-77 से आरम्भ की गई है और इसको केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) 1976-77 से मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड आदिवासी उप-योजना में विद्युतीकरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है । वित्त संबंधी निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

करोड़ रुपए

1976—77	6.04
1977—78	11.69
1978—79	13.00

बोर्ड द्वारा तैयार की गई स्कीमें समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं में शामिल हैं जोकि राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई है । केंद्रीय सरकार ने भी इनका अनुमोदन कर दिया है ।

वास्तविक प्रगति नीचे दी गई है :—

	विद्युतीकृत गांव	ऊर्जित पम्पसेट
1976—77 के दौरान उपलब्धि	269	4150
1977—78		
वास्तविक लक्ष्य .	788	5364
वास्तविक उपलब्धि . . . . . (31-12-1977 तक)	317	3767
1978—79 के लिए वास्तविक लक्ष्य . . .	850	7300

राज्यों में हरिजन और समाज कल्याण मंत्रियों का सम्मेलन

4671. श्री **रामजीलाल सूमन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उनका विचार समाज के दुर्बल वर्गों की समस्याओं को देखने वाले विभाग द्वारा प्रभावी भूमिका निभाने पर चर्चा करने के लिए सभी राज्यों के हरिजन और समाज कल्याण मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

PURCHASE OF HAMMERS FOR ORDNANCE EQUIPMENT FACTORY, KANPUR

4672. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether three hammers have been purchased for increasing production in Ordnance Equipment Factory, Kanpur;

(b) if so, whether these are not yet being used; and

(c) if so, the reasons therefor and if these were not so far required, the reasons for their being purchased so early ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHER SINGH) : (a) and (b) No, Sir. No hammer has been purchased 'for increasing production'. 10 hammers, however, were purchased for replacing 12 old hammers during the last five years and are being used except 2 (received in November 1977—January 1978), which are under erection.

(c) Does not arise.

INCENTIVE GIVEN BY FILM FINANCE CORPORATION TO FILMS

4673. SHRI S. S. DAS : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Film Finance Corporation was set up with a view to give incentive for the preparation of purposeful, good taste and artistic films; and

(b) if so, the names of the films which were given incentive by Film Finance Corporation in 1974, 1975, 1976 and 1977 and the number of films out of them, screened publicly ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) The Film Finance Corporation was set up with the principal object of providing finances and other assistance for the production of films of good standard and quality with a view to raise the standard of the films produced. The Corporation advances loans for the production of feature as well as documentary films.

(b) Information is given in the annexed statement.

STATEMENT

Particulars of the films for which FFC Sanctioned loans during the period 1973-74 to 1977-78 and the films out these released :

Year	Name of films for which loans sanctioned		Number of films released
	Feature	Documentaries	
1	2	3	4
1973-74	1. "Taser Desh" 2. "Dikkatra Parvati" 3. "Duvidha" 4. "Tyag Patra"	1. "Portrait of Humanist" 2. "Dr. Salim Ali"	3 feature films (*Dikkatra Parvati*) *Duvidha* and *The wild wind*) have been released. Of the remaining 13, loans have been sanctioned in 6 cases but not yet disbursed as some formalities have to be completed : and 7 films are under production.
1974-75	5. "Mansai Na Diwa" 6. "The Wild Wind"		

1	2	3	4
1975-76	---	3. "Woman in Modern India" 4. "Late Smt. Sarojini Naidu" 5. "Urban Settlements in India" 6. "Ramleela of Ramnagar" "New Bridge on Narmada River"	4 documentaries are under production and the remaining 9 have been completed and handed over to the sponsors. The documentaries under production are : "New Bridge" on Narmada River "Human Dignity" "Cross Roads The Indian Cinema since 1899"; and "Mahakavi Nanalal".
1976-77	7. "Kirattam"	8. "Plant Nutrients"	
1977-78	8. "Last Tiger" 9. "Sooravali" 10. "Strange Fate of arrival Desai" 11. "Kasturi" 12. "Smothered Voices" 13. "Gaman" 14. "Gharwali" 15. "Pratishodh" 16. "Sambhav" or "Sasti Sarai"	9. "Dr. Mohammed Iqbal" 10. "Human Dignity" 11. "Cross Roads: The Indian Cinema since 1899" 12. "It's Indian, Its's Good" 13. "Mahakavi Nanalal"	

विद्युत बोर्डों में पूंजी निवेश

4674. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत बोर्डों में अब तक 5,800 करोड़ रूपए की राशि का पूंजीनिवेश किया गया है और वे 8 प्रतिशत आय का आश्वासन नहीं दे सकते हैं और उनमें कुल 700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे घाटे के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) 31-3-1976 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों में सकल निवेश 7,234 करोड़ रुपये था । कई राज्य बिजली बोर्ड राज्य सरकार के ऋणों के सारे ब्याज प्रभारों की अदायगी नहीं कर सके हैं और कुछ मामलों में मूल्य ह्रास के लिए व्यवस्था नहीं कर सके हैं। इन कमियों को बोर्ड की हानियां मानते हुए 31-3-1976 तक कुल हानि लगभग 546 करोड़ रुपए होगी ।

हानियां होने के मुख्य कारण ये हैं : क्षमता का अपर्याप्त समुपयोजन, विद्युत प्रणाली हानियां, माल-सूची का असंतोषजनक नियन्त्रण तथा बोर्ड के कुल संचालन व्यय को पूरा करने के टैरिफ में पर्याप्त संशोधन न किया जाना । संचालन व्यय में प्रचालन और अनुरक्षण व्यय, मूल्यह्रास संबंधी प्रभार, बांडों और डिबेंचरों पर ब्याज, संस्थागत और राज्य सरकार के ऋणों पर ब्याज शामिल हैं ।

LIBERALISATION IN LICENSING SYSTEM FOR SETTING UP OF TRANSMISSION CENTRES

4675. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state whether Government have under consideration a proposal to liberalise licence system for setting up transmission centres for broadcasting educational and entertainment programmes ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : Working Group for autonomy to Akashvani and Doordarshan has recently submitted its Report, which has also been laid on the Table of the House. The Group has recommended granting of broadcast franchise by the proposed Akash Bharti, whether for radio or television, to approved educational institutions. A decision in this regard will be taken after examining the recommendations.

इस्पात संयंत्रों की कोयले की मांग

4676. श्री अहमद एम० पटेल : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कोयला प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं । इस्पात कारखानों के पास इस समय कोककर कोयले का 4.25 लाख टन से भी अधिक स्टाक है । अतः इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि वे किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

(ख) व (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

बंगला देश के साथ सीमा के बारे में बातचीत

4677. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 जनवरी, 1978 को या इसके आस पास भारत और बंगलादेश के बीच सीमा के बारे में बातचीत हुई थी, यदि हां, तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था और बंगलादेश की ओर से कौन उपस्थित हुए थे; और

(ख) क्या इस बातचीत से कोई परिणाम/समाधान निकला है, यदि हां. तो क्या ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) भारत और बंगलादेश के बीच ढाका में 25 जनवरी से 27 जनवरी, 78 तक बातचीत हुई थी । भारत और बंगलादेश के प्रतिनिधि मण्डलों के गठन के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) यह बातचीत उन सामयिक वार्ताओं की श्रृंखला में से एक थी जो कि सीमावर्ती विवादों, सीमा पार अपराध, तस्करी तथा अवैध रूप से सीमा पार करने आदि पर रोक लगाने जैसी पारस्परिक रुचि की समस्याओं के निदान के लिए की जाती है । दोनों प्रतिनिधि मण्डल महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हुए । बंगला देश प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल को विश्वास

दिलाया कि भारत में बंगला देशी नागरिकों का अवैध प्रवसन रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जायेंगे ।

विवरण

भारत तथा बंगला देश के प्रतिनिधि मंडलों के गठन का विवरण

भारतीय प्रतिनिधि मंडल	बंगला देश का प्रतिनिधि मंडल
श्री अश्विनी कुमार, महा निदेशक, सीमा सुरक्षा बल श्री एम० दुबे, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय श्री एच ० पी० भटनागर, उप निदेशक, सीमा सुरक्षा बल ब्रिगेडियर आर० लाजारस, सहायक निदेशक, सीमा सुरक्षा बल ले० कर्नल एस० एन० डिमरी, सहायक निदेशक, सीमा सुरक्षा बल श्री एच० आर० के० तलवार, महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, शिलांग श्री बी . के० बासु, कार्यवाहक महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, कलकत्ता । श्री वी० के० गोड, सहायक निदेशक, सीमा सुरक्षा बल श्री देव मुखर्जी, प्रथम सचिव, भारत उच्च आयोग ढाका ।	मेजर जनरल मो० अतिकुर रहमान, महानिदेशक, बी० डी० आर० मि० हरूनूर रशीद, महानिदेशक, विदेश मंत्रालय ले० कर्नल एम० अब्दुल हाफिज निदेशक बी० डी० आर० ले० कर्नल अब्दुल अजीज, सेक्टर वी० डी० आर० कमाण्डर, मि० मोहिउद्दीन अहमद, निदेशक, विदेश मंत्रालय मि० काजी गुलाम रहमान, उप सचिव, गृह मंत्रालय मि० एम० ए० जब्बर, निदेशक भूमि अभिलेख । ब्रिगेडियर मोहम्मदवज़ीउल्ला, उप महानिदेशक, बी० डी० आर० ।

COAL DEPOSITS IN MANDLA DISTRICT IN MADHYA PRADESH

4678. SHRI SHYAMLAL DHURVE : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether there are prospects of coal deposits being found in Mandla district in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) & (b) As per the present information, no prospect of coal is found in the Mandla District of Madhya Pradesh.

SUPPORT PRICE OF COTTON

4679. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of India have fixed Rs. 250 per quintal as support price of cotton for the current year;

(b) whether it is also a fact that this support price is too low and that is why the Governments of Punjab, Haryana and Rajasthan have made a demand to Central Government to fix the minimum price at Rs. 425/- per quintal in order to increase cotton production in the country and to remove dependence on imported cotton;

(c) if so, the action taken or proposed to be taken by Central Government on these demands and if so, when and how; and

(d) per quintal cost of production of Digvijay, C.O.-2, B-797, hybrid—4 cotton produced in Gujarat and the support price fixed by Government of India for the current season ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Government have fixed Rs. 255/- per quintal as the minimum support price for fair average quality of 320-F variety of kapas for the current cotton year.

(b) and (c). No, Sir. The Government does not consider that the minimum support price for kapas announced for 1977-78 cotton year is low. This represents, in fact, an increase of 16% over the support price fixed in the previous year. The minimum support prices are fixed on the basis of the recommendations made by the Agricultural Prices Commission. While recommending the support prices, the Commission takes into account the normal cost of production, trends in market prices, prices of competing crops, general supply position and international implication and provides a fair margin of profit to the grower. The whole-sale prices of cotton (kapas) are ruling much above the minimum support prices fixed for 1977-78. Representations were received from the States of Punjab, Haryana and Rajasthan for mere remunerative prices on the consideration that the marked prices during the current cotton season were less than the prices which prevailed during 1976-77 cotton season. During 1976-77, there was acute shortage of cotton and the prices were therefore very high. That year was unusual and the prices during 1976-77 cannot therefore, be taken as the basis for comparing with the prices of cotton for 1977-78.

(d) The cost of production has been computed by the Ministry of Agriculture and Irrigation for the cotton crop as a whole produced in Gujarat but not for individual varieties of cotton. It is, therefore, not possible to indicate the per quintal cost of production of Digvijay, C.O.-2, B-797, Hybrid-4 cottons produced in Gujarat. However, the minimum support price for these varieties for 1977-78 cotton year is as under :

Variety	Spot support price for Kapas F.A.O. in Rs. per quintal
Digvijay A	325
C.O.—2	285
B—797	278
H—4	365

RURAL ELECTRIFICATION IN STATES

†4680. SHRI RAGHAVJI
SHRI ARJUN SINGH BHADORIA } : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the total number of villages in each State and Union territories and the number of villages out of them which have been electrified by February 28, 1978 and the percentage of such villages to the total number of villages;

(b) the number of villages in each State and the Union territories which have been electrified during the period 1st April, 1977 to 28th February, 1978; and

(c) the time by which the target of complete rural electrification is likely to be achieved in all the States and the Union territories ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) & (b) The Information as on 31-12-1977 is given in the statement enclosed. [Placed in Library. *See* No. LT-1955/78].

(c) On the basis of the Perspective Plan prepared by the States it is seen that electrification of all the villages in the country is expected to be completed by 1994-95.

कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

4681. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी काम में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग के बारे में विचार करने और राज्यों में इसे बढ़ाने हेतु मार्च, 1978 में नई दिल्ली में राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने सम्मेलन में दिये गये सुझावों की जांच की है;

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या दक्षिण तथा उत्तर भारत में अधिकाधिक लोगों को शिक्षित करने के लिए हिन्दी तथा दक्षिणी भाषाओं में अधिकाधिक पुस्तकें प्रकाशित करने की सिफारिश की गई है; और

(ङ) इस संबंध में मंत्रालय क्या कदम उठाने का विचार कर रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) : सम्मेलन में की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

(घ) सम्मेलन ने इस संबंध में कोई संकल्प पारित नहीं किया ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

FILLING UP VACANT POSTS

4682. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Group A. B. C and D posts lying vacant in the Department of Personnel and Administrative Reforms and the reasons for not filling them;

(b) whether many posts out of them, lapsed on the 1st January, 1977 and 1st January, 1978 because these remained vacant for more than six months;

(c) if so, their number and reasons therefor;

(d) the number of posts, out of them, which were to be filled through (i) direct recruitment, (ii) promotion, (iii) deputation; and

(e) the efforts being made to ensure that the posts are filled in future as soon as they fall vacant ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) :

(a) Group A— 8
Group B— —
Group C—12
Group D—12

Steps are being taken to fill up the vacant posts in Group A and C on regular basis. The posts is Group D could not to be filled as there as a ban on the recruitment of Peons, but clearance has since been obtained for filling up some of these posts.

(b) No posts lapsed on 1-1-1977 or 1-1-1978 on account of having remained vacant for more than six months.

(c) Does not arise.

(d) Direct recruitment—22
Promotion — 5
Deputation — 5

(e) Such action as is considered appropriate and necessary in the interests of administration, continues to be taken.

USE OF HINDI IN CENTRE-STATE CORRESPONDENCE

4683. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA
SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the non-Hindi speaking States have started sending communication in Hindi to the offices, Ministries and Department of Central Government; and

(b) if so, the number of such States and if not, the steps being taken by Government to accelerate the pace of progress of Hindi ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) No, Sir.

(b) There is a provision in the Official Language Act, 1963 according to which English can generally be used in correspondence between Centre and such States as have not adopted Hindi as their Official Language. However, if such States desire correspondence can be made, with mutual agreement, in Hindi also and the States of Gujarat, Punjab and Maharashtra have agreed to make correspondence with Centre in Hindi.

It is clear that, if non-Hindi speaking States take initiative to use Hindi in such correspondence, it will be creditable.

सेना कार्मिकों द्वारा असैनिक प्राधिकारियों की सहायता

4684. श्री के० मालन्ना : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976—77 के दौरान सेना कार्मिकों ने कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये असैनिक प्राधिकारियों की कितनी बार सहायता की, उनका राज्यवार विस्तृत विवरण क्या है; और

(ख) 1975—76 के दौरान आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के लिये सेना कार्मिकों को कितनी बार तैनात किया गया उनका राज्यवार विस्तृत विवरण क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीन राम) : (क) और (ख) : वर्ष 1976—77 में ऐसा कोई अवसर नहीं आया जब कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना कार्मिकों को सिविल प्राधिकारियों की सहायता करनी पड़ी हो, 1975—76 में जब सेना कार्मिकों को अनिवार्य सेवाओं के अनुरक्षण के लिए नियुक्त किया गया था उनके राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

नागालेंड, मिजोरम और मणिपुर में असंतोषजनक स्थिति से निपटने के लिए सेना कार्मिकों द्वारा निरन्तर दी गई सहायता इस उत्तर में सम्मिलित नहीं है ।

विवरण

वर्ष 1975-76 के दौरान अनिवार्य सेवाओं के अनुरक्षण के लिये सैनिक सहायता

क्र० संख्या	राज्य/स्थान	अवधि	दी गई सहायता का संक्षिप्त विवरण
1.	**महाराष्ट्र**		
	बम्बई पोत पत्तन और गोदी	15 से 20 जनवरी, 1975	जल, विद्युत, पूर्ति करने और खाद्यान्न तेल जहाजों से माल उतारने जैसी अनिवार्य सेवाओ के अनुरक्षण के लिए पोत पत्तन प्राधिकारियों की सहायता करना
2.	**तमिलनाडु**		
	मद्रास पोर्ट ट्रस्ट	16 से 21 जनवरी, 1975	——तदैव——
3.	**आन्ध्र प्रदेश**		
	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट	17 से 22 जनवरी, 1975	——तदैव——
4.	**पश्चिम बंगाल**		
	(क) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट	16 जनवरी से 21 जनवरी, 1975	——तदैव——
	(ख) आसनसोल, मिदनापुर, चिन्सुराह, चन्दन नगर, उत्तर पाड़ा, बज-बज, बहरामपुर, भारपाड़ा और बेरकपुर	19 जून से 20 जून 1975	20 जून, 1975 को बंगाल बंध के दौरान सिविल एक्सचेंजों में टेलीफोन एक्सचेंज आपरेटरों की व्यवस्था की गई।

CRITERIA FOR SANCTION OF SCHEMES BY RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION

*4685. SHRI MOHAN BHAIYA
SHRI GOVIND RAM MIRI } : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the criteria adopted by the Rural Electrification Corporation Delhi for sanctioning various categories schemes of Rural Electrification Corporation;

(b) whether uniform criteria are adopted in the case of developed States such as Punjab, Haryana, Tamilnadu, etc. and backward States such as Madhya Pradesh, Bihar, Orissa;

(c) whether any of the backward States has, keeping its backwardness in view, written to the Central Government to relax the criteria adopted by the Rural Electrification Corporation;

(d) whether Government have relaxed criteria to make it favourable to such backward States;

(e) whether percentage of electrification in Madhya Pradesh is lower than that of backward States such as Bihar and Orissa; and

(f) if so, whether Government will adopt special criteria for Madhya Pradesh keeping in view the backwardness of this State ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) The norms laid down by the Corporation for economic viability of the schemes for sanction of loan under different categories are given in the Statement. [Placed in Library. *See* No. LT-1956/78]

(b) to (d) : The Corporation has classified the States as "Above Average" ("AA" States) and "Average and Below" ("AB" States) on the basis of the level of electrification as on 31st March, 1971. Loan assistance by the Corporation for the second and subsequent schemes of ordinary advanced areas in the same district in "AA" States is restricted to 60% of the project cost. The loan sanctioned for special transmission schemes in the case of "AA" States is repayable over a period of 10 years as against 12 years in the case of "AB" States.

A request had been received from the Government of Madhya Pradesh for Liberalisation of norms for rural electrification schemes adopted by the Rural Electrification Corporation. The State Government has been informed that the norms adopted by the Corporation in respect of schemes for backward and under-developed areas including tribal areas in Madhya Pradesh are already sufficiently liberal.

(e) : Out of 70,883 villages in Madhya Pradesh 15,657 villages (22.1%) were electrified as on 31-12-1977. 27.3% villages in Bihar and 27.9% villages in Orissa were electrified on that date.

(f) : With a view to improving the level of electrification of villages in Madhya Pradesh, an additional allocation of Rs. 6 crores has been provided for rural electrification as a part of the Minimum Needs Programme during 1977-78. The Rural Electrification Corporation has also opened a regional office in Jabalpur in order to have a closer liaison with the State Electrification Board and to assist them in the formulation of the schemes.

मनीपुर, नागालैण्ड, मिजोरम और त्रिपुरा के लिये योजना आवंटन

4686. श्री भगत राम : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में मनीपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए कितना योजना आवंटन किया गया; और

(ख) राज्यों की इस मामले में मांगें क्या थीं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

	1977-78		1978-79	
	प्रस्तावित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय	प्रस्तावित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5
मणिपुर	31.98	22.81	36.56	28.26
नागालैंड	21.28	20.93	28.76	24.53
मिजोरम	14.04	11.07	17.70	16.65
त्रिपुरा	22.43	15.78	36.03	22.70

इलैक्ट्रानिक जैसे अति आधुनिक क्षेत्र में विदेशी फर्मों का प्रवेश

4687. **श्री अरविन्द वाला पजनौर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी फर्में इलैक्ट्रानिक्स और टेलीविजन ग्लास शैल के आधुनिक क्षेत्र में पिछले दरवाजे से प्रवेश पाने के लिए प्रयास कर रही हैं; और

(ख) इस बारे में पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के साथ किये गये किसी सौदे का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंत्रालयों में मितव्ययता के लिये उपाय

4688. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय से मितव्ययता के उपाय अपनाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक केंद्रीय मंत्री के कार्यालय और आवास से इस समय श्रेणी चार के कितने संदेशवाहक संबद्ध हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

समाचार-पत्रों के विज्ञापनों को वितरण करने के लिये स्वतंत्र संगठन

4689. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाचार-पत्रों को विज्ञापनों का वितरण करने के लिए एक स्वतंत्र संगठन बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : सरकार वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट है और विज्ञापनों का वितरण करने के लिए कोई स्वतंत्र संगठन बनाने का विचार नहीं है ।

सीमेंट अनुसंधान संस्थान पर हुआ खर्च

4690. **श्री ए० मुरुगेसन**
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान पर किस-किस स्रोत से प्रति वर्ष कितना-कितना खर्च किया गया ;

(ख) संस्थान के उद्देश्य क्या हैं और उनको किस हद तक पूरा किया गया;

(ग) इस संस्थान ने सीमेंट उत्पादन के तरीकों में सुधार किया है, उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि संस्थान सीमेंट उत्पादन के तरीकों में सुधार की अपेक्षा सीमेंट के उपयोग के तरीकों पर अधिक ध्यान देता है;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बंगला देश युद्ध में अपंग हुए व्यक्तियों की संख्या

4691. **श्री बलदेव सिंह जसरोथा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) बंगला देश युद्ध में कितने सैनिक कर्मचारी अपंग हो गये थे और उनमें से कितने व्यक्तियों को पुन: स्थापन के लिये और कृत्रिम अंगों की आवश्यकता है;

(ख) क्या यह सच है कि पूना में केवल सेना का एक ही कृत्रिम अंग केंद्र है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(घ) क्या देश में 1971 में अथवा उसके आस-पास राष्ट्रीय रक्षा कोष की सहायता से ऐसा कोई केंद्र बनाया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस केंद्र का प्रभारी अधिकारी कौन है और उसका ब्यौरा क्या है तथा कितना पूंजी-निवेश किया गया, यह किन व्यक्तियों की सुविधा के लिये बनाया गया था और राज्य-वार कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) दिसम्बर 1971 के युद्ध में (दोनों सैक्टरों में) हताहत हुए 8718 व्यक्तियों में से 876 सैनिक अपंग हो गए थे । उन सभी के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर, पूणे द्वारा कृत्रिम अंगों की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) शायद इसका संकेत उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के अन्तर्गत कानपुर स्थित भारतीय आर्टीफिशियल लिम्ब मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन नामक सरकारी

क्षेत्र के उपक्रम के बारे में है । इस निगम को 1972 में इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था ताकि रक्षा कार्मिकों आदि सहित जरूरतमंद लोगों में अच्छी किस्म के कृत्रिम अंगों तथा उनसे संबद्ध सहायक सामग्री की उपलब्धता, प्रयोग, सप्लाई और वितरण में वृद्धि, प्रोत्साहन और विकास किया जा सके इस निगम को राष्ट्रीय रक्षा निधि से 400 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था । इस परियोजना की पूंजीगत लागत इक्वटी के रूप में सरकार ने 33 लाख रुपए लगाए हैं । यह प्रत्याशा है कि इस परियोजना को हर तरह से पूरा करने के लिए 47.50 लाख रुपए की और आवश्यकता पड़ेगी । डा० बी० संकरन और मेजर जनरल के० रघुनाथ भारतीय आर्टीफिशियल लिम्ब मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन कानपुर के क्रमश: अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हैं । इसके द्वारा कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है उसकी राज्यवार सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

राज्यों में कोयले की कमी

4692. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री अहमद एम० पटेल
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में कोयले की कमी के बारे में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के क्या नाम हैं और कम सप्लाई होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) जी हां ।

(ख) व (ग) ये राज्य हरियाणा, पंजाब , उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं । 1977 के उत्तरार्द्ध में, विस्फोटक कारखानों में हड़ताल, वर्षा, बिजली सप्लाई में रुकावट और कुछ श्रमिक अशांति के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । किन्तु दिसम्बर, 1977 से उत्पादन बढ़ा है और अब पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है और कमी की समस्या नहीं है ।

ELECTRIFICATION OF ADIVASIS VILLAGES IN STATES

*4693. SHRI DALPAT SINGH PARASTE : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the total number of Adivasi villages in the country, State-wise which have been electrified by the Rural Electrification Corporation before 28th February;

(b) whether in Madhya Pradesh, where number of Adivasi villages is higher, less number of Adivasi villages have been electrified as compared to those in other States and of so, whether the Central Government propose to allocate more funds for electrifying in Madhya Pradesh; and

(c) whether a proposal is under consideration to electrify Pushprajgarh Tehsil in Shahdol district in Madhya Pradesh, which has been declared as backward district, and if so, when it will be implemented and whether other Adivasi Blocks in Shahdol district are also to be covered under electrification scheme.

THE MINISTER FOR ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) (a) & (b) The progress of village electrification varies from State-to-State depending upon local conditions

and hence a comparison would not reflect the total picture. In respect of tribal villages in M.P., very liberal criteria are adopted in view of their extreme backwardness. The Corporation has sanctioned 200 schemes involving a total loan assistance of Rs. 91.38 crores. On completion, 16,167 villages would be electrified. 3,720 new villages have been electrified as on 30th Sept 1977. Statewise details are given in the statement enclosed.

(c) The Corporation has sanctioned in December, 1977 one rural electrification scheme covering the tribal areas in Pushprajgarh Tehsil in district Shahdol in Madhya Pradesh for a loan assistance of Rs. 42.46 lakhs. The scheme envisages electrification of 98 villages. It is phased for completion over a period of 5 years from commencement.

The Corporation had earlier sanctioned 3 more rural electrification schemes for a total loan assistance of Rs. 204.27 lakhs envisaging electrification of 332 villages in Shahdol district. 2 of these schemes cover the areas inhabited by tribal population.

No other rural electrification scheme of Shahdol district is pending with the Corporation.

State-wise Position of R.E. Scheme Sanctioned in Tribal Areas

S. No.	State	No. of Schemes sanctioned	Loan amount sanctioned (Rs. crores)	Number Villages covered	Villages electrified upto 30-9-1977
1	2	3	4	5	6
1.	Andhra Pradesh	24	10·15	1278	262
2.	Assam	9	5·73	1042	90
3.	Bihar	24	14·14	3277	588
4.	Gujarat	8	2·94	406	123
5.	Himachal Pradesh	2	0·67	285	94
6.	Madhya Pradesh	51	19·51	2967	566
7.	Maharashtra	14	6·00	1069	516
8.	Manipur	1	0·43	66	—
9.	Meghalaya	10	4·56	639	169
10.	Nagaland	4	2·48	163	31
11.	Orissa	31	12·83	3122	793
12.	Rajasthan	15	8·56	1271	402
13.	Tripura	3	1·76	324	15
14.	Uttar Pradesh	1	0·72	112	25
15.	West Bengal	3	0·90	146	46
	Total	200	91·38	16167	3720

FOREIGNERS INDULGING IN UNDESIRABLE ACTIVITIES IN PONDICHERRY

4694. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether some foreigners are living at Auroville Project at Pondicherry and whether some of these persons are indulging in undesirable activities against the aims and objects of the Auroville organisation and that is why the management of the Pondicherry Ashram Trust has written to the Government of India for the cancellation of visa of these foreigners; and

(b) if so, the action taken by the Government of India for cancelling their visas and sending them back to their respective countries ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) & (b) Some disputes have arisen between some of the foreigners residing in Auroville Project and the authorities of the Aurobindo Ashram. There have been allegations and counter-allegations. Complaints brought to the notice of the Government, are enquired carefully and suitable action taken on the merits of each case.

भवनों की निलामी

4695. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रुड़की में 77 भवन केवल 13,000 रुपए में नीलाम किये गये थे जबकि उनका वास्तविक मूल्य 2 लाख रुपए था क्योंकि जिस ठेकेदार ने इन्हें खरीदा था उसने पूल के अन्य बोली लगाने वालों को 65,000 रुपए की राशि दी और अन्ततः सामग्री को 1.50 लाख रुपए में बेचा ;

(ख) 2 लाख रुपए के मूल्य के 77 भवन नाममात्र के मूल्य पर क्यों बेचे गये;

(ग) इन 77 भवनों की निर्माण लागत क्या थी;

(घ) यदि विभागीय श्रमिकों द्वारा भवनों को गिरा कर बेचा जाता तो मूल्य क्या होता; और

(ङ) जानबूझकर ऐसी हानि करने के लिये अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) 1963-64, में रुड़की में अस्थायी विनिर्दिष्टियों के अनुसार 160 भवन बनाए गए थे जिनमें शौचालयों के 81 ब्लाक, मूत्रालयों के 43 ब्लाक और स्नानागारों के 36 ब्लाक थे । 1971 में यह निर्णय किया गया कि पान टाइप अस्थायी शौचालयों को जल वाले स्वच्छ शौचालयों में बदल दिया जाए । जल वाले स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था कर दिए जाने के बाद ये 160 भवन इस स्टेशन की आवश्यकता से फालतू हो गये । इन फालतू भवनों में से 77 ब्लाकों को नहीं बल्कि 60 ब्लाकों को तत्काल गिरा देने का निर्णय किया गया । इन ब्लाकों में 21 ब्लाक शौचालयों के, 23 ब्लाक मूत्रालयों के और 17 ब्लाक स्नानागारों के थे जिनकी पूंजीगत लागत 46,090.50 रुपए थी । तदनुसार, 15-10-77 को अधिकारियों के एक बोर्ड की बैठक हुई और नीलामी के लिए इन 61 ब्लाकों की न्यूनतम आरक्षित लागत 11,900 रुपए निश्चित की गई थी । इन भवनों को नीलाम करने के लिए 3-1-78 को सरकारी नीलामकर्ता मैसर्स रुपजी एण्ड सन्स मेरठ से कहा गया जिन्होंने व्यापक प्रचार करने के बाद इन्हें 16-1-78 को नीलाम कर दिया । स्वीकृति अन्तिम बोली 13,900 रुपए थी । उक्त फर्म ने यह निलामी दो सरकारी पर्यवेक्षक कर्मचारियों की उपस्थिति में की थी । इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस व्यक्ति से इन भवनों को खरीदा था उसने इस सामग्री को कैसे और किस मूल्य पर बेचा ।

यह नीलामी नियमों और विनियमों के अनुसार की गई थी और नीलामी में स्वीकृत रकम विभाग द्वारा निश्चित न्यूनतम आरक्षित मूल्य से अधिक थी और साथ ही इन अस्थायी भवनों के निर्माण में लगाई गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए भी बोली की रकम काफी युक्तिसंगत थी । ऐसी आशा है कि यदि इन भवनों को गिरा दिया जाता और शेष सामग्री का नीलाम किया जाता तो इसमें नीलामी से प्राप्त राशि से कम रकम प्राप्त होती ।

पिपराड-जाफराबाद पत्तन का विकास

4696. श्री असहसान जाफर: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पिपराड-जाफराबाद पत्तन के विकास के बारे में केंद्रीय सरकार को तकनीकी/आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उक्त परियोजना को पांचवीं पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का अनुरोध किया था, तथा इसे नामंजूर कर दिया गया था; और

(ग) क्या केंद्रीय सरकार अब उक्त परियोजना को छठी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के बारे में विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): (क) से (ग) बड़े पत्तनों से भिन्न अन्य पत्तनों के विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यत:, संबंधित राज्य सरकारों की है। चौथी योजना से आगे केंद्रीय ऋण सहायता का, प्रत्येक समुद्री राज्य से एक छोटे पत्तन के आधार पर चुने गये छोटे पत्तनों के विकास के लिए राज्य सरकारों तक विस्तार किया गया है। गुजरात से इस प्रयोजन के लिए चुना गया पत्तन पोरबन्दर था।

राज्य सरकार ने, केंद्रीय प्रायोजित क्षेत्र में, पांचवीं योजना में शामिल करने के लिए पिपावव में एक गहरे सर्वऋतु पत्तन के विकास के लिए एक योजना की सिफारिश की थी। परन्तु, यह नहीं किया जा सका क्योंकि केंद्रीय प्रायोजित क्षेत्र में पांचवीं योजना में छोटे पत्तन के विकास के लिए व्यवस्था पूर्व स्वीकृत पोरबन्दर योजना के आगे ले जाए जाने वाले व्यय के लिए सीमित थी।

दिसम्बर, 1975 में अपने परामर्शकों द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया पिपावव-जाफराबाद पत्तन के विकास के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट मंत्रालय में अब प्राप्त हो गई है और उस पर मंत्रालय के विचार राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं। इस पत्तन के विकास के लिए भारत सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

इलैक्ट्रानिकी में मनोरंजन के क्षेत्र पर बल

4697. श्री पी० कानन: क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिकी में अतिआधुनिक व्यवसायी क्षेत्र की उपेक्षा करके बल केवल मनोरंजन के क्षेत्र को ही दिया जा रहा है; और

(ख) क्या गत पांच वर्षों में इलैक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में प्राप्त सन्तुलित विकास का समीक्षात्मक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देवाई): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र होते ही, उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

EXCLUSIVE RIGHT TO M/S AKUJI JANBAR COMPANY TO TRADE IN NICOBAR ISLANDS

4698. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have given M/S. Akuji Janbar Company an exclusive right to trade in Nicobar Islands;

(b) if so, the period for which it has been given and the other conditions in this regard;

(c) whether Government have received complaints that the company is exploiting the tribals there in the matter of purchase of goods/materials; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a), (b), (c) & (d) M/s. Akoojee Jadwets were trading in the Nicobar group of islands till 1976. In February ,1976 an agreement was reached with the above company under which they undertook to make over their business and trade interests to the tribal people or a company of the tribals to be constituted for the purpose. The trade is now being carried on by the Central Cooperative Society of tribals at Car Nicobar and by Nancowrie Merchantile Company, another tribal company, at Nancowrie island.

पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास

4699. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपनी योजना, योजना आयोग को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने क्या प्रस्ताव रखे हैं;

(ग) पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए कौन-से संसाधन नियत किये गये हैं; और

(घ) पटेल आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) राज्य सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई अलग योजना प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(ख) तथापि, राज्य की पांचवीं योजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश को सिंचाई, विद्युत, छोटी सिंचाई , कृषि, सड़कें, शिक्षा, जलपूर्ति, ग्राम और लघु उद्योग तथा स्वास्थ्य के लिए प्राथमिकता दी गई है ।

(ग) पांचवीं योजना (1974—78) के चार वर्षों में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिये विभाज्य परिव्यय के लगभग 37 प्रतिशत भाग को पूर्वी क्षेत्र में खर्च किए जाने की संभावना है ।

(घ) 1964—65 में 4 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था की गई थी । बाद में ये कार्यक्रम राज्य योजना के भाग बन गए । इसलिए अब इस संबंध में कोई विशेष केंद्रीय सहायता नहीं दी जा रही है ।

पश्चिम बंगाल में नमक का कारखाना

4700. **श्री मुकुन्द मण्डल**
श्री समर मुखर्जी } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में नमक का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) सुन्दरवन क्षेत्र म सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा नमक बनाने की संभाव्यताओं का पता-लगाने हेतु पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार ने नमक आयुक्त, भारत का भूविज्ञान सर्वेक्षण सुन्दरवन विकास बोर्ड जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, मैसर्स बंगाल साल्ट कम्पनी लिमिटेड, निदेशक, कुटीर तथा लघु उद्योग और उद्योग निदेशक, पश्चिमी बंगाल के प्रतिनिधियों का एक अध्ययन दल गठित किया है । कटाई क्षेत्र में नमक की संभावव्यताओं का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक और अध्ययन दल गठित किया है जिसमें राज्य सरकार विभिन्न विभागों के कई प्रतिनिधि तथा नमक आयुक्त के प्रतिनिधि शामिल हैं । अध्ययन दलों की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

भारत को परमाणु ईंधन की सप्लाई

4701. **श्री समर गुह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 1978 को 'स्टेट्समैन' के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें परमाणु ईंधन की सप्लाई एवं भण्डारण तथा प्रयुक्त ईंधन के बारे में बताये गये तथ्य ठीक हैं;

(ग) अमरीका द्वारा संबंधित यूरेनियम की सप्लाई करने तथा 'प्रयुक्त' अंश वापस लेने के बारे में भारत-अमरीकी समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या राष्ट्रपति ने अमरीकी परमाणु विनियमन आयोग को अभी भी कोई सिफारिशें करनी ह;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) वकल्पिक स्रोत से तथा जादूगोडा से प्राप्त भारतीय प्लुटोनियम भंडार तथा यूरेनियम से सप्लाई का पता लगाने के लिये परमाणु ऊर्जा आयोग की असफलता के क्या कारण हैं; और

(छ) तारापुर संयंत्र के लिए ईंधन की सप्लाई एवं भण्डारण दिक्कतों को हल करने की सरकार की योजना क्या है ?

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां ।

(ख) 6 मार्च, 1978 के "स्टेट्समैन" के सम्पादकीय में इस प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित विषय के बारे में जो तथ्य दिए गए हैं वे सामान्य रूप से सही हैं ।

(ग), (घ) तथा (ङ) इस विषय पर इस सदन में 23 मार्च, 1978 को रखे गये एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई बहस के दौरान पूरी स्थिति विस्तारपूर्वक बताई जा चुकी है ।

(च) करार के अन्तर्गत हम पर यह रोक लगी हुई है कि हम किसी अन्य स्रोत से यूरेनियम प्राप्त नहीं कर सकते ।

(छ) तारापुर परमाणु बिजलीघर में भण्डारण काम आने वाले कुछ नये रैक लगाए जा चुके हैं तथा भुक्त-शेष ईंधन के भंडारण में आने वाली कठिनाई पर नियंत्रण पाने के एक अल्पावधि उपाय के रूप में हाई-डेंसिटी रैक लगाने की संभावना भी विचाराधीन है ।

अल्प संख्यकों पर हिंसा की घटनायें

4702. **श्री पायस टिर्की**
श्री ज्योतिर्मय बसु } क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से केंद्र में नई सरकार आई है तब से राज्यवार और महीनेवार कितनी ऐसी हिंसापूर्ण घटनाऐं/दंगे/झगड़े हुए हैं जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय/भाषाई अल्पसंख्यक/अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियाँ प्रभावित हुई; और

(ख) ये आंकड़े भतपूर्व सरकार के शासन के पांच वर्षों में प्रतिवर्ष हुई ऐसी घटनाओं से कम हैं या अधिक ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मण्डल) : (क) और (ख) राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से समय-समय पर प्राप्त तथा रिकार्डों में उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित विवरण (अनुलग्नक 1 से 4) संलग्न है] । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-1957/78]**

जयपुर आकाशवाणी केन्द्र के रेंज में वृद्धि

4703. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारण सम्पूर्ण राजस्थान में सुनाई नहीं देते हैं;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) आकाशवाणी का जयपुर केंद्र समुचे राजस्थान राज्य में सेवा प्रदान करने के लिए नहीं है । यह केन्द्र वर्जित क्षेत्र में

सेवा प्रदा करने के लिए अजमेर के रिलै ट्रांसमीटर के योग से कार्य करता है और राज्य के केन्द्रीय क्षेत्र में प्रथम ग्रेड की सेवा प्रदान करता है । राजस्थान में काम कर रहे अन्य रेडियो स्टेशन बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में हैं । राज्य में मीडियम वेव सेवा क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए एक और रेडियो स्टेशन 1978-79 के दौरान सूरजगढ़ में खोले जाने की उम्मीद है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सरकार ने अजमेर के ट्रांसमीटर की शक्ति 20 किलोवाट से बढ़ाकर 200 किलोवाट करने का प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में शामिल किया है । इसका कार्यन्वयन वित्त संसाधनों की उपलब्धि और योजना आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

श्रीनगर और जम्मू स्थित आकाशवाणी केन्द्रों के नाम बदला जाना

4704. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर और जम्मू स्थित रेडियो स्टेशनों को आकाशवाणी का केंद्र नहीं बताया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जम्मू स्थित आकाशवाणी के केन्द्र की, विभिन्न ऐतिहासिक कारण से क्रमश: "रेडियो काश्मीर, श्रीनगर" और "रेडियो जम्मू काश्मीर" के रूप में घोषणा की जाती है । इन केंद्र के नामों में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कपास के लिऐ समान भाड़ा किया जाना

4705. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कपास वस्त्र उद्योग में समान भाड़ा किये जाने के लिये सरकार से अनुरोध किया; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से रुई के भाड़े को समान करने के बारे में बहुत समय पूर्व एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । यह मामला योजना आयोग को भेज दिया गया था । इस प्रश्न की जांच करने के लिये योजना आयोग ने एक अन्तर मंत्रालयीय दल की स्थापना की थी । दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रुई के भाड़े को समान करने की कोई भी योजना वांछनीय नहीं होगी । सरकार ने यह सिफारिश स्वीकर कर ली है ।

सशस्त्र सेनाओं में कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था

4706. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में होने वाले कोर्ट मार्शल में अपील करने और लिखित निर्णय की व्यवस्था है;

(ख) क्या ब्रिटिश सेना और विश्व की अन्य सेनाओं में उच्च न्यायालय में सीधे एक अपील करने का अधिकार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या साक्ष्य और लिखित निर्णय का शब्दश: रिकार्ड रखने की कोई व्यवस्था है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

29-3-75 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4706 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

थल सेना अधिनियम 1950 और वायु सेना अधिनियम 1950 के अन्तर्गत कोर्ट मार्शल के निर्णय/दण्ड के विरुद्ध पुष्टिकर्ता अधिकारी/प्राधिकारी तथा पुष्टि के बाद पुष्टिकर्ता अधिकारी/प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी के पास अपील करने का अधिकार है । नौसेना अधिनियम 1957 के अन्तर्गत कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था नहीं है । परन्तु यह देखने के लिए कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में किसी प्रकार की अवैधता अथवा अनियमितता तो नहीं हुई है जिसकी वजह से उचित न्याय नहीं हो सकता हो नौ सेना अधिनियम 1957 के अधीन कोर्ट मार्शल द्वारा की गई सारी कार्रवाई की स्वयं नौसेना के जज एडवोकेट जनरल समीक्षा करते हैं ।

साधारण सिविल/फौजदारी अदालतों की तरह थल सेना, नौसेना और वायु सेना अधिनियमों में लिखित निर्णय की कोई व्यवस्था नहीं है ।

ब्रिटेन, अमरीका और कनेडा की संहिताओं के अनुसार कोर्ट-मार्शल के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं है । परन्तु थल सेना, नौसेना और वायु सेना कोर्ट मार्शल से अपीलों की सुनवाई के लिए कोर्ट-मार्शल (अपील) अधिनियम 1951 द्वारा ब्रिटेन में कोर्ट-मार्शल अपील कोर्ट स्थापित की गई ।

थल सेना नौसेना और वायु सेना अधिनियमों के और उनके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत निर्धारित क्रियावधि के अनुसार कोर्ट मार्शल की कार्रवाई विवरण के रूप में और जहां आवश्यक समझी जाती है शब्दश: लिखी जाती है ।

WIDENING OF NATIONAL HIGHWAY-30

4707. SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased state :

(a) whether the National Highway-30 from Danapur to Arrah is wide enough only for one motor vehicle at a time; and

(b) if so, the time by which it will be widened to remove the difficulties being faced in this regard ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) & (b) The Danapur-Arrah reach of the National Highway No. 30 is mostly single-lane (carriageway of 3.5 m—12 feet—and earthern berms) and somewhat inadequate for the traffic. Improvements including widening to 2-lane are difficult because of the inadequate

land width and heavy ribbon development on either side and because of the low profile which results in submergences at several places by the rivers Ganga and Sone. In the first phase a new alignment from Patna to Bhita south of the railway line is under investigation.

ACTION AGAINST VEHICLES DRIVERS FOR NOT CHARGING RENT ACCORDING TO METRE

†4708. SHRI GOVIND MIRI : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government propose to take strict action aaginst various vehicle drivers in Delhi who do not charge hire according to the metre and charge arbitrary hire by showing the metre defective;

(b) whether Government have under consideration any scheme to ply local buses from railway stations to city and back in Delhi in the near future; and

(c) if so, by what time it is likely to be implemented ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) Under Section 112 of the Motor Vehicles Act, 1939 and Rule 4.37 2(e) of the Delhi Motor Vehicles Rules, a driver of a Taxi or a three-wheeler scooter is liable to be prosecuted for demanding or accepting fare in excess of the amount to which he is legally entitled. Strict action is being taken by Delhi Administration aaginst those drivers of taxis and auto-rickshaws who are found to have contravened the above provisions.

(b) & (c) The Delhi Transport Corporation is already operating a large number of bus services from Delhi Main Railway Station to various localities in the city. New Delhi Railway Station is well connected with mini bus services which originate from or terminate at the Railway Station. The Hazrat Nizamuddin Railway Station is also connected by three D.T.C. routes. All these services are considered to be adequate to meet the present traffic and there is no proposal to introduce any additional but services from/to Railway Stations.

STEPS FOR INCREASING EFFICIENCY OF DRIVERS

†4709. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :' Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 564 on 16th November, 1977 regarding profit and loss of D.T.C. and state :

(a) the details of short term and long term measures proposed to be introduced by the Delhi Transport Corporation to increase the overall efficiency of their drivers in order to check the increasing losses; and

(b) whether Government have gone into the details of causes due to which such heavy losses are being incurred and whether Government have decided to take concrete action to check these losses completely ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) The losses of D.T.C. are not attributable to the driving habits of its drivers. However, the Corporation is taking measures to improve the standard of performance of its drivers. These include recruitment of drivers having three years' experience of driving heavy motor vehicles, training of drivers in the Training School of the Corporation, before they are formally appointed and assigned duties on the line, medical examination, including checking of visual acuity of new entrants, payment of incentives to drivers who have accident free record, educating them while at the steering and organising refresher courses for those found to be deficient in performance. Special squads have been formed to check the performance on line, of drivers having faulty driving habits.

(b) The main reasons for the losses of the Corporation are uneconomic fare structure and high cost of operation. Proposals of the Corporation for revision of the fare structure for city services to reduce the losses are under Government's consideration. Efforts are also being made by the Corporation to improve its fleet utilisation and general operational efficiency.

सीमेंट उद्योग का व्यापक अध्ययन करने के लिये समिति

4710. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग का व्यापक अध्ययन करने के लिये एक समिति स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति की स्थापना कब तक की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) सीमेंट उद्योग की व्यापक संवीक्षा करने हेतु उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । समिति के लिए विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ सीमेंट का लागत ढांचा तथा कारखाने से निकलते समय की कीमतों का दुबारा अध्ययन करना शामिल है । समिति, अतिरिक्त क्षमता निर्माण करने तथा उत्पादन को अधिकतम करने को प्रोत्साहन देने के अभ्युपायों का भी अध्ययन करेगी । समिति के शीघ्र ही गठित किये जाने की आशा है।

परमाणु परियोजनाओं तथा वैज्ञानिक सेवाओं सम्बन्धी प्रस्ताव

4711. **श्री सरत कार** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंच वर्षीय योजनावधि के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु परियोजनाओं तथा वैज्ञानिक सेवाओं और अनुसंधान के लिये अपने संशोधित वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधानमंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) तथा (ख) जी, हां । इस विभाग द्वारा अगली पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए शामिल की जाने वाली परियोजनाओं/स्कीमों के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं उन पर अभी योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श होना बाकी है । इसलिए, इस स्थिति में जबकि प्रस्तावों पर विचार होना बाकी है, इस बारे में कोई विवरण दे सकना असामयिक रहेगा तथा उसका कोई लाभ नहीं होगा ।

COMPLAINT AGAINST CHAIRMAN OF N.T.C.

4712. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints and memorandum against the Chairman of National Textile Corporation from the public representatives and the citizens;

(b) if so, the full details of the complaints made against him; and

(c) the action taken so far or proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

ISSUE OF CASTE CERTIFICATES TO S. C. & S. T. IN DELHI

4713. SHRI RAM BILAS PASWAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the various States are experiencing great difficulties in getting caste certificates in Delhi; and

(b) if not, the rules governing the issuing of caste certificates ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b) Under the provisions of the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, only members of the castes specified in relation to Delhi as Scheduled Castes and resident therein can be issued Scheduled Caste certificates by the competent authorities in Delhi. The term 'resident' connotes the permanent residence of a person on the date of notification of the Presidential Order specifying his caste/tribe as Scheduled Caste or Scheduled Tribe in relation to his State/Union territory. Since the Scheduled Castes in relation to Delhi were notified on 20-9-1951, any person who migrated to Delhi after that date cannot be treated as a Scheduled Caste of Delhi. There are no Scheduled Tribes specified in relation to Delhi.

नालीदार मीडियम कागज

4714 **श्री बालसाहिब बिरखे पाटिल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कागज उद्योग को विशेषतया नालीदार मीडियम कागज के बारे में संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह संकट लम्बे समय तक चलेगा; और

(ग) इस समस्या को सुलझाने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि नालीदार मीडियम कागज के बारे में कागज उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

IMPLEMENTATION OF DECISIONS OF THE OFFICIAL LANGUAGES IMPLEMENTATION COMMITTEE

4715. SHRI RAM PRASAD DESHMUKH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the official languages Implementation Committee has been set up in his Ministry/Department;

(b) if so, the dates on which it held its meeting in 1977 and the decisions taken therein;

(c) the number of decisions fully implemented so far; and

(d) the reasons for the delay in implementing the remaining ones ?

The MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) to (d) Yes, Sir. The Official Languages Implementation Committee in the Department of Industrial Development met in the year 1977 twice on 5-5-77 and 18-10-77. Its major conclusions related to posting of Hindi knowing staff in Sections, supply of Hindi Typewriters, re-circulation of list of commonly used phrases in Hindi for official purposes, bilingual marking on the products manufactured by the Public Sector Undertakings, constitution of a sub-committee to look after the progressive use of Hindi etc. Such a committee in the Department of Heavy Industry met during the year 1977 once on 3-11-77. Its conclusions related to re-survey of the officer/employees having working knowledge of Hindi, training in Hindi, appointment of a Hindi Officer, issue of all circulars, general orders bilingually etc.

Most of these suggestions have been implemented. Those remaining are at various stages of implementation.

WORKING CAPITAL OF M/s. MOHAN MEAKINS GHAZIABAD

4716. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the working capital of M/s. Mohan Meakins, Ghaziabad on the 31st March, 1977 and on 31st December, 1977; and

(b) whether it is a fact that new licences have been issued by the Janata Government to this firm for expansion of their business ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Working capital on the 31st March 1977 (current assets less current liabilities and provisions) as per the latest Balance Sheet of the Company works out to Rs. 930.98 lakhs. Information regarding the working capital on 31st December 1977 is not available.

(b) One Industrial Licence was issued to the company for a capacity of 3000 M. Ts of Canned fruits and Vegetable products, etc. on 29th April 1977.

प्रूफ तथा प्रायोगिक प्रतिष्ठान, बालासोर में सिविलियन औद्योगिक पदों का बदला जाना

4717. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत अनुसंधान और विकास मुख्यालय को प्रूफ तथा प्रायोगिक प्रतिष्ठान, बालासोर में सभी सिविलियन औद्योगिक पदों को सैनिक योद्धा पदों में बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यदि यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो इससे लगभग 700 सिविलियन कार्मचारी फालतू हो जायेंगे;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस प्रस्ताव के कारण व्यापक असन्तोष व्याप्त होना शुरू हो चुका है; और

(घ) इस प्रस्ताव के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । यह केवल एक प्रस्ताव है जो जांच के लिए प्राप्त हुआ है ।

(ख) जी हां ।

(ग) अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है ।

(घ) इस तरह के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के परिणामों की सरकार को पूरी जानकारी है । इसलिए सभी संबंधितों के परामर्श से इसकी विस्तार से जांच की जा रही है ।

अल्पसंख्यक आयोग

4718. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन व्यक्तियों को अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या इस आयोग में सभी अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(ग) यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है तो इसका क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) तक—निम्न-लिखित व्यक्तियों को अल्पसंख्यक आयोग में नियुक्त किया गया है और वे सभी अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति हैं :—

(1) श्री एम० आर० मसानी	अध्यक्ष
(2) श्री न्यायमूर्ति एम० आर० ए० अंसारी	सदस्य
(3) श्री वी० वी० जोन	सदस्य

आयोग एक कार्यकारी निकाय होगा जो सभी अल्पसंख्यकों के उचित हितों को ध्यान में रखेगा । जहां तक यह बात सुनिश्चित है, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि क्या सभी अल्प-संख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है अथवा नहीं ।

बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी राहत

4719. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1978-79 के अपने बजट में घोषित की गई उस नई योजना की ओर दिलाया गया है जिसमें 50 रु० प्रति माह की दर से बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी राहत देने की व्यवस्था; है

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार इस योजना के कार्यान्वियन में पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता देने पर विचार करेगी ;

(घ) क्या केंद्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों को सलाह देगी कि वे इसी प्रकार की योजनाओं को अपनायें और कार्यान्वित करें; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से वर्ष 1978-79 में बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी सहायता की स्कीम के संबंध में कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ङ) सरकार यह अनुभव करती है कि बेरोजगारी सहायता की अदायगी से बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी । आवश्यक यह है कि बेरोजगार व्यक्तियों को आनुग्रहिक सहायता की बजाए लाभप्रद रोजगार दिया जाए । विकास योजना के अगले चरण का प्राथमिक उद्देश्य होगा लगभग दस वर्षों में बेरोजगारी और काफी कुछ अल्प रोजगार को दूर करना । 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के, जिसको इस समय योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, प्राथमिक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य होगा अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न करना । रोजगार की सबसे अधिक क्षमता विस्तारित सिंचाई के माध्यम से गहन कृषि में, और डैरी विकास, बागवानी और वन उद्योग ग्रामीण निर्माण-कार्य और कुटीर व लघु उद्योगों जैसे संबद्ध कार्य-कलापों में है । आधारभूत व्यवस्था, विद्युत उत्पादन और कृषि

निवेशों की व्यवस्था तथा सेवा क्षेत्र में निवेशों के द्वारा भी नए रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे। केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में निवेश की प्राथमिकताओं को योजना के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त रूप में परिशोधित किया जाएगा ।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा अपनाये जा रहे भ्रष्ट तरीकों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

4720. **डा० सुब्रामनियम स्वामी :** क्या **गृह** मंत्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, द्वारा अपनाये जा रहे भ्रष्ट तरीकों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के बारे में 1 मार्च 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अवैध भुगतान के बारे में प्राथमिक जांच कार्य किस तारीख को आरंभ किया गया था, और

(ख) केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उद्योग मंत्री को यह किस तिथि को बताया था कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अथवा उसके अधिकारियों ने लिबिया तथा सउदी अरब के साथ हुये करारों के लिये कोई अवैध भुगतान नहीं किया था ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 27-8-1977 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा अन्यों के विरुद्ध 3 आरोपों के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था । इनमें से पहले दो आरोप लिबिया तथा मलेशिया में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ठेकों के संबंध में कथित अवैध भुगतान किए जाने के बारे में थे । प्रारंभिक जांच के दर्ज किए जाने के बाद भारी उद्योग के सचिव ने पहले दो आरोपों के संबंध में कुछ बातों को स्पष्ट किया और उसके बाद यह निर्णय किया गया कि फिलहाल जांच केवल आरोप संख्या 3 के संबंध में की जाएगी । उपर्युक्त बातों को देखते हुए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 24-11-1977 को उद्योग मंत्रालय को सूचित किया कि वे पहले दो आरोपों के संबंध में कोई जांच नहीं कर रहे हैं ।

COMMITTEE APPOINTED TO ASCERTAIN STATEWISE NUMBER OF S.C. AND S.T.

4721. SHRI LALJI BHAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have recently taken a decision and appointed a committee to ascertain the state-wise number of Scheduled Castes and Tribes and also the actual number of such persons;

(b) if so, the progress actually made by the Committee in this regard; and

(c) the time by which this Committee will submit its final report ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) No, Sir.

(b) and (c) In view of (a) above, the question does not arise.

मिनी कम्प्यूटर नीति

4722. **श्री पी० एस० रामलिंगम :** क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनाई गई बताई जाने वाली मिनी कम्प्यूटर नीति का विवरण क्या है; और

(ख) बड़े तथा लघु क्षेत्रों के बीच उसके निर्माण का प्रस्तावित विवरण क्या है?

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) इसके विकास के लिए सरकार की नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा उसकी शीघ्र ही घोषणा कर दी जाएगी ।

CONFERENCE ON PROBLEMS OF EXPLOITED SECTIONS

4723. SHRI ROOP NATH SINGH YADAV : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to hold in the near future a conference to go into the problems of the exploited sections of society and to find solution thereof like the All India, Official Languages Conference held in Delhi during this month; and

(b) if so, when and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) No, Sir.

(b) The Government are aware of the problems of the weaker sections of the society and these are kept under constant review.

पुराने जहाजों तथा मालवाही जहाजों का खरीदा जाना

4724. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के बौरान 140000 जी० आर० टी० के 18 पुराने जहाजों तथा मालवाही जहाजों को खरीदा गया है;

(ख) यदि हां, तो पुराने जहाजों तथा मालवाही जहाजों को खरीदने के क्या कारण है; और

(ग) पुराने माल की खरीद के परिणामस्वरूप कितनी राशि की बचत हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) चालू वित्त वर्ष में लगभग 1,20,000 जी० आर० टी० के 13 बरते हुए लाइनर और भारी मालवाहक जहाज प्राप्त किए गए हैं ।

(ख) और (ग) बरते हुए, जो काफी दिनों तक चलते हैं की खरीद में अपेक्षाकृत कम पूंजी लगती है । इन जहाजों से भी तुरन्त लाभ मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि ये सीधे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा, इस समय बरते हुए जहाजों की कीमतें चिताकर्षक है । परन्तु समस्त बचत की प्रमात्रा बताना कठिन है क्योंकि यह जहाज के प्रकार, भाड़ा मारकेट हालात इत्यादि जैसी अनेक बातों पर निर्भर करता है । लेकिन फायदा जहां तक धन लगाने का प्रश्न है 40 से 60 प्रतिशत के बीच होने का अंदाजा है ।

आनन्द मार्ग पर लगाये गये आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिये प्रस्ताव

4725. **श्री टी० ए० पाई** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आनंद मार्ग के उस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन पर जो आरोप लगाये हैं ये उनकी जांच कराने के लिये तैयार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सरकार ने एक प्रैस रिपोर्ट देखी है कि आनन्द मार्ग हिंसा तथा तोड़फोड़ के हाल की वारदातों में उसका हाथ होने संबंधी आरोप की न्यायिक जांच का स्वागत करेगा और वह ऐसी जांच का विरोध नहीं करेगा क्योंकि इससे असली अपराधियों का पता लग सकेगा ।

(ख) हिंसा तथा तोड़फोड़ की घटनाओं के बारे में विशिष्ट मामले चलाए गए हैं । इन घटनाओं में आनन्द मार्ग का हाथ होने का निर्णय जांचपड़ताल तथा बाद के मुकदमों के परिणाम से किया जा सकेगा । इस समय इस मामले में कोई आम तहकीकात आवश्यक नहीं समझी जाती है ।

अन्दमान द्वीप समूह से बरामद गोला बारूद

4726. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अन्दमान द्वीप समूह से बड़ी मात्रा में गोला-बारूद, जिसमें खतरनाक बम भी शामिल है, बरामद हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस प्रकार का गोला-बारूद भूमि में दबाया गया था;

(ग) उसे निकालने पर कितनी धन-राशि व्यय की गई; और

(घ) क्या सरकार ने गोला बारूद के बारे में कोई जांच की है, यदि हां, तो उसे वहां किसने दबाया था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (घ) पोर्ट ब्लेयर के निकट अगस्त, 1977 में वर्षा ऋतु के दौरान भू-स्खलन के बाद गोलाबारूद का एक ढेर देखा गया जिसमें जापान के पुराने बम थे । अभी तक वहां खुदाई प्रारम्भ नहीं की जा सकी है क्योंकि गोलाबारूद हटाने से पूर्व कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है । बमों का निपटान करने वाली सेना की यूनिट गोला बारूद का निपटान करने म लगी हुई है ।

आन्ध्र में चूना पत्थर पर आधारित सीमेंट संयंत्र की स्थापना

4727. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के भारतीय सीमेंट निगम में सीमेंट संयंत्र स्थापित करके आंध्र में चूना पत्थर के निक्षेपों का उपयोग करने के लिये योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) भारतीय सीमेंट का, येरगुन्तला, तेंदू और अदिलाबाद में चार-चार लाख मी० टन क्षमता के तीन सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । येरगुन्तला परियोजना पर कार्य चल रहा है किंतु तेन्दूर और अदिलाबाद की दो परियोजनाओं में कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है । येरगुन्तला, तेन्दूर

और अदिलाबाद की इन तीनों परियोजनाओं की स्वीकृत परियोजना लागत क्रमश: 1542 लाख रु०, 1683 लाख रु० और 1603 लाख रु० है ।

दूर तक मार करने वाले लड़ाकू विमान की खरीद

4728. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा सेवाओं के लिए दूर तक मार करने वाले लड़ाकू विमानों की खरीद के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी बातें क्या हैं और ऐसे विमान का नमूना भारत में ही विकसित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) इस तरह के विमान खरीदने के बारे में सिद्धांत: निर्णय कर लिया गया है । हमारे जो दल अन्वेषणात्मक विचार-विमर्श के लिए स्वीडन, फ्रांस और ब्रिटेन के दौरे पर गए हुए थे वे हाल ही में वापस आए हैं । उनकी रिपोर्टों पर विचार करने के बाद सरकार अन्तिम निर्णय लेगी ।

जापान शिपयार्ड से जहाजों की खरीद

4729. **श्री विनोद भाई शेठ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में कितने जहाज खरीदे गए थे;

(ख) इनमें से कितने जहाज जापान से खरीदे गए थे;

(ग) जापान से कितने शिपयार्डों ने जहाज भारत को सप्लाई किए हैं;

(घ) क्या जापान से खरीदे गए जहाज केवल एक शिपयार्ड के ही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो एक ही शिपयार्ड को संरक्षण देने के लिए कौन-कौन से मानदंड लगू किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) 157 ।

(ख) 16

(ग) 5

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों को मूल्य बढ़ाने के विरुद्ध चेतावनी देना

4730. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज निर्माताओं को चेतावनी दी है कि यदि वे मूल्यों को बढ़ाने का प्रयास जारी रखते हैं और कुछ किस्मों के उत्पादन पर रोक लगा कर कृत्रिम कमी

उत्पन्न करते हैं तो सरकार को उद्योग पर अंकुश लगाने के लिये कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी;

(ख) इस चेतावनी के प्रति कागज उद्योग की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) कागज उद्योग को दी गई उपरोक्त चेतावनी के बाद स्थिति में किस सीमा तक सुधार हुआ है; और

(घ) सरकार की इस चेतावनी पर कागज उद्योग द्वारा कोई ध्यान न दिये जाने की स्थिति में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) कागज की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, सरकार उद्योग को किसी पर्याप्त औचित्य के बिना कीमतों में एक पक्षीय वृद्धि करने से निरुत्साहित करती रही है। सरकारी परामर्श के बिना कुछ मिलों द्वारा कीमतों में की गई वृद्धि के बारे में सरकार की अप्रसन्नता कागज उद्योग को जनवरी, 1978 में आयोजित बैठक में बताई गई थी। काफी हद तक उद्योग ने सरकार के निदेशों का पालन किया है । किन्तु कुछ मिलों ने कीमतों में वृद्धि की है और इस मूल्य को उचित प्रमाणित करने की कोशिश की है ।

(घ) कागज (उत्पादन विनियमन) आदेश, 1978, 8 मार्च, 1978 को जारी किया जा चुका है उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी है कि 25 मी० टन प्रतिदिन तथा उससे अधिक अधिष्ठापित क्षमता वाली पेपर मिल अपने कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत तक व्हाईट प्रिंटिंग पेपर का उत्पादन करेंगे । तथा लिखाई एवं छपाई की 5 अन्य सामान्य किस्मों (क्रीमलेड अथवा वोव, रंगीन छपाई का कागज, डुप्लिकेटिंग कागज, आफसेट या लीथो कागज तथा टाइपिंग कागज) के कुल उत्पादन का कम से कम 33 प्रतिशत तक उत्पादन करेंगे जिसमें क्रीमलेड अथवा वोव पेपर 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा। इससे यह आशा की जाती है कि साधारण प्रयोग में आने वाली कागज की किस्मों की उपलब्धता में वृद्धि होगी तथा इसके फलस्वरूप मूल्य स्थिति में भी सुधार होगा ।

अग्रेतर विनियमन अभ्युपाय तथा आयात करने की संभावना के प्रश्न पर वर्तमान आदेश के परिणाम देखकर विचार किया जाएगा ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटना

4731. **श्री प्रद्युम्न बल :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में कार दुर्घटनाओं की संख्या सबसे अधिक है;

(ख) दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में कुल कितने व्यक्ति मारे गये;

(ग) उनमें से कितने-कितने व्यक्ति कार, बस और ट्रक दुर्घटनाओं में मारे गये;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कार दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं, अथवा किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) वर्ष, 1978 के दौरान दिल्ली में सड़क दुर्घटना में 694 व्यक्ति मारे गये ।

(ग) कारों, बसों तथा ट्रकों द्वारा दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

कार—65।

बस—219।

ट्रक—240।

(घ) यातायात दुर्घटनाओं के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) मोटर वाहनों की संख्या में असाधारण वृद्धि ।

(2) परिवहन का विविध प्रकार ।

(3) अन्धाधुन्ध व लापरवाही से वाहन चलाना ।

(ङ) दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की तेज गति एवं लापरवाही को एकाएक चैक करना ।

(2) पिए हुए ड्राइवरों का पता लगाने तथा सजा देने के लिए एकाएक चैक करना ।

(3) सड़क सुरक्षा के लिए वृहत शिक्षा अभियान चलाया गया है ।

(4) माल लादने, उतारने और वाहन ठहराने तथा एकतरफा प्रवेश के लिए कुछ सड़कों पर रोक लगाई जा रही है ।

(5) सड़कों को चौड़ा करने व सुधारने तथा अधिक साईकिल पथ बनाने लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

PREPARING TEXT BOOKS FOR HINDI TEACHING SCHEME

4732. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA
SHRI ROOP NATH SINGH YADAV } :Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any Committee was formed for preparing text books for Hindi Teaching Scheme;

(b) if so, the reasons for not giving honorarium to the employees who have actually prepared these text books;

(c) whether such an honorarium was given to the Member Secretary of the Review Committee of Hindi Teaching Scheme;

(d) the functions of the Deputy Secretary-in-charge of the scheme;

(e) whether an honorarium has ever been sanctioned to the officers working on this post; and

(f) if so, the expenditure thus incurred by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) Yes, Sir. A Committee was formed in 1965 for preparing text books for Hindi Teaching Scheme under the Chairmanship of Shri Ramdhari Singh Dinkar, Hindi Adviser to Government of India.

(b) The matter has become very old. Government files are kept for a prescribed period according to their importance. It is seem from the files available that the question of giving honorarium to the employees who had prepared the material for the text books had not been considered.

(c) Yes, Sir. A Committee to review the Hindi Teaching Scheme was constituted in September, 1973 and an honorarium of Rs. 1000/- was paid to its Member-Secretary.

(d) The Deputy Secretary-in-charge of the Hindi Teaching Scheme, being its head, looks after its administrative, educational and policy matters.

(e) Yes, Sir. A Deputy Secretary holding this post was paid an honorarium from 1-2-73 to 30-11-73. This honorarium was paid to him for working as an Officer-in-overall charge.

(f) A sum of Rs. 800/- was given as honorarium @ Rs. 80/- per month.

THEFT CASES IN PORTS

†4733. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the number of theft cases in various ports in the country during 1977;

(b) the value of goods stolen and amount paid as compensation; and

(c) the arrangements made to check such theft cases ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) and (b) The position regarding the number of theft cases at the major ports in the country during 1977 is geiven below :—

Port	No. of cases of theft/ pilferage	Value of goods stolen Rs.
Bombay	158	20,06,628·00
Calcutta	355	Not available
Madras	63	12,312·00
Cochin	14	6,885·00*
Vizag	249	19,900·00
Kandla	Nil	Nil
Paradip	23	51,059·00
Mormugao	Nil	Nil
Tuticorin	6	899·10
Mangalore	Nil	Nil

*(For 10 cases only)

Under the Major Port Trusts Act ,1963, a Port is not responsible for loss of goods of which it has taken charge, unless notice of such loss has been given within the prescribed period of the date of the receipt given for the goods. In certain cases the stolen goods are recovered by the efforts of Police/security staff.

The amount paid as compensation in respect of various ports in the country during 1977 is given below :—

Port	Amount paid as compensation Rs.
Bombay	Nil
Calcutta	28,758·60
Madras	Nil
Cochin	Nil
Vizag	Nil
Kandla	Nil
Paradip	Nil
Tulicorin	Nil
Mangalore	Nil
Mormugao	Nil

(c) This is a continuous process. Measures such as induction of Central Industrial Security Force, enclosing docks area by high boundary walls, regulating entry through gate passes, keeping strict vigilance over activities, maintaining the police patrols in the area, etc. have been taken to prevent thefts in the Ports.

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, अखिल भारतीय सेवाओं का समाप्त किया जाना

4734. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके ब्यौरेवार कारण क्या हैं और उन पर केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा भेजे गए ज्ञापन की एक प्रति, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया है, अतारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर में 22 फरवरी, 1978 को सदन के पटल पर रख दी गई थी ।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया उपर्युक्त सुझाव केंद्रीय सरकार को मान्य नहीं है ।

कर्नाटक में रायचूर जिले में तापीय बिजली परियोजना

4735. **श्री राजशेखर कोलूर :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में रायचूर जिले में तापीय बिजली परियोजना सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि लगाई गई और लगाए जाने का प्रस्ताव है और परियोजना के पूरे होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) मैसर्ज मैसूर विद्युत निगम, बंगलौर ने कर्नाटक राज्य में रायचूर में 210-210 मेगावाट की दो यूनिटें प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव भेजा है । सरकार परियोजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(ख) और (ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत 159.25 करोड़ रुपए है । व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने तथा अन्य विविध मामलों पर दिसम्बर, 1977 तक 1.5 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी । व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार पहली यूनिट को 1983-84 में तथा दूसरी यूनिट को 1984-85 में चालू करने का कार्यक्रम है ।

कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिये मुख्य मंत्रियों को आमंत्रण

4736. **श्री के० बी० चेतरी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए दिल्ली में किन-किन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में मुख्य मंत्रियों की उपस्थिति का लाभ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के साथ 19 मार्च, 1978 को उर्दू के संबंध में सरकारी नीति के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अनौपचारिक बैठक की व्यवस्था करने तथा इन राज्यों में विधि और व्यवस्था तथा प्रशासन की कुछ वर्तमान समस्याओं पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए भी उठाया गया था ।

हिमालचल प्रदेश में भाखड़ा बांध जलाशय क्षेत्र से विस्थापित परिवार

4737. **श्री रणजीत सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध जलाशय क्षेत्र में विस्थापित कुल कितने परिवारों को हरियाणा में बसाने का विचार है;

(ख) उनमें कितने परिवार वास्तव में हरियाणा में अब तक बसाए जा चुके हैं ;

(ग) क्या भाखड़ा बांध जलाशय क्षेत्र विस्थापित 70 प्रतिशत से अधिक परिवारों को 5 एकड़ से कम भूमि दी गई है जबकि पोंग बांध से विस्थापित प्रत्येक परिवार को 16 एकड़ भूमि दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भाखड़ा बांध से 2180 परिवार विस्थापित हुए थे और उन्हें हरियाणा में पुनः बसाया गया था ।

(ग) पुनः बसाए गए 2180 परिवारों में से, 1411 अर्थात् लगभग 65% परिवारों को हरियाणा में 5 एकड़ से कम भूमि आबंटित की गई थी ।

(घ) भाखड़ा बांध के विस्थापितों को भूमि भाखड़ा पुनर्वास समिति द्वारा आबंटित की गई थी । इस समिति में अधिकारों और विस्थापितों के प्रतिनिधि समेत गैर-अधिकारी सदस्य शामिल थे। विस्थापितों को भूमि के आबंटन का निर्धारण करने के लिए समिति द्वारा तैयार किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह व्यवस्था थी कि किसी भी विस्थापित को उसके द्वारा पहले जोती गई भूमि से कम भूमि नहीं दी जाएगी बशर्ते कि किसी को 25 एकड़ से अधिक भूमि आबंटित नहीं की जाएगी ।

पोंग बांध के विस्थापितों के संबंध में राजस्थान नहर क्षेत्र में विस्थापितों के पुनः बसाने के लिए मुख्य मंत्रियों की समिति को 3/4 सितम्बर, 1976 को हुई बैठक में यह निर्णय

लिया गया था कि राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में जाने वाले सभी विस्थापितों को प्रति परिवार 15.625 एकड़ लाभकर और गुजारे योग्य भूमि दी जाएगी।

मैसर्स लार्सेन एण्ड टुबरो द्वारा किया गया कारोबार

4738. **श्री राममेश्वर पाटीदार** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 और 1976-77 में, वर्षवार, मैसर्स लार्सेन एण्ड टुबरो द्वारा कुल कितना कारोबार किया गया ;

(ख) इन वर्षों में उन्होंने कुल कितना मुनाफा कमाया; और

(ग) इन वर्षों में उन्होंने कुल कितना कर अदा किया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) 31 मार्च, 1976 तथा 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्षों के लिए मैसर्स लार्सेन एण्ड टुबरो के लाभ तथा हानि लेखा के अनुसार उत्पादन शुल्क को छोड़कर वर्ष 1975-76 में कम्पनी को बिक्री तथा सर्विसिंग से 69.82 करोड़ रु० तथा 1976-77 में 78.12 करोड़ रु० की कुल आय हुई थी। इन दो वर्षों में कमीशन, मुआवजा तथा सर्विस शुल्क सहित कम्पनी की अन्य आय क्रमशः 2.31 करोड़ रु० तथा 3.30 करोड़ रु० हुई थी। इस प्रकार 1975-76 में कम्पनी को कुल आय 72.13 करोड़ रु० तथा 1976-77 में 81.42 करोड़ रु० हुई थी।

कम्पनी को कर से पूर्व हुआ लाभ और विकास के लिए छूट रिजर्व और निवेश के लिए अतिरिक्त कुल राशि 1975-76 और 1976-77 में क्रमशः 8.62 करोड़ रु० और 12.75 करोड़ रु० थी।

कम्पनी द्वारा वर्ष 1975-76 में कुल 4.55 करोड़ रु० तथा 1976-77 में 6.40 करोड़ रु० के करों का प्रावधान किया गया था।

बड़े उपक्रमों का बन्द किया जाना

4739. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरी निगम के कुछ संयंत्र अभी तक बंद पड़े हुए हैं :

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इस समय 50 प्रतिशत अधिक क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के तीन इंजीनियरी एकक हैं, अर्थात् हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एच० एम० बी० पी०), हैवी मशीन टूल्स प्लांट (एच० एम० टी० पी०) और फाउंड्री फोर्ज प्लांट (एफ० एफ० पी०) अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि में यद्यपि एच० एम० बी० पी० में क्षमता का उपयोग 50% अधिक हुआ था लेकिन एच० एम० टी० पी० और एफ० एफ० पी० में क्षमता का उपयोग 50% से कम हुआ था। अनेक कारणों से इन संयंत्रों में क्षमता का कम उपयोग हुआ है,

जिनमें वर्ष के प्रारम्भिक भाग में औद्योगिक संबंधों में बिगाड़, वर्ष भर बिजली की अनियमित सप्लाई, कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों में खराबी और एच० एम० बी० पी० द्वारा निर्मित किए जा रहे मशीनी औजारों की मांग में गिरावट सम्मिलित है।

THERMAL AND HYDRO-ELECTRIC POWER GENERATION IN M. P.

†4740. SHRI SUBHASH AHUJA
SHRI MOHAN BHAIYA } : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the combined thermal and hydro-electric power generation capacity of Madhya Pradesh and the estimated capacity thereof in 1983-84;

(b) whether after utilization of the full capacity of generation units the combined capacity is far less than the normal requirement;

(c) the details of the hydro-electric projects proposed to be sanctioned for Madhya Pradesh;

(d) whether any special financial assistance has been provided for such projects; and

(e) if so, the amount thereof ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) The combined thermal and hydro-electric power generation capacity of Madhya Pradesh is 1012.5MW including the shares of Madhya Pradesh in the Satpura Thermal Power Station and the Hydro Power Stations in the Chambal Valley. On the basis of benefits from ongoing and recently sanctioned power generation schemes in the state sector, the installed generating capacity in the state would increase to about 2599 MW by 1983-84. Government has recently approved establishment of the first phase of the Korba Super Thermal Power Station with an installed capacity of 1100 MW in the central sector. A capacity of 600 MW is expected to be commissioned by 1983-84 under this project. A share will be available to Madhya Pradesh from this projects also.

(b) The projections of demand for power in the state would have to be reviewed in the context of the strategy to be adopted for overall economic development in the next five year plan and the adequacy of power on the basis of benefits from ongoing and sanctioned schemes in the state and share from the central sector power station at Korba would have to be examined. It is expected that by and lare the state would be self-sufficient in power by 1983-84.

(c) There are two schemes, namely (i) Bansagar Multi-purpose Project with an installed capacity of 455 MW and (ii) Bodghat Hydro Electric Project with an installed capacity of 500 MW received from Madhya Pradesh authorities for techno-economic approval by the Central Electricity Authority and Central Water Commission.

Besides, the Madhya Pradesh authorities had earlier submitted project reports on some hydro-electric schemes in Narmada Basin, *i.e.* (i) Punasa (Narmadasagar), (ii) Omkareshwar (iii) Maheshwar (iv) Harinphal (v) Bargi etc. Since the rights to the use of Narmada Waters are under adjudication, these schemes can be processed after an award is given by the Narmada Water Disputes Tribunal.

(d) & (e) Apart from the normal central financial assistance given to the State for implementing its plan schemes, there is no separate proposal at present for giving any special financial assistance for these projects.

OPERATION OF DELHI SATELLITE T.V. CENTRE ON PERMANENT BASIS

4741. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state the reasons why arrangements are not being made to operate Delhi Satellite Television Centre from Delhi on permanent basis when it is important and necessary to operate it at Central level ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : The Base Production Centre Delhi was established as a purely temporary set-up during the SITE Experiment which ended on 31st July, 1976. Subsequently, Government decided to provide continuity to the service on terrestrial basis to the areas originally covered by SITE. The Base Production Centre Delhi has to provide programme of 2½ hours duration each to Jaipur and Raipur transmitting Centres as also to the Muzaffarpur transmitting centre which will be commissioned shortly. Programme output of this magnitude (7½ hours) daily is not possible from a single Studio.

It has further been established that if "local content" is to be reflected in the programme it is necessary that the transmitting and the Base Production Centre should be sited at the same place. The question of co-siting the Production and Transmitting Centres in SITE-Continuity areas is already under consideration.

बालाघाट, मध्य प्रदेश में एक कागज के कारखाने की स्थापना

4742. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बांस की बहुतायत है और वहां कागज का कारखाना बड़ी सरलता से स्थापित किया जा सकता है ;

(ख) क्या वहां कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कागज का कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है अथवा उसे इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) यह पता चला है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में बांस अधिकता से उपजता है इसका उपयोग कागज तथा गत्ता तैयार करने के लिए किया जा सकता है।

(ख) बालाघाट जिले में कागज का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) बालाघाट जिले में विभिन्न प्रकार के कागज तैयार करने के लिए प्रतिवर्ष 45,000 मी० टन की क्षमता वाले एक उपक्रम की स्थापना के लिए एक आशय-पत्र जारी किया जा चुका है और लाइसेंस जारी करने पर विचार कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता तथा मध्य प्रदेश में वर्तमान मिलों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

EXAMINATION FOR APPOINTMENT OF HINDI OFFICERS

4743. SHRI RAMJIWAN SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Union Public Service Commission held an examination in 1969 for appointment of Hindi Officers;

(b) if so, whether it is a fact that result thereof has not been declared so far;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to hold another examination for Hindi Officers and if so, whether it is proposed to hold this examination before the result of the last examination is declared ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Employees of the Subordinate Officers were not eligible for taking the examination conducted by the Union Public Service Commission. An employee of a Subordinate office filed a writ petition in the High Court against this restriction which was upheld. The Department of Personnel have submitted an application to file an appeal in the Supreme Court against the judgment of the High Court, which is still pending and due to this the Union Public Service Commission have not declared the results of the examination.

(d) The Government is formulating a "Central Secretariat Official Language Service" Cadre for Hindi Officers, which will consider some points relating to holding Examination for selection.

सुवर्ण रेखा पर पुल बनाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार का केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध

4744. **श्री रोबिन सेन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री ने योजना आयोग को पत्र लिखा है जिसमें केन्द्रीय सरकार से कुटीघाट-मिदनापुर में सुवर्ण रेखा पर पुल के निर्माण के लिए 2.50 करोड़ रुपयों की केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि पुल बनने के बाद राज्य सड़क पर पड़ेगा अतः राज्य सरकार इससे संबंधित है। वास्तव में, इसे पहले ही राज्य योजना में शामिल कर दिया गया है और 1977-78 के राज्य योजना प्रस्तावों के अनुसार इस कार्य पर कुछ व्यय किया जा चुका है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि यदि वे इस कार्य को ऊंची प्राथमिकता देते हैं तो वे राज्य योजना में उपयुक्त परिव्यय की व्यवस्था पर विचार करें। विशेष कर राज्य सरकार द्वारा शुरू में प्रस्तावित 7.62 करोड़ रुपये की तुलना में राज्य योजना में अब व्यवस्था की गई राशि 8.78 करोड़ रुपये है।

तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिये आयु सीमा

4745. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश और बिहार ने तीसरी और चौथी श्रेणियों के पदों पर भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर क्रमशः 28 वर्ष और 30 वर्ष कर दिया है :

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीयकृत बैंकों में इन सेवाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा अब केवल 25 वर्ष है :

(ग) क्या सरकार का विचार उस सीमा को बढ़ाकर यदि 30 नहीं तो 28 वर्ष करने का है जिस ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को फ़ायदा हो सके ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) बिहार सरकार ने दिसम्बर, 1979 तक के लिए सभी वर्गों के पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में अस्थायी रूप से तीन वर्ष को वृद्धि कर दी है राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए, चतुर्थ श्रेणी पदों को छोड़कर, जिनके लिए राज्य सरकार ने कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं की है, ऊपरी आयु सीमा को 28 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा, सामान्यतया विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए 24 वर्ष से 30 वर्ष के बीच अलग-अलग होती है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 25 वर्ष से 28 वर्ष के बीच अलग-अलग होती है, जबकि अन्य निम्नतर वर्गों के कर्मचारियों के लिये यह ऊपरी आयु सीमा 23 से 45 के बीच अलग-अलग होती है।

(ग) तथा (घ) विद्यमान आयु सीमाओं में कोई परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि केन्द्रीय सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमाएं विभिन्न संगत कारकों, विशेषकर उस सेवा/पद के लिए अपेक्षित अर्हता तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर निर्धारित की जाती है। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार व्यक्तियों की सेवाएं ऐसी आयु पर प्राप्त कर सकें, जो संबंधित सेवा/पद के लिये सर्वाधिक उपयुक्त हो।

ILLEGAL MINING OF COAL

4746. SHRI L. L. KAPOOR : Will the Minister of ENERGY be pleased to state whether it is a fact that coking coal is mined illegal and sold in markets and thus Steel Plants of the country face difficulties ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : According to the information received from the State Government, illegal mining operations have stopped but it is possible that there might be a few cases of illegal mining escaping the knowledge of the authorities. No difficulty has, however, been caused to the steel plants on account of this.

SUPPLY OF POWER TO INDUSTRIES

†4747. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether it has been pointed out in the Economic Review, 1977-78 that industrial production has declined in 1977-78 due to power shortage and if so, the names of the power deficit States;

(b) the measures being taken by Government to check wastage of power used for domestic purpose; and

(c) whether Government have formulated by national policy to supply power to various fields of economy and industries and if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) Yes, Sir. Shortage of power has been indicated as one of the reasons for decline in industrial production in some areas. The following States have notified power cuts/restrictions at present :

1. Uttar Pradesh
2. Rajasthan
3. J & K
4. Delhi
5. Maharashtra
6. Madhya Pradesh
7. Karnataka
8. West Bengal
9. Assam
10. Goa.

(b) The domestic consumers generally use power whenever required. General instructions and guidelines have been issued by State Electricity Boards to discourage wasteful and ostentatious use of electricity in States where there are power shortages. Restrictions on use of electricity by domestic consumers for such uses as air-conditioning, neon lights etc. have also been imposed in some States experiencing serious power shortage.

(c) The Government has been taking both long-term and short-term measures to ensure adequate supply of power to various fields of economy and industry. In the short-term programme, the main thrust is on maximising the utilisation of existing capacity and expediting the commissioning of the on-going projects. In the long-term, the Government proposes to add 18500 MW of additional generating capacity during the 5 year Plan period 1978-83.

दिल्ली नगर निगम द्वारा पारित संकल्प

4748. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर निगम द्वारा पारित कुछ संकल्प मंजूरी के लिए प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इस बारे में दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष से उन्हें कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त प्रस्तावों को इस बीच अपनी मंजूरी दे दी है ;

(ङ) यदि हां, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो उनके प्रस्तावों को स्वीकार न करने के लिए दिल्ली नगर निगम को सरकार ने क्या कारण दिए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिपुरा के लिये वार्षिक योजना नियतन में कटौती

4749. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा की जनता योजना में योजना के लिए राज्य सरकार की 32.30 करोड़ रुपयों के नियतन की मांग को घटाकर 22.70 करोड़ रुपए करने पर व्यापक असंतोष के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस कटौती के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार यह नहीं मानती कि त्रिपुरा जैसे पिछड़े हुए राज्यों के विकास के लिए विशेष ध्यान देना अनिवार्य है ?

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी, नहीं। त्रिपुरा की 1978-79 की वार्षिक योजना को योजना आयोग द्वारा मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श करके 22.70 करोड़ रु० पर अंतिम रूप दिया गया था। 1978-79 के परिव्यय में 1977-78 के अनुमोदित परिव्यय से 43.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य के 1978-79 के लिए अपने निवल संसाधन ऋणात्मक हैं, अर्थात् 5.87 करोड़ रु० कम हैं।

(ग) त्रिपुरा की विशेष समस्याओं और उसके पिछड़ेपन को मानते हुए, सरकार ने केन्द्रीय सहायता की एक विशेष रूप से उदार स्कीम की व्यवस्था पहले ही कर रखी है जिसके अन्तर्गत राज्य के संसाधनों और उसकी योजना के बीच के अंतर को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता के रूप में पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी परिषद् की एक घटक इकाई के रूप में त्रिपुरा को उत्तर-पूर्वी परिषद् द्वारा चलाई जाने वाली क्षेत्रीय महत्व की परियोजनाओं/स्कीमों से भी लाभ पहुंचता है।

योजना संबंधी विकास नीति में परिवर्तन

4750. **डा० बापू कालदाते :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना की विकास नीति में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विकास दर के नये लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) क्या योजना अवधि में अपेक्षाकृत बड़े उद्योगों को स्थगित रखा जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1978—83 की पंचवर्षीय योजना के प्ररूप में, पूर्ण रोजगार, गरीबी के उन्मूलन और अधिक समान समाज के निर्माण के उद्देश्यों की दिशा में पर्याप्त प्रगति प्राप्त करने की दृष्टि से एक नई विकास नीति प्रस्तावित की गई है ।

(ख) योजना के प्रारूप में 4.7 प्रतिशत वृद्धि दर की परिकल्पना है। निर्धारित की गई वार्षिक वृद्धि दर कृषि के लिए 3.98 प्रतिशत, उद्योगों और खनिजों के लिए 6.9 प्रतिशत, बिजली के लिए 10.80 प्रतिशत, निर्माण के लिए 10.55 प्रतिशत, परिवहन के लिए 6.24 प्रतिशत और अन्य सेवाओं के लिए 6.01 प्रतिशत है।

(ग) जी, नहीं। योजना के प्रारूप में, योजना के उद्देश्यों के अनुरूप बड़े और मध्यम उद्योगों के पर्याप्त विकास के लिए व्यवस्था है।

भारतीय रूई निगम द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम (पूर्वी क्षेत्र) को उधार पर रूई की सप्लाई

4751. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी 1978 से भारतीय रूई निगम ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम को उधार पर रूई देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम भारतीय रूई निगम को देय लगभग 6 करोड़ रुपयों के भुगतान में विलम्ब कर रहा है।

(ग) यदि हां, तो देय राशि का भुगतान न करने के बारे में ब्यौरा तथा कारण क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम (पूर्वी क्षेत्र) के उच्च अधिकारियों और गैर-सरकारी रूई सप्लाईकर्ताओं ने मिलकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का षड़यंत्र रचा है जिस भारतीय रूई निगम को उधार पर रूई की सप्लाई बन्द करने को विवश होना पड़ और तब यह अवसर गैर-सरकारी सप्लाईकर्ताओं को प्राप्त हो जाये; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) भारतीय रूई निगम को अक्तूबर/नवम्बर 1977 में लगभग 6 करोड़ रु० की राशि का भुगतान किया जाना था। अब यह घटकर लगभग 1.66 करोड़ रु० रह गई है ।

(घ) जी नहीं। इस शाखा ने अप्रैल, 1976 से निजी व्यापारियों से कोई रूई नहीं खरीदी है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

FINANCIAL ASSISTANCE TO NEWS AGENCIES

†4752. SHRI RAM SAGAR : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether any non-recurring grant is being given for the rehabilitation of various units of 'Samachar';

(b) if so, the amount being given to each unit and the criteria thereof; and

(c) in case the Press Trust of India or the United News of India start their service in the Indian languages, whether they will be given financial or other assistance as given to the 'Hindustan Samachar' or Samachar Bharti ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) and (b) Yes, Sir. The following one time non-recurring rehabilitation grant has been given to the four news agencies to cover expenses on advance rentals to hire accommodation, to purchase spares required for making the teleprinters operational, to pay advance rentals to the P & T Department etc. to enable the agencies to re-start operations :—

	(Rs. in lakhs)
P.T.I.	5·00
U.N.I. . . .	9·00
Hindustan Samachar	4·50
Samachar Bharati	3·25

(c) Government would be willing to consider financial help for such purposes.

पश्चिम बंगाल और केरल के हथकरघा उद्योग में संकट

4753. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल और केरल में हथकरघा उद्योग गम्भीर संकट का सामना कर रहा है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हथकरघा उद्योग को कुछ तात्कालिक सहायता देने प्रश्न पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) केरल सरकार ने 4.25 करोड़ रुपए मूल्य की हथकरघा वस्तुओं के इकट्ठा होने की सूचना दी है, जिसमें से हथकरघा बुनकरों के शीर्ष निकाय के पास 2.25 करोड़ रुपए मूल्य की और हथकरघा प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के पास 2.00 करोड़ रुपए मूल्य की हथकरघा वस्तुएं हैं जहां तक पश्चिमी बंगाल का संबंध है पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से गम्भीर समस्याओं की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने जैसा कि सभापटल पर रखे गए संलग्न विवरण में दिया गया है, केरल और पश्चिमी बंगाल सरकारों को पहले ही सहायता दे दी है।

विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	1977-78 के दौरान पश्चिमी बंगाल तथा केरल राज्यों को आवंटित की गई निधियां			
		पश्चिमी बंगाल		केरल	
		ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6
1.	गहन हथकरघा विकास परियोजना	—	—	26.25	11.28
2.	हथकरघा निर्यात उत्पादन परियोजना	—	—	7.50	2.50
3.	जनता कपड़ा योजना	—	22.05	—	31.81
4.	प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों के लिए अंश-पूंजी सहायता	10.00	—	23.50	—
5.	हथकरघा बुनकरों के शीर्ष निकायों के लिए अंश-पूंजी सहायता	20.00	—	10.00	—
6.	करघे से पूर्व और करघे के बाद की परिष्करण सुविधाएं	—	—	5.00	—
7.	राज्य हथकरघा निगमों के लिए अंशपूंजी सहायता	20.00	—	10.00	—
8.	हथकरघा कपड़े की बिक्री पर 20 प्रतिशत विशेष छूट योजना	—	13.49	—	35.64
9.	स्टाक की समाप्ति के लिए प्रारम्भिक समितियों से स्टाक खरीदने हेतु विशेष ऋण	75.00	—	125.00	—
	योग	125.00	35.54	207.25	81.20

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा ग्रामीण औद्योगिक केन्द्र आरम्भ किया जाना

4754. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विचार पिछड़े क्षेत्रों में 25 ग्रामीण औद्योगिक केन्द्र चलाने का है ताकि लोगों की दक्षता का पता चल सके और उन्हें पूर्ण रोजगार के लिए तैयार किया जा सके; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) लघु और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने पिछड़े क्षेत्रों में 25 ग्रामीण औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम फरवरी, 1978 से शुरू किया है । ये केन्द्र पहले मरम्मत और सर्विस केन्द्रों के रूप में संचालित होंगे तथा ग्रामीण कारीगरों और शिल्पियों को इस प्रक्रिया में प्रशिक्षण देंगे और ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे। एच० एम० टी० प्रत्येक केन्द्र को उपकरणों के रूप में एक लाख रुपये तथा परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करेगा। इन केन्द्रों की स्थापना राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जानी है जो शेष धन तथा उनके संचालन व प्रबंध के लिए अन्य निवेश भी प्रदान करेगी।

अश्लील फिल्म पत्रिकायें

4755. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ अवांछित तत्वों द्वारा निकाली जा रही अश्लील फिल्म पत्रिकाओं की ओर गया है; और

(ख) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) अश्लील प्रकाशनों को अभिनिषेध करने की शक्तियां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन केवल राज्य सरकारों में विहित हैं। भारतीय दंड संहिता के अधीन ऐसे अपराधों के लिए मुकदमें भी राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने होते हैं । इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है ।

POWER GENERATING BY CHANDRAPUR THERMAL POWER STATION

†4756. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether in spite of adequate supply of coal to the Chandrapur Thermal Power Station, only one boiler is functioning there and the other two boilers do not work;

(b) the total power generating capacity of the said station;

(c) the difficulties being faced in the power-generation to the full capacity; and

(d) the action being taken by Government to remove those difficulties ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) There are five generating units at Chandrapura Thermal Power Station in D.V.C. Three of them have been working satisfactorily. Two units were commissioned recently and have still not stabilised.

(b) the total installed generating capacity of the Chandrapura Thermal Power Station in D.V.C. is 660 MW.

(c) The power generation from the station was affected due to the prolonged outages of Unit No. 4 and 5 of 120 MW each. Both these units have been recommissioned.

(d) Necessary steps are being taken to improve the performance of these units. Multi-disciplinary teams consisting of representatives from BHEL, ILK, CEA etc. have been set up to visit power stations, identifying the problems and work out a time-bound programme for undertaking the modifications/improvements in the various units.

प्रतिक्रियावादी संगठनों पर प्रतिबन्ध

4757. **श्री सौगत राय** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन प्रतिक्रियावादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की सोच रही है, जो धर्म, जाति आदि के नाम पर सामाजिक जीवन में हिंसा उत्पन्न कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) की जाने वाली कार्यवाही की रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) किसी दल अथवा संगठन को जिसकी किसी गतिविधि को विधि विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन विधि विरोधी समझा जाता है, उस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबंधित किया जा सकता है । परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक उद्योगों को संकटग्रस्तता और अवरुद्ध विकास

4758. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कुटीर तथा लघु उद्योग मंत्री का यह वक्तव्य सही है कि सहायक उद्योगों की संकटग्रस्तता और अवरुद्ध विकास के लिये संगठित उद्योग जिम्मेदार थे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सहायक उद्योगों के स्वस्थ विकास को सुधारने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विभिन्न राज्यों में हरिजनों, गिरिजनों और आदिवासियों पर हुए हमले

4759. **श्री अमर सिंह वी० राठवा**
डा० बापू काल दाते
श्री ए० के० राय } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में हरिजनों, गिरिजनों और आदिवासियों पर मार्च, 1977 से अब तक हुए अनेक हमलों के बारे में छपी खबरों की ओर गया है और क्या सरकार को इस बारे में कई शिकायतें मिलीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने हमले हुए और राज्यवार कितने हरिजन, गिरिजन और आदिवासी मारे गए और ऐसे हमलों के क्या कारण थे ;

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को इस बारे में कोई निदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) सरकार को समय-समय पर प्रेस में प्रकाशित ऐसी रिपोर्टों की जानकारी है। परन्तु राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों द्वारा प्रेषित आंकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों (जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 15 प्रतिशत हैं) के विरुद्ध किए गए अपराधों की संख्या देश में किए गए अपराधों की कुल संख्या का 0.8 प्रतिशत से भी कम है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों (जो कुल जनसंख्या का लगभग 3.6 प्रतिशत है) के विरुद्ध किए गए अपराध देश में किए गए अपराधों की कुल संख्या का 0.1 प्रतिशत भी नहीं है।

2. यह विषय "लोक व्यवस्था" की परिभाषा के अन्तर्गत आता है जोकि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य का विषय है। ऐसे मामलों में वास्तविक कार्यवाही कानून के अन्तर्गत, संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा की जानी होती है। फिर भी केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ निकट का संपर्क बनाए रखती है और ऐसी घटनाओं के लिए उत्तरदायी मूल तत्वों को दूर करने तथा ऐसे मामलों में तुरन्त तथा कारगर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा समाज के कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से समय समय पर उनको सुझाव देती है।

3. राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या जो मार्च, 1977 से जनवरी, 1978 तक हत्या के शिकार हुए थे इस प्रकार हैं :—

राज्य	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
आंध्र प्रदेश	2	4
बिहार	15×	शून्य
गुजरात	20	51
हरियाणा	4*	शून्य
कर्नाटक	9	1
केरल	3*	शून्य
मध्य प्रदेश	39*	6*
महाराष्ट्र	14	7
उड़ीसा	शून्य	7
पंजाब	11@	शून्य
राजस्थान	9	11
तमिलनाडू	2	शून्य

राज्य	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूजित जनजातियां
उत्तर प्रदेश	138	शून्य
दादर व नगर हवेली	1	शून्य
पांडिचेरी	2	शून्य
शेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शून्य	शून्य

टिप्पणी : 1. *केवल सितम्बर, 1977 तक उपलब्ध आंकड़े ।

2. ×केवल अक्तूबर, 1977 तक उपलब्ध आंकड़े ।

3. @केवल नवम्बर, 1977 तक उपलब्ध आंकड़े ।

विदेशी प्रतिनिधि-मण्डल द्वारा भारतीय इंजीनियरिंग व्यापार मेले का दौरा

4760. **श्री उग्रसेन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों के प्रतिनिधि-मंडलों ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में लगे भारतीय इंजीनियरिंग मेले का दौरा किया; और

(ख) जिन देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने मेले का दौरा किया उनसे हुई व्यापार वार्ताओं का ब्यौरा क्या है, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने किन-किन क्षेत्रों में रुचि प्रकट की ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) उन देशों और संस्थाओं की एक सूची जिनके शिष्ट मंडलों/प्रतिनिधियों ने भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले का दौरा किया, अनुबंध-1 में दी गई है ।

(ख) विदेशों के साथ बातचीत से तय किए गए व्यापार कार्य को विस्तृत रूप से बताने वाला विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है। विदेशी शिष्ट मंडलों द्वारा विभिन्न उद्योगों में व्यापार के बारे में की गई पूछताछ की एक सूची अनुबंध-3 में दी गई है ।

विवरण - 1

1. आबु धाबी (संयुक्त अरब अमिरात)
2. अफगानिस्तान
3. अल्जीरिया
4. आस्ट्रेलिया
5. बहरीन
6. बंगलादेश
7. बेल्जियम
8. कनाडा
9. चीन
10. चैकोस्लोवाकिया
11. संघीय जर्मनी गणराज्य

12. घाना
13. गुयाना
14. हांग कांग
15. हंगरी
16. इंडोनेशिया
17. ईरान
18. ईराक
19. इटली
20. जापान
21. जोर्डन
22. लाइबेरिया
23. मलयेशिया
24. मैक्सीको
25. मंगोलिया
26. नेपाल
27. नीदरलैण्ड
28. नाइजेरिया
29. ओमान सल्तनत
30. पाकिस्तान
31. फिलिपाइन्स
32. सउदी अरब
33. सिंगापुर
34. श्रीलंका
35. सूडान
36. स्वीटजरलैंड
37. सिरिया
38. तंजानिया
39. थाइलैण्ड
40. उगांडा
41. संयुक्त अरब अमिरात
42. ब्रिटेन
43. संयुक्त राज्य अमेरिका
44. संघीय सोवियत समाजवादी गणराज्य
45. वेनेजुला

46. युगोस्लाविया
47. जैरे

उन संस्थाओं के नाम जिनके प्रतिनिधियों ने भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेला, 1978 का दौरा किया

48. एशियाई विकास बैंक (फिलिपाइन्स)
49. बिजनेस इंटरनेशनल (हांग कांग)
50. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (स्विटजरलैंड)
51. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएसए)
52. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (आस्ट्रिया तथा संघीय जर्मनी गणराज्य)
53. पुनर्निर्माण तथा विकास का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (वाशिंगटन, यूएसए)

विवरण-2

विदेशों के साथ बातचीत से तय किये गये व्यापार कार्य का विस्तृत ब्यौरा बताने वाला विवरण

उद्योग	देश	मूल्य (लाख रु० में)
वेल्डिंग	जैरे	20.76
वेल्डिंग	अन्य	0.70
इलेक्ट्रानिक/इंस्ट्रूमेंटेशन	बंगलादेश	0.05
लाइट इंजीनियरिंग	कनाडा	43.26
लाइट इंजीनियरिंग	संयुक्त अरब अमिरात	0.64
लाइट इंजीनियरिंग	जैरे	0.64
लाइट इंजीनियरिंग	अन्य	1.85
वातानुकूल/प्रशीतन	जैरे	57.14
भारी इंजीनियरी	अमेरिका	40.00
लघु उद्योग	आबु धाबी	0.002
लघु उद्योग	बंगलादेश	5.00
लघु उद्योग	गुयाना	0.01
लघु उद्योग	जैरे	39.80
	योग	209.852

विवरण–2

विभिन्न उद्योगों में विदेशी शिष्टमंडलों द्वारा किए गए व्यापार पूछताछ को बताने वाला विवरण

उद्योग	मूल्य (लाख रु० में)
वेल्डिंग	159.54
मोटरगाड़ी	54.63
मोटरगाड़ी/ सहायक	0.50
इलेक्ट्रानिक/इंस्ट्रूमेंटेशन	164.22
लाइट इंजीनियरिंग	188.44
वातानुकूल/प्रशीतन	0.70
भारी इंजीनियरी	1152.30
कम्प्रेशर्स	2.55
औद्योगिक मशीनें	366.52
मशीनी औजार	57.50
लघु उद्योग	56.53
योग	2203.43

जलयानों की खरीद के लिये ब्रिटिश जहाज निर्माताओं के दल से बातचीत

5761. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री के० ए० राजन : } क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहाजों की खरीद के लिए भारत आए ब्रिटिश जहाज निर्माता दल से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बातचीत के परिणामस्वरूप भारतीय नौवहन निगम ने ब्रिटिश जहाज निर्माता दल की अनेक जलयानों के लिए क्रयादेश दिए हैं ;

(घ) क्या विश्वमंडी में जहाजों के मूल्य तेजी से गिरते जा रहे हैं ; और

(ङ) यिदि हां, तो क्रयादेश इतनी जल्दी दिए जाने के क्या कारण हैं और प्रस्तावित खरीद की क्या शर्तें हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय युवा फैडरेशन तथा अखिल भारतीय छात्र फैडरेशन से ज्ञापन

6762. **श्री सी० के० चन्द्रणन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अखिल भारतीय युवा फैडरेशन तथा अखिल भारतीय छात्र फैडेरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान मंत्री से मिला है जिसमें उन्हें बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, मतदान आयु-सीमा कम करना, शिक्षा सुधारों के बारे में एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या है और उनके द्वारा उठायी गई समस्याओं के समाधान के लिये उन्होंने क्या प्रस्ताव रखे; और

(ग) सरकार ने उनकी मांगें पूरी करने के लिये तथा युवकों और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिये क्या कदम उठाये हैं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) इस ज्ञापन में कई आर्थिक मामले उठाये गये, जिनमें बेरोजगारी बढ़ने पर, खास-तौर से शिक्षित युवा वर्ग में विशेष जोर दिया गया। इस ज्ञापन में आर्थिक विकास तेज करने, कृषि उद्योग तथा कुटीर और लघु उद्योग पर आधारित औद्योगीकरण, भूमि सुधार को तेजी से लागू करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने, आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने, निरक्षरता दूर करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम, व्यवसाय उन्मुख शिक्षा तथा ग्रामीण इलाकों में समाज सेवा के विस्तार के महत्व पर जोर दिया गया।

(ग) इन और इनसे सम्बद्ध अन्य समस्याओं के मामले में कार्यक्रम और नीतियां 1978—1983 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में निर्धारित की गई हैं, जिस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने हाल में विचार विमर्श किया। इस दस्तावेज की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। सामान्य सूचना के लिये इसे जल्द प्रकाशित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल

4763. **श्री जगन्नाथ शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने सैनिक स्कूल हैं; और

(ख) क्या पौड़ी गढ़वाल में अदवानी और खिरशू स्थानों को ध्यान में रखते हुए सरकार का गढ़वाल में कुछ स्थानों का ऐसे स्कूलों की स्थापना के लिए सर्वेक्षण करने का विचार है?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश में दो सैनिक स्कूल हैं। नैनीताल जिले में घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल का संचालन रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा किया जाता है जबकि लखनऊ में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार करती है।

(ख) उत्तर प्रदेश में कोई और सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आपात-स्थिति में जेल गये कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

4764. **श्री वयालार रवि** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह अनुदेश दिया है कि उन लोगों को पूरा वेतन दिया जाये, जो आपात स्थिति में जेलों में थे;

(ख) यदि हां, तो क्या गिरफ्तार किए गए नक्सलवादियों को भी इस सूची में सम्मिलित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने के अधिनियम (मीसा) के अधीन बन्दी बनाए जाने की अवधि के दौरान निलम्बन की अवधि अथवा संविधान में अनुच्छेद 311(2) के परन्तुक (ग) के अधीन सेवा-समाप्ति तथा सेवा में बहाली की तारीख के बीच की अवधि का पूरा वेतन तथा भत्ते दिए जाने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं, बशर्ते कि सेवा-समाप्ति प्रतिबंधित संगठनों के साथ कथित संबंध रखने के कारण की गई थी। ऐसे कर्मचारियों के मामलों को पुनरीक्षा किए जाने के भी अनुदेश जारी कर दिए गए हैं जिन्हें डी० आई० एस० आई० आर० के अधीन न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था, बशर्ते कि उन्होंने नैतिक अधम अथवा हिंसक कार्य न किए हों। ये अनुदेश राज्य सरकारों को भी अपने कर्मचारियों के संबंध में अपनाए जाने के लिए भेजे गए हैं। श्रम मंत्रालय ने भी निजी/सरकारी क्षेत्र के उन कर्मचारियों की सेवा में बहाली तथा परिलब्धियों के भुगतान के संबंध में कुछ अनुदेश जारी किए हैं, जिन्हें आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने के अधिनियम (मीसा) के अधीन बन्दी बनाया गया था या डी० आई० एस० आई० आर० के अधीन, जिन पर मुकदमा चलाया गया था जिन्हें दोषसिद्ध पाया गया था अथवा जिन्हें आवश्यक क्रिया विधियों का अनुपालन किए बिना सेवा से निकाल दिया गया था। नक्सलवादियों के रूप में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध में अलग से कोई अनुदेश नहीं है और वे भी उपर्युक्त सामान्य अनुदेशों के ही अन्तर्गत आएंगे।

बिजली बनाने के उपकरण

4765. **श्री मृत्युंज्य प्रसाद** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धूप, वायु तथा छोटे और कम ऊंचाई के जल प्रयासों से बिजली पैदा करने के लिए उपकरणों के आविष्कार, सुधार तथा निर्माण की दिशा में और उन्हें बाजार में बिक्री हेतु लाने के लिए देश में कहां तक प्रगति हुई है, जिसे जल पम्प चलाने, भोजन पकाने, घरों के वातानुकूलित करने, पानी गर्म करने और 'डिस्टिल वाटर' बनाने जैसे प्रयोजनों में उपयोग किया जा सके ;

(ख) इस बारे में किन-किन प्रयोगशालाओं में क्या-क्या प्रयोग किए जा रहे हैं ;

(ग) निर्माणाधीन उपकरणों को खरीदने और उन्हें लगाने पर अनुमानतः कितना अनावर्ती खर्च आयेगा; और

(घ) प्रत्येक ऐसे उपकरण से प्रतिदिन कितने ईंधन की बचत होगी और प्रत्येक राज्य में इन उपकरणों से लगभग कितने दिन कितने घंटे काम लिये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामाचन्द्रन) : (क) जल पम्प चलाने तथा बिजली के उत्पादन के लिए वायु मिलों के विकास का कार्य प्रगति पर है। यद्यपि कुछ प्रोटोटाइपों का विकास किया गया है किन्तु लागत-प्रभावी प्रणालियों के डिजाइन अभी विकास की स्थिति में हैं । 3 किलोवाट से 1000 किलोवाट तक की सीमा में लघु जल विद्युत उत्पादन के लिए छोटे और कम ऊंचाई वाले जल प्रपातों के उपयोग में लाने की प्रौद्योगिकी काफी अच्छी विकसित है तथा छोटे आकार के उत्पादन यूनिटों के निर्माण के लिए देश में जानकारी उपलब्ध है।

(ख) वायु मिलों के डिजाइनों का कार्य अनेक संगठनों द्वारा किया जा रहा है, इनके नाम हैं :—

—भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

—राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलौर

—केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर

—भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

—केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

—भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, हैदराबाद

देश में लघु जल विद्युत् उत्पादन यूनिटों का निर्माण करने वाली मुख्य फर्में ये हैं :—

मैसर्ज ज्योति लिमिटेड, बड़ौदा

मैसर्ज फलोवेल, फरीदाबाद

(ग) चूंकि वायु मिलों की डिजाइनें अभी विकास के चरण में हैं अतः वायु मिलों की स्थापना में आने वाली निवेश लागत वास्तविक रूप से ज्ञात नहीं है ।

लघुजल विद्युत् केन्द्रों की निवेश लागत अलग-अलग स्थल पर भिन्न-भिन्न होगी । यह शीर्ष, जल निकास, यूनिट की किस्म और क्षमता और अपेक्षित सिविल कार्यों और अवसंरचनात्मक कार्यों पर निर्भर होगी। मोटे तौर पर इस समय यह 6,000 रुपए से 15,000 रुपए प्रति किलोवाट है ।

(घ) पूरे भार पर एक दिन में लगभग 12 घंटे प्रचालित होने वाले 5 के डब्ल्यू की वायु विद्युत् अथवा जल विद्युत् उत्पादन यूनिट ताप विद्युत् केन्द्रों में लगभग 40 किलोग्राम कोयले का स्थान ले सकती है। यद्यपि लघु-जल विद्युत् यूनिटों का डिजाइन ऐसा बनाया जा सकता है कि इन्हें प्रायः लगातार प्रचालित किया जा सके किन्तु वायु मिल ऊर्जा प्रणालियों के प्रचालन की अवधि तथा घंटे वायु के स्वरूप और उनकी गति पर निर्भर होगी, जो भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होगी ।

इस्पात संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

4766. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला धवनशालाएं इस्पात संयंत्रों को कम राख वाला कोयला (लो-एश कोल) आयातित मूल्यों की तुलना में कम मूल्यों पर सप्लाई करने में

समर्थ है यदि इस्पात संयंत्र वर्तमान कोयले के मूल्य में थोड़ी वृद्धि करने के लिए तैयार हो जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात मंत्रालय को स्थिति से अवगत करा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) धुले कोयले में राख के प्रतिशत में कमी होने पर इस्पात कारखानों को सप्लाई किए जाने वाले धुले कोयले के मूल्य में कुछ वृद्धि हो जाएगी ।

(ख) से (घ) कम राख वाले कोयले की सप्लाई करने के प्रश्न पर इस समय इस्पात विभाग की सलाह से विचार किया जा रहा है ।

गया, बिहार में उद्योगों की स्थापना

4767. **श्री एच० एल० पी० सिन्हा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना कब तक शुरू होगी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार में गया को पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को उद्योग स्थापित करने के लिए आदेश दिए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती आभा माईति) : (क) उद्यमियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पहले ही की जा रही है इसके लिए उनकी ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यक प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ।.

(ख) जी, हां ।

(ग) जी नहीं, उद्योगों का विकास करना राज्य का विषय है ।

AUCTION OF ARMY GOODS

4768. SHRI MONOHAR LAL : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has not been any auction of army goods meant for disposal for the last three years and these goods are being supplied to social welfare institutions only;

(b) whether it is a fact that goods worth Rs. 9200/- have been seized in C.O.D. Kanpur on 3rd March, 1978 which was going to be sold for Rs. 31 lakhs.

(c) whether it is also a fact that these institutions are earning huge profit, though they can not sell such goods for 3 years; and

(d) if so, the action taken or proposed to be taken by him (the Minister) in this regard so that losses to the tune of crores of rupees are checked ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) No, Sir. Auctions are being held regularly.

(b) Surplus cotton parachutes and ropes were allotted from defence stocks to Jain Kanya Inter College, Muzaffarnagar, on the recommendations of the State Government. On receipt of a complaint regarding bona fides of the request of the Institution, instructions were issued to C.O.D., Kanpur, on 3-3-78 not to release the allotted stores pending further investigation by the State Government.

(c) Government have no knowledge on the allegation.

(d) Does not arise.

पश्चिमी घाटों पर कर्मी दल

4769. **श्री अधन सिंह ठाकुर :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जनवरी, 1978 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में 'टास्क फोर्स वारनिंग टू वेस्टर्न घाटस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) कार्य बल (टास्क फोर्स) की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजना और समन्वय समिति द्वारा चर्चा की गई है। कार्य बल की संगत सिफारिशों को संबंधित विभागों और राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है।

दुमका, बिहार के आदिवासियों से ऊंची दर पर ब्याज वसूल किये जाने के बारे में आक्रोश

3770. **श्री रोबिन सेन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दुमका जिला, बिहार में, विशेष रूप से जामतारा क्षेत्र के आदिवासियों में गैर-आदिवासी साहूकारों द्वारा जमीन गिरवी रख कर ऊंचे ब्याज पर रु० उधार देने का धंधा अब भी चालू है;

(ख) क्या इससे अधिकारियों द्वारा ऋण की अदायगी करने में असमर्थ होने के कारण, उन्हें गैर-आदिवासी साहूकारों को अपनी भूमि सौंपने के लिए बाध्य होना पड़ता है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप आदिवासी लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है और गत तीन वर्षों के दौरान जामतारा क्षेत्र में कुछ दुखद घटनाएं घट चुकी हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार रुपया उधार देने की प्रक्रिया रोकने के लिए बिहार सरकार को तत्काल कार्यवाही करने की सलाह देने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) बिहार सरकार से सूचना मांगी गई है और जब प्राप्त हो जाएगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रूई और कपड़े के लिये मूल्य निर्धारण नीति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

4771. **श्री वसन्त साठे :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई और कपड़े के लिए मूल्य निर्धारण नीति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ।

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) देश में रूई उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने तथा विचोलियों और मिल मालिकों द्वारा की जाने वाली मुनाफाखोरी और छल पूर्ण तरीकों को प्रभावी तौर से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है / करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) सम्भवतः संदर्भ कपास के मूल्यों, सूत के मिल से निकालते समय के सुपुर्दगी मूल्यों तथा धागे और कपड़े के मूल्यों के बीच निश्चित मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति से है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें समिति का मत है कि उसके द्वारा गिनाई गई विभिन्न मन्यताओं पर आधारित ऐसे मूल्य को निश्चित करना संभव होगा। इन मान्यताओं से रूई व्यापार के स्वरूप में तथा मिलों की परिवर्तन तकनीक में ढांचे सम्बन्धी बड़े परिवर्तन किए जाने आवश्यक हैं।

(ग) रूई की विभिन्न किस्मों के न्यूतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं तथा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष इसकी घोषणा की जाती है। जब कभी बाजार के मूल्य समर्थन मूल्य स्तर से नीचे चले जाते हैं तो भारतीय रूई निगम बाजार में हस्तक्षेप करता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख रूई बाजारों में अधिकाधिक भाग लेने के अलावा भारतीय रूई निगम विभिन्न किस्मों के उचित मूल्यों के लिए वातावरण बनाता है। रूई उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिये ये कदम उठाये गए हैं।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता देने के लिये सिद्धांत

4772. श्री हितेन्द्र देसाई : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है; और

(ख) ऐसी केन्द्रीय सहायता देने के लिए क्या सिद्धान्त अपनाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) केन्द्रीय बजट में 1978-79 में राज्य योजनाओं के लिए 2360 करोड़ रुपए की सहायता की व्यवस्था की गई है। इस कुल धनराशि में, गाडगिल फार्मूले और राज्य के संसाधनों में अंतरों को पूरा करने के अन्य संदर्शों को ध्यान में रखते हुए, राज्यवार आंकड़े अभी तैयार किए जाने हैं। संघशासित क्षेत्रों के लिए आंकड़े, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा चुका है, सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रुपए)

संघ शासित क्षेत्र	1978-79 के लिए केन्द्रीय सहायता
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10,44.00
2. अरुणाचल प्रदेश	23,25.50
3. चंडीगढ़	5,26.61
4. दादरा और नगर हवेली	3,20.00
5. दिल्ली	60,66.00
6. गोवा, दमण और दीव	22,58.00
7. लक्षद्वीप	2,43.64
8. मिजोरम	16,64.81
9. पांडिचेरी	7,50.00
जोड़—संघशासित क्षेत्र	151,98.56

बोटेनिकल गार्डन, कलकत्ता में पौधों की नस्लें

4773. **श्री रशीद मसूद :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् बोटेनिक्ल गार्डन, कलकत्ता में पौधों की नस्लों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी हां।

(ख) भारतीय वनस्पति उद्यान, हावड़ा में विद्यमान स्पेशीज़ की अनुमानित संख्या :—

	स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय	इस समय	वृद्धि
अशाकीय	1100	1400	300
शाकीय	800	900	100
खरपतवार	350	350	—
योग	2250	2650	400

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों में जनजातियों और आदिवासियों के लिये स्थानों का आरक्षण

4774. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग और बड़े व्यापार में प्रबन्धकों के लिये यह अनिवार्य करने का है कि जनजातियों और आदिवासियों में से कुछ प्रतिशत श्रमिकों की भर्ती की जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में सुझाव, पत्र, ज्ञापन, अपीलें और संकल्प प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (घ) भारतीय दलित वर्ग संघ (भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेज़ लीग) के दिसम्बर, 1977 में हुए बीसवें अधिवेशन में पारित संकल्प में की गई सिफारिशों में एक सिफारिश निजी क्षेत्र के पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए अप्रेन्टिसशिप अधिनियम

के आधार पर यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन करके सरकार द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। निजी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए कुछ प्रतिशत आरक्षण करने के एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और यह महसूस किया गया था कि ऐसा आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी अथवा अन्य उपायों का सहारा लेना उपयुक्त नहीं होगा। यह विचार किया गया था कि व्यापार संगठनों को नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलने का सुनिश्चिय करने के लिये उन्हें राजी करने की कोशिश जारी रहनी चाहिए। इस निर्णय के अनुसार निजी-क्षेत्र के सभी औद्योगिक उपक्रमों से उद्योग निदेशकों, तकनीकी प्राधिकरणों और वाणिज्य और उद्योग मामलों के माध्यम से 1975 में एक अपील जारी की गई थी जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने घटकों/सम्बद्ध संगठनों पर निजी क्षेत्र की नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने की वांच्छनीयता पर जोर डालें।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, अनुसूचत जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों से अधिशासित होते हैं।

मिजोरम में विस्थापित हुए व्यक्तियों को मुआवजा

4775. **डा० आर० रोथुआम :** क्या **गृह** मंत्री 7 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2869 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह संबंध में दी गई विशिष्ट केन्द्रीय सहायता, सही-सही धनराशि और विभिन्न प्रकार की अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस योजना के अधीन वास्तव में कितने परिवारों, ग्रामों को बसाया गया है;

(ग) क्या नगर में केवल कुछ विशेषकर समृद्ध परिवारों को ही ये अनुदान अब तक प्राप्त हुए हैं और समूचे मिजोरम में 90 प्रतिशत विस्थापित अनजान परिवारों को इस योजना के अधीन एक पैसा भी नहीं मिला है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन सभी आरोपों की जांच करने और राज्य सरकार को पुनर्वास अनुदानों के उपयोग के बारे में तथ्य और आंकड़े एकत्र करने के अनुदेश देने तथा उनको सभा-पटल पर रखने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) : तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

फसलों की रक्षा के लिये मिजो लोगों को हथियार वापस दिया जाना

4776. **श्री आर० रोथुआम :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समरत मिजोरम में कानून और व्यवस्था की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है ;

(ख) क्या मिजोरम में आसन्न अकाल के संदर्भ में ग्रामीणों के लिए चूहों तथा जंगली जानवरों से अपनी फसलों और खेती को बचाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार को यह अनुदेश देने का है कि जैसा कि नागालैण्ड में किया गया है ग्रामवासियों की लाइसैंस प्राप्त बन्दूकें वापस कर दी जायें जो अब सरकार के सुरक्षित कब्जे में रखी हुई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मिजोरम सरकार को बांसों के फूकने के कारण चूहों की संख्या में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति की जानकारी है। संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के परिणामस्वरूप अब तक 26 लाख चूहे मार दिए गए हैं। गत दो वर्षों के दौरान मिजोरम सरकार द्वारा 11.76 लाख रुपए मूल्य की कृन्तकनाशी दवा वितरित की गई है।

(ग) संघ शासित क्षेत्र सरकार लाइसेंसशुदा हथियारों को अपने नियंत्रण में रखने अथवा लौटाने के लिए सक्षम है जो संघ शासित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी विशिष्ट क्षेत्र की विधि तथा व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है।

मार मगोवा में नौवहन भरती केन्द्र

4777. **श्री अमृत कासर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन और दीव की विधान सभा ने एक संकल्प पारित करके यह मांग की थी कि नाविक का पेशा अपनाने वाली गोवा की बड़ी संख्या में जनता को देखते हुए मारमगोवा में एक नौवहन भरती केन्द्र स्थापित किया जाए; और

(ख) ऐसा केन्द्र आरम्भ करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) तथा (ख) मारमुगाव में एक भर्ती केन्द्र खोलने के लिए, गोवा दमन तथा दीव सरकार से अप्रैल, 1974 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव गोवा विधान सभा में उठाया गया था। उचित विचार के बाद मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि नाविक भर्ती कार्यालयों को खोलने की कसौटियों के आधार पर इसका औचित्य नहीं था।

SETTING UP A POWERFUL T. V. STATION AT GUJARAT

4778. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether the Government of Gujarat have made requests to set up a 10 Kilowatt (powerful) television centre in Gandhinagar;

(b) whether Government of Gujarat have also made an offer to give the land free of cost to the Central Government for the purpose;

(c) reasons for not setting up powerful TV centres at Gujarat like other stations at big cities; and

(d) whether Government propose to set up a powerful Television Centre in Gujarat during the Rolling Plan of 1978-79, if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) & (b) Yes, Sir. Government of Gujarat urged in a recent communication to set up a 10 Kilowatt TV transmitter at Gandhinagar and also made an offer of land free of cost for the same.

(c) & (d) The proposal for setting up a TV Station at Ahmedabad has been included in the draft Sixth Plan (1978—83). Its implementation, however, will depend upon availof financial resources and priorities accorded by the Planning Commission.

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

4779. **श्री धर्म वीर वशिष्ठ**
श्री सी० के० जाफर शरीफ } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में, मार्च, 1978 में हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्यतया किन बातों पर चर्चा हुई और क्या सिफारिशें की गईं ;

(ख) राज्यवार कितने प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया ;

(ग) क्या शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर मातृभाषा को शिक्षा माध्यम के रूप में स्वीकृत किया गया तथा उसकी सिफारिश की गई, यदि हां तो इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कोई तंत्र बनाया गया है; और

(घ) तीन भाषायी फार्मूले को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) मार्च, 1978 में हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्यतया निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श हुआ :—

(1) सरकारी कार्य में भारतीय भाषाओं का प्रयोग—समस्याएं तथा समाधान ।

(2) सरकारी उपक्रमों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग—समस्याएं तथा समाधान ।

(3) यांत्रिक सुविधाएं, प्रशिक्षण तथा अनुवाद ।

(4) सरकारी सेवाओं में भारतीय भाषाओं का प्रयोग ।

(5) कानून के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं का प्रयोग ।

सम्मेलन में की गई सिफारिशें अनुलग्नक-1 में दी गई हैं ।

(ख) जिन प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया था, उनकी राज्य-वार संख्या अनुलग्नक-2 में दी गई हैं ।]**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—1958/78**]

(ग) तथा (घ) मातृ भाषा का प्रयोग और सभी स्तरों पर माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषओं का प्रयोग (डिग्री स्तर तक) और त्रिभाषा फार्मूला के कार्यान्वयन का प्रश्न भी अधिकांश प्रतिनिधियों को भेज दिये गिए थे किन्तु इन मामलों पर कोई संकल्प पारित नहीं किया गया क्योंकि यह विषय सम्मेलन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था ।

दिल्ली में बिक्री कर

4780. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बिक्री कर के अनुमानों की तुलना में गत तीन वर्षों, वर्ष-वार में कितना बिक्री कर वसूल किया गया ;

(ख) दिल्ली में गत तीन वर्षों में, वर्ष वार, बिक्री पर प्रशासन पर कुल कितना व्यय किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में बिक्री कर का भारी मात्रा में अपवंचन होता है ?

(घ) क्या सरकार को यह बताया गया है कि दिल्ली में बिक्री कर के अपवंचन में बिक्री कर अधिकारी बिक्री कर वकीलों के साथ सांठ-गांठ करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कर अपवंचना को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :

(क)	1974-75	52.46 करोड़ रुपये ।
	1975-76	73.00 करोड़ रुपये ।
	1976-77	85.75 करोड़ रुपये ।
(ख)	1974-75	75.32 लाख रुपये ।
	1975-76	90.59 लाख रुपये ।
	1976-77	100.57 लाख रुपये ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् परन्तु कुछ अवांछित व्यापारी बिक्रीकर का अपवंचन करते हैं ।

(घ) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ङ) बिक्री कर के अपवंचन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

1. स्थायी अनुदेशों के अनुसार वार्ड इन्स्पैक्टर को वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक व्यापारी का सर्वेक्षण करना पड़ता है और उसके कार्यकलापों के बारे में वार्ड अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है। तत्संबंधी अवधि के लिए मूल्यांकन के समय एसी रिपोर्टों पर उचित रूप से विचार किया जाता है।

2. एक सतर्कता तथा प्रवर्तन कक्ष बिक्री कर विभाग, दिल्ली में भी कार्य कर रहा है। यह बाजारों का विशेष सर्वेक्षण करता है और कर अपवंचना करने वाले कथित अथवा संदिग्ध व्यापारियों पर छापे मारता है। इस कक्ष में कर अपवंचना के महत्वपूर्ण मामलों की जांच की जाती है तथा उनका मूल्यांकन भी किया जाता है ।

3. उपयोगी सूचना, जिससे कर अपवंचना का पता लगता है, देने वाले व्यक्तियों को उचित रूप से इनाम दिया जाता है ।

हिमाचल प्रदेश के लोगो के जीवन पर वृत्तचित्र

4781. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म डिवीजन ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों के जीवन पर वृत्त-चित्र तैयार किए हैं ।

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से तैयार किए गए वृत्त-चित्रों के नाम क्या हैं;

(ग) हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन पर अब तक तैयार किए गए सभी वृत्तचित्रों के नाम क्या हैं; और

(घ) देश के विभिन्न भागों में इन वृत्त-चित्रों के प्रदर्शन के लिए क्या प्रबन्ध हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी, हां :

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान फिल्म प्रभाग ने हिमाचल प्रदेश पर कोई वृत्तचित्र नहीं बनाया था। तथापि, फिल्म प्रभाग ने एक गैर सरकारी निर्माता द्वारा निर्मित 'किन्नौर माई विलण्ड' नामक एक फिल्म 1977 में खरीदी थी।

(ग) (1) कुल्लु दि हैपी वैली (सादी) 1951
(2) हिमाचल प्रदेश (सादी) 1959
(3) हिमाचल (वृहत रूपरंतर) (रंगीन) 1959
(4) हिमाचल (अन्तर्राष्ट्रीय रूपान्तर) (रंगीन) 1961
(5) होलिडे इन द हिल्स (रंगीन) 1960
(6) कांगड़ा एण्ड कुल्लु (रंगीन) 1960
(7) दि टिवन वैलीज (रंगीन) (अल्ट्रा-स्कोप) 1964
(8) लाहुल एण्ड स्पीति (रंगीन) 1964
(9) कुल्लु मनाली (रंगीन) 1966 16 मिलीमीटर
(10) गड्डस (रंगीन) 1970
(11) किन्नौर माई विल्ड" जो एक गैर सरकारी निर्माता से 1977 में खरीदी गई थी।

(घ) क्रम संख्या (4), (7) और (9) के सम्मुख उल्लिखित फिल्मों को छोड़कर उपरिउल्लिखित शेष अन्य सभी फिल्में व्यावसायिक और अव्यवसायिक सर्किटों को रिलीज़ की गई थी। क्रम संख्या (4), (7) और (9) के सम्मुख उल्लिखित फिल्में देश के अन्दर रिलीज किए जाने के लिए नहीं थी

सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड उड़ीसा में दाँडीधुआ कोलियरी का अधिग्रहण

4782. **श्री पवित्र मोहन प्रधान**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में तालचर स्थित हांडी धुआ कोलियरी प्रबन्ध का अधिग्रहण करने के लिये पिछले मालिक (उड़ीसा सरकार का खनन विभाग) के साथ किस तारीख को करार किया गया था;

(ख) कोलियरी को चलाने में अर्थात् खान से कोयला निकालने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) पानी निकालने तथा रेत भरने का कार्य किस वर्ष किस महीने में आरम्भ हुआ और पानी निकालने का कार्य लगभग कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) उड़ीसा सरकार के खनन विभाग से उक्त खान को अपने अधिकार में लेने के समय खनन विभाग की सेवा में लगे हांडी धुआ कोलियरी के कर्मचारियों को खपाने के लिये क्या शर्तें रखी गई हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) हांडीधुआ कोयला खान अनुपयोगी मानकर छोड़ दी गई है और उसके प्रबंध के अधिग्रहण के लिए कोई करार नहीं किया गया है। सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० और उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों में 5-7-1976 को हुई बातचीत

के बाद सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० ने खनन पट्टे और खनन कार्य की अनुमति के लिए आवेदन किया । पट्टा और अनुमति मिल गई है। पट्टे के करार के संबंध में इस समय कार्रवाई पुरी की जा रही है।

(ख) इस समय खान से पानी निकालने का काम चल रहा है। इस खान से कोयले की खुदाई के बारे में कोई निर्णय पानी निकाल देने और खान का समुचित सर्वेक्षण कर लेने के बाद ही लिया जा सकता है।

(ग) पानी निकालने का काम जून, 1976 में शुरू किया गया था। सही मानचित्रों के अभाव में पानी निकालने का काम पूरा होने के बारे में कोई निश्चित तारीख पहले से नहीं बताई जा सकती। रेत भराई की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है।

(घ) उड़ीसा सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० इस बात के लिए सहमत हो गया था कि वह हांडीधुआ कोलियरी के 95 स्थायी मज़दूरों की छानबीन करेगा और इस प्रकार चयन किए गए उम्मीदवारों को सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० के उड़ीसा क्षेत्र में सम्बद्ध वर्गों में रिक्तियां होने पर, तरजीह दी जाएगी। इसी आधार पर अब तक 44 मज़दूरों को हांडीधुआ कोलियरी में पम्पिंग के काम में लगा लिया गया है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयुक्त के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें

4783. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदन में, जो प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाती है और भारत सरकार द्वारा स्वीकार की जाती है, की गई सिफारिशों को स्वीकार करने के बारे में उनके मंत्रालय ने राज्यों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो "वन पर आधारित जनजाति विकास" संबंधी कार्यकारी दल को स्वीकार करने के बारे में आयुक्त द्वारा की गई सिफारिश को राज्यों और केन्द्र ने कहां तक क्रियान्वित किया है, और

(ग) क्या जनजाति विकास के लिए वन नीति में कोई नया दृष्टिकोण लाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) आयुक्त की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी गई हैं ताकि वे अपनी नीति तथा कार्यक्रम बनाते समय उन पर ध्यान दे सकें।

(ख) और (ग) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में वनों तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के कार्यक्रमों के संबंध में विकास कार्यक्रम बनाते समय कार्यकारी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है। वनों के विकास की नीति में लघु वन उत्पादन पर जनजातियों को पूरा अधिकार देने का प्रश्न, वन मजदूर सहकारी समितियों द्वारा ठेकेदारों का स्थान लेने, वन में बसे गांवों को समाप्त करने, वनों पर जनजाति के स्वामित्व की नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

उड़ीसा में बरहामपुर में आकाशवाणी केन्द्र

4784. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय से निकट भविष्य में बरहामपुर गंजम में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में एक अन्य आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने संबंधी सरकारी निर्णय क्या हैं; और

(ग) निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी , हां ।

(ख) और (ग) बरहामपुर (उड़ीसा में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना (1978–85) के प्रारूप में शामिल किया गया है। तथापि, इसका कार्यान्वयन वित्तीय आवंटनों की उपलब्धि तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

कोरापुट उड़ीसा में सीमेंट उद्योग की स्थापना

4785. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुंकी तथा पोच्टांगी क्षेत्र के निकट चूने के पत्थर के निक्षेप निकालने के लिए उड़ीसा के कोरापुट जिले में कोई सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिये उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां; तो भारत सरकार द्वारा स्वीकृति कब तक दी जायेगी ताकि उड़ीसा सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग स्थापित करने के बारे में शीघ्र निर्णय संभव हो सके ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) जनवरी, 1978 में उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में केन्द्रीय क्षेत्र में एक सीमेन्ट परियोजना की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा था । इस जिले में सीमेंट परियोजना तब तक व्यावहारिक नहीं लगती जब तक कि दान्तेवाड़ा-सुखमा-राजमुन्दरी रेल लाईन पूरी नहीं हो जाती अथवा सामान्य वस्तुओं के लाने ले जाने के लिए कोट्टावाल्से किसन्डल रेल लाईन खोल नहीं दी जाती । रेल मंत्रालय से दूसरी वाली संभावना की जांच करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

हल्दिया में विद्युत जनरेटर लगाया जाना

4786. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में काम कर रहे संयंत्रों के लिये 1 करोड़ रुपये की लागत से उस समय के लिये जब पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड से बिजली उपलब्ध नहीं होगी, विद्युत् जनरेटर लगाये गये हैं; और

(ख) क्या इनमें से किसी जनरेटर ने उचित रूप में कार्य किया है और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड से बिजली की सप्लाई न होने के समय पूर्ण बिजली सप्लाई की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित मदों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव

4787. श्री सुशीलकुमार धारा : क्या **उद्योग** मंत्री लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों में वृद्धि करने के प्रस्ताव के बारे में 1 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1172 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार मध्यम दर्जे और बड़े उद्योगों पर ऐसे उचित प्रतिबन्ध लाने का है ताकि उन्हें इन मदों में से किसी को भी उत्पादन की अनुमति न दी जाए ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : जी हां। आद्यौगिक नीति वक्तव्य के अनुसार "जहां बड़े पैमाने के एककों द्वारा चाहे वे बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित हों या न हों, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन पहले से ही किया जा रहा है उनकी क्षमता में विस्तार नहीं किया जायेगा।" मध्यम दर्जे के उद्योगों के मामलों में भी यही नीति लागू होगी।

तारापुर में समृद्ध यूरेनियम का विकास

4788. श्री माधवराव सिन्धिया : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग के वैज्ञानिकों ने तारापुर में समृद्ध यूरेनियम विकसित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सड़क दुर्घटनाएं और उनके शिकार हुए लोगों को मुआवजा

4789. श्री माधवराव सिन्धिया : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े नगरों तथा अन्य स्थानों पर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं, जो तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण होती हैं, को ध्यान में रखकर क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि दण्डात्मक कार्यवाही तथा इन मामलों में दिए जाने वाले मुआवजे से संबंधित कानूनों में इस आशय के परिवर्तन की आवश्यकता है कि सम्बन्धित उपबंधों में अधिक दण्ड और मुआवजे का प्रावधान किया जाये ताकि इन अपराधों को नियंत्रित किया जा सक;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में इस आशय का एक वृहत विधेयक संसद के सामने लाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) सड़क दुर्घटनाओं कम करने के लिए मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 में मोटर गाड़ी संशोधन अधिनिय 1977 द्वारा संशोधन किया गया जिसमें ऐसे अपराधों अर्थात् खून में शराब का असर होने पर मोटर गाड़ी चलाना, किसी मादक द्रव के प्रभाव में, या तेज अथवा लापरवाही से चलाने के अपराधों के लिए सजा देने के लिए अपेक्षाकृत कड़ी मजा देने की व्यवस्था है।

उस अधिनियम में अधिकतम गति भी निर्धारित की गई है। विधि में यह भी व्यवस्था है कि इस गति सीमा को लागू करने के लिए प्रयाम किए जाएंगे कि मोटर साइकिल में गवर्नर जैसी यंत्र लगा कर यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गाड़ी अधिक तेज न चलाई जाए ।

उक्त सभी प्रावधानों को पहले ही लागू कर दिया गया है ।

मोटर गाड़ी अधिनियम में पहले ही सड़क दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति की, तथा दावों के लिए ऐसी प्रतिपूर्ति की जांच के लिए दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की पहले ही व्यवस्था है। प्रतिपूर्ति की रकम तय करते समय दुर्घटना की सभी परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा और अधिनियम में न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिपूर्ति की कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए सड़क दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को देय प्रतिपूर्ति की राशि में वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पारादीप बन्दरगाह के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर बकाया राशि

4790. श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार से पारादीप बन्दरगाह लिये जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को कुछ धनराशि दी जानी थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या यह राशि उड़ीसा सरकार को अदा कर दी गई है; यदि हां, तो कब और उस पर कितना ब्याज अदा किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) केन्द्रीय सरकार ने कोई धनराशि अदा नहीं करनी है। राज्य सरकार द्वारा बंदरगाह के विकास में लगाई गई राशि पत्तन को दिया गया ऋण समझा जाना था, जिसे उसने तब ब्याज सहित वापस लौटाना था जब वह अदायगी करने के लिए आर्थिक रूप से समझा ही जाए।

(ख) अनुकूल राशि अभी तय की जानी है।

(ग) जी, नहीं। पारादीप पत्तन न्यास अभी वापस अदायगी करने की स्थिति में नहीं है ।

ALLOCATION OF FUNDS FOR NEW SCHEMES TO DELHI

4791. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether Planning Commission has made a out of Rupees 18 crore in the provision for the schemes of Delhi for the next financial year which has affected the setting up of a new power house and air pollution control programme in the Capital; and

(b) whether it is a fact that an amount of Rupees 13 crore only has been provided बंगा the new schemes of Delhi in the provision sanctioned by Planning Commission ?

है THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Delhi Administration had proposed an outlay of Rs. 125.92 crores for the next financial year. Against this, a Plan size of Rs. 108 crores has been approved keeping in view the availability of resources, and the nature of schemes. The approved outlay includes Rs. 1.5 crores for Air Pollution Control. Provision has not been made for a new Thermal Power Station with a view to avoiding the aggravation of the problem of air pollution in the Capital.

(b) According to the information furnished by Delhi Administration, the approved Plan outlay provides for new schemes amounting to Rs. 10.22 crores.

EMPLOYEES IN C.O.D. CHHEOKI

4792. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in C.O.D. Chheoki which is 35 years old now and is an important and permanent Depot, the employees are deprived of their benefits sometime under the rules of the Ministry or sometime under the Factory Act; and

(b) the circumstances in which Secretariat rules and Factory Act are enforced there ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) No Sir, it is not a fact.

(b) The Secretariat rules referred to in the Question presumably mean the Departmental rules. In all matters pertaining to general conditions of service, the industrial and non-industrial workers of COD, Chheoki, are governed by similar set of rules as applicable to employees of other Ordnance Depots registered under the Factories Act, 1948. However, the industrial workers have an option to avail of earned leave either under the Civilians in Defence Services (Industrial Employees) Leave Rules, 1954 or under the Factories Act, whichever is advantageous to them.

कोयम्बतूर में दूर दर्शन केन्द्र

4793. श्री के० ए० राजू : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिये तमिलनाडु में कोयम्बतूर शहर को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है जो बहुत अधिक आबादी वाला शहर है और दक्षिण भारत के अधिकतम औद्योगिक श्रमिक जहां रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब पूरी होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं । कोयम्बतूर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पोल्लाची, तमिलनाडु में बड़े पैमाने का उद्योग चालू करना

4794. श्री के० ए० राजू : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने की योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु के पोल्लाची क्षेत्र में बड़े पैमाने का उद्योग चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के अधीन सीमेंट कारखाना खोलने और शिशु आहार उत्पादन कारखाना खोलने की कोई योजना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) तमिलनाडु के पोल्लाची में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत किसी बड़े उद्योग की स्थापना करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

DIRECT RECRUITMENT TO THE POSTS OF STATION DIRECTORS

4795. **SHRI T. S. NEGI** : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Assistant Station Directors of All India Radio were promoted Station Directors departmentally in 1976;

(b) if so, the number of Assistant Station Directors called for interview and the number of persons selected out of them;

(c) whether it is a fact that more than half of the persons were promoted as Station Directors though some of them had not worked as Assistant Station Directors even for two years;

(d) whether the Department propose to increase the quota of direct recruitment by changing the recruitment rules so that qualified persons are selected ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Yes Sir.

(b) & (c) Under the existing recruitment rules, 75% posts of Station Director are filled by promotion as under :—

"(i) Assistant Station Directors with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

(ii) Failing (i) above, officers with 10 years service in the grades of Assistant Station Director and Programme Executive combined together rendered after appointment thereto on a regular basis.

(iii) Failing (i) and (ii) above, officers with 10 years service as Programme Executive either as Ordinary Grade or as Selection Grade or both."

In terms of (ii) above, 69 Assistant Station Directors were called for interview, out of which 11 did not appear. 42 Assistant Station Directors were selected for promotion as Station Director (Ordinary Grade). All India Radio which account for more than half the total number of persons interviewed, i.e. 58. The selection was made in terms of recruitment rules and on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, presided over by a Member of the U.P.S.C. Some of those selected promotion had rendered less than 2 years service as Assistant Station Director.

(d) There is, at present, no proposal to increase the quota of direct recruitment for the posts of Station Director (Ordinary Grade), All India Radio.

सीमेंट व्यापार में गिरावट

4796. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह कहां तक सच है कि सीमेंट व्यापार कम हो गया है तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग की सरकार सहायता करती है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सीमेंट बहुत कीमती बल्कि एक दुर्लभ वस्तु हो गई हैं ; और

(ग) यदि हां , तो तत्म्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा आम जनता को सीमेंट उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) से (ग) 1977 की अवधि में 19.10 दस लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है जब कभी उद्योग को कोयला, विद्युत, बैगनों इत्यादि की अपर्याप्त सप्लाई जैसे अवरोधों का सामना करना पड़ता है तब उद्योगों को इन अवरोधों पर काबू पाने के लिए सहायता दी जाती

है ताकि जहां तक संभव हो सके उत्पादन के इष्टतम स्तर को बनाया रखा जा सके। यह सहायता उत्पादन करने वाले सभी एककों को दी जाती है चाहे वे निजी क्षेत्र में हैं या सरकारी क्षेत्र में।

अधिकतम उत्पादन होने के बावजूद अपर्याप्त क्षमता, पहले बनाई गई घटिया अग्रिम योजना, निर्माण कार्यों के लिए तथा कृषि उद्योग तथा आवासों के निर्माण के लिए अधिक मांगों के कारण सीमेंट की सप्लाई में कमी हुई थी। सीमेंट की काफी मात्रा की आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में आये साइक्लोनों (चक्रवातों) से उत्पन्न टूट-फूट की मरम्मत के लिये भी आवश्यकता थी। देश में सीमेंट की मांग तथा उपलब्धता के बीच अनुमानित अन्तराल लगभग 2 मिलियन (20 लाख) मी० टन है।

सरकार अनेक अभ्युपायों को कार्यान्वित कर रही है वर्तमान एककों द्वारा उत्पादन का बढ़ाया जाना अतिरिक्त क्षमता का स्थापित करना सीमेंट का संरक्षण तथा बेहतर उपयोग करना सम्मिलित है। प्रमुख महत्वपूर्ण अभ्युपायों में प्रीकालसीनेटर स्थापित करना और स्लैग फलाई ऐश और अन्य पोलानिक सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करना, स्थानीय स्लैग और चूने के पत्थर का उपयोग करने के लिये इस्पात संयंत्रों के निकट नये सीमेंट संयत्रों की स्थापना करना, चूने के पत्थर के छोटे छोटे निक्षेपों का उपयोग करने के लिए मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करना तथा नये एककों के निर्माण कार्यों और विस्तार कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा करना शामिल है। सरकार ने देशी बाजार में सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के लिये लगभग दस लाख मी० टन सीमेंट का आयात करने का निश्चय किया है। सरकार बाजार में आयात की गई सीमेंट के प्रभाव की निगरानी कर रही है। तथा यदि आवश्यकता हुई तो सीमेंट की और अधिक मात्रा का आयात करना तब तक जारी रखेगी जब तक सीमेंट का विक्रय मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित स्तर तक कम नहीं हो जाता। सरकार बढ़ती हुई क्षमता के रास्ते वर्तमान में आने वाले अवरोधों का निश्चय करने तथा इस बारे में आवश्यक सुधारात्मक आवश्यक कार्यवाही करने तथा उद्योग का एक नया व्यापक अध्ययन करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना करने का विचार कर रही है। उपलब्ध अतिरिक्त पिसाई क्षमता का उपयोग कर वर्तमान क्षमता में से ही अतिरिक्त उत्पादन करने के लिये सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के तरीकों की भी खोज कर रही है।

INDUSTRIALLY BACKWARD DISTRICTS

4797. SHRI RAJKESHAR SINGH : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) the criteria adopted for declaring districts industrially backward;

(b) the number of such districts in the country; and

(c) the areas where districts are proposed to be declared economically backward next year ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) In pursuance of the decisions of the National Development Council Committee of the State Chief Ministers, the following set of criteria was circulated to the State Governments and Union Territory Administrations to be adopted as 'guidelines' for identification of industrially backward districts to qualify for concessional finance facilities :—

(i) Per capita foodgrains/commercial crops production depending on whether the district is predominantly a producer of foodgrains/cash crops. (For inter-district comparisons conversion rates between foodgrains and commercial crops be determined by the State Government on a predetermined basis where necessary).

(ii) Ratio of population to agricultural workers.

(iii) Per capita industrial output (gross).

(iv) Number of factory employees per lakh of population or alternatively number of persons engaged in secondary and tertiary activities per lakh of population.

(v) Per capita consumption of electricity.

(vi) Length of surfaced roads in relation to population or railway mileage in relation to population.

The statistical data furnished by the State Government in respect of the criteria adopted by them for the purpose of identification of industrially backward districts, were considered by the Planning Commission in consultation with the concerned Ministries. On the basis of the data furnished generally the districts with indices below the concerned State average have been selected as industrially backward to qualify for concessional finance facilities.

(b) So far 247 districts have been selected from the different States and Union Territories as industrially backward to qualify for concessional finance facilities.

(c) In connection with the formulation of the earlier draft Fourth Plan (1966-71), the Planning Commission had requested the State Governments to devote special attention to the development of economically backward areas which were classified as (i) desert areas, (ii) chronically drought-affected areas, (iii) hill areas including border areas, (iv) areas with high concentration of tribal population; and (v) areas with high density of population, low levels of income, employment and living etc. Regarding Category (v), a Study Group had reviewed the set of indicators of regional development furnished by the State Governments and recommended 15 indicators for identifying economically backward areas. These indicators were circulated to the State Governments with a view to assisting them in identification of such areas. Most of the States have identified their economically backward areas which are either complete districts or blocks or a group of villages.

There is no proposal for any changes next year in the list by way of addition to or dropping of any of the districts/blocks.

मशीनरी और उपकरणों की सप्लाई के लिये पश्चिमी जर्मनी की फर्म से करार

4798. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि मोदी रबड़ कम्पनी लिमिटेड, मोदीनगर ने पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के साथ उक्त कम्पनी की स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी और उपकरणों की सप्लाई के लिए एक करार किया था ;

(ख) क्या यह भी आरोप लगाया गया है कि मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की साठगांठ से एक दूसरा करार किया गया जिसमें मूल्य में 90 लाख रुपये से भी अधिक की वृद्धि की गई जिसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :(क) से (ग) सरकार को इस प्रकार के आरोप प्राप्त हुए हैं कि पश्चिम जर्मनी की एक फर्म मैसर्स कान्टीनेन्टल गुम्मी वर्के के साथ सहयोग-करार करते हुए मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश ने उनके साथ उस समय एक गुप्त करार भी किया था जिसके द्वारा मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड ने मैसर्स कान्टीनेन्टल गुम्मी वर्के को अतिरिक्त रॉयल्टी तथा हैण्ड लिंग प्रभारों के भुगतान के लिए अपनी सहमति प्रदान की है, जिसे उनके द्वारा की गई खरीदों को बढ़ा हुआ दिखा कर समंजित किया जायेगा । प्रवर्तन निदेशालय को जांच-कार्य सौंपा गया था और जांचों के परिणाम स्वरूप प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड और कम्पनी के कुछ निदेशकों को तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे । कारण बताओ नोटिसों के उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात् मामले अधिनिर्णयन

के अधीन हैं और उन पर अंशत : सुनवाई हो गई है। अभी कथित गुप्त करार में मंत्रालय के अधिकारियों की सांठगांठ के आरोप के बारे में प्रवर्तन निदेशालय को कोई जानकारी नहीं है ।

बी० सी० सी० एल० और सी० सी० एल० में ठेकेदार

4799. **श्री ए० के० राय :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कुस्तोर और बंसदेवपुर-एकरा कोयला खानों तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के कठारा क्षेत्र में कार्यरत ठेकेदारों की संख्या कितनी है तथा उन्हें कितनी राशि के ठेके दिये गये हैं तथा वे क्या कार्य कर रहे हैं।

(ख) क्या यह सच है कि ये ठेके लेने के लिये अनेक अनियमितताएं की जाती हैं तथा डराया धमकाया जाता है तथा बहुत अधिक राशि के बिलों का भुगतान किया जा रहा है जिससे ठेकेदार अचानक धनवान हो जाते हैं तथा कम्पनी को घाटा होता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) भारत कोकिंग कोल लि० की कुस्तोर और बंसदेवपुरइकरा कोयला खानों में लगाए गए ठेकेदारों की संख्या क्रमश: 24 और 16 है और इन ठेकों में लगी अनुमानित धनराशि क्रमश: 31 और 33 लाख रुपये है। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के कठारा क्षेत्र में लगाए गए ठेकेदारों की संख्या 41 है और इसमें करीब 174 लाख रुपए की धनराशि लगी हुई है। ये ठेके मुख्य रूप से कोयला और बालू ढोने, विविध सिविल कार्यों, बोर होलों की ड्रिलिंग, इमारतों की मरम्मत तथा रख रखाव, एअर शैफ्टों की सिंकिंग, जलपूर्ति योजनाओं आदि कार्यों से सम्बन्धित हैं।

(ख) और (ग) ठेके निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके दिए गए हैं। जहां तक बिलों के भुगतान का सम्बन्ध है, यह कार्य हमेशा अच्छी तरह छानबीन और जांच करने के बाद किया जाता है ।

प्रेस पर सेंसरशिप

4800. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 1978 के "टाइम्स आफ इंडिया" के दिल्ली संस्करण में "गवर्नमैंट इन्टरफियरेन्स इन प्रेस रिमेन्ज, सेज सी० आर० ईरानी" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

(ग) क्या यह सच है कि कुलदीप नैयर समिति के कुछ सदस्यों द्वारा "समाचार" पर दी गई "विमत टिप्पणी" को विमत वाले सम्बद्ध सदस्यों की सहमति प्राप्त किये बिना ही नहीं बल्कि उनकी जानकारी के भी बिना किसी के द्वारा 'पूरी तरह' से बदल दी गई और क्या उक्त समिति को मौखिक रूप से यह बताया गया था कि केन्द्रीय सरकार के कुछ मंत्री "समाचार" समिति द्वारा कुछ विशेष सिफारिशें करवाना चाहते थे; और

( ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण जिसमें मामले के तथ्य दिए हुए हैं ; संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी०-1959/78]

फिल्म सेंसरशिप नियमों में परिवर्तन

4801. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष सेंसर द्वारा निषिद्ध एक फिल्म के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा है कि फिल्मों में सेंसरशिप नियम बहुत कठोर हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस निर्णय पर विचार किया हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) माननीय न्यायाधीश ने, और बातों के साथ-साथ, यह विचार व्यक्त किया था कि सेंसर सम्बन्धी पुराने मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बहुत व्यापक हैं और इनको इस तरीके से लागू किया जा सकता है कि जिससे याथार्थिक कथानक वाली लगभग सभी फिल्मों पर प्रतिबन्ध लग सकता है । उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया था कि यह बात और भी अधिक असाधारण है कि जबकि अन्य देशों में समकालीन सेंसर-शिप को काफी हद तक शिथिल कर दिया गया है, भारतीय फिल्म सेंसरशिप बहुत कटोर है। माननीय न्यायाधीश ने सेंसर सम्बन्धी जिन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लेख किया था उनमें परिशोधन करने का प्रश्न पहले ही कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था।

केन्द्रीय सरकार अब फिल्म सेंसर बोर्ड को नए निदेश जारी कर चुकी है जिसमें फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणीकृत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए हुए हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त 7 जनवरी, 1978 से प्रभावी हुए हैं।

परमाणु ईंधन कम्पलैक्स, हैदराबाद के कर्मचारियों में असंतोष

4802. श्री के० ए० राजन : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परमाणु ईंधन कम्पलैक्स, हैदराबाद के कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष का पता है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी कठिनाइयां क्या ह; और

(ग) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को पता है कि उक्त कर्म-चारियों की मांगे क्या हैं :—

(ख) उनकी मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) एसोसिएशन के जनरल-सैक्रेटरी को नौकरी से हटाने के आदेश को समाप्त करना ।

(2) एसोसिएशन के नेताओं के विरूद्ध विचाराधीन अभियोग-पत्र को रद्द करना और वापस लेना।

(3) दो कर्मचारियों की सेवा-समाप्त करने के आदेश को रद्द करना ।

(4) 8 अप्रैल, 1976 को हुए समझौते को समाप्त करना।

(5) 25 अगस्त, 1977 को पेश किये गये मांग पत्र को तेजी से निपटाना। मांग पत्र में निम्नलिखित मांगें शामिल हैं :—

(i) सेवा सम्बन्धी शर्तों में परिवर्तन किया जाये।

(ii) पदोन्नति सम्बन्धी नीति में सुधार किया जाये।

(iii) कैन्टीन को विभागीय स्तर पर चलाया जाये।

(iv) कर्मचारियों के वेतन से एसोसिएशन का मासिक चन्दा काटा जाये।

(v) यूनियन के कार्यालय के लिये नाभिकीय ईंधन समिश्रण के परिसर के समीप की समुचित जगह दी जाये।

(ग) एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ सभी मांगों पर बातचीत हुई है और कुछ मांगें स्वीकार भी की जा चुकी हैं। जहां तक विभिन्न कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का सवाल है, एसोसिएशन को बताया जा चुका है कि कर्मचारी सक्षम अधिकारियों के पास अपील दायर कर सकते हैं। फिर भी, कर्मचारियों ने वार्ता को जारी रखने की जगह 15 फरवरी, 1978 से हड़ताल करने का फैसला किया। जब तक कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटते हैं तब तक वार्ता फिर से शुरू नहीं की जा सकती।

दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम द्वारा कोयले की बिक्री

4803. श्री के० प्रधानी : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में कोयले की कमी दिल्ली लघ उद्योग विकास निगम के लिए वरदान सिद्ध हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम के अधिकारियों ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि जो कोयला उन्होंने बेचा है वह "वास्तव में मिट्टी" है और इसको बेचना उन बिचौलियों के लिए जिन्होंने दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम से उसे खरीदा, अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक पूर्त्ती विभाग ने, जो दिल्ली में कोयले के वितरण के लिए उत्तरदायी है, नियमित कोयले का खुदरा मूल्य 25.80 रु० प्रति क्विंटल और उस "कोयले की मिट्टी का" मूल्य 15 रु० प्रति क्विंटल नियत किया है और यह हैरानी की बात है कि कोयला व्यापारियों को उसे इतने अधिक मूल्य पर बेचने की क्यों अनुमति दी गई ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम ने निविदाएं मांगने के बाद जो कोयला बेचा है वह आधे इंच से छोटे टुकड़ों वाला बढ़िया कोयला है।

(ग) यह सही है कि दिल्ली प्रशासन ने नियमित साफ्ट कोक की खुदरा कीमत रु० 25.80 प्रति क्विंटल नियत की है। छनाई के बाद बचे आधे इंच आकार वाले बढ़िया कोयले की कोई कीमत दिल्ली प्रशासन ने नियत नहीं की है।

'अवन्तिका' दैनिक को अखबारी कागज का कोटा

4804. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 22 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 274 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अवन्तिका' की ग्राहक संख्या 2000 निर्धारित करने का आधार क्या है जबकि इस समय दैनिक की एक हजार से भी कम प्रतियां प्रतिदिन प्रकाशित होती हैं ;

(ख) क्या दैनिक को वर्ष 1975-76 में 10 मीटरी टन अखबारी कागज दिया गया, यदि हां, तो अखबारी कागज का कोटा बढ़ाकर वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में क्रमशः 35 मीटरी टन तथा 21.48 मीटरी टन करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह कागज लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए प्रचार सामग्री प्रकाशन के लिए प्रयोग किया अथवा छोटे व्यापारियों को बेचा गया ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन तथ्यों की जांच कराने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) दैनिक 'अवन्तिका' की 2000 प्रसार संख्या का निर्धारण वास्तविक जांच तथा प्रकाशक के वर्ष 1976 के कागजातों और रिकार्डों की अनुवर्ती जांच के आधार पर किया गया था।

(ख) जी, हां। समाचार पत्र को वर्ष 1975-76 के दौरान 10 मीट्रिक टन अखबारी कागज सर्वथा आयात और निर्यात के मख्य नियंत्रक के अनरोध पर अखबारी कागज के दुरुपयोग के बारे में समाचार पत्र के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यरो द्वारा की जाने वाली जांच को अन्तिम रूप दिए जाने तक, सर्वथा तदर्थ आधार पर दिया गया था। 1976-77 में आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के चेतावनी देकर केस को बन्द करने के निर्णय को देखते हुए, पत्र के द्वारा प्रस्तुत तथा चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित खपत के ब्यौरे तथा वर्ष की अखबारी कागज आबंटन सम्बन्धी नीति के उपबन्धों के अनुसार 5 प्रतिशत की स्वीकार्य वृद्धि के हिसाब से पत्र की हकदारी 40.88 मीट्रिक टन बैठी। इसमें से पत्र के अनुरोध पर 35 मीट्रिक टन अखबारी कागज रिलीज किया गया था, जबकि पार्टी ने केवल 16.50 मीट्रिक टन अखबारी कागज ही उठाया। वर्ष 1977-78 के लिए दैनिक को सरकार द्वारा अंकित 2000 प्रतियों के आधार पर 21.48 मीट्रिक टन अखबारी कागज आबंटित किया गया था।

(ख) और (ग) 1976-77 के दौरान, जहां तक अखबारी कागज के समाचार-पत्र छपने से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग करने का सम्बन्ध है, यह प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वर्ष की खपत का ब्यौरा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित है। वर्ष 1977-78 में अखबारी कागज का कोई दुरुपयोग हुआ या नहीं, इसका पता 1978-79 के दौरान समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में खपत का ब्यौरा प्राप्त होने पर ही लगेगा। इसको देखते हुए, इस अवस्था पर किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता।

हरिजनों पर अत्याचार

4805. श्री पी० जी० मावलंकर
श्री के० लकप्पा } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक हरिजनों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अन्य लोगों के साथ मारेपीट, उन्हें शर्मिन्दा करने, उन पर आक्रमण करने तथा उनकी नृशंस हत्या की अनेक

घटनाएं जनवरी तथा फरवरी, 1978 के महीनों में देश के अनेक भागों से तथा स्वयं उनके क्षेत्र में भी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या धोबियों को कानूनी तथा नियमों के अनसार शीघ्रता से पकड़ा गया, नजरबन्द किया गया, उनसे पूछताछ की गई और उन पर मुकदमा चलाया गया ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) धोबी सिद्ध होने वालों को यदि कोई सजा दी गई है, तो क्यों?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ङ) समाज के अन्य व्यक्तियों की भांति अनसूचित जातियों के व्यक्ति भी अपराधों के शिकार होते रहते हैं। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 28 फरवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान भारतीय दंड सहिता के अधीन पंजीकृत ऐसे मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य	मामलों की संख्या
पंजाब	6
हरियाणा	9
आन्ध्र प्रदेश*	4
गुजरात*	27
हिमाचल प्रदेश*	7
कर्नाटक*	9
महाराष्ट्र*	69
उड़ीसा*	3
उत्तर प्रदेश*	432
पांडिचेरी*	4

*केवल जनवरी, 1978 के आंकड़े उपलब्ध हैं।

टिप्पणी :—अन्य संघ शासित क्षेत्रों तथा मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम राज्यों के बारे में सूचना शून्य है। शेष राज्यों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

ऐसे सभी मामलों में कार्रवाई संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा कानून के अनुसार की जाती है और अलग-अलग मामलों तथा अलग-अलग अभियक्त व्यक्तियों के बारे में और आगे ब्यौरा उनके द्वारा भेजे गए उनके सांख्यिकीय विवरणों में नहीं दिया गया है।

गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण

4806. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम पर्याप्त गति से न चलाकर मंद गति से चलाए जाते हैं।

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों राजधानी जिलों में 1977 के अन्त तक शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा हो गया था और यदि नहीं, तो जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उस क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) यद्यपि कुछ राज्यों में प्रगति धीमी है, फिर भी सम्पूर्ण देश में ग्राम विद्युतीकरण के विस्तार में निरन्तर वृद्धि हुई है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण की एक निश्चित मात्रा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष आबंटन किया जाता है। इन निधियों का संवितरण ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर स्कीमें तैयार करने और बाधाओं को दूर करने में राज्य बिजली बोर्डों को सहायता देने की दृष्टि से ग्राम विद्युतीकरण निगम ने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम में भी निरन्तर वृद्धि की जा रही है।

(ग) गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति नीचे दी गई है :—

जिला	गांवों की कुल संख्या	31-1-78 तक विद्युतीकरण गांव
अहमदाबाद	674	433
गाँधीनगर	75	75

गांधीनगर जिला के सभी गांव तथा अहमदाबाद जिला के 64% से अधिक गांव विद्युतीकरण किए जा चुके हैं।

परिवहन जहाजों की क्षमता

4807. **श्री बी० पी० मंडल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में परिवहन जहाज कितने हैं और उनकी क्षमता क्या है ; और

(ख) उनसे हमारी आवश्यकता कहां तक पूरी होती है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) 1-3-78 को 5.36 मिलियन जी० आर० टी० / 8.81 मिलियन डी० डब्ल्यू० टी० के 372 जहाज।

(ख) हमारे जहाजों ने 1976-77 के दौरान 41.6% राष्ट्रीय माल ढोया जो लगभग 100% तटीय माल लगभग 40% लाईनर माल और 70% आर्द्र थोक माल था। शुष्क थोक माल में, हमारे जहाजों ने लगभग 28% माल ढोया।

बिजली का उत्पादन और आवश्यकता

4808. **श्री बी० पी० मंडल**
श्री कंवर लाल गुप्त } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की कुल आवश्यकताओं की तुलना में देश में कुल कितने वाट बिजली का उत्पादन होता है ;

(ख) उक्त अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) आगामी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक के लिए बिजली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) माह अप्रैल, 1978 में देश में विद्युत की राज्यवार आवश्यकता तथा उपलब्धता दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) देश में विद्युत की आवश्यकता पूरी करने में रहने वाली कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 1978-79 के दौरान लगभग 4,000 मेगावाट कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता चालू करने का कार्यक्रम है। 1978-83 की पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 18,500 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़ने की परिकल्पना है ।

नई क्षमता जोड़ने के अतिरिक्त वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत उत्पादन अधिकतम करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं ।

विवरण

माह अप्रैल, 1978 के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रत्याशित आवश्यकता और उपलब्धता को दिखाने वाला विवरण

(सभी आंकड़े मेगा वाट में)

राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	अतिरिक्त (+) कमी (−)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
चण्डीगढ़	32	27	(−) 5
दिल्ली	379	379	—
हरियाणा	571	457	(−) 114
हिमाचल प्रदेश	59	59	—
जम्मू और काश्मीर	111	84	(−) 27
पंजाव	700	676	(−) 24
राजस्थान	550	550	—
उत्तर प्रदेश	2247	1776	(−) 471
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	1305	1403	(+) 98
मध्य प्रदेश	980	582	(−) 398
महाराष्ट्र	2590	2156	(−) 434
गोवा, दमन और दियु	70	55	(−) 15

1	2	3	4
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	882	1137	(+) 255
कर्नाटक	1190	815	(−) 375
केरल	532	819	(+) 287
तमिलनाडु (पाण्डिचेरी सहित)	1576	1038	(−) 538
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	550	352	(−) 198
दामोदर घाटी निगम	775	666	(−) 109
पश्चिम बंगाल	900	710	(−) 190
उड़ीसा	470	545	(+) 75
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
अरुणाचल	5.40	5.40	—
असम	173.0	135.16	(−) 37.84
मणिपुर	8.62	5.34	(−) 3.28
मेघालय	16.80	16.80	—
मिजोरम	4.50	2.10	(−) 2.40
नागालैंड	13.08	5.69	(−) 7.39
त्रिपुरा	8.00	9.95	(+) 1.15

पुलिस की गोलियों से हुई मौतें

4809. श्री बी० पी० मंडल
डा० रामजी सिंह } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1975, 1976, 1977 में और 7 मार्च, 1978 तक, राज्यवार पुलिस की गोलियों से कुल कितने व्यक्ति मरे ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस, सीमा सुरक्षा दल और राज्य पुलिस को उपयोग में लाया गया ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में जनशक्ति

4810. श्री बी० पी० मंडल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कुल कितने लोग काम करते हैं ; और

(ख) हमारी जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत उद्योगों पर आधारित है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती प्रभा माईति) : (क) और (ख) सूचना "इकानामिक सर्वे 1977-78" के पृष्ठ 80 तथा 81 पर रोजगार तालिका में समाविष्ट है। जिसे सभा पटल पर रखा जा चुका है। उद्योगों पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। इसे 1971 की जनगणना में भी इकट्ठा नहीं किया गया था।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के जाली पास बनाने वालों की गिरफ्तारी

4811. श्री महीलाल : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दिल्ली परिवहन निगम की बसों के जाली पास बनाने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है ;

(ख) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों से कोई सम्पर्क है ; और

(ग) ऐसी जालसाजी को रोकने के लिये दिल्ली परिवहन निगम ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि मामला दिल्ली छावनी स्थित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन है, अत: इसके बारे में इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(ग) निगम के जांच अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।

सीमेंट अनुसंधान इंस्टीट्यूट द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं

4812. डा० बलदेव प्रकाश : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में सीमेंट अनुसंधान इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद से इसने कौन कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की हैं ;

(ख) आरम्भ की गई परियोजनाओं के क्या परिणाम हैं और उन पर कितनी लागत आई; और

(ग) क्या सरकार ने सीमेंट अनुसंधान इंस्टीट्यूट द्वारा आरम्भ किये गये कार्य का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रिपोर्ट क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत को यूरेनियम के आने में विलम्ब

4813. श्री ए० के० राय
श्री जी० एम० बनतवाला
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फरवरी, 1978 के 'स्टेट्समैन' में "यूरेनियम-शिपमेंट टू इंडिया में वी फरदर डिलेड" (भारत की यूरेनियम के आने में और विलम्ब) शीर्षक और 3 मार्च, 1978 "टाइम्स आफ इंडिया" में "आन्सर टू यू० एस० बुलायिंग" (अमरीकी धमकी का उत्तर) शीर्षक से छपे समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का स्थिति से निपटने और तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र को बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) इस विषय पर 23 मार्च, 1978 को रखे गए एक ध्यानाकर्षक प्रस्ताव पर हुई बहस के दौरान पूरी स्थिति विस्तारपूर्वक बताई जा चुकी है।

NUMBER OF INDIAN FILMS EXPORTED TO FOREIGN COUNTRIES

4814. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the names of the countries to which Indian films were exported during the years 1976-77 and 1977-78;

(b) the foreign exchange earned as a result thereof;

(c) whether there is a need to improve the standard of films which are exported to the foreign countries; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) The names of the countries to which Indian films were exported as per available data during the years 1976-77 and 1977-78 are given in the enclosed statement.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(c) The foreign delegates who attended the Film Market organised by Indian Motion Pictures Export Corporation, Bombay, during the Filmotsav-1978 advocated reduction in length, dialogue, dance and song sequences of Indian films so that the main story theme does not suffer from prolonged interruptions. According to them this would make Indian films more acceptable to foreign viewers excluding Asian ethenic settlers.

(d) The views expressed by the foreign delegates are being communicated to the Film Procedurers/Exporters Associations through Indian Motion Pictures Export Corporation. Government is not in a position to take any further action in this regard because production of films in our country is in private sector.

STATEMENT

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF THE COUNTRIES TO WHICH INDIAN FILMS WERE EXPORTED DURING THE YEARS 1976-77 AND 1977-78

(1) *Names of the countries to which Indian films were exported during* 1976-77 :

Afganistan, Australia, Bahrein Island, Dubai, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Barbados, Guyana, Surinam, Trinidad, FR. W. Indies, Malaysia, Singapore, Botswana, Gibraltar, Libya, Sengal, Moroco, Jordon, Lebanon, Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria, Siera Leone, Ethopia, Kenya, Malawi, Tanzania, German Democratic Republic, Federal Republic of German, Bolivia, Colombia, Peru, Mauritius, Hong Kong, Belgium, Burma, Cameroon, Canada, USA, Sri Lanka, Czechoslovakia, Fiji Island, Finland, France, Greece, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Italy, Korea Republic, Maldive Islands, Nepal, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, S. Yemen P. Republic, Seychelles, Spain, Sudan. Swaziland, Switzerland, Thailand, Arab Republic Egypt, U.K., U.S.S.R., Yeman Arab Republic, Yugoslavia.

(2) *Names of the countries for which shipping bills were passed by Indian Motion Pictures Export Corporation for export of Indian films during* 1977-78 :

Afghanistan, Australia, Bahrein Island, Dubai, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Barbados, Guyana, Surinam. Trinidad, FR. W. Indies, Malaysia, Singapore, Botswana, Gibraltar, Libya, Senegal, Morocco, Jordan, Lebanon, Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria, Siera Leone, Ethopia, Kenya, Malawi, Tanzania, German Democratic Republic, Federal Republic of German, Bolivia, Colombia, Peru, Mauritius, Hong Kong, Phillippines, Manila, Belgium, Burma. Canada, U.S.A., Sr. Lanka, Czechoslovakia, Fiji Island, France, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Maldive Islands, Portugal, Romania, Seychelles, Sudan, Switzerland. Thailand, Indo-China, Arab Republic Egypt, U.K., Ireland, U.S.S.R.. Yemen Arab Republic, Yugoslavia Bulgeria, Holland, Hungary, Japan, Taiwan.

OBSERVING AUSTERITY IN EXPENDITURE IN PUBLIC LIFE

4815. SHRI RAMANAND TIWARY
SHRI SHARAD YADAV } : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the steps taken by the Ministry so far in fulfilment of commitment of Government of creating an atmosphere of simplicity by observing austerity and curbing ostentatious expenditure in public life; and

(b) the action being taken by Government to impose restriction on the expenditure incurred on inaugurations functions big hotels etc.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b) Instructions issued by the Ministry of Finance. for observing utmost economy in expenditure keeping in view the present Government's emphasis on austerity and avoidance of all forms of ostentation, are being strictly followed in this Ministry. As a result, expenditure on hospitality, electrical appliances including air-conditioning, furniture and furnishings, touring by Ministers and their personal staff and on staff cars, has been substantially less than in the previous year as will be evident from the figures given below :—

	1976-77 Rs.	1977-78 Rs.
Hospitality	76,900·00	27,575·79
Electrical Appliances (including air-conditioning) .	3,99,686·89	2,26,094·93
Furniture and Furnishings.	96,988·70	62,048·72
Touring by Ministers & their personal staff .	1,99,418·92	84,556·05
Staffcars	1,34,820·55	1,27,101·82

बरनाला के निकट सैनिक विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

4816. श्री जी० एम० बनतवाला
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 4 मार्च, 1978 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार को देखा है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पंजाब में बरनाला के निकट 3 मार्च, 1978 को एक सैनिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसके परिणामस्वरूप 8 सेना कर्मचारी मारे गये थे।

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या दुर्घटना के बारे में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। 3 मार्च, 1978 को नहीं, बल्कि 2 मार्च, 1978 को बरनाला के समीप एक सैनिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें 8 सेना कार्मिक मारे गए ।

(ख) और (ग) इस दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए एक जांच अदालत स्थापित करने के आदेश दे दिए गए हैं और दुर्घटना के कारणों का पता जांच अदालत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद ही चलेगा।

विद्यमान मान्यता-प्राप्त फैडरेशनों से कर्मचारियों का सम्बन्ध विच्छेद

4817. श्री दयाराम शाक्य : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान मान्यता प्राप्त फैडरेशनों से बहुत से कर्मचारियों ने संबंधविच्छेद कर लिया है क्योंकि वे आपात स्थिति के दौरान कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके और वे भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ जैसे वास्तविक व्यापारिक संगठन में शामिल हो गये हैं ;

(ख) क्या मंत्रालय भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को एक अखिल भारतीय फैडरेशन के रूप में मानता है क्योंकि जब इस फैडरेशन ने औपचारिक गठन के लिये आवेदन किया था तब पचास हजार रक्षा कर्मचारी इसके सदस्य थे जैसा कि इसका दावा है ;

(ग) किन-किन श्रेणियों/रक्षा कर्मचारियों के ट्रेडों पर किसी मजदूर संघ/एसोसिएशन का गठन करने अथवा उसमें शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है ;

क्या इन प्रतिबंधों को हटाने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) क्या आर्मी मेडिकल कोर एम्प्लायमेंट का कोई पंजीकृत मजदूर संघ कार्य कर रहा है, यदि हां, तो कितने; और

(ङ) यदि नहीं, तो उस कोर के कर्मचारियों ने अपनी वास्तविक शिकायतें दूर करवाने के लिय क्या उपाय अपना रखे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) अभी नहीं। अखिल भारतीय स्वरूप के फैडरेशन को तभी मान्यता दी जाती है जब सरकार उसके सदस्यों की संख्या, सदस्यता, गतिविधियों आदि के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है जिसमें इससे संबद्ध यूनियनें भी सम्मिलित हैं।

(ग) उन रक्षा प्रतिष्ठानों के सिविलियन कर्मचारी जिन्हें ट्रेड अथवा "उद्योग" नहीं कहा जाता है और 5 सितम्बर, 1977 के एस० आर० ओ० संख्या 17-ई में निर्दिष्ट राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और जिलों में डिपुओं/प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारी ट्रेड यूनियनें नहीं बना सकते वे प्रबन्धकीय तथा पर्यवेक्षक कर्मचारी, जिन्हें "कामगार" नहीं कहा जाता है, फोरमेन, सहायक फोरमेन चार्जमैन, लांगरी, वाटर केरियर, नाई और यूनिट लाइनों/नैसों में कार्य करने वाले इसी तरह के अन्य कर्मचारी भी ट्रेड यूनियनों के सदस्य नहीं बन सकते हैं। परन्तु उपर्युक्त कामगारों के कुछ वर्ग एसोसिएशन बना सकते हैं।

(घ) जी, हां। आर्मी मेडिकल कोर सिविलियन कर्मचारियों की इस समय तीन पंजीकृत ट्रेड यूनियनें हैं जो आर्मी मेडिकल यूनिटों में कार्य कर रही हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

असैनिक कर्मचारियों की पदोन्नति

4818. श्री दयाराम शाक्य : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 से अधीनस्थ स्तर के (श्रेणी-वार) कितने असैनिक कर्मचारियों को ऊंचे पदों पर पदोन्नत किया गया है ;

(ख) इसी अवधि में मिलिटरी इंजीनियर सर्विसेज (श्रेणी-वार) के कितने सेवा कार्मिकों को पदोन्नत किया गया ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मिलिटरी इंजीनियर सर्विसेज (श्रेणी-वार) में कितने असैनिक कर्मचारियों को एक से अधिक बार पदोन्नत किया गया और इसी अवधि में उसी श्रेणी के कितने सेना कार्मिकों को एक से अधिक बार पदोन्नत किया गया ; और

(घ) असैनिक अधीनस्थ कर्मचारियों में कितने समय से निराशा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) से (घ) कमान और लोअर फार्मेशनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सूचना प्राप्त हो जाने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

RAPE CASES IN NEW DELHI

4819. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on 2nd March, 1978 some goondas forcibly took a 13-year old girl to a house in Sujan Singh Park of the capital city at knife point and raped her one by one;

(b) whether it is also a fact that on the very day some goondas kidnapped on knife point a 30-year old woman from Mandir Marg in the presence of her son and raped her; and

(c) if so, the steps taken by Government to check the increasing way laying and rape incidents ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) The incident relates to case FIR No. 88 dated 2-3-1978 u/s 363/368/342 IPC PS Tughlak Road. The case is under investigation. Two persons have been arrested, while efforts are being made to arrest the third person who is absconding.

(b) The incident relates to case FIR No. 91 dated 3-3-1978 u/s 368/376/34 IPC PS Mandir Marg. The case was registered on the complaint of the husband of the 30 years old woman. One of the accused has been arrested while efforts are being made to arrest the remaining two. The case is under investigation.

(c) The following steps have been taken to check such incidents :—

(i) strict watch is maintained to check the activities of known criminals and anti-social elements.

(ii) Mounted police patrolling is done in secluded spots.

(iii) Pickets are posted at vulnerable points.

(iv) Effective day and night patrolling is done in wireless fitted vehicles.

(v) Strict vigil is being kept on the bad characters.

CONSTRUCTION OF UTTAR PRADESH-ASSAM ROAD

†4820. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether the work of construction of Uttar Pradesh-Assam Road via Darbhanga-Farvishganj under Lateral Road Project from the point of view of national Security was started at the time of Chinese Attack;

(b) whether it is a fact that the work of construction taken up by security Department was complete only up to a place in between Darbhanga and Farveshganj (Purnea) and left;

(c) whether it is also a fact that this Indo-Nepal Garden Road constituted from national security point of view is lying useless because of 2530 mile road repairing incomplete in between whereas an expenditure amounting to many crores of rupees has already been incurred thereon; and

(d) if the answer to parts (a), (b) and (c) be in the affirmative whether steps would be taken to complete this work ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) to (d) Presumably the Member is having in mind the Lateral Road developed by the State Governments concerned with Central assistance from Bareilly in Uttar Pradesh to Amingaon in Assam along the Pilibhit-Lakhimpur-Nanpara-Domariaganj-Basti-Kasia-Piprakothi-Muzaffarpur-Barauni- Purnia-Araria- Thakurganj-Chalsa-Hashimara-Bhalka- Sankosh- Kachugaon-Sidli and Amingaon route passing through Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam. It is comprising partly of State roads and partly of National Highways. Almost the whole of this road is complete and is being used by traffic. Darbhanga and Forbesganj do not fall on the above mentioned route of the Lateral Road. A road between Darbhanga and Forbesganj when developed would be a State Road and the Government of Bihar would be concerned with its construction.

AGRO-INDUSTRY SCHEMES APPROVED BY GOVERNMENT

4821. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the district-wise agro-industry schemes approved by Government for the development of backward districts from Industrial point of view in Bihar; and

(b) whether Government propose to set up big and small jute industries in Saharsa District when jute is grown in abundance ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) A statement is attached.

(b) No, Sir.

STATEMENT

List of Agro-Industries (Prospective)

BHAGALPUR

Spices Powder
Rope & Ban making

SANTHAL PARGANAS

Rope from Sabai Grass
Straw Board

MONGHYR

Straw Board

BEGUSARAI

Caster crushing
spices powder

NALANDA

Dehydrated Potato chips
Straw Board

PHOJPUR

Straw Board
Rice Bran oil

AURANGABAD

Rice Mills
Dall Mills
Cattle feed
Straw Board
Crushing oil seeds
Khandsari Gur
Double Boiled Linseed oil

GAYA

Rice Mills
Straw Board
Deodowrised De-coloured Edible oils
Gur Khandsari
Double Boiled Linseed oil
Cattle feed
Crushing of oils seeds

NAWADA

Modern Rice Mills
Straw Board
Gur Khandsari

Deodowrised De-coloured Edible oils
Double Boiled Linseed oil
Cattle feed
Crushing of oils seeds

DARBHANGA

Cattle feed

MADHUBHANI

Straw Board
Fruit—processing
Rope and Ban making

SAMASTIPUR

Spices powder

KATIHAR

Nil

PURNEA

Jute Rope
Straw Board
Rice Branoil

SAHARSA

Oil Mills
Rice Mills
Straw Board
Khandsari
Fruit preservation
Jute twine
Rope and Ban Making
Sewai making
Food processing

MUZAFFARPUR

Cattle feed
Fruit preservation

SITAMARHI

Straw Board
Cattle feed

VAISHALI

Spices powder

SARAN

Nil

GOPALGANJ

Straw Board
Potato Starch
Garlic powder

SIWAN

Cattle & Poultry feed
Straw Board
Crushing of oils seeds
Dehydrated Potato Chips

EAST CHAMPARAN

Straw Board, Spices powder,
Sawai Grass Rope
Vermicelli

WEST CHAMPARAN

Bakery
Straw Board

PALAMAU

Rope making
Spices powders
Lac fefining

तमिलनाडु में मीनपराय पन बिजली पम्प-भण्डारण का निर्माण

4822. **श्री के० ए० राजू :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में मीनपराय पन बिजली पम्प-भण्डारण योजना के निर्माण के परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या तमिलनाडु में बिजली की कमी के महत्व पर विचार करते हुए योजना को पुनः चालू करने का कोई विचार है ;

(ग) यदि हां, तो संशोधित प्राक्कलन की लागत कितनी है ; और

(घ) उक्त योजना को कब तक पुनः चालू किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) तमिलनाडु की मीनपराय जल विद्युत्त पम्प जलाशय स्कीम से ग्रिड को व्यस्ततम काल में 400 मेगावाट क्षमता प्राप्त होने की व्यवस्था है। तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि इस परियोजना के निर्माण के परिणामस्वरूप बोर्ड को कोई हानि होने की की सम्भावना नहीं है।

(ख) से (घ) तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि स्कीम को दिसम्बर, 1977 में पुनः चालू किया गया है और निर्माण कार्य पुनः चालू कर दिए गए हैं। संशोधित लागत 73.40 करोड़ रुपए बताई गई है।

हिमाचली बोली में फिल्म तैयार करना

4823. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या हिमाचली बोली में एक फिल्म तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जैसा कि हरयाणवी और भोजपुरी बोलियों के मामले में किया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) संविधान में उल्लिखित भाषाओं से भिन्न-भिन्न बोलियों प्रादेशिक भाषाओं में फिल्में तैयार की गई हैं और प्रदर्शित की गई हैं ; और

(ङ) उपरोक्त बोलियों एवं भाषाओं में गत 5 वर्षों में तैयार की गई फिल्मों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) भारत में फीचर फिल्मों का निर्माण निजी क्षेत्र में हैं। सरकार केवल डाकुमैंट्री फिल्मों/लघु फिल्मों के ही फिल्म प्रभाग के माध्यम से निर्माण का काम हाथ में लेती है।

(घ) ये बोलियां हैं :—(1) अवधी; (2) डोगरी (3) मगधी ; (4) छत्तीस गढ़ी; (5) मैथिली; (6) कूर्गी ; (7) तुलु ; (8) हरियाणवी ; (9) राजस्थानी ; (10) भोजपुरी (11) कोंकणी तथा (12) मणिपुरी ।

(ड़) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1973-77 की अवधि के दौरान संविधान में उल्लिखित भाषाओं से भिन्न प्रादेशिक भाषाओं की बोलियों में तैयार की गई फिल्मों के नाम

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	निर्माण वर्ष
	तुलु	
1.	कस्स दाये कंडाने	1973
2.	कोटी चेन्नाया	1973
3.	उडलदा तुदार	1973
4.	यान सन्यासी अस्पे	1973
5.	येर मुलयिना थप्पू	1974
6.	बय्या मैलिगे	1974
7.	सविरोडोर्ती सावित्री	1976
8.	तुलुनाडु सिरी	1976
9.	न्यायगु जिन्दाबाद	1977
10.	बोल्लिडोटा	1977
	हरियाणवी	
1.	बीरा शेरा	1973
2.	चौधरी हरपुलसिंह (जाट जुलानीवाला)	1974
	राजस्थानी	
1.	लाज राखो रानी सति (सेवा मी, रानी सति)	1973
	भोजपुरी	
1.	डाकू रानी गंगा	1977
2.	दंगल	1977
	कोंकणी	
1.	वोगलन्त	1975
2.	भुई रंतलो मुनिस (केव मैन)	1976
3.	मोग अनी माई पास	1977
	मणिपुरी	
1.	लम्जा परशुराम	1974
2.	नागक-इ-को—नांगसे	1974
3.	साफाबी	1976

कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का लगाया जाना

4824. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जाने वाले कम शक्ति के ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जैसा कि 1 दिसम्बर, 1977 के 'योजना' पत्र में बताया गया था ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक ब्लाक में साहित्य प्रकाशन, प्रदर्शनियों के आयोजन, फिल्में बनाया जाना और दिखलाया जाना तथा मौखिक प्रचार आदि की व्यवस्था में एक स्वतंत्र आधार ढांचा बनाकर एक सांस्कृतिक क्रान्ति लाने का विचार है जैसा कि 1 दिसम्बर, 1977 के 'योजना' में बताया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में सुपर तापीय बिजलीघर में स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति

4825. **श्री सूर्य नारायण सिंह**
श्री सुखेन्द्र सिंह } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2000 मेगावाट के सुपर तापीय बिजली घर का जिसे मूलतः मध्य प्रदेश में सिंगरोली कोयला खानों के लिये मंजूरी दी गई थी और अब उत्तर प्रदेश में अन्तरित कर दिया गया है, मुख्य भाग अभी भी मध्य प्रदेश के अन्तर्गत आता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भूमि के अनुपात में वहां स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बारे मे विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। सुपर ताप विद्युत्त केन्द्र का संयंत्र स्थल उत्तर प्रदेश के मिरजापुर जिले में है। परियोजना स्थल की स्वीकृति के बाद उसमें कोई तबदीली नहीं हुई है। परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में है। कोयला ले जाने के लिए रेलवेलाइन के निर्माण हेतु तथा शीतलन जल प्रणाली के लिए डिस्चार्ज चैनल के निर्माण के लिए कुछ भूमि मध्य प्रदेश में अर्जित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) भर्ती सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर की जाती है। इनमें यह व्यवस्था है कि जितनी भी रिक्तियां उपलब्ध हों, विस्थापित परिवारों के व्यक्तियों को उस सीमा तक रोजगार दे दिया जाए।

त्रिपुरा, मनीपुर, नागालैण्ड और मिजोरम के लिये प्रति व्यक्ति योजना आवंटन

4826. **श्री दीनेन भट्टाचार्य**
श्री भगत राम } :क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा, मनीपुर, नागालैंड और मिजोरम की कुल जनसंख्या के आंकड़े क्या हैं और प्रति व्यक्ति योजना आबंटन क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रति व्यक्ति योजना आवंटन का विवरण

राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	1971 की जनगणना के अनुसार जन-संख्या (लाख में)	पांचवीं योजना		1974-75	
		परिव्यय (करोड़ रु०)	प्रति व्यक्ति (रु०)	योजना परिव्यय (करोड़ रु०)	प्रति व्यक्ति (रु०)
1	2	3	4	5	6
त्रिपुरा	15.56	69.68	448	10.48	67
मणिपुर	10.73	92.86	865	10.50	98
नागालैंड	5.16	83.63	1621	14.00	271
मिजोरम	3.32	46.59	1403	6.90	208

1975-76		1976-77		1977-78		1978-79	
योजना परिव्यय (करोड़ रु०)	प्रति व्यक्ति (रु०)	योजना परिव्यय (करोड़ रु०)	प्रति व्यक्ति (रु०)	योजना परिव्यय (करोड़ रु०)	प्रति व्यक्ति (रु०)	योजना परिव्यय (करोड़ रु०)	प्रति व्यक्ति (रु०)
7	8	9	10	11	12	13	14
12.03	77	15.07	97	15.78	101	22.70	146
14.00	130	17.66	165	22.81	213	28.26	263
15.36	298	17.70	343	20.93	406	24.53	475
7.25	218	8.72	263	11.07	333	16.65	501

SHORTAGE OF HINDI TYPEWRITERS

4827. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Hindi Typewriters have a vital role to play in the development of Hindi;

(b) whether there is a great shortage of Hindi typewriters in the country; and

(c) if so, steps being taken by Government in this direction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Sometime back, difficulty was experienced in the timely procurement of Hindi typewriters in requisite numbers. Intensive efforts have been made over the last two years to increase the production and augment supply of Hindi typewriters. As a result of these efforts, the production which was 3169 Nos. during 1975 increased to 9362 during 1977 and the availability position has improved considerably. The quantum of pending orders with the manufacturers is not significant.

The steps takien by Government in this direction include the following :—

(i) In the case of some new undertakings, it has been stipulated that they should produce at least 50% of the typewriters in Hindi and other Indian languages. In the case of some other new units, it has been made a condition that Government can direct them to produce Hindi typewriters in such quantities as may be required, after two years of commencement of production.

(ii) The existing manufacturers are encouraged to fully utilise their capacity for the manufacture of typewriters in Hindi and Indian languages. Additional capacity for the manufacture of typewriters in Hindi and other Indian languages has also recently been given to an existing manufacturer.

राज्यों में बड़े उत्पादन एककों की स्थापना करना

4828. श्री के० मालन्ना : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1977-78 में राज्यों में बड़े उत्पादन एककों की स्थापना करने के लिये उद्यमियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई मंजूरी का राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गैर-सरकारी कीटनाशक उत्पादक एककों सहित उन्हें दिये गये लाइसेंसों और आशय पत्रों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) वर्ष 1977 तथा जनवरी-फरवरी 1978 में नये उपक्रम स्थापित करने हेतु उद्योग विकास (तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत जारी किये गये आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार विवरण संलग्न है। आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा जिसमें पार्टी का नाम, बनाई जाने वाली वस्तु क्षमता परियोजना का स्थापनास्थल आदि शामिल होते हैं, "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज इम्पोर्ट लाइसेन्सेज एण्ड सक्सपोर्ट लाइसेंसेज" और मन्थली लिस्ट आफ लेटर्स आफ इन्टेन्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। 1978 में कीट नाशी दवाइयों के उत्पादन के लिये स्थापित किये जाने वाले नये उपक्रमों के लिये जारी किये गये आशय पत्रों एवं औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1977 तथा जनवरी-फरवरी, 1978 में नये उपक्रम स्थापित करने हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत जारी किये गये आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण।

राज्य	1977		जनवरी-फरवरी 1978	
	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1. आन्ध्र प्रदेश . .	15	11	—	2
2. आसाम .	1	2	—	1
3. बिहार .	7	4	—	1
4. दिल्ली . . .	6	2	—	—
5. गोआ, दमन एण्ड द्वि .	—	1	—	—
6. गुजरात .	26	16	—	3
7. हरियाणा	4	10	—	4
8. हिमाचल प्रदेश	3	1	—	1
9. जम्मू एण्ड कश्मीर .	5	1	—	—
10. कर्नाटक .	17	13	—	1
11. केरला . . .	10	6	—	1
12. मध्य प्रदेश . .	13	3	—	1
13. महाराष्ट्र . .	36	27	2	2
14. मेघालय .	1	—	—	—
15. नागालैंड . . .	1	—	—	—
16. उड़ीसा . . .	6	1	—	—
17. पंजाब . .	9	11	—	—
18. राजस्थान . .	6	8	—	1
19. तमिलनाडू .	13	8	2	1
20. उत्तर प्रदेश	20	7	1	1
21. पश्चिम बंगाल .	12	9	1	—
योग . . .	211	141	6	20

विवरण-II

1977 और जनवरी-फरवरी, 1978 में कीटनाशी दवाओं के उत्पादन के लिये नये उपक्रम स्थापित करने हेतु जारी किये गये आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा बताने वाला विवरण।

पार्टी का नाम एवं पता तथा उपक्रम का स्थापना स्थल	उत्पादन की वस्तु क्षमता तथा किस्म	आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस की संख्या तथा तिथि
आशय पत्र		
1. मैसर्स शाह वैलेस एण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता (मिदनापुर—पश्चिमी बंगाल)	डी मेथोएट 150 मी० टन फेनीट्रोथियन 300 मी० टन इथीयन 100 मी० टन (एन० यू०)	आ० प० 242/77 दिनांक 5-7-77
2. मैसर्स श्रीमान वीयरिंग लि०, डी० सी० एम० प्रिमिसिस दिल्ली 6 (औरंगाबाद—महाराष्ट्र)	क्यूइनलफास 300 मी० टन मोनोक्रोटोफास 200 मी० टन (एन० यू०)	आ० प० 244/77 दिनांक 30-7-77
3. मैसर्स आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि०, हैदराबाद (पिछड़ा हुआ क्षेत्र—आन्ध्र प्रदेश)	मेलाथियन टेक्नीकल 450 मी० टन (एन० यू०)	आ० प० 338/77 दिनांक 24-10-77
4. मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लि०, सिविल लाइन्स, भोपाल (पिछड़ा हुआ क्षेत्र—मध्य प्रदेश)	मालाथियन टेक्नीकल 450 मी० टन (एन० यू०)	आ० प्र० 485/77 दिनांक 31-12-77
5. श्री पवन कुमार जैन 3, राजिन्द्रा प्लेस नई दिल्ली-8. (बुलन्दशहर—उ० प्र०)	मेलाथियन टेक्नीकल 900 मी टन (एन० यू०)	आ० प० 525/77 दिनांक 31-12-77
औद्योगिक लाइसेंस.		
1	2	3
1. मैसर्स बी० ए० एफ० एफ० इंडिया लि०, डा० ई मोसेज, रोड, बम्बई-400011 (महाराष्ट्र)	बेसालीन 200 मी० टन बेबीस्टीन 135 मी० टन (एन० यू०)	सी०औ०ला० 255/77 दिनांक 30-8-77
2. मैसर्स हिन्दुस्तान मिनरिल प्रोडट्क्स कम्पनी प्रा० लि०, 111, इंडस्ट्रियल एरिया, बम्बई (भड़ोच—गुजरात)	मेथाइल-2 बेंजी मिडाजोल कारबेमेट 400 मी० टन (एन० यू०)	सी० ओ० ला० 334/77 दिनांक 18-11-77

PERMISSION FOR ERECTION OF POWER TRANSMISSION LINES

†4829. SHRI MOHAN BHAIYA
SHRI SUBHASH AHUJA } : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether the Electricity Board are required to obtain prior permission from the Power and Telecommunications Coordination Committee for erection of Power transmission lines;

(b) the time generally taken by the Committee in granting their permission; and

(c) whether any time limit has been fixed for these Department for completion of their part of work ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) :(a) When power and telecommunication lines exist in proximity, voltages are likely to be induced by the former on the latter. Under fault conditions, this is a serious hazard and can prove fatal to persons working on the telecommunication lines. To ensure that adequate safety precautions are taken, a Power & Telecommunications Coordination Committee was set up by a Resolution of the Government of India in 1949. As a measure of safety, the PTCC decided that prior clearance should be obtained before lines are energised.

(b) Generally clearance are given promptly, but in cases where the induced voltages are likely to be high, detailed studies regarding safety requirements have to be undertaken and in those cases the clearance takes longer time.

(c) Generally, P&T and Railways are required to complete their work in a time frame that does not delay the energisation of the line and consequently evacuation of power.

स्टीम कोल की चोर बाजारी

4830. श्री भगत राम : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टीम कोल की चोर बाजारी के बारे में 31 जनवरी, 1978 के "पंजाब केसरी" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी चोर बाजारी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ग) क्या 25 प्रतिशत कटौती को समाप्त किया जायेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) कोयले का उत्पादन बढ़ गया है और अब खान मुहानों पर कोयले का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है। उसे सड़क से भी परिवहन की सुविधायें दी गई हैं।

(ग) रेलवे ने भी सभी कटौतियां 1-3-1978 से वापस ले ली हैं।

त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैण्ड और मिजोरम का कुल उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय

4831. श्री भगत राम : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम के कुल उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय सम्बन्धी नवीनतम आंकड़े क्या हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : प्रचलित भावों के आधार पर मणिपुर एवं त्रिपुरा के लिये नवीनतम [वर्ष (1975-76) सम्बन्धी शूद्ध] घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान सम्बन्धी जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे निम्नलिखित हैं :

राज्य	शुद्ध घरेलू उत्पाद (लाख रु०)	प्रति व्यक्ति आय (रुपये)
1. मणिपुर	9178	740
2. त्रिपुरा	14642	813

नागालैंड एवं त्रिपुरा
नागालैंड एवं मिजोरम के लिये इस प्रकार के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई

4832. श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 20 वर्षीय योजना के अनुसार गुजरात में राष्ट्रीय राज मार्गों की लम्बाई वर्ष 1981 में लगभग 3602 किलोमीटर करने का विचार है जबकि इस समय गुजरात में इसकी लम्बाई 1365 किलोमीटर है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने दिनांक 11-5-73 और 25-8-77 के अपने पत्रों के द्वारा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि 2275 किलोमीटर सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा न करने के क्या कारण हैं जबकि गुजरात राज्य सड़कों के मामले में पिछड़ा हुआ है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार गुजरात की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग कब तक घोषित करेगी तथा राज्य में कितने किलोमीटर लम्बी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जायेगा; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की स्थिति में नहीं है, और

(ङ) कांडला-जामनगर-ओखा-पोरबन्दर-मांगरोल-बेरावल-भावनगर-खम्भात तटीय टाईप सड़क, अहमदाबाद-इन्दौर-भोपाल-सड़क, सूरत-धूलिया-नागपुर-कलकत्ता सड़क को कब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जायेगा तथा इन सड़कों को राष्ट्रीय राममार्ग घोषित करने में केन्द्रीय सरकार को क्या कठिनाइयां हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ङ) संभवत:, माननीय सदस्य महोदय का आशय गुजरात सरकार के उन प्रस्तावों से है जो उसने पांचवीं योजना में 2308 कि० मी० लम्बे दस रुटों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिय भेजे हैं ताकि

'भारत के लिय सड़क विकास योजना (1961-81) पर मुख्य इंजीनियरों की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार पारा परिगणित 3602 कि० मी० का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकताओं के कारण सरकार किसी नई सड़क की राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने में असमर्थ हैं । इसलिय, उक्त सभी प्रस्तावों को तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति के विस्तार के लिय पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो जाती ।

RECOMMENDATIONS MADE BY RAMKRISHNA STUDY GROUP

4834. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the nature of recommendations made by Ramkrishna Study Group appointed by the Central Government to encourage medium entrepreneurs;

(b) when this study group was appointed and when it has submitted report to Government; and

(c) the recommendations, out of them, which will be implemented by Government and when ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) The main recommendations made by the Study Group on Industrial Regulations and Procedures are contained in the Press Note issued by Government on the 2nd February, 1978, copies of which are available in the Parliament Library.

(b) The Study Group which was appointed vide Order dated 31st October, 1977 had submitted its interim report on 31st January, 1978 and the final report on 20th February, 1978.

(c) The Recommendations of the study group are under consideration of the Government.

CLOSING DOWN OF SMALL SCALE INDUSTRIES

4835. SHRI CHHABIRAM ARGAL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the State-wise number of units registered with small scale sector and the number of units out of those functioning in each State as also the number of those units which have been closed down; and

(b) the reasons for closing down small scale units in each State ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) The State-wise number of small scale units under the purview of Development Commissioner, Small Scale Industries, registered with the State Directorate of Industries as on 1-1-1978 is as under :

Name of the State	Units Registered
1	2
Andhra Pradesh	16360
Assam	2952
Bihar	12141
Gujarat	19030
Haryana	10079
Himachal Pradesh	2546
Jammu & Kashmir	2211
Karnataka	12241
Kerala	12288
Madhya Pradesh	13044
Manipur	644
Maharashtra	20944

1	2
Meghalaya	276
Nagaland	193
Orissa	3840
Punjab	21614
Rajasthan	12261
Sikkim	NR
Tamil Nadu	23654
Tripura	698
Uttar Pradesh	17535
West Bengal	56265
Arunachal Pradesh	131
Chandigarh	585
Dadra & Nagar Haveli	210
Delhi	7342
Goa, Daman & Diu	1006
Mizoram	263
Pondicherry	545
	270898

Note : The Figures are provisional.

N. R. Information not received.

Revised procedure of registration of small scale units with the State Industries Departments was introduced in 1975. Under this procedure, provision for reporting of units de-registered by State Industries Departments has also been made. The units which are to be found closed continuously for a period of more than one year are to be de-registered. Reports on de-registration are not being received from all the States regularly. However, the available reports indicate that closing down of units among those registered with DIs is not high. Information available in respect of 12 States is given below :

S.No.	State/U.T.	No. of closed units
1.	Haryana	115
2.	Himachal Pradesh	16
3.	Madhya Pradesh	584
4.	Orissa	54
5.	Punjab	1276
6.	Rajasthan	290
7.	Uttar Pradesh	252
8.	Chandigarh	39
9.	Dadra & Nagar Haveli	20
10.	Delhi	149
11.	Goa, Daman and Diu	16
12.	Pondicherry	10

(b) Small scale units generally close down for reasons such as lack of demand, shortage of raw materials, inadequate finance etc.

पैट्रोल ले जाने के लिये चीन द्वारा एक पाइपलाइन का बिछाया जाना

4836. **श्री कंवर लाल गुप्त**
श्री धर्मवीर वशिष्ठ
श्री माधव राव सिंधिया } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पैट्रोल आदि ले जाने के लिय चीन की सरकार ने तिब्बत तक एक पाइपलाइन बिछाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि चीन युद्ध की तैयारियां तेजी से कर रहा है; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ख) चीन के लिये सिंचाई राज्य में गोल्मो से ल्हासा तक तेल की पाइपलाइन बिछाए जाने के बारे में सरकार ने रिपोर्टें देखी हैं। सरकार को चीन की युद्ध सम्बन्धी तैयारियों की कोई जानकारी नहीं है।

यहां पर यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपनी सीमाओं की निरन्तर सतर्कता से निगरानी रखते हैं और रक्षा सम्बन्धी अपनी पूरी तैयारी भी रखते हैं ।

"रूपीज नाइन लाख्स फार आर० एस० एस० फ्राम फोरेन सोर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4837. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि

(क) क्या 27 फरवरी, 1978 के प्रारम्भ "टाइम्स आफ इण्डिया" में "रूपीज नाइन लाखस फार आर० एस० एस० फ्राम फोरेन सोर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के चार आदिवासी जिलों में अपनी गतिविधियों को द्रुत करने के लिये इस धनराशि का नियतन किया गया है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मन्डल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) सरकार को कोई सूचना नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने किसी विदेशी स्रोत से 9 लाख रुपये प्राप्त किये हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों आदि के बारे में
RE. CALLING ATTENTION NOTICES ETC.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : तम्बाकू के मूल्यों के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। मंत्री महोदय ने 15 मार्च को आश्वासन दिया था कि सरकार कुछ मात्रा में तम्बाकू खरीदेगी।

यद्यपि 15 दिन हो गये हैं तथापि एक औंस तम्बाकू भी नहीं खरीदा गया है। यह तम्बाकू बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय की असफलता है। सरकार वक्तव्य दे कि 15 मार्च के बाद उसने क्या किया है। इस वर्ष तम्बाकू उत्पादक पचास साठ करोड़ रुपये से वंचित रह गये हैं। (**व्यवधान**) इंडियन टोबैको कम्पनी सारा पैसा बना रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आपका स्थगन प्रस्ताव ग्रहीत नहीं हुआ है।

ज्योतिर्मय बसु : तो मैं किस रूप में इसे सभा में रखूं।

अध्यक्ष महोदय : जब वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार हो तब रखना। वे 4 तारीख को ली जा रही हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मेरा मार्गदर्शन कीजिये। क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 377 के अधीन प्रस्ताव गृहीत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

(व्यवधान)

SHRI RAM AWADHESH SINGH (Bikramganj) : Mr. Speaker, Sir, yesterday I gave a notice under Rule 184.

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जायेगा ?

SHRI RAM AWADHESH SINGH : Kindly listen to me for a while.

अध्यक्ष महोदय : कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

SHRI RAM AWADHESH SINGH : Call Attention motion will not do. Four successive incidents of burning Harijans alive have taken place. At least four hours should be allotted for discussion on this.

MR. SPEAKER : We will see.

श्री जी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ग्रहीत किया जायगा परन्तु यहां चर्चा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यहां प्रधान मंत्री उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं कि वह सभा को बतलायें कि यह सुनिश्चित करने हेतु क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

प्रधान मंत्री इसे अपना निजी उत्तरदायित्व समझ कर यह सुनिश्चित करें कि हरिजनों पर हमले न हों। हम प्रधान मंत्री से इस पर आश्वासन चाहते हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : .....**

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही यह कह चुके हैं। कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मेरा एक निवेदन है । आपको याद होगा कि कार्य मंत्रणा समिति में हमने गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का दर्जा बढ़ाने के बारे में सोचा था। यदि ऐसा होता तो ऐसे मामलों पर विशेष विवेचना की जा सकती थी। उसे 17 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है । अतः मैं अनुरोध करता हूं कि सभा के सभी वर्गों के सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकें, इसके लिये इस विषय पर दो तीन घंटे चर्चा की जाय। मैं किसी दिन 6 बजे सांय के बाद बैठने को तैयार हूं। चाहे वह कल हो या परसों यदि प्रधान मंत्री सहमत हों तो हम 6 से 8 बजे तक बैठने के लिये तैयार हैं।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : महोदय, मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था। इस सम्बन्ध में यदि एक दिन का भी विलम्ब किया गया तो किसान विवश होकर अपना माल सस्ती दरों पर बेच देंगे तथा इन्हें करोड़ों रुपयों का घाटा होगा।

दूसरे, मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि सरकार हाथी समिति की सिफारिशों को अस्वीकार करने जा रही है। क्या सरकार उस प्रगतिशील उपाय को क्रियान्वित करेगी जिस की उस समिति ने सिफारिश की है?

SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR (Bombay North-Central) : Sir, it is very vital issue and two incidents of atrocities on Harijans have occurred in Maharashtra also. (*Interruptions*) One Harijan have not been allowed to enter into his own house in Maharashtra. If this matter is not discussed in the House, the incidents of atrocities on Harijans will go on increasing. (*Interruptions*)

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : Sir, Harijans were beaten in the presence of police officers for taking water from the wells in Karnatak, Andhra Pradesh and Maharashtra. All the Members belonging to Scheduled Castes have given a notice for Calling Attention on this issue but no time has so far been allotted to discuss the same. I request that an early opportunity should be given to discuss matter in the House.

SHRI UGRASEN (Deoriya) : Sir, in Guntur district of Andhra Pradesh one Harijan has been murdered recently. A Harijan woman was laso killed three days ago in Karnatak. Similarly three more Harijans were murdered in Karnatak. In view of all these incidents I suggest that let us sit after six p.m. today for two hours for having a debate in this vital issue.

श्री पी० रचैया (चामराजनगर) : इस विषय पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान विस्तार से विचार विमर्श किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति ही कुछ निर्णय कर सकती है। आप इस सम्बन्ध में इस समिति के समक्ष सुझाव दे सकते हैं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसरस लिमिटेड, नैनी इलाहाबाद की वर्ष 1976-77 के लिये समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस): महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रसर्स लिमिटड, नैनी इलाहाबाद के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रसर्स, लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1934/78]**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, उद्योग मंत्रालय का प्रतिवेदन सदस्यों को 27 तारीख को प्राप्त हुआ तथा यह बड़ा है कि उसे घटने के लिये कम से कम दो दिन चाहिये। उद्योग मंत्रालय के बारे में वाद विवाद कल आरम्भ हो गया है तथा इसका प्रतिवेदन हमें 27 तारीख को मिला है। क्या यह मजाक नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यह उचित नहीं है।

श्री जार्ज फर्नांडिज : महोदय, यह प्रतिवेदन वर्ष 1977–78 के लिये हैं तथा वित्तीय वर्ष 1977–78 अभी समाप्त होना है। प्रतिवेदन में वर्ष की अदालत जानकारी भी सम्मिलित करनी हीती है। अत: यह आलोचना उचित नहीं हैं।

दूसरे, चूंकि पहली अप्रेल से नई आयात नीति की घोषणा की जाती थी इसलिये वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर उसके बाद चर्चा करना उपयुक्त समझा गया तथा उसके तुरन्त पश्चात् मेरे मंत्रालय की मांगों पर चर्चा का समय निर्धारित किया गया।

श्री के० लकप्पा : आप प्रक्रिया को बदलिये।

श्री जार्ज फर्नांडिस : यह प्रक्रिया मुझे आपसे मिली है। कृपया मुझे इसे बदलने के लिये कुछ समय दें। मैं इस प्रक्रिया को ठीक कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री फर्नानडीज, कृपया अपने पत्र सभा पटल पर रखें।

श्री जार्ज फर्नांडीस : मैं इन्हें पहले ही रख चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चांद राम।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम): मैं मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप धारा (2) के अन्तर्गत कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता है। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1935/78]**।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

25 मार्च, 1978 को केनबरा में भारतीय उच्चायुक्त के निवास स्थान पर एक टाइम बम पाये जाने का कथित समाचार

श्री के० लकप्पा : (तुमकुर) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

25 मार्च, 1978 को केनबरा में भारतीय उच्चायुक्त के निवास स्थान पर एक टाइम बम के पाये जाने और आस्ट्रेलिया में भारतीय मिशन के कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा को खतरा होने का समाचार ।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, हाल ही में, 25 मार्च 1978 को कैनबरा में भारत के हाई कमिश्नर के निवास स्थान का प्रांगण में जो टाइम बम मिला था उसके विषय में हाई कमिश्नर ने मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। उस दिन लगभग 11.30 बजे हाई कमिश्नर के निवास-स्थान पर सुरक्षा कार्य पर तैनात आस्ट्रेलियाई पुलिस को टाइम बम पलीता मिला जो कि पांच जेलिगनाइट सलाइयों वाले एक शक्तिशाली बम से जुड़ा हुआ था। यह बम एक बस्ते में लपेटा हुआ था और हाई कमिश्नर निवास के पीछे की ओर एक झाड़ी में छिपाकर रखा गया था और उसी दिन 14.45 बजे इसे फटना था। यह पलीता हाई कमिश्नर के मुख्य आवास स्थान से लगभग 25 मीटर दूर और हाउस कीपर के घर से लगभग 20 मीटर दूर था। स्थानीय बम डिस्पोजल स्क्वैड को इस विस्फोटक युक्ति को निष्प्रय करने के लिये तुरन्त बुलाया गया। इस घटना के समय हाई कमिश्नर के निवास स्थान में वे स्वयं थे और उनके परिवार के अतिरिक्त अमले के दो सदस्य भी वहां मौजूद थे ।

2. स्थानीय पुलिस का कहना है कि यह बम पिछली रात को वहां रखा गया था। स्थानीय पुलिस की प्रारम्भिक जांच से यह पता चलता है कि हाई कमिश्नर के निवास स्थान पर अब जो यह युक्ति मिली है उसके विस्फोटक तत्व और उसकी पैकिंग उस युक्ति से मिलती जुलती है जो इससे पूर्व फरवरी 1978 में क्षेत्रीय राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन के समय सिडनी में हिल्टन होटल की घटना में प्रयुक्त की गई थी। स्थानीय प्राधिकारी इसकी आगे छानबीन कर रहे हैं। अभी तक इस घटना के लिये जिम्मेदार लोगों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ मालूम नहीं हो सका है।

3. इस घटना के तुरन्त बाद इस क्षेत्र में स्थानीय पुलिस गारद और मजबूत कर दी गई तथा गश्त भी बढ़ा दी गई । केनबरा में स्थानीय प्रधिकारियों ने हाई कमिश्नर, हाई कमीशन के अन्य सदस्यों और हाई कमीशन परिसर की सुरक्षा के लिये पर्याप्त प्रबन्ध कर दिये हैं। सिडनी में भी, जहां भारत सरकार के अन्य कार्यालयों के अतिरिक्त हमारा प्रधान कोंसलावास भी है, पहले ही से अपेक्षित प्रबन्ध हैं ।

श्री के० लकप्पा : यह घटना अकेली नहीं है। विदेश मंत्रालय सदैव यह तर्क देता है कि विदेशों में स्थित हमारे मिशनों पर इस प्रकार की गम्भीर आन्तकवादी गतिविधियों पर कार्य-

वाही की जायेगी। आठ महीने पूर्व भी राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मत्रियों के सम्मेलन में इस प्रकार की घटना हुई थी और उसमें प्रधान मंत्रियों सहित हमारे प्रिय प्रधान मंत्री बाल बाल बचे थे। आनन्द मार्गियों तथा इससे सम्बन्ध संगठनों द्वारा धमकीपूर्ण पत्र लिखे गये हैं और पिछली सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबन्ध लगाया था।

लन्दन स्थित विदेशी मिशनों में यह आतंकवादी गतिविधियां अपनाई गई हैं। केनबरा, लन्दन और एयर इडिया मेलबोर्न में हमले की घटनायें हुई हैं। सम्बन्धित मिशनों ने कर्मचारियों तथा सम्पत्ति के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये अतिथेयी सरकारों को कहा है। कुआलालम्पुर में एयर इडिया के कार्यालय में भी टाइम बम मिला था। गत एक वर्ष से देश के बाहर और अन्दर भी आतंकवादी गतिविधियां लगातार चल रही है। मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में मात्र यह कहा है कि वे उपचारात्मक कार्यवाही कर रहे हैं और वे विदेशों के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं। इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : हमारी सरकार विदेशी सरकार के विरूद्ध किस प्रकार कार्यवाही कर सकती है ?

श्री के० लकप्पा : हमारी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वार्ता कर सकती है। चौधरी चरण सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी को पता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और आनन्द मार्गियों के बीच किस प्रकार सम्पर्क बना हुआ है। इसे मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है। **(व्यवधान)**

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : कृपया आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दीजिये ।

इस प्रस्ताव पर आपका ध्यान दिलाते हुए वह श्री अडवानी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह पर आरोप लगा रहे हैं । उन्हें कहा जाये कि वे केवल सम्बद्ध व्यक्तियों के नामों का ही उल्लेख करें।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न की सीमा से बाहर जा रहे हैं। अपने आप को प्रश्न तक ही सीमित रखें ।

श्री के० लकप्पा : मैं इसी विषय के ध्यानकर्षण प्रस्ताव की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सदन में गृह मंत्री ने तथा राज्य सभा में विदेश मंत्री श्री वाजपेयी ने उसका उत्तर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है और आपने आठ मिनट से अधिक समय ले लिया है ।

श्री के० लकप्पा : आनन्द मार्ग द्वारा संगठित प्रयास किया जा रहा है। इस सरकार ने गत एक वर्ष से अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं संगठनों से सुरक्षा का प्रबन्ध करने एवं इस प्रकार की बातों का पता लगाने का कोई अनुरोध नहीं किया है । हमारे विदेश मंत्री, श्री वाजपेयी ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या उपाय कर रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जहां तक विदेशों में स्थित हमारे उच्च आयुक्तों की सम्पत्ति तथा वहां काम करने वाले कर्मचारियों की आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षा की बात है वह उस देश की सरकार का दायित्व है। कुछ मामलों में कार्रवाई की गई है। केनबरा में भारत के मिलिटरी अटैची पर आक्रमण के अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

लन्दन में हमारे उच्चायक्त के कार्यालय में सहायक श्री अहलवालिया पर आक्रमण करने पर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है वांशिगटन में हुए तीसरे मामले में भी जांच की जा रही है। **(अन्तर्बाधा)** ।

श्री के० लकप्पा :**

अध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी उन देशों की एजेंसियों के निकट सहयोग से काम कर रही है जिन देशों में ये घटनायें हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की भी सहायता ली जा रही है।

विदेशों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों की प्रशंसा करने के स्थान पर हम इस प्रकार की बातें कर रहे हैं ।

श्री के० लकप्पा :**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार भी स्वाभाविक रूप से चिन्तित है और हमने अपने स्तर पर भी कार्रवाई की है। परन्तु यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि ये घटनायें विदेशों में हो रही हैं और जब तक उन देशों की सरकारें कार्यवाही न करें कुछ नहीं हो सकता। कुछ देशों की सरकारों द्वारा कार्रवाई की जा रही ।
है। कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। **(अन्तर्बाधा)**

श्री के० लकप्पा : **

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में सतर्क है। ····· **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री के० लकप्पा : **

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा इनको नियंत्रित करने का यही तरीका है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम स्वाभाविक रूप से चिन्तित हैं और पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि जिन देशों में यह घटनायें हो रहीं हैं उन देशों की सरकारों के सहयोग से हम इन पर नियंत्रण कर सकेंगे।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । आपके क्या प्रस्ताव हैं । क्या आप आनन्दमार्ग पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आनन्द मार्ग पर प्रतिबन्ध लगाया गया था और पिछली सरकार ने वह प्रतिबन्ध हटा दिया।

श्री के० लक्कप्पा : आपकी सरकार क्या कर रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विदेश मंत्री के रूप में मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। यह गृह मंत्रालय का कार्य है।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। सारा देश इस बारे में चिन्तित है। गत आठ मास से आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं में अनेक घटनायें हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त हमारी संस्थाओं में अन्य घटनायें भी घटी हैं। इन संस्थाओं और दूतावासों में हमारे अधिकारियों ने उक्त घटनाओं का साहस से मुकाबला किया है। क्या भारतीय उच्चायुक्तों से सम्बन्धित अधिकारियों को संरक्षण देने का दायित्व सरकार का नहीं है? सरकार को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिये। सरकार न केवल अपने देश के नागरिकों बल्कि विदेशों में देश के लिये कार्य कर रहे अधिकारियों को संरक्षण देने के अपने दायित्व में असफल रही है। क्या सरकार विदेशों से इस बारे में विचार-विमर्श कर रही है जिससे विदेशों में सेवा कर रहे भारतीयों को संरक्षण दिया जा सके? इसके अतिरिक्त वहां बड़े पैमाने पर हिंसा व्याप्त है।

विदेशों में हमारे अधिकारियों के विरुद्ध विदेशी लोग अपराध कर रहे हैं। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इनके कारणों का पता लगाये। एयर इंडिया की उक्त दुर्घटना की अवहेलना नहीं की जा सकती जिसमें बेचारे 213 व्यक्ति मारे गये थे। विदेशों में हमारे अधिकारियों को मारने का प्रयास किया जाता है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले पर चर्चा के लिये सब देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलायेगी जिससे न केवल भारत के बल्कि अन्य देशों के अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त हो सके।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारी ओर से इस बारे में यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसे चुने हुए मिशनों में भारत से सुरक्षा सैनिक भेजे गये हैं और जहां आवश्यक समझा गया है वहां सुरक्षा सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिये अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। विदेशो में स्थित सब मिशनों को सुरक्षा उपाय कड़े करने और विदेशी कार्यालयों के माध्यम से स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों से निकट सम्पर्क स्थापित करने की सलाह दी गई है।

मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूगा कि विदेशों में हमारे अधिकारियों पर हमला करने वाले कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है और कहा है कि उनकी उक्त गतिविधियों का उद्देश्य आनन्दमूर्ति को रिहा करवाना है।

17 फरवरी, 1978 को विस्फोटक पदार्थ रखने के कारण तीन आनन्दमार्गियों को गिरफ्तार किया गया था। एक आनन्दमार्गी पर लन्दन में मुकदमा चलाया जा रहा है। जहां तक सिडनी में हुए विस्फोट अथवा केनबरा में हाल ही में हुई घटना का सम्बन्ध है,

आस्ट्रेलियाई पुलिस अथवा सरकारी एजेंसियां अभी तक इस बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। जैसे ही वे किसी निर्णय पर पहुंचेगी मैं सदन को उसकी सूचना दूंगा।

सरकार को आस्ट्रेलिया, फिलीपीन अथवा स्विटजरलैंड में (एक) अपने सुरक्षा प्रबन्ध दृढ़ करने (दो) उस देश की सरकार से जहां आवश्यक हो वहां कड़ी कार्यवाही करने के लिये जोर देने के अतिरिक्त क्या करना चाहिये इस बारे में मैं माननीय सदस्यों से विचार विमर्श करने के लिये सहमत हूं। हमने इन्टरपोल से सम्पर्क स्थापित किया और उनकी कार्यवाही आरम्भ होने वाली है। यदि कोई अन्य कार्यवाही हमें करनी पड़ेगी तो हम वह भी करेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : इस बात का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या मंत्री महोदय कोई गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आंतक के बारे में कोई नई गोष्ठी आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संयक्त राष्ट्र संघ को इस मामले का पता है और वहां मामले पर गहराई से विचार किया जाता है। भारत भी अपने सुझाव रखेगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सदन में 2 मार्च को मैंने एक प्रश्न उठाया था और वह प्रश्न अतारांकित प्रश्न सूची में सम्मिलित किया गया परन्तु मंत्री महोदय ने प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया। मेरा प्रश्न विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को यूनीवर्सल प्राऊटिस्ट रिवोल्यूशनरी फैडरेशन से जो आनन्दमार्ग की राजनैतिक शाखा मानी जाती है प्राप्त हो रहे धमकी भरे पत्रों के बारे में था। मैं जानना चाहता था कि प्रधान मंत्री को लिखे गये धमकी भरे पत्र की प्रतियां गत नवम्बर और दिसम्बर में विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को प्राप्त हुई थीं। ऐसे हमारे दूतावास जिन देशों में हैं मैंने उन देशों के नाम भी पूछे थे।

मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर के साथ उन चार पत्रों की प्रतियां भी संलग्न की हैं जो यूनीवर्सल प्राऊटिस्ट रिवोल्यूशनरी फैडरेशन से प्राप्त हुए थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आनन्द मार्ग के भारत में रहने वाले नेताओं ने इन पत्रों की भर्त्सना की है और कहा है कि यूनीवर्सल प्राऊटिस्ट रिवोल्यूशनरी फैडरेशन के इन पत्रों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और क्या भारत में रहने वाले आनन्दमार्ग के समर्थकों ने ऐसी हिंसात्मक गतिविधियों की भर्त्सना की है और क्या ऐसे कारण है जिनसे भारत सरकार यह विश्वास करती है कि इस सब के पीछे आनन्दमार्ग का हाथ है? और यदि विश्वास करती है तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है। पिछले सत्र में मैंने पी० आर० सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई अपील के बारे में भी प्रश्न उठाया था। मैं आनन्दमार्ग की गतिविधियों का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि जिन देशों के दूतावासों में ऐसे पत्र प्राप्त हुए वहां चल रही जांच के आधार पर क्या भारत सरकार को और कोई जानकारी प्राप्त हुई है?

मैं जानना चाहता हूं कि विदेशों में और भारत में इन जांच कार्यों में कितनी प्रगति हुई है?

अध्यक्ष महोदय : आप काफी समय ले चुके हैं। कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके बाद कोई पत्र मिला है और क्या इन पत्रों को न केवल राष्ट्र संघ में ही अपितु, विदेशों में स्थित दूतावासों और मिशनों को भेज दिया गया है तथा भारत स्थित इन आनन्दमार्गियों की गतिविधियों के संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में मैं पहले ही यह जानकारी दे चुका हूं ।

मैं इस बात की पुष्टि करना चहता हूं कि धमकी भरे ये पत्र मुख्यतया यूनिवर्सल प्राऊटिस्ट रेवोल्यूशनरी फेडरेशन से आये हैं। सभी पत्रों में श्री पी० आर० सरकार की तत्काल रिहाई के बारे में कहा गया है।

हमें ब्रिटेन की सरकार से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हुई है। मिड नामक व्यक्ति .....

अध्यक्ष महोदय : आप अपने उत्तर में यह जानकारी दे चुके हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसने स्वीकार किया है कि धमकी भरे ये पत्र लन्दन स्थित आनन्दमार्ग के कार्यालय से आये हैं ।

जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है, ब्रिटेन में जो पत्र प्राप्त हुआ है उससे उसका बाह्य आकार में भिन्न है परन्तु फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन मामले की जांच कर रहा है और हमें शीघ्र ही उनसे जानकारी मिलने वाली है।

आनन्दमार्ग के पदाधिकारियों ने यूनिवर्सल आर्मी अथवा यूनिवर्सल प्राऊटिस्ट फेडरेशन के साथ कोई सम्बन्ध होने से इन्कार किया है परन्तु सरकार उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम जांच कर रहे हैं तथा आशा है कि सचाई का पता चल जायेगा ।

मैं माननीय मित्र द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। **(व्यवधान)**

श्री हरि विष्णु कामत : मैं उत्तर के लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। मैंने यह पूछा था कि क्या आनन्दमार्ग और यू० जी० आर० एफ० के बीच कोई सम्बन्ध है । क्या उस सम्बन्ध से सरकार को भारत में आनन्दमार्ग के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रेरणा मिलेगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जांच की जा रही है। इससे अधिक कुछ बताना जनहित में नहीं होगा।

SHRI S. S. LAL (Bayana): The incident occurred on 25th has not only created a sense of insecurity in India but also in foreign countries where Indians live. Instead of carrying out investigations against the Anand Marg, we should take timely concrete steps to find out the agency or persons backing the Anand Marg. An Agency should be formed immediately and it should be empowered to investigate into such cases in India as well as abroad to find out the organisations involved in such type of Agencies that resort to such cases. I request the Government not to take this matter lightly.

SHRI A. B. VAJPAYEE : We are taking this matter seriously. The only difference is that the action we can take in India, it is not possible to do so in foreign countries. We shall have to seek cooperation of foreign countries to activate our efforts. There is no need of forming new agency. We are making efforts to make such agencies more active as are already working.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम 377 सम्बन्धी वक्तव्यों को लेते हैं।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) गुजरात की खंडसारी फैक्टरियों के शीरे के भरी स्टाक जमा हो जाने का समाचार

SHRI DHARMASINHBHAI PATEL (Porbandar) : I want to make a brief statement under Rule 377 regarding molasses.

Due to new policy of the Gujarat Government, huge stock of molasses in 40 Khand sari factories has accumulated in Gujarat. The Gujarat Government has framed a rule for the traders to sell two and a half kg. of Gur manufactured from molasses as cattle feed. This has resulted into troubles to small Khandsari industries.

The Gujarat Khandsari Manufacturers Association, Upleta gave a representation to the Chief Minister of Gujarat and also to other Ministers on 1-3-1978 in which it has demanded either to allow the wholesale traders to sell 500 kg. of Gur manufactured from molasses or let the Gujarat or Central Government purchase molasses at control rate. If immediate steps are not taken, the Khandsari factories will be closed rendering 36000 workers jobless.

[**श्री राममूर्ति** पीठासीन हुए। SHRI RAMAMURTHY *in the Chair*]

In our Saurashtra region, these small Khandsari factories are the only means of livelihood. The Government should settle this matter with Gujarat Government.

(दो) कोयले के लाने ले जाने के बारे में रेलवे वेगनों की कमी का समाचार

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत सभा का ध्यान देश में माल डिब्बों की भारी कमी, कोक तथा कोयले की ढुलाई में विलम्ब और उसके परिणामस्वरूप बहुत से ताप बिजली एककों में कोयले के संकट कोयले पर निर्भर उद्योगों की शोचनीय स्थिति, सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड केमिकल फैक्टरी के बन्द होने से समूचे देश में उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर दिलाता हूं।

इस संकट का समाधान ने केवल रेलवे द्वारा ही किया जाना है अपितु उद्योग मंत्री, रेल मंत्री तथा कोयला मंत्री वाली एवं समन्वय समिति से किया जाना है। गत तीन दिनों में समाचार पत्रों में काफी आलोचना की गई है। कुछ कहते हैं कि कोल इंडिया के पास कोयला नहीं है। कोल इंडिया का कहना है कि माल डिब्बे नहीं हैं।

रेल मंत्री, उद्योग मंत्री और उर्वरक मंत्री ने इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि वास्तव में क्या हो रहा है।

महाराष्ट्र में 14 ताप बिजली एकक हैं जिनके पास लगभग 4–8 दिन का स्टाक बचा है। अगले सप्ताह के आस पास वे बन्द हो जायेंगे। दिल्ली में राजघाट और इन्द्रप्रस्थ बिजली घरों की भी यही हालत है।

इंडियन एक्सप्लोजिव्ज में हड़ताल के कारण कोयला खानें कोयले का अधिक उत्पादन नहीं कर सकी। अब जब उत्पादन बढ़ गया है तो माल डिब्बे नहीं मिल रहे हैं। तीनों विभागों में समन्वय होना चाहिये। प्रत्येक राज्य में कोयले का स्टाक किया जाना चाहिये जहां से सड़क अथवा परिवहन के अन्य साधनों से उद्योगों ताप बिजली घरों और उपभोक्ताओं को कोयला पहुंचाया जा सके। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिये। आगामी तीन महीनों में बिजली की अत्यधिक खपत होगी अतः ताप बिजली घरों और उद्योगों के पास जितना ज्यादा संभव हो कोयला होना चाहिये। सरकार यह बता कर हमारी शंका दूर करे कि वास्तव में इस बारे में क्या व्यवस्था की गई है। जहां तक जनता का सम्बन्ध है, उसे आश्वासन दिया जाना चाहिये कि 10-15 दिनों में कोयला उपलब्ध करा दिया जायेगा।

MR. CHAIRMAN : Shri Ram Prakash Tripathi.

SHRI BHAGAT RAM (Phillaur) : In Punjab, kilns are closed down due to coal crisis. A large number of workers have become jobless.

MR. CHAIRMAN : Your notice has not been admitted. Kindly, sit down.

(तीन) उत्तर प्रदेश के शीतगारों में आलू जमा करने से सम्बद्ध कठिनाइयां

SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI (Kannauj) : The potato growers in Uttar Pradesh are facing grave crisis. Heaps of bags of potatos worth millions of rupees are lying on the roadside because the owners of cold storage are not keeping them in their stores. The Association of Cold Storage Owners decided not to keep potato in the cold storage but they themselves are purchasing it at a low rates and keeping it in the cold-storage. They demanded from U.P. Government the rate of Rs. 20/- per quintal to keep potato in the cold storage. Last year this rate was Rs. 8/- per quintal. This year the U.P. Government increased this rate to Rs. 13/-. Even then the owners are not happy. Besides, potato is not being allowed to be sent to other states on the ground of shortage of wagons. The potato crop was damaged in Uttar Pradesh due to hail and on the other hand this thing is going on.

Therefore, I am inviting the attention of the Government of India to this situation.

(चार) दुर्गापुर उर्वरक फैक्टरी में कथित हड़ताल का समाचार

श्री राजकृष्ण डान (बर्दवान) : हमारा देश कृषि पर निर्भर करता है और कृषि के लिये उर्वरक चाहिये। दुर्गापुर उर्वरक कारखाने और भारतीय उर्वरक निगम में हड़ताल के कारण उत्पादन पूर्णतया रुक गया है।

दुर्गापुर उर्वरक कारखाने के तकनीकी पर्यवेक्षक भारतीय उर्वरक निगम की दुरंगी नीति के विरोध में सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेने जा रहे हैं। पर्यवेक्षकों ने 26 मार्च, 1978 से अनिश्चित काल के लिये, क्रमिक भूख हड़ताल आरम्भ कर दी है।

प्रभारी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें और एक वक्तव्य दें जिसमें उन अधिकारियों

की मांगें पूरी करने और भूखहड़ताल को रोकने के लिये सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों के स्थानों का निर्धारण किया जा रहा है। उर्वरक निगम के कार्यालय को कलकत्ता मे हटाया जा रहा है . . . .

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल के संसद सदस्यों ने मंत्री महोदय को संयुक्त अभ्यावेदन दिया है। **(व्यवधान)**

श्री सोम नाथ चटर्जी : सभी दलों के संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल पेट्रोलियम मंत्री के पास इसका विरोध करने गया था। वहां क्या किया जा रहा है?

अनुदानों की माँगें 1978-79
DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79

उद्योग मंत्रालय--जारी

सभापति महोदय : अब हम उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा शुरू करते हैं।

श्री वयालार रवि अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : बीड़ी उद्योग की तरह देश में बहुत से अन्य उद्योग हैं जिन्हें उद्योग मंत्रालय की नीति अथवा सतत नीति के कारण बन्द होने अथवा बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।

केरल में नारियल जटा उद्योग एक परम्परागत उद्योग हैं और इसमें 1.3 लाख श्रमिक काम पर लगे हुए हैं और बुनाई (वीविंग) के क्षेत्र में लगभग 17,000 श्रमिक हैं। मशीनीकरण ने वीविंग क्षेत्र के इन सभी श्रमिकों के लिये समस्या उत्पन्न कर दी है और उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में जांच करने की मांग करता हूं कि लाइसेंस किस प्रकार जारी किया गया है। यह सच है कि इसे पिछली सरकार द्वारा जारी किया गया था। फिर भी इसकी जांच होनी चाहिये हालांकि नारियल जटा बोर्ड ने इस आवेदन पत्र की सिफारिश नहीं की है।

देश को गत वर्ष नारियल जटा उत्पादों के निर्यात से 22.77 करोड़ रुपये की आय हुई। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इस मामले में हमें श्रीलंका से कोई प्रतिस्पर्द्धा का सामना नहीं करना पड़ा रहा है। जो भी पत्र उन्हें विदेशों से प्राप्त हुए वह एक फर्म द्वारा भिजवाये हुए हैं जिसकी इस उद्योग के मशीनीकरण में रुचि है। कुल निर्यात में 50 प्रतिशत भाग नारियल जटा उद्योग का है तथा 21 प्रतिशत चटाइयों का और हम चटाइयों के माध्यम से 6 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। मशीनीकरण के परिणामस्वरूप उत्पादों के मूल्य आधे हो जायेंगे। इसका अर्थ यह होगा कि हमारी विदेशी मुद्रा की आय घट कर मात्र 3 करोड़ रह जायेगी। मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वे इन सभी पहलुओं पर विचार करें और जांच करें और सुनिश्चित करें कि क्या जो लोग इस

उद्योग को मशीनों के द्वारा चलाये जाने पर लाइसेंस हेतु जोर दे रहे हैं, दण्ड देने योग्य हैं। श्री मोहन धारिया जब कोचीन गये थे तो उन्होंने इस मामले के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की थी।

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या मंत्रालय ने देश के गैर-कृषि प्रतिष्ठानों के बारे में कोई अध्ययन किया है। इस समय देश में 29.5 लाख ऐसे प्रतिष्ठान हैं और इन उद्योगों में 2 करोड़ 51 लाख व्यक्ति लगे हुए हैं। इनमें से 2 करोड़ 22 लाख व्यक्ति भाड़े के मजदूर हैं और इन व्यक्तियों को जितनी मजूरी दी जानी चाहिये इतनी मजूरी न देकर कम मजूरी दी जाती है। क्या सरकार ने उन्हें पूर्ण रोजगार देने की बात पर विचार किया है और क्या इन व्यक्तियों को अन्य सुविधायें प्रदान की जा सकती है? गैर-कृषि प्रतिष्ठानों में दैनिक मजूरी पर काम करने वाले लोगों की समस्याओं पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिये। उन्हें पूर्ण रोजगार देने के सम्बन्ध में सरकार को कुछ कार्यक्रम तैयार करना चाहिये। वस्तुतः इस भाड़े की मजदूरों की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मननीय मंत्री महोदय इस मामले पर समुचित ध्यान देंगे।

प्रतिवेदन में कपड़ा नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं इस समय कंट्रोल के कपड़े की समस्या के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। 1975 में 176.4 करोड़ वर्ग मीटर कण्ट्रोल का कपड़ा तैयार किया गया और आपात काल के दौरान यह घट कर 36.3 करोड़ वर्ग मीटर रह गया। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। वर्तमान शासन भी इस बारे में कोई बेहतर स्थिति में नहीं है। प्रतिवेदन में ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों की बात कही गई है लेकिन आप उनके लिये कुछ नहीं कर रहे हैं।

जहां तक अनुसंधान और विकास का सम्बन्ध है इसमें आवश्य कुछ प्रगति हुई है लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी कि हम अपेक्षा कर रहे थे। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह अनुसंन्धान और विकास को और अधिक सुदृढ़ बनायें।

जहां तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सम्बन्ध है हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार की इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति क्या नीति है। यह एक बहुत गम्भीर प्रश्न है क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में अमरीका और पश्चिम जर्मन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों वाले यहां आये थे और उनका बड़ा भव्य स्वागत किया गया। हमें इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में सतर्क रहना चाहिये।

कमानी इंजीनियरिंग निगम को वित्तीय संस्थाओं ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। यह एक अच्छी बात है। अब इस निगम को लाभ हो रहा है। गत वर्ष इस निगम को 3.1 करोड़ रुपये का लाभ हुआ और इस वर्ष 5.4 करोड़ रुपये का लाभ होने का अनुमान है। अतः कृपया इस कम्पनी को कमानी बन्धुओं को वापस न किया जाये।

जहां तक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का सम्बन्ध है हाल ही में औद्योगिक सुरक्षा बल (आई० एस० एफ०) ने वहां बहुत तबाही मचाई। मंत्री महोदय का कर्त्तव्य है कि वह कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें। औद्योगिक सुरक्षा बल भी सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु बनाया गया है नकि कर्मचारियों को मारने के लिये।

बिड़ला बन्धुओं के औद्योगिक गृहों के विरुद्ध एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार औद्योगिक वृद्धि की दर 5 प्रतिशत से कम है लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इसमें और कमी आई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वे पूरे मामले के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनायें और सुनिश्चित करें कि उनकी औद्योगिक नीति अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये और रोजगार में लगे हुए व्यक्ति बेरोजगार न होने पायें।

प्रो० आर० के० अमीन (सुरेन्द्र नगर) : जहां तक औद्योगिक नीति का सम्बन्ध है अब तक यह ठीक ही रही है। परन्तु इसमें बहुत कुछ नहीं हुआ है क्योंकि गत 30 वर्षों में हमने एक विशेष नीति अपनाई है जिससे हमारी अर्थ-व्यवस्था की एक पक्ष की ओर अधिक झुकाव है। अब तक पूंजीगत माल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया जिसके फलस्वरूप देश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुयें उपलब्ध न हो सकीं जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि हुई। उपभोक्ता सामान से भी ऐश्वर्य की वस्तुओं की तुलना में गरीब लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का कम उत्पादन हुआ। परिणामतः गत दस वर्षों में हुए विकास के कारण निर्धन व्यक्तियों को सर्वाधिक पीड़ित होना पड़ा। उद्योग महानगरों में या दस बड़े शहरों में स्थापित किये गये हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों और अधिकांश पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग नहीं लगाये गये हैं। उद्योगों में भी अधिक पूंजी वाले उद्योगों की संख्या श्रम प्रधान उद्योग की तुलना में कहीं अधिक थी जिसके फलस्वरूप बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है।

जहां तक स्वामित्व का सम्बन्ध है 75 एकाधिकार गृहों के नियंत्रणाधीन 800 निगम हैं। कराधान ढांचे के कारण मध्य वर्ग के लोगों को पूंजी निवेश के अवसरों से वंचित रखा गया है। उद्योग मंत्री ने इस एक पक्षीय विकास को सही करने का प्रयास शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा करने के लिये उठाये गये कदम पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि यह एक अत्यन्त मुश्किल कार्य है।

कपड़ा उद्योग के मामले में कराधान नीति में तीन बार किये गये परिवर्तनों से किसी न किसी प्रकार के कपाड़ा उत्पादक---स्वतन्त्र उत्पादक, बिजली का न प्रयोग करने वाले उत्पादक तथा हथकरघा उद्योग आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये सभी परिष्करण एक दूसरे से पूरी तरह से सम्बद्ध हैं और जब परिवर्तन किये गये तो संबंधित संरक्षण पर पूरी तरह विचार किया जाना चाहिये। यह वित्त मंत्री पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये कि जैसा वह चाहें करें। वित्त उद्योग और वाणिज्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति इसकी जांच करने के लिये बनाई जानी चाहिये। कपड़े का भाग कुल औद्योगिक क्षेत्र के भाग का 60 प्रतिशत है और इन उद्योगों में भी भारी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। अतः कपड़ा उद्योग का व्यापक अध्ययन करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई जानी चाहिये और ऐसे कदम उठाये जाने चाहिये जिससे कि कपड़ा यूनिट की क्षमता का कम उपयोग न हो।

पोलिएस्टर देशों के बारे में आयात नीति, जहां पर पोलिएस्टर को उसका देय भाग नहीं मिलता, ठीक नहीं है। उन लोगों को, जिन्हें निर्यात के लिये कुछ प्रोत्साहन दिया गया, आर० ई० पी० सुविधायें दी गई हैं। जो लोग फैबरिक का निर्माण करना चाहते थे उन्हें

बताया गया कि उन्हें निर्यात सम्बन्धी कुछ वचन देना होगा। उन्हें बताया गया कि वह रुई का उत्पादन नहीं कर सकते। आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी मूल नीति की ये आवश्यक शर्तें हैं। नीति में तब तक कोई मूल परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये जब तक आप आवश्यक शर्तों में उसी समय परिवर्तन न करें। आशा है, इन बातों पर मंत्री महोदय उस समय उचित ध्यान देंगे जब वह पोलिएस्टर रेशों के आयात सम्बन्धी नई नीति बनायेंगे। नई आर्थिक नीति में सरकार बड़े उद्योगों की बजाय कुटीर और छोटे उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देगी। अतः इस बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

उद्योग मंत्री को चीन के अनुभव से कुछ सीखना चाहिये। चीन की तरह हमारी मूल नीति यह होनी चाहिये कि उद्योग आदमी के पास जाये न कि आदमी उद्योग के पास जाये। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की तरह हमारे यहां भी प्रत्येक गांव में छोटे या ग्रामीण उद्योग होने चाहियें। यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक प्रोत्सान दिया जाना चाहिये कि उनका उत्पादन लगातार बढ़ता रहे। यहां तक कि यदि ऐसे किसी उद्योग द्वारा चलाये जा रहे सामान में इस्तेमाल होने वाले कच्चे सामान की लागत उसी बिक्री से वसूल की जाती है तो उसे उत्पादन करते रहने के लिये कहा जाना चाहिये। केवल तभी हम श्रमिकों को रोजगार दे सकते हैं। अतः अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये देश के गांवों में अधिक उद्योग लगाने चाहिये और इसे सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रयोजनार्थ शासन द्वारा आवश्यक राज-सहायता का संरक्षण दिया जा सकता है।

मैं सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता कि इसकी आलोचना कोई नहीं कर सकता। सरकारी क्षेत्र के कार्य का आकलन करने के लिये मुनाफा कमाने की क्षमता को मापदण्ड नहीं मानना चाहिये। इसका आकलन करने के लिये जो आवश्यक बात है वह यह है कि सरकारी क्षेत्र में उपयोग में लाये जा रहे उत्पादन तत्वों का वैकल्पिक उपयोग क्या हो सकता है? अतः यह बहुत आवश्क है कि मंत्री महोदय सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों की जांच करायें ताकि इनके कार्यकरण में सुधार लाया जा सके और संसाधनों का ठीक प्रकार से उपयोग किया जा सके।

यदि सरकार गरीबी दूर करना चाहती है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि गरीबों के लिये आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में ही हो। इस प्रयोजनार्थ गरीब लोगों की क्लब बनाई जानी चाहिये जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर सकें जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। मेरा यह अनुरोध है कि मंत्री महोदय ग्रामीण औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दें। यदि काला धन हमारी अर्थ-व्यवस्था में एक केंसर है तो ग्रामीण औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के विचार से हम घोषणा कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति पूंजी निवेश करेगा उससे यह नहीं पूछा जायेगा कि वह धन कहां से लाया है। दूसरे, इन उद्योगों के लिये न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जानी चाहिए। परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों पर मजूरी बोर्ड और मजूरी नियंत्रण नहीं लागू होने चाहियें। केवल तभी अधिक संख्या में उद्योग रोजगार देने की पेशकश करेंगे।

यह श्रमिकों और उद्योगपतियों का एकाधिकार हो गया है। उपभोक्ताओं का शोषण करने के लिये दोनों मिल गये हैं जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में कठोरता आ गई है। रोजगार बढ़ाने का यह एक मात्र साधन है।

निगम कर समाप्त किया जाना चाहिये। कर समाप्त करने से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि यह तुरन्त ही 60 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया जाये इसमें धीरे-धीरे कमी की जानी चाहिये। आय को शेयरधारियों में वितरित किया जाना चाहिये। शेयरधारियों से आयकर तथा अन्य करों के रूप में जो कर आप लेना चाहें लें। लेकिन इसे निगम के लाभ में मालिक के हिस्से के रूप में शेयरधारी को दिया जाना चाहिये। ऐसा करने से मध्यम दर्जे के बहुत से लोग निगम में पूंजी निवेश करेंगे। यदि 60 प्रतिशत आयकर ले लिया जाता है, तो केवल आयकर दाता ही निगमों में पूंजी निवेश करेंगे। यदि इस प्रकार की साहसिक कार्यवाही की जाती है तो न केवल हम अपनी नई औद्योगिक नीति को उचित दिशा में ले जायेंगे बल्कि वह उचित गति से कार्य करेंगे और औद्योगिक क्षेत्र में आने वाली सब कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI (Agra) : The present policy of the Government is rural-oriented and there is a provision to provide employment to more and more people. So it should be welcomed. Whenever we start small scale industries we have to face difficulties. There has been talks to give encouragement to small scale industries, but they are not provided with basic amenities like power and finance. There is a great bungling in financial institutions in the matter of providing loans. Moreover, heavy rate of interest is being charged on loans. Naturally, the cost of production has increased.

No incentive is left for them. Those units become sick. Small Sector Industries are unnecessarily harassed by inspectors. Government should make arrangements to protect them from such harassment. There is corruption everywhere. If you are able to pay, you can get all facilities. The persons dealing with industries should work properly. Proper guidance should be given to industries. An ordinary man should have the feeling that he will be provided with appropriate advise and he will be given proper incentive for his work.

Leather Corporation was set up in Agra in March, 1976. Two years have elapsed but nothing has been known about its performance. During that period about six-seven lakh rupees have been spent, but its performance has not been known. People are of the view that it is simply waste of money. I believe that the Government will look into this matter and will make arrangements to ensure that the people get incentive for work and the institution function properly.

श्री बी० के० नायर (मावेलिकश): श्री जार्ज फर्नांडिस को सौंपे गये मंत्रालय के बारे में मेरे पास दो दस्तावेज हैं। एक विभाग की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट है और दूसरा नीति सम्बन्ध विवरण है। रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने बिभाग में विचाराधीन सैकड़ों फाइलों पर निर्णय लिये हैं। लाइसेंस परमिट, कोटा सम्बन्धी सभी फाइलों को निपटा दिया गया है। रिपोर्ट के दूसरे भाग में विभिन्न प्रतिष्ठानों, उपक्रमों और संगठनों की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट का अध्ययन करने से पता लगता है कि उनका इस बारे में अंशदान बहुत मामूली रहा है। उन्हें औद्योगिक आकस्मिकता सेक्शन स्थापित करने का श्रेय रहा है। इसका उद्देश्य औद्योगिक विवादों को हल करना है। वह घटना स्थल पर जायेगा और विवादों को हल करने के लिये सुझाव देगा।

रिपोर्ट के अन्य भागों में उनके द्वारा नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार द्वारा गत तीस वर्षों में स्थापित प्रतिष्ठानों, उपक्रमों और कारखानों की भारी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। मुझे आशा है कि श्री फर्नांडिस और जनता पार्टी के सदस्य तथा मंत्री गत तीस वर्षों में किये गये कार्य का निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे।

रिपोर्ट का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि गत वर्ष उत्पादन और क्षमता में कुछ सुधार हुआ है।

अनेक मामलों में क्षमता में बहुत कम सुधार हुआ है, हां उत्पादन में सुधाई हुआ है। जनता पार्टी के सदस्यों और मंत्रियों को गत 30 वर्ष के कांग्रेसी शासन की आलोचना करने की आदत सी हो गई है। उनका कहना है कि ग्रामीण उद्योगों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था। भारी उद्योगों पर अधिक बल दिया गया है। ऐसा जानबूझकर किया गया है क्योंकि अभी हमने उद्योगों की स्थापना आरम्भ की थी। अंग्रेजों द्वारा सत्ता छोड़ते समय देश बहुत निर्धन था। उनके सत्ता छोड़ने के कुछ वर्ष पूर्व बंगाल में अकाल के कारण 6 लाख से अधिक व्यक्तियों की कलकत्ता की गलियों में मृत्यु हुई थी। पंडित नेहरू उस समय बड़े आक्रोश में थे और उनका कथन था कि भूख से मरने की बजाय उन्होंने बड़े-बड़े होटलों को नहीं लूटा। उस समय देश में कागज तथा पिन तक का निर्माण नहीं होता था। विश्व युद्ध के समय हमें पिनों के स्थान पर कांटों पर निर्भर करना पड़ता था। हमें गर्व है कि गत तीस वर्षों में हम देश के लिये मजबूत औद्योगिक आधारशिला रख सके।

एक विशाल देश में मूल उद्योगों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। इस्पात और बिजली को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। आधुनिक विश्व में इस्पात ही औद्योगिक प्रगति का अभिसूचक है। इस्पात के उत्पादन पर करोड़ों रुपये लगाये गये। अब सरकार कुटीर उद्योग ग्रामीण, उद्योग और अन्य उद्योगों की ओर ध्यान दे रही है। इस्पात और मशीनों के निर्माण के बिना हम लघु उद्योगों की स्थापना कैसे कर सकते हैं। परिवहन, रेलवे और पोत-निर्माण उद्योग के लिये इस्पात मुख्य आधार है। आज इसके परिणामस्वरूप हम इस्पात का निर्माण कर रहे हैं। हमने रसायन, सीमेंट, कपड़ा जैसे उद्योगों में भी पर्याप्त प्रगति की है। लेकिन इस सम्बन्ध में अभी काफी प्रगति की जानी है।

यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि कांग्रेस ने गलती की थी और देश को बर्बाद किया था तो क्या उस समय उसमें सर्वश्री सी० राजगोपालाचारी, कामराज और मोरारजी जी जैसे व्यक्ति नहीं थे। यदि कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है तो श्री मोरारजी देसाई सत्ता में आने के कारण उक्त आरोप से नहीं बच सकते ।

उनका कथन है कि कृषि पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया था । यदि ऐसा था तो एक वर्ष में 1.21 करोड़ टन अनाज का उत्पादन कैसे किया गया ? श्री फर्नांडिस भाग्य-शाली हैं कि उन्हें ऐसी सुदृढ़ स्थिति विरासत में मिली जिसकी तुलना में उन्होंने कुछ नहीं किया है।

नीति सम्बन्धी विवरण में केवल लघु उद्योग का अतिरिक्त उल्लेख किया गया है। हमें नीति सम्बन्धी नये विवरण की आशय थी। नीति सम्बन्धी विवरण में कोई बात नई नहीं है। यह वही पुराना औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण है ।

श्री जार्ज फर्नान्डिस ने कोयम्बतूर में एक बैठक में यह घोषणा की थी कि विमको और हिन्दुस्तान लीवर जैसी बड़ी दो कम्पनियों को साबुन और माचिस का निर्माण बन्द करना होगा और उसके स्थान पर सीमेंट और रसायन का उत्पादन करना होगा । उनका कथन था कि ऐसा उनकी प्रौद्योगिकी प्रगति और उत्पादन के आधुनिक तरीकों को ध्यान में रखते हुए किया

गया। उन्हें इस शर्त पर कार्य की अनुमति दी गई है कि उनके उत्पादों का केवल निर्यात किया जायेगा ।

सरकार को मछुओं के बेरोजगार को संरक्षण देने के लिये एक नीति निर्धारित करनी चाहिये ।

भूतपूर्व सरकार द्वारा अपनाई गई नीति और उपायों की क्रियान्वित के कारण ही गन्ने और तम्बाकू के उत्पादन में वृद्धि हुई है । वर्तमान सरकार उत्पादकों को उचित मूल्य उपलब्ध करवाने के लिये उचित बाजार की व्यवस्था करने में असमर्थ रही है । यदि कुटीर उद्योग और देश में उद्योगों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया तो यही स्थिति उत्पन्न होगी हम असीमित मात्रा में बांस और बास्कटों का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिये कोई बाजार नहीं होगा ।

सरकार को औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़े जिलों और राज्यों को प्राथमिकता देनी चाहिये। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के मामले में भी बम्बई तथा ऐसे ही अन्य राज्यों को प्राथमिकता न देकर आन्ध्र प्रदेश, केरल, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता देनी चाहिये । केन्द्र सरकार को इन पिछड़े राज्यों में उद्योग स्थापित करने चाहिएं ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) : सदस्यों ने अपने भाषण में अनेक सुझाव दिये हैं और सरकार की नीति की आलोचना भी की है। हम उनके आभारी हैं क्योंकि सराहना और आलोचना दोनों से ही हमें लाभ होगा और हमें अधिक शक्ति से कार्य करने में सहायता मिलेगी। यह दुख की बात है कि विपक्ष के सदस्य यह धारणा पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता सरकार भारी उद्योगों, महत्वपूर्ण उद्योगों और मूल उद्योगों को तिलांजली देने का प्रयास कर रही है।

जिन सदस्यों ने उद्योग मंत्री द्वारा घोषित उद्योग नीति का ध्यान से अध्ययन किया है उन्हें पता होगा कि उक्त उद्योगों को समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। सरकार लघु उद्योगों और खादी और ग्रामोद्योग पर अधिक बल रही है।

स्वतन्त्रता के बाद प्रारम्भिक विकास के लिये अपनाई गई औद्योगिक नीति उस समय विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार उपयोगी थी क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों और मूल उद्योगों के बिना किसी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता और वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। अतः उस समय यह उचित नीति थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज हमें बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

लाखों युवक और युवतियां नौकरियों की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बड़े और महत्वपूर्ण उद्योगों द्वारा पर्याप्त नौकरियों की व्यवस्था नहीं की जा सकती। कुटीर और लघु उद्योगों द्वारा लोगों के लिये अधिक नौकरियों की व्यवस्था की जा सकती है। अतः हमें उन पर अधिक जोर देना चाहिये । यह कहना ठीक नहीं कि सरकार भारी और मूल उद्योगों का विकास नहीं करना चाहती।

औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनेक क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होगा। हमें सरकारी क्षेत्र और महत्वपूर्ण और मूल उद्योगों की सहायता

की आवश्यकता है। हमें लघु उद्योगों की सहायता की भी आवश्यकता है क्योंकि बिजली के बिना कृषक अपना कार्य नहीं कर सकते ।

माननीय सदस्यों ने लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, ग्राम उद्योगों, संकटग्रस्त उद्योगों, सरकारी उपक्रमों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि केवल उक्त नीति ही पर्याप्त नहीं है इसका लाभ प्राप्त करने के लिये इसकी क्रियान्वित की जानी चाहिये ।

अब तक बड़े उद्योगों पर ही जोर दिया जाता रहा है और कुटीर उद्योगों की बहुत कम भूमिका रही है । वर्तमान सरकार कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों और ग्राम उद्योगों पर विशेष जोर दे रही है। मेरे राज्य में भी वर्तमान नीति की क्रियान्विति के लिये जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान नीति उचित है ....

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : हम इसकी क्रियान्विति चाहते हैं।

कुमारी आभा मयती : सरकार भी यही चाहती है। यदि हम उक्त नीति की क्रियान्विति नहीं करेंगे तो लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंचेगा और लोग हमें माफ नहीं करेंगे। अतः हमें देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये जिससे सब लोगों बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये हाथ बडाये। इस बारे में हमें सबका समर्थन प्राप्त होना चाहिये। हमारा काम करने में विश्वास है नारेबाजी में नहीं।

यदि भूतपूर्व सरकार की नीति उचित थी तो इतने अधिक उद्योगों के संकटग्रस्त होने के क्या कारण हैं? हम संक ग्रस्त उद्योगों की सहायता कर रहे हैं। और हमने इस बारे में कुछ कार्यक्रम तैयार किये हैं। हम इन उद्योगों के प्रबन्ध में सुधार करने की भी प्रयास कर रहे हैं।

संकटग्रस्त उद्योगों का स्वस्थ उद्योग से विलय किये जाने की आलोचना की गई है । हम चाहते हैं कि कर्मचारी उक्त संकटग्रस्ट उद्योगों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लें और उन्हें चलाएं। लेकिन देश में इस समय ऐसा वातावरण विद्यमान नहीं है। सरकार विशेषज्ञो और अन्य बातों के अभाव के कारण भी सब उद्योगों को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकती। अतः सरकार का विचार है कि यदि कुछ स्वस्थ उद्योग संकटग्रस्त एककों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लें तो उन्हें पुनः चालू किया जा सकता है।

सरकारी उपक्रमों के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। यदि उनके कार्य के और अच्छे परिणाम होते तो सरकार को बहुत प्रसन्नता होती। लेकिन जो भी परिणाम प्राप्त हुए हैं उनसे सरकार क्षुब्ध नहीं है।

भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों का कार्य कुल मिलाकर बुरा नहीं रहा है। उसके उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1975-76 में उत्पादन 752 करोड़ रुपये का था, 1976-77 में 828.78 करोड़ रुपये का था और 1977-78 में 940 करोड़ का होने का अनुमान है। उत्पादन में निर्धारित लक्ष्य से 8 प्रतिशत कमी हुई है। इसके अनेक कारण हैं, जिनमें प्रत्येक राज्य में बिजली की कमी, बिजली में कटौती असन्तोषजनक औद्योगिक सम्बन्ध और आयतित इंजीनियरिंग उपकरणों का उपलब्ध न होना शामिल हैं। हमें आशा है कि बिजली की स्थिति और औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होगा। औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने के उद्देश्य से मंत्री महोदय ने कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श भी किया है।

जहां तक इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात का सम्बन्ध है, वर्ष 1976-77 में 552 करोड़ रुपये और 1977-78 में 650 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया गया।

सावधानी के तौर पर हमने नमक के निर्यात पर रोक लगाई भी क्योंकि हमारा नमक का भंडार घटता जा रहा था। अब नमक की स्थिति अच्छी है।

हिमाचल प्रदेश में मंडी में उपलब्ध राँक साल्ट उपभोग के उपयुक्त नहीं है। मंडी नमक खान में प्रति वर्ष 4000 टन नमक का उत्पादन होता है। वहां उपलब्ध राँक साल्ट बहुत घटिया किस्म का है और उसकी सफाई पर बहुत अधिक लागत आती है।

बड़े औद्योगिक गृहों को मशीन से बनी नारियल जटा-चट्टाइयों के उत्पादन का लाइसेंस देने का भी उल्लेख किया गया है। उक्त मामला अभी विचाराधीन है।

ग्रेशम एण्ड क्रावेन के बारे में मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि यदि आवश्यकता हुई तो एक नई कम्पनी बनाई जायेगी। मंत्री महोदय ने एक नई कम्पनी बनाने का निर्णय भी ले लिया है।

प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना (महाराजगंज) : स्वदेशी काटन मिल कानपुर की एक बहुत बड़ी मिल है। मिल के चलने से लगभग 8,000 कर्मचारियों को प्रत्यक्षतः और 22,000 कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। गत अनेक महीनों से वहां संकट की स्थिति चल रही है। 6 दिसम्बर, 1977 को वहां गोली चली थी। कर्मचारियों की बकाया मंजूरी की राशि 3 करोड़ रुपए हो जाने के कारण वहां गोली चलाई गई। इसके परिणामस्वरूप 11 कर्मचारियों और 2 प्रबन्धक अधिकारी मारे गये।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव ने सरकार से उक्त मिल को अपने अधिकार में लेने और इसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सौंपने की सलाह दी। लेकिन उनकी सलाह को नहीं माना गया। मंत्री महोदय ने भी लोक सभा में उक्त मिल को सरकार द्वारा नियंत्रण में न लेने का के बारे में वक्तव्य दिया।

यदि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा मिल को अधिकार में ले लिया गया होता तो उक्त खून-खाराबा नहीं होता। मंत्री महोदय को वहां हुई लोगों की मृत्यु की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर परन्तु त्यागपत्र दे देना चाहिए था। इसकी बजाये उन्होंने 11 दिन बाद लोक सभा में यह वक्तव्य दिया कि सरकार स्वदेशी काटन मिल सहित किसी भी संकटग्रस्त मिल को अपने अधिकार में नहीं लेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय वित्त मंत्री और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अनुमति से स्वदेशी काटन मिल्स की एक निकट सहयोगी स्वदेशी पोलिटैक्स के 10 लाख शेयर श्री थापर को 5 करोड़ रुपए में बेचने में सफल हुई है। श्री जार्ज फर्नांडिज द्वारा इसका विरोध करने की बाद समझ में नहीं आती।

मिल को बन्द हुए चार महीने से अधिक हो गये हैं जिससे कर्मचारियों की भुखमरी की सी स्थिति हो गई है यदि इसे चालू नहीं किया गया तो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जायगी।

श्री जार्ज फर्नांडिज पूंजीपति श्री सीताराम जयपुरिया की कठपुतली बन गये हैं और उन्हें स्वदेशी काटन मिल में काम करने वाले 30,000 कर्मचारियों की, जो गत चार महीनों

से भूखे मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है उनके ऐसे व्यवहार से बहुत दुःख होता है। मेरी यह मांग है कि भारतीय कपड़ा निगम द्वारा स्वदेशी काटन मिल्स को तुरन्त अपने अधिकार में लेना चाहिये अथवा सरकार द्वारा इसे चलाया जाना चाहिये अथवा इसे श्री थापर को बेचा जाना चाहिये जो इसके शेयर 5 करोड़ रुपये में खरीदने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की सलाह स्वीकार न करने की बात समझ में नहीं आती। उपरोक्त भ्रष्टाचार के आरोप की तुरन्त उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिये।

लगभग 100 संकटग्रस्त चीनी मिलें हैं। सरकार को उन्हें शीघ्र अपने अधिकार में लेना चाहिये और उन्हें नया रूप देना चाहिये। सरकार को मिलों के आकार को बढ़ाना चाहिये जिससे चीनी सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हो सके और कम कीमत पर चीनी का उत्पादन किया जा सके। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे पुरानी चीनी मिलें हैं। इन मिलों को नया रूप दिया जाना चाहिये जिससे अधिकतम उत्पादन कर सकें।

SHRI YUVRAJ (Katihar) : I support the Demands of Grants of the Ministry of Industry. There has been a lot of industrial development during the last few years, but even then the poverty and unemployment is increasing. We have formulated a policy to establish cottage industries, small scale industries in the villages so that people in villages may get more opportunities of employment. It is very strange that having so much resources like steel, fertilizers, thermal power, we are not able to bring about industrial development. Well developed infrastructure, skilled manpower and political stability are required for industrial growth. In case we are able to implement our industrial policy and provide employment in villages and backward areas, and are able to provide finished goods at minimum prices in villages, our policy will be considered successful. We earn foreign exchange worth Rs. 400 crores from our Jute industry in the country. But half of the Jute industries are lying idle in Calcutta, West Bengal and Bihar.

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए।

SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

Jute Mills were not getting Jute but they got Jute from Jute Corporation of India by fraud. Government tried to take over some of the mills out of them which were going to be closed. National Jute Mill and Alexandra Jute Mill were taken over and they were provided with jute. Jute Corporation of India suffered a loss of Rs. 20 crores due to not accepting the advice of the Board of Directors and the Committee of operations.

In Purnea, in North Bihar, almost all large and small scale industries are closed due to shortage of power. It requires 800 M.W. of power whereas they are supplied only 80 M.W. of power. In Katihar R.B.H.M. Jute Mill has been closed for the last two years. Bihar Government requested the Government several times in this regard but nothing has been done so far. 4000 workers were employed in that mill. About hundred workers had died due to mal-nutrition and starvation.

Jute Mills in West Bengal are facing crises. There are 4000 workers employed in these mills. The relief promised to be given by Bihar Government has been discontinued. These mills should be re-opened. No jute mill in Kishanganj or Forbesganj has been opened so far as promised by the Congress Government. These mills should be re-opened within a time bound programme.

Certain schemes for setting up different industries in Bihar are pending with the Ministry of Industry of Government of India. These schemes should be cleared at the earliest.

I would like to say that the existing disparities in wages etc. between the employees of Khadi and Village Industries Commission and Khadi and Village Industries Board be removed. The Government should take steps regarding the Rural Industries Commission suggested by Ashok Mehta Committee.

The need of the hour is time-bound and result-oriented action we should fix priorities. We should give priority to take over those industries which are manufacturing goods of mass consumption. We know that due to faulty planning, poverty and unemployment have increased. We are to solve this problem first.

The employment potential in textile industries should be increased to solve the problem of unemployment and poverty. We should develop cottage industries in villages with meagre investment to provide employment to the people. We should strengthen our economy through decentralisation of the economic system.

SHRI PIUS TIRKEY (Alipurduar) : To parallel economics are running in our economic set up. Our industries are divided into two sectors, Private and Public. I mean to say is that the industries in Private Sector where 50 or more than 50 persons are employed should be taken over by the Government and run in Public Sector. These industries should come under Government control.

Workers employed in tea gardens are subject to exploitation. We should step it and make arrangements to provide educational and other facilities to the children of tea plantation workers. The Government should take steps to see that the tea plantations industry is nationalized so that the profit earned therefrom may be invested in development works.

There is a Small Industries training Institute at Hyderabad. I would like to know the number of the children of factory workers getting training in the said Institute. The hon. Minister should look into the matter. I would also like to know the number of Harijan students getting training in Leather Training Institute.

It has been heard that our godown are full with foodgrains stock. But it is shocking that the many of our countrymen are starving. If some people have become big at the cost of poor people we cannot call it a progress of the nation. It is exploitation. The gap between the rich and poor is widening and this is the result of our industrial policy. I would request again that the industry where 50 or more than 50 people are employed should be taken over by the Government.

If the Government do not make any change in their industrial policy, I am sure exploitation of innocent rural people will increase.

At present 29 factories of big houses are lying idle in West Bengal. A number of 15737 workers have been rendered unemployed. The Government should ensure that no factory owner plays with the lives of workers.

श्री सी० एन० विश्वनाथन (तिरूपत्तूर) : जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि लघु उद्योगों तथा अन्य उद्योगों में आ रही कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है । भारत में 3000 मेगावाट विद्युत की कमी है जो बहुत अधिक है । इस कमी के कारण हमें कारखानों में प्रतिवर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपए के उत्पादन की हानि हो रही है । अतः ऊर्जा मंत्री को देश में विद्युत की स्थित में सुधार करना चाहिये । आज लाखों लोग बिजली की कमी के कारण बेरोजगार हो रहे हैं । अतः विद्युत उपलब्धता बढाने के लिये सरकार द्वारा गम्भीर कदम उठाये जाने चाहियें । नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग चालू करने के लिये लाइसेंस देने का प्रस्ताव है । यह बात प्रशंसनीय है क्योंकि हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्रों में 20 प्रतिशत उद्योग भी नहीं हैं । यह अच्छी बात है कि उद्योग मंत्री ने बयान दिया है कि वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कतिपय उपभोक्ता सामान न बनाने के लिये कहेंगे और वे वस्तुयें लघु उद्योगों द्वारा बनाई जायेंगी । इससे लोगों के लिये रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे । अतः मैं मांगों का पूरा समर्थन करता हूं ।

SHRI L. L. KAPUR (Purnia) : Sir, I support the demands of the Ministry of Industry. But I would like to mention that during the last thirty years, cities have been developed at the cost of country side. The people in villages are running to cities for bread. What a paradoxical situation is this that the people who grow food for others are running

to cities in search of their livelihood. It is the result of the capitalist oriented economic policy adopted by our leaders after independence. The Countrymen have been exploited in name of mixed economy.

The industrial policy declared on 23 December is really appreciable. The poverty and unemployment in the country has been an inspiring source of this policy. But we are an agricultural country. If we are sincere in providing employment to the rural people, we will have to make changes in our agriculture policy also. Industrial policy can be successful only when changes are made in agrarian policy also.

The Government should try to provide more irrigation facilities and take effective steps to see that there is no flood havoc in future. It is only then our agriculture based industries can be successful.

I appreciate this approach of the Government that the economy can be strengthened and unemployment can be removed with the development of small scale industries. We should make small industries a base for rational development. All possible incentives and help should be given to such small scale industries.

The Government have decided to start District Industry centres with a view to develop cottage and small scale industries in whole of the country. I would like to make a suggestion in this regard. The Government should see that the representatives of the people should be taken in this scheme at District and Block level. The arrangement Government intend to make should ensure that peoples' representation is there at each stage which may be link between the Government and the people. The Government should also take steps to remove corruption from public life.

The number of reserved items for small scale industries been increased. But the interns included therein are such that are never taken up big business houses. I would like to suggest that the items of mass consumption should be reserved for small scale sector. If this is done it will create large potential for employment. Sugar, cement and textile industries should be nationalised like coal, iron and mica mines.

SHRI MADAN TIWARY (Rajnandgaon) : Sir, I support the demands as well as the policy of the Ministry of Industry. I appreciate the assurance given by the hon. Minister that the Government is determined to develop small scale, cottage and village industries. I would like to know the way Government intend to implement this plan. Implementation of the policy is rather more important than the making of a policy.

I would like to invite your attention to the fact that there has been large scale bungling in all the four units of BHEL in 1971. The total number of employees in all the four plants of BHEL, wich are located at Bhopal, Hardwar, Hyderabad and Trichuli, 50.823 persons. Among them the number of Administrative officers and supervisors is 10,916. Leaving aside the number of clerks, the number of employees is 35,358. It means there is one Administrative Officer and a Supervisor over every 3¼ employees. The number of Administrative Officers and supervisors went on increasing since 1971. What are the responsibilities which have been entrusted to them? What is being paid to them and what amount of work is being taken from each of them? These officers enjoy all means, sources and facilities. In this way public money is being spent extravagently. The Administrative Officers are enjoying at the cost of hard-earned money of labourers. The labourers launched an agitation against persons of the Security Department and they demanded an enquiry into this matter. A man who was dismissed from Police Department on charges of complicity in committing theft was appointed as Asstt. Officer in Security Department here. This is the way in which such officers are being appointed. The goods worth lakhs of rupees is being stolen every day from there and such thefts are being committed in collusion with the Security Officers. In this context the agitation of the workers was justified. During last 15 years the workers got an increase of only Rs. 15 i.e. Rs. 275 from Rs. 260/- while the pay of officers touched the height of Rs. 3000/- from Rs. 300/-.

Similar is the position in cotton textile corporations. The chairman of Madhya Pradesh Textile Corporation spent Rs. 40 lakhs in the name of modernisation of plant and the part of machinery which was replaced never worked. He thus misappropriated this big amount. A Minister of Madhya Pradesh, who happened to be the Controller of M.P. Textile Corporation sold 375 bales of cloth to M/s. Mahavir Vastra Bhandar at the rate of Rs. 2.50 per metre in place of Rs. 3.50, the selling price fixed for it and thus caused a loss of Rs. 3.5 lakh to the public exchequer. Losses were sustained in transaction of other qualities of cloth. The total loss amounts to crores of rupees. I

want to highlight the loss which is taking place and the corporation which is rampant in Heavy Electricals, in National Textile Corporation and in the Cotton Corporation of India.

In the end, I request that some court or commission should conduct an open enquiry into the working of all the four plants of BHEL, which are located at Bhopal, Hyderabad, Haridwar and Trichuli. Separate commissions of inquiry should be set up for each of them.

श्री एम० अरुणाचलम (टेंकासी) : सभापति महोदय, उद्योग मंत्रालय ने ग्राम और लघु उद्योगों के लिए वर्तमान बजट में कुछ मांगें रखी हैं । ये मांगें तो ठीक हैं किंतु उनके बटवारे के बारे में कुछ कमियां हैं । तमिलनाडु के औद्योगिक विकास के लिए जो धन आवंटित किया गया है, वह बहुत कम है । उदाहरण के लिए सलेम इस्पात संयंत्र को लिया जा सकता जिसकी इस बजट में उपेक्षा की गई है । न तो इस संयंत्र का विस्तार ही होगा और न उसकी रोजगार क्षमता ही बढ़ पायेगी ।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो भारत के सुदूर दक्षिण में है, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है । मेरा जिला प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से सम्पन्न है परन्तु वह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है । इसके उद्धार के लिए इस जिले में औद्योगीकरण होना चाहिए जिससे वह भारत के औद्योगिक नक्शे पर आ जाये । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांवों और छोटे कस्बों में करघा उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । अतः सरकार को ऐसे लोगों को विशेष सहायता देनी चाहिये जिनके पास एक या दो करघे हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो तूफान आया था उसमें करघे पानी से नष्ट हो गये हैं और बुनकर बेरोजगार हो गये हैं । जो सहायता वहां दी गई है वह पर्याप्त नहीं है । अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार ऐसे प्रभावित बुनकरों को इतनी आर्थिक सहायता दें जिससे वे अपने करघे पुनः चालू कर सकें और अपनी जीविका कमा सकें। तथा साथ ही हाथ से बुने कपड़ों की निर्यात क्षमता में वृद्धि हो सके ।

तिरुनलवेल्ली जिले के एक बहुत बड़े भाग में गन्ने की खेती होती है। अतः वहां एक चीनी का कारखाना लगाया जाना चाहिए । इससे चीनी का उत्पादन बढ़ेगा । गन्ना-उत्पादकों को अपनी फसल का दाम अच्छा मिलेगा और ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा । अतः इस की स्थापना में और अधिक विलम्ब सरकार को नहीं करना चाहिए ।

मेरे जिले में माचिस उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में चल रहा । इस उद्योग को सरकार से आर्थिक महायता और कच्चे माल की सहायता मिलनी चाहिए। सरकार को ऐसी छोटी ग्रामीण परियोजनाओं की ओर ध्यान देना चाहिए ।

तमिलनाडु में रेशम के कीड़े पालने का उद्योग नया है और लघु स्तर पर यह उद्योग विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए सुविख्यात है । अतः इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । मेरे जिले के पथमदाई गांव में चटाई बुनने का उद्योग है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है । यहां की बनी चटाई इंगलैंड की महारानी के और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उपहार स्वरूप भेजी गई है । परन्तु चटाई-बुनकरों की कमाई को बिचौलिये खा रहे हैं और वे इन बुनकरों का शोषण कर रहे हैं । अतः सरकार को इस माल के लिए मंडी की व्यवस्था करनी चाहिए ।

अतः उद्योग मंत्री से अनुरोध है कि वह औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की समस्याओं पर ध्यान दें, ग्रामीण उद्योगों को विकसित करें और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान करें ।

SHRI ROOP LAL SOMANI (Bhilwara) : Mr. Chairman, Sir, I congratulate the Industry Minister for his new industrial policy which is a step forward in new direction for industrial development. This is a bold and dynamic step. Formulation of policy is an important factor but their implementation is also important and the implementation of policy depends on the attitude of bureaucracy, which is not responsive to the development of small and village industries. They should be asked to make efforts to make the implementation of such policies a success.

It is a matter for satisfaction that the list of small scale industries has been increased to include 500 items in place of 180. But efforts should be made to avoid unnecessary competition between them. All the small scale industries should run properly and efficiently. These days most of such industries are in deplorable condition, because they have not sufficient funds at their disposal. Non-availability of electric power and lack of transport facilities are some of main problems being faced by these industries. While implementing the industrial policy there should be proper coordination between the Ministries of Finance, Labour and Industry.

The Government is committed to give financial and marketing facilities for promotion of Khadi programmes. The chairman of Khadi and Village Industries Commission has said in a statement that the commission can give employment to 5 lakh people within a year and he has asked for financial assistance of Rs. 75 crores. The Minister should give due consideration to his request. There is great scope for promotion of Khadi and Village industries in Rajasthan, which is industrially backward state and it should be done with the help of the Khadi and Village Industries Commission.

It will not be possible to derive the desired results out of our industrial policy and programme, howsoever good it may be if our altitude to social and economic problems does not change. So due publicity should be given to the prevent industrial policy through A.I.R. and T.V. with these words, I fully support this industrial policy.

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA (South Delhi) : Mr. Chairman, Sir, the congress party is raising a lobby of public sector against the industrial policy recently announced by Shri George Fernandes. They are criticising it by saying that Janata Govt. do not want to adopt modern techniques and latest scientific developments. The congressmen have given encouragement to big industries, big business houses and multinational companies, so they are acting as agents of big business houses etc. and trying to scuttle down the new industrial policy.

If we want to implement the present industrial policy successfully, all the ministries concerned with it should join hands together. Secondly, the recommendations made by the Bhatt Committee Report should be accepted by Government soon, which was rejected by the Congress Government. It recommended that certain statutes like Small Scale Industries Development Act, Small Industries Reservation Act, Anciliary Industries Act, Public Stores Purchase and Disposal Act and Restricted Partnership Act should be enacted for the development of small scale industries.

These days no nationalised bank is ready to advance loan against the production of small scale and cottage industries. The loan is advanced against such production if some big industry gives its brand name to the same. So there is need to change the policy of Banks. At present only 10 per cent raw materials is given to small scale and cottage industries while 80% to 90% is supplied to big industries. This policy should also be changed.

I want to give certain suggestion in this regard. Government should purchase all consumer items from small scale and cottage industries unlike the Congress Government which purchased 8% goods from small scale industries and 92% from big industries. There should be different rates of advertisement for small scale industries and big industries. Different rates of interest should be charged from small scale sector and big industries sector. Government should ensure that big industries and multi-national companies should not go for production of consumer items. Big industries should cease to produce consumer items within 5 to 10 years. Big industries should go for production of cement, steel, body-building and ship building.

Janata Government has promised to give full employment to people in India and this promise can be fulfilled only when big industries and multinational companies are restrained from producing those items which are to be reserved for cottage industries by making some statutory provision to this effect.

The items of public utility are proposed to be distributed through public distribution system evolved by the Ministry of Commerce. But the fact is that the Supper Bazars and Co-operatives opened under this system are selling the items of public utility produced by the big industries and multinational companies. I suggest that such organisations should sell the item produced in cottage industries.

The principle of mass production does not apply to India. There is a need to follow the idea of "production by the masses". There is a need to provide jobs to crores of jobless persons in India. Therefore, there should be labour oriented industries in India. I suggest that the programme of reorientation of industrial policy evolved by the hon. Minister should be implemented by all the agencies of the Government jointly.

The scheme of opening district centres is an effective scheme and it should be implemented urgently. Once the district centres are opened and the goods produced by small scale and cottage industries are unutilised through their centres, our industrial policy will certainly be a great success.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, हमें आशा थी कि श्री जार्ज फर्नांडिज औद्योगिक नीति में व्यापक सुधार करेंगे किंतु उन्होंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह 1956 की औद्योगिक नीति के संकल्प का एक संलग्नक मात्र है । उसमें वास्तव में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है ।

जहां तक लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों के बीच रेखा खींचने का प्रश्न है, वह सराहनीय अवश्य कहा जा सकता है किंतु देखना यह है कि उसको किस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है । बड़े उद्योगों के बारे में एक नई शर्त लगाई गई है कि उन्हें अपने आंतरिक संसाधन जुटाने होंगे । यह काम उनके लिये कठिन नहीं है । जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि बड़े उद्योगों को कर की छूट दी जानी चाहिये बशर्ते वे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करें । यह भी उनके लिये कोई कठिन कार्य नहीं है । इससे तो उनका और भी हित होगा ।

हम जानना चाहते हैं कि क्या बड़े और एकाधिकार प्राप्त उद्योगों को लघु उद्योग क्षेत्र में प्रवेश न करने का आदेश दिया जा रहा है । एक यह शर्त भी लगाई गई है कि उन उद्योगों को अपनी शेयर पूंजी घटाकर 40 प्रतिशत करनी होगी । वस्तु स्थिति यह है कि 40 प्रतिशत शेयर पूंजी किसी उद्योग पर एकाधिकार करने के लिये पर्याप्त है । अतः इस कदम से भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा तथा वास्तविक नियंत्रण विदेशी कम्पनियों और बहुराष्ट्रीय निगमों का ही रहेगा ।

संकटग्रस्त उद्योगों तथा जन शक्ति के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं । स्थिति यह है कि उद्योगपति सरकारी निधियों, जनता की धनराशि का अनुचित लाभ उठाकर स्वयं धनराशि हड़प जाते हैं तथा उद्योगों को बाद में संकटग्रस्त दिखा देते हैं । सरकार संकटग्रस्त उद्योगों को अपने हाथ में लेती है किंतु इस बात की जांच नहीं करती कि उद्योगों के संकटग्रस्त होने के कारण क्या है । कृप्रबंधक अथवा प्रबंधकों द्वारा धनराशि हड़पने के कारण उद्योगों के संकटग्रस्त होने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ? कर्मचारियों का उसमें कोई दोष नहीं होता फिर भी उन्हें कठिनाई उठानी पड़ती है ।

पेटेंट कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है । उस बारे में मैंने मंत्री महोदय को कई बार लिखा है किन्तु उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । मैंने मंत्री महोदय का ध्यान रेम्फी ऐंड संस कम्पनी की ओर भी दिलाया था ।

भारत कामर्स नामक कम्पनी में श्रमिकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है । जे० के० सिंथेटिक्स में भी हड़ताल चल रही है तथा वहां भी श्रमिकों को गिरफ्तार किया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उस प्रकार की घटनाओं की ओर ध्यान दें ।

श्री के० लकप्पा (तुनकुर) : महोदय, उद्योग मंत्री ने जो उद्योग नीति निर्धारित की है वह वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित आर्थिक नीति के विरुद्ध है । इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय सम्बद्ध हैं । देश में बिजली की बहुत कमी है । ऐसी स्थिति में औद्योगिक विकास कैसे संभव है । वित्त मंत्री ने पिछले दिन कहा था कि पूंजी निवेश बहुत कम है और यदि यह सच है तो औद्योगिक विकास में कोई क्रांतिकारी कदम कैसे उठाया जा सकता है ।

अंत में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । वहां हिंदुस्तान मशीन टूल्स का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है । मेरा सुझाव है कि उसे शीघ्र पूरा किया जाये जिससे वहां की जनता को रोजगार मिल सके ।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : सभापति महोदय, चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने अनेक उपयोगी सुझाव दिये हैं । किन्हीं मामलों में कुछ गलत फहमियां भी हुई हैं । नई औद्योगिक नीति सभा में 23 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत की गई थी, श्री सोमनाथ चटर्जी को इस नीति की क्रियान्वित के दौरान ज्ञात होगा कि जनता सरकार की नीति और 1956 की नीति के वास्तव में बहुत अन्तर है ।

नई नीति में कहा गया कि अब से लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा तथा जहां श्रम प्रधान कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं । उन क्षेत्रों में पूंजी प्रधान कारखाने स्थापित नहीं किये जायेंगे । इस नीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कपड़ा उद्योग में बुनाई की क्षमता में केवल हथ करघा उद्योग में ही वृद्धि की जायगी, संगठित क्षेत्र अथवा शक्ति चालित करघा उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जायेगी । यह भी निर्णय किया गया है कि जिन नगरों की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार पांच लाख है उनमें नए औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे । नए उद्योग केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किए जा सकेंगे ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि देखना यह है कि नई नीति को क्रियान्वित किस प्रकार किया जाता है । यह सच है कि क्रियान्विति का मामला महत्वपूर्ण है । किन्तु हम दिखाना चाहते हैं कि इस नीति को उसी भावना के साथ क्रियान्वित किया जायेगा जिससे उसे बनाया गया है । नई औद्योगिक नीति की क्रियान्विति के लिये हमने जिला उद्योग केन्द्रों की व्यवस्था की है । श्री मल्होत्रा ने भी सही कहा है कि इस नीति की सफलता वास्तव में जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकरण पर ही निर्भर करती है । इन केन्द्रों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जायेगी अतः केन्द्र और राज्यों में विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्र द्वारा उन्हें तकनीकी सहायता या अन्य आवश्यक सहायता दी जायेगी। किन्तु उन्हें चलाने का कार्य राज्य सरकारों का ही होगा।

इस नीति की क्रियान्विति तथा अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में हमने राज्य सरकारों के उद्योग विभागों से दो बार विचार विमर्श किया है तथा उन्होंने इस दशा में अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इन केन्द्रों को चार वर्षों की अवधि में स्थापित किया जायेगा। किन्तु राज्य सरकारों ने इस दिशा में जो उत्साह दिखाया है उससे ज्ञात होता है कि अगले वर्ष के अंत तक ही इन केन्द्रों को सभी राज्यों में स्थापित करना सम्भव होगा। पश्चिम बंगाल ने कहा है कि वहां की सरकार शीघ्र ही सभी जिलों में ऐसे केन्द्र खोलने के लिये तैयार है। अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार का उत्साह दिखाया है। यह सच है कि बिना जिला उद्योग केन्द्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में नई उद्योग नीति को सफलता नहीं मिलेगी। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम बनाये गये तथा अनेक जिलों को पिछड़े जिले भी घोषित किया गया किन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अनेक प्रोत्साहन देने के बावजूद वहां उद्योग स्थापित करने के लिये कोई तैयार नहीं हुआ और ऐसे क्षेत्र पिछड़े हुए ही रह गये।

हमें नई औद्योगिक नीति को सफल बनाना है। आई० डी० बी० आई० से विशेष खिड़की स्थापित करने का अनुरोध किया गया है जिससे लघु उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता दी जा सके।

श्री दामाणी के लिए ऋण लेना कठिन नहीं है जबकि एक छोटे व्यक्ति के लिये बैंक से ऋण लेना असम्भव है। इसी संस्कृति का आप लोगों ने विकास किया है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि भविष्य में देश में किसी भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उद्योग को धन के अभाव में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा उनको धन उपलब्ध कराया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो नियमों और विनियमों में संशोधन किया जायेगा।

वर्ष 1976-77 में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लिये कुल परिव्यय 30.60 करोड़ रुपये था जबकि चालू वर्ष में यह बढ़ाकर 65.70 करोड़ कर दिया गया है उक्त धनराशि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को सीधे ऋण और अनुदान देने के लिये उपलब्ध होगी। हमने चालू वर्ष में कुटीर और ग्रामोद्योग संस्थाओं को ब्याज के रूप में राज सहायता देने के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। संस्थाओं को बैंकों को 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा और बाकी राशि को ब्याज के रूप में राज सहायता के माध्यम से पूरा किया जायेगा।

कुटीर और ग्रामाद्योग आयोग संस्थाओं को इच्छानुसार राशि खर्च करने तथा ऋण लेने की अनुमति दी गई है और उन्हें ब्याज के रूप में दी जाने वाली राजसहायता को, जो इस समय 10 करोड़ रुपये है, बढ़ाने में हमें प्रसन्नता होगी। उक्त सस्थाएं सरकार की औद्योगिक नीति का विस्तार करने में बहुत प्रभावी तथा महत्वपूर्ण हैं।

हथकरघा उद्योग को सामान्यता गम्भीरता से नहीं लिया जाता रहा है। गत वर्ष हथकरघा वस्तुओं के निर्यात से 400 करोड़ रुपये से अधिक आय हुई। इसमें से 200 करोड़

रुपये की आय केवल जेबरात के निर्यात से और बाकी कालीनों के निर्यात से हुई। पांचवी योजना के पहले तीन वर्षों में हथकरघा क्षेत्र के लिये 2.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जबकि गत वर्ष हमने 4.4 करोड़ रुपये आवंटित तथा व्यय किये। चालू वर्ष में हथकरघा उद्योग को एक वर्ष के लिये 10.5 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।

पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों में देश में कालीन बुनने के 212 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गये और उनमें तीन वर्ष की अवधि में 10,000 लोगों को कालीन बुनने का प्रशिक्षण दिया गया। गत वर्ष 490 केन्द्रों की स्थापना की गई और 24,500 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। अब तक देश में केवल जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई थी लेकिन चालू वर्ष में राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में कालीन बुनने के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

हम उन स्थानों पर नहीं जा सके जहां हम उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन आप तब तक उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते जब तक वहां बिजली न हो। हमारे पास उद्यमकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। लेकिन जब तक आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं होंगे, ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। अतः हमें अभी उन्हीं क्षेत्रों पर बल देना होगा जहां बिजली की आवश्यकता न हो।

कपड़ा उद्योग शायद बहुत पुराना और महत्वपूर्ण उद्योग है। हमने हथकरघा उद्योग का और विस्तार करने का निर्णय लिया है।

हमने संगठित मिल क्षेत्र में भी विस्तार न करने का निर्णय लिया है। हमारे कपड़ा उद्योग की अनेक समस्याएं हैं। हम उनको हल करने का प्रयास करते रहे हैं। कपड़ा नीति के बारे में अनेक बार विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। हम इसके बारे में निर्णय ले रहे हैं। क्योंकि कपड़ा उद्योग में विद्यमान स्थिति से हम चिन्तित हैं।

कपड़ा उद्योग आसान शर्तों पर उपलब्ध होने वाले ऋण का उपयोग नहीं कर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह विश्वास करता है कि उससे और कम ब्याज लिया जायेगा या उन्हें बिना ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो जायेगा। उद्योगों को कितनी ही रियायतें दी जायें उनके द्वारा और रियायतें मांगी जाती रही हैं। कपड़ा उद्योग को ऋण उपलब्ध है। हम कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की बहुत आलोचना की गई है। यह आरोप लगाया गया है कि इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम चाहते हैं कि शिकायतें विशिष्ट हों सामान्य नहीं, जिससे कि हम उनकी जांच कर सकें। मैं यह बात स्वीकार नहीं करता कि सरकारी क्षेत्र का प्रत्येक अधिकारी ईमानदार है और मैं यह भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं कि समस्त सरकारी वर्ग बिगड़ा हुआ है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की स्थापना संकटग्रस्त मिलों के स्थान पर की गई है। मिलों के महीनों बन्द रहने और उनमें उत्पादन बन्द होने पर सरकार ने उन्हें अपने अधिकार में

ले लिया । यह कहना उचित नहीं है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम को घाटा हो रहा है। हमने लाभ में चलने वाली मिलों को अधिकार में नहीं लिया था। कोई भी मिल मालिक लाभ देने वाली मिल को सरकार को सौंपने को तैयार नहीं होगा।

स्वदेशी कपड़ा मिल में बड़ी गड़बड़ है। ऐसी अनेक मिलें हैं जो अनेक वर्षों से घाटे में चल रही हैं। अतः जब कोई राष्ट्रीय कपड़ा निगम की आलोचना करे तो वह पहले यह सोच ले कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने संकट ग्रस्त मिलों को अधिकार में लिया था और राष्ट्रीय कपड़ा निगम को आधुनिकीकरण करने में कुछ समय लगेगा । गत बारह महीनों में राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने भारी प्रगति की है। तीन महीने पूर्व दिसम्बर, 1977 में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की 42 मिलें लाभ में चल रही थीं। इसके घाटे में भी धीरे धीरे कमी हो रही है।

हमारी कुछ कपड़ा मिलें अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रही हैं। इस बारे में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की ओर भी ध्यान देना होगा। गांवों में रहने वाले व्यक्ति कपड़ा खरीदने में समर्थ नहीं हैं। गत तीस वर्षों में ऐसी स्थिति पैदा की गई है। उक्त स्थिति को ही हम औद्योगिक नीति के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा तब ही होगा जब हम उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जायेंगे। खादी और ग्रामोद्योग और हथकरघा उद्योग का विकास करेंगे और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ायेंगे। क्रयशक्ति की ओर ध्यान दिये बिना आप इस नीति पर चर्चा नहीं कर सकते ।

बड़े उद्योग का अपना ही महत्व होता है। देश का औद्योगिक विकास एक विशेष दिशा में हुआ है और कुछ क्षेत्रों में बड़े उद्योगों को कार्य करना होता है।

आगामी पंचवर्षीय योजना में बिजली क्षेत्र के लिये 20,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । हम बिजली की अपनी जनन क्षमता लगभग 20,000 मेगावाट बढ़ा रहे हैं । हम जो भी नीति अपनायेंगे उसमें बड़े उद्योगों का स्थान होगा । देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिये बड़े उद्योगों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।

सरकार कम्पनियों के डायरेक्टरों और उच्च अधिकारियों के वेतन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये फार्मूला तैयार कर रही है। इस में कुछ समय लगेगा। सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन न देने की बात कही जा रही है। हमने सरकारी क्षेत्र में वेतन की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में इस वर्ष 550 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ और उसे 75.0 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में चीफ एग्जीक्यूटिव को 3500 अथवा 4000 रुपये प्रतिमास वेतन दिया जा रहा है और वह प्रशंसनीय कार्य करता है गैर सरकारी क्षेत्र में स्थित कम्पनियों, जो सब प्रकार के प्रोत्साहन प्राप्त कर रही हैं का कहना है कि उनके मैनेजिंग डायरेक्टर तब तक कार्य नहीं कर सकते जब तक उन्हें 15,000 अथवा 20,000 रुपये न दिये जायें। उक्त प्रणाली मुझे स्वीकार नहीं है। गैर-सरकारी क्षेत्र को देश की समस्याओं को समझना चाहिये और उसे पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिये। उन्हें ग्रामीण विकास और ग्रामो में व्याप्त गरीबी की ओर ध्यान देना चाहिये। जिन क्षेत्रों में गैर सरकारी और बड़े उद्योगों को साथ-साथ चलना होगा उनमें उचित सहायता और प्रोत्साहन दिया जायेगा। कुछ माननीय

सदस्यों ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की आलोचना इस प्रकार से की है कि मानों उन्हें मैंने जन्म दिया है। वे गत तीस वर्षों से इस देश में अपना काम करती आ रही हैं और पनपती रही हैं। इनके बारे में हमने अपनी औद्योगिक नीति में यह स्पष्ट किया है कि जैसे ही ऐसी कोई कम्पनी अपनी साम्य पूंजी घटाकर 40 प्रतिशत कर लेती है तो उसे भारतीय कम्पनी के रूप में माना जायेगा। यदि किसी कम्पनी में 60 प्रतिशत शेयर देशवासियों के हैं और 40 प्रतिशत शेयर विदेशियों के हैं तो उसे भारतीय कम्पनी मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तकनीकी जानकारी आदि के लिए इतनी कीमत तो चुकाई जा सकती है ।

जहां तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रश्न है, ये न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में काम कर रही हैं । रूस में लगभग 200 बहुराष्ट्रीय कम्पनियां काम कर रही हैं। वियतनाम ने, जो आज विश्व में सर्वाधिक क्रान्तिकारी राष्ट्र है, विदेशी पूंजी निवेश के बारे में एक कानून बना रखा है । जिसके अनुसार वियतनाम में कोई भी विदेशी उद्यम अपना काम शुरू कर सकता है और 100 प्रतिशत 50 प्रतिशत या 30 प्रतिशत पूंजी लगा सकता है। वियतनाम सरकार इस कानून के अनुसार उसके लाभ में हिस्सेदार होगी और विदेशी कम्पनियों को कानून के अनुसार ही अपना वियतनाम में या विदेशों को बेचना होगा। **(अन्तर्बाधाएं)** मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनता सरकार के हाथ में राष्ट्र के हित सुरक्षित रहेंगें। हमारी देशभक्ति के बारे में किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जिस क्षेत्र में विदेशी साझेदारी अपेक्षित होगी, वहां 60 प्रतिशत भारतीय पूंजी और 40 प्रतिशत विदेशी पूंजी पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। **(अन्तर्बाधाएं)** मैं पुनः दौहराना चाहता हूं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को जनता सरकार ने आमंत्रित नहीं किया है बल्कि वे पिछले तीस वर्षों से भारत में काम कर रही हैं। हम इस क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण चाहते हैं और इस बारे में हमने 'व्हिम्को' 'हिन्दुस्तान लिवर' तथा अन्य कम्पनी वालों से अलग-अलग बातचीत भी की है।

उद्योग मंत्री के नाते मेरी किसी से मित्रता नहीं है और मैं अपना कार्य राष्ट्रहित में और उचित ढंग से करना चाहता हूं । मुझे सभी उद्योगों---बड़ा, छोटा, ग्रामीण, नगरीय---को देखना है और मेरे लिए सभी समान हैं।

जहां तक श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर और श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाई गई बातों का सम्बन्ध है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पश्चिम बंगाल में भी काम कर रही हैं । वहां एक लिली बिस्कुट कम्पनी थी जो अब बन्द हो गई है। मैंने पश्चिम बंगाल को सुझाव दिया था कि वह इसे अपने हाथ में ले ले या इसे मार्डन बैकरीज को को सौंप दिया जाये, परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार आग्रह कर रही है कि इसे ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी को दे दिया जाये । दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार ने यह प्रस्ताव केन्द्र को भेजा था कि वह फिलिप्स कम्पनी के साथ एक संयुक्त उद्यम चलाना चाहती है और हमने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या शेयर-पूंजी को 40 प्रतिशत तक घटाने से एकाधिकारवादी बहुरास्ट्रीय कम्पनियों का एकाधिकार कम हो जाएगा और उनकी स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं रहेगी, मेरा विचार है कि इस तरीके से कम्पनी पर नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि

हम जिन परिस्थितियों में हैं हमें उनके अनुरूप ही हमें काम करना पड़ेगा। हमें ये परिस्थितियां पहली सरकार मे उत्तराधिकार के रूप में मिली हैं और हमें इन परिस्थितियों के प्रति यथार्थवादी बनना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कलकत्ता इलैक्ट्रीसिटी कम्पनी को लीजिए वह 100 प्रतिशत स्टर्लिंग कम्पनी है जिसका मुख्य कार्यालय लन्दन में है। इसके विस्तार के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अनुमति देनी पड़ी क्योंकि कलकत्ता को बिजली चाहिए। इसे आर्थिक सहायता भी जुटानी पड़ी क्योंकि कम्पनी के मालिक इसमें और पैसा नहीं लगाना चाहते। इस प्रकार की कुछ समस्याएं हैं। अतः वस्तुस्थिति ऐसी है कि कुछ क्षेत्रों में हमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को साथ लेकर चलना है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमें इनसे या बड़े उद्योगों से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता सरकार किसी भी बड़े या छोटे उद्योग के प्रभाव में आने वाली नहीं है, इसलिए अन्य समस्याओं के, जिनकी आशंका व्यक्त की गई है, पैदा होने की सम्भावना ही समाप्त हो जाती है।

हमने रुग्ण उद्योगों के बारे में एक नीति बनाई है और इस पर सभी राज्य सरकारों से हम बातचीत करेंगे तथा उसके बाद उसकी घोषणा सभा में की जायेगी। कुप्रबन्ध वाले स्वस्थ उद्योगों पर भी विचार किया जा सकता है।

प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने के प्रश्न पर श्रम मंत्री विस्तार से बतायेंगे। जहां तक मेरे मन्त्रालय का सम्बन्ध है, हमने सभी दस केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की एक बैठक इसी महीने बुलाई थी और उसमें श्रमिक संघों की दो समितियाँ नियुक्त की गईं थीं जिनमें से एक इस बात का अध्ययन करेगी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार किस प्रकार किया जा सकता है और उनमें श्रमिकों की साझेदारी कैसे लाई जाये। हम चाहते हैं कि यह समिति शीघ्र अपनी रिपोर्ट दें और हम उसे स्वीकार करेंगे और लागू करेंगे।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में एक नयी संस्कृति पैदा करने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे सरकारी क्षेत्र के कारखानों के सम्पूर्ण कार्यकरण के बारे में शिकायत है। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छा काम कर रहा है। साथ ही मैं चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों की केवल आलोचना ही न की जाए, बल्कि उनके कार्य की प्रशंसा भी की जाए।

आजकल भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की बहुत अधिक आलोचना की जा रही है। शायद इसका कारण यह है कि यह एक बहुत बड़े संयंत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। इस संयंत्र में बने जेनेरेटर अब न्यूजीलैण्ड में लगाये जा रहे हैं यह साऊदी अरब में एक बिजलीघर बना रहा है हमारे इंजीनियरों ने त्रिपोली में उस बिजलीघर को सफलतापूर्वक चलाया है जिसे फ्रांस ने लगाया था और जिसे वे ठीक से चला नहीं पा रहे थे। मलयेशिया में हम 6 बिजली घर स्थापित कर रहे हैं। यह सम्पूर्ण काम हमने प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त किया है।

मैं श्री मदन तिवारी की इस शिकायत की जांच करूंगा कि वहां पर श्रमिकों की तुलना में अधिकारी अधिक हैं। परन्तु साथ ही यह भी ठीक है कि इस प्रकार के उद्योग में, जहां जेनेरेटर और टरबाइन जैसे उपकरण बनते हैं और विश्व भर में सप्लाई किए जा रहे हैं, इंजीनियरों की संख्या अधिक होना स्वाभाविक है।

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि सरकारी क्षेत्रों की कमियों को दूर करते हुए, उसकी हर सम्भव सहायता की जाये, ताकि राष्ट्र-निर्माण में सरकारी क्षेत्र अपना पूरा योगदान दे सके। परन्तु सरकारी क्षेत्र में अपनी संस्कृति अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। यह संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जो देश की आशाओं और आकाक्षांओं के अनुरूप हो। हमने सरकारी उद्यम संस्थान की स्थापना करके इस दिशा में शुरूवात की है।

जहाँ तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मैं विशेष रूप से बिहार उड़ीसा, पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम, मेघालय, नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर त्रिपुरा का उल्लेख करना चाहूंगा जहां वैसा आधारभूत ढांचा न बन पाया है जैसा वहां के लिए अपेक्षित है।

इन पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार के कुछ माननीय सदस्यों ने विशेष आर्थिक सहायता दिये जाने के बारे में पूछा है। मैं स्वीकार करता हूं कि जिन क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती रही है उन्हें विशेष अवसर प्रदान किए जाने चाहिएं, यदि इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करना है, इनकी आर्थिक प्रगति करनी है। गत कुछ महीनों से हम ऐसे ही प्रयासों में लगे हैं। हम उत्तर-पूर्वी राज्यों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सभी पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही की जायेगी, इन्हें हर संभव सहायता देने के साथ साथ इनकी ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

हमारे कार्य का निर्धारण करने के लिये मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन का हवाला दिया गया है। तथ्य यह है कि इस प्रतिवेदन में इस सरकार का ही नहीं अपितु पिछली सरकार के कार्य का भी हवाला दिया गया है। यह कहा गया है कि मंत्री का सबसे बड़ा कार्य है हड़ताल तोड़ने के लिये बनाया गया औद्यागिक आपात (इंडस्ट्रियल कोनटिनजैन्सी डिपार्टमेंट) विभाग। परन्तु यह कार्य हमने नहीं किया है। इसकी स्थापना पिछली सरकार ने की थी। इस सरकार ने इस एजेन्सी को समाप्त किया है। इस निदेशालय ने इन्डियन एक्सप्लोसिवज लि० गोमिका की हड़ताल समझौते द्वारा समाप्त कराके बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। हमारी सरकार एक दल के रूप में कार्य करती है। किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं है। श्री साठे यह बात आपकी समझ में नहीं आएगी कि दोनों सरकारों के बीच क्या अन्तर है ?

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : इसलिये मैंने सुझाव दिया है कि .....

श्री वसंत साठे (अकोला) : आप जिस ढंग से चलाते हैं आप एक नेता बन जाओगे।

श्री जार्ज फर्नांडिस : श्री पाई ने देश में औद्योगिक उत्पादन की बात उठायी है। यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में उत्पादन कम हो गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासन के अन्तिम दस वर्षों में उत्पादन 104 प्रतिशत हुआ परन्तु तथ्य क्या है। वर्ष 1971-72 में उत्पादन 4.8 प्रतिशत था, 1972-73 में 4 प्रतिशत 1974-75 में 2.5 प्रतिशत वर्ष 1975-76 में 6 प्रतिशत हुआ। जिसका औसत वर्ष 1970-71 से 1975-76 तक 3.5 प्रतिशत आता है। जनता सरकार के सत्ता में आने से पूर्व वर्ष 1976-77 में उत्पादन बढ़ा है---यह 10 प्रतिशत हो गया। क्या हमारे मित्र इस प्रकार के विकास के ही इच्छुक हैं। यदि बीयर और तम्बाकू के उत्पादन को इसमें से कम कर दिया जाये तो शेष उत्पादन वृद्धि 9 प्रतिशत रह जाती है।

यह बात ठीक है कि इस समय देश में बिजली के उत्पादन में, 3000 मेगावाट की कमी आयी है। इसलिये कुछ रुकावटों के अन्तर्गत कार्य करना पड़ रहा है। बिजली के संकट को तुरन्त हल नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक विद्युत संयंत्र के चालू होने तक तीन से चार वर्ष का समय लग जाता है।

सीमेंट उत्पादन के बारे में जो आपत्ति उठाई गई इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में पिछली सरकार ने कितनी अतिरिक्त क्षमता स्थापित की? अतिरिक्त क्षमता कहां है? समस्त परियोजना ही गलत थी ....

श्री वसंत साठे : क्या वर्तमान संयंत्रों में क्षमता के अनुसार उत्पादन हो रहा है।

श्री जार्ज फर्नांडिस : जी हां। इस वर्ष देश में पहली बार 18 लाख टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है और उत्पादन में बिजली में कटौती किये जाने पर भी यह संभव हुआ है।

औद्योगिक अशान्ति की बात की जाती है। एच० ई० सी० में औद्योगिक असंतोष का उल्लेख किया गया है। यह सही है कि बिजली न मिलने के कारण इसे इस वर्ष 25 करोड़ रुपये का भारी घाटा हुआ है। हमें कठिनाई से अपनी आवश्यकता की केवल 50 प्रतिशत बिजली मिल पा रही है। फिर यहां के बहुत से कर्मचारियों को गलत ढंग से तंग किया गया। बिजली की समस्या है परन्तु फिर भी आशा है कि 40-45 करोड़ रुपये का कुल उत्पादन होगा।

हमारे इंजीनियरों तथा युवकों के बाहर जाने का उल्लेख किया गया है। इस समय विशेषकर पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका के देशों में हमारे बहुत से इंजीनियर और तकनीशियन काम कर रहे हैं। मुझे उनके कार्य पर गर्व है। उन्हें बदनाम करने का कोई कारण नहीं है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे कुशल लोग तीसरी दुनियां के देशों की सहायता कर रहे हैं, जिनका उपनिवेश द्वारा अब तक शोषण होता आया है। यह प्रतिभा पलायन नहीं है। वहां लोग विशेष कार्यों के लिये गए हैं। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र विश्व के इस भाग में ठेकों पर कार्य कर रहा है और हमें काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है।

कटिहार मिल बहुत ही खराब स्थिति में है। मैं इसकी समस्या हल करने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रश्न पर हम बिहार सरकार से चर्चा कर रहे हैं। बहुत से पहलुओं पर विचार करना होता है।

स्वदेशी मिल जैसी रुग्ण मिलों के बारे में भी सरकार निर्णय ले रही है।

नारियल जटा उद्योग के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक शिवरामन समिति का प्रतिवेदन नहीं मिल जाता किसी को भी यंत्रों से चटाइयां बनाने और उनका निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रतिवेदन के प्राप्त होते ही केरल सरकार से बात-चीत की जायेगी और सभी की सहमति से निर्णय लिया जायेगा।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिए गए ।

The cut motions were, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्योग मंत्रालय की निम्नलिखित अनुदानों की मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands for Grants in respect of Ministry of Industry were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		रुपये	
		राजस्व	पूंजी
58	उद्योग मंत्रालय	2,57,78,000	—
59	उद्योग	21,34,15,000	199,76,13,000
60	ग्राम और लघु उद्योग	45,79,16,000	43,38,37,000
61	वस्त्रोद्योग, हथकरघा तथा हस्तशिल्प	50,38,53,000	37,57,08,000

औषध और फार्मास्युटीकल्स उद्योग संबधी हाथी समिति पर सरकारी निर्णयों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : GOVERNMENT'S DECISIONS ON THE REPORT OF HATHI COMMITTEE ON DRUGS AND PHARMACEUTICALS INDUSTRY

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : मैं हाथी समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णयों का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1935 ए/78]

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : इस पर चर्चा का अवसर मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय की मांगों के समय इस पर चर्चा का अवसर दिया जायेगा ।

बदरपुर ताप विद्युत परियोजना और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र का प्रबन्ध राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को अन्तरित किये जानें के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. TRANSFER OF MANAGEMENT OF BADARPUR THERMAL POWER PROJECT AND BADARPUR THERMAL POWER STATION ON NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामाचन्द्रन) : सरकार ने बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन की स्थापित क्षमता 3×100 मैगावाट निर्धारित की है जिस पर 58.32 करोड़ रुपये की पूंजी लागत आयेगी । 210 मेगावाट की एक अन्य एकक का भी निर्माण कार्य चल रहा है जिस पर 66.06 करोड़ रुपया खर्च आयेगा । इस एकक को शीघ्र ही चालू कर दिया जायेगा । उत्तरी क्षेत्र की विद्युत की मांग को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने हाल ही में बदरपुर बिजली घर के लिए 210 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की मंजूरी दी है जिस पर 63.69 करोड़ रुपया खर्च आयेगा । दोनों ही

नई एककों का निर्माण कार्य तथा ताप विद्युत स्टेशन को लगाने का कार्य भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय बोर्ड के माध्यम से सीधे करवाया जा रहा है । अब भारत सरकार ने बदरपुर ताप विद्युत परियोजना तथा बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन दोनों को ही राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपने का निर्णय किया है । पहले भारत सरकार ने बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन के संचालन तथा बदरपुर ताप विद्युत परियोजना की क्रियान्विति का कार्य 1-4-1978 को भारत सरकार तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच हुए करार के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपने का निर्णय किया है। इस करार के अनुसार विद्युत की बिक्री से होने वाली आय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एकत्रित की जायेगी तथा उसे सरकार के खाते में जमा करवा दिया जायेगा तथा बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन तथा बदरपुर ताप विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए धनराशि बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन तथा बदरपुर ताप विद्युत परियोजना के लिए निर्धारित वर्ष 1978-79 के बजट में से ली जायेगी तथा उसे समय समय पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को उसकी आवश्यकतानुसार दे दिया जायेगा ।

[**श्री एन० के० शेजवलकर** पीठासीन हुए
SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the Chair*]

आधे घंटे की चर्चा

HALF AN HOUR DISCUSSION

*राज्य विद्युत बोर्डों का कार्यकरण

*FUNCTIONING OF STATE ELECTRICITY BOARDS

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : महोदय राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में विद्युत का बहुत महत्व है । सरकार ने लगभग 14,000 करोड़ रुपयों की पूंजी लगाकर लगभग 21,000 मैगावाट बिजली की क्षमता बनाई है किन्तु राज्य बिजली बोर्डों का कार्यकरण नितांत असंतोषजनक है ।

हरियाणा में विद्युत उत्पादन-क्षमता की औसत उपयोग 48 प्रतिशत, पंजाब का 40 प्रतिशत, गुजरात का 56 प्रतिशत, मध्य प्रदेश का 63 प्रतिशत, महाराष्ट्र का 62 प्रतिशत तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आसाम का क्रमश: 60, 25, 50, 44, 11 और 39 प्रतिशत है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्षमता का उतना कम उपयोग क्यों किया जा रहा है । बिजली की कमी के कारण उद्योगों तथा कृषि को भारी नुकसान हो रहा है । ऐसी स्थिति में सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है ।

राज्य बिजली बोर्डों में कार्यकुशलता के अभाव के कारण उपभोक्ताओं से हानि होती है । अत: उनकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिये । मंत्री महोदय कृपया इस बारे में हमें आश्वासन दें । मैं हाल में कलकत्ता गया था । वहां बिजली की बहुत कमी है । राज्य बिजली बोर्ड अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है किन्तु धनराशि के अभाव में ऐसा नहीं किया जा सकता । राज्य बिजली बोर्ड की वित्तीय सहायता के लिये कोई स्वायत्तशासी निकाय होना चाहिए ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । बहुत वर्षों से यह प्रक्रिया रही है कि जिन अन्य सदस्यों को आधे घंटे की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जाती

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

*Half an hour discussion.

है उन्हें मंत्री महोदय के उत्तर से पूर्व प्रश्न पूछने का मौका दिया जाता है जिससे मंत्री महोदय सभी के प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अतः मेरा अनुरोध है कि इसी प्रक्रिया को अब भी अपनाया जाये।

सभापति महोदय : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 55(5) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि सम्बद्ध मंत्री उस सदस्य के वक्तव्य के तुरंत पश्चात् उत्तर देगा। जिसने आधे घंटे की चर्चा उठाई हो तथा अन्य सदस्य जिन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है, मंत्री के उत्तर के पश्चात् प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे विचार से यह नियम ठीक है तथा उसी का पालन होना चाहिए। मैं वास्तव में बहुत दिनों से सभा में चली आ रही परिपाटी से सहमत नहीं हूं। सम्भव है इस विषय का तात्पर्य यह भी हो कि मंत्री महोदय उन मुद्दों पर भी प्रकाश डाल दें जिन्हें अन्य सदस्य पूछना चाहते हों।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए अधिकांश मुद्दे सुझाव हैं। विद्युत प्रदाय अधिनियम के अधीन राज्य सरकारें विद्युत बोर्ड स्थापित करती हैं जो स्वायत्तशासी निकाय होते हैं। जहां तक क्षमता के उपयोग का प्रश्न है, कई कारणों से विद्युत संयंत्र वर्ष में 365 दिन काम नहीं कर सकते और वे जितने दिन बन्द रहते हैं उनकी क्षमता के उपयोग में उतनी ही कमी हो जाती है। ऐसा भी होता है कि बिजली की मांग दिन और रात में समान नहीं होती। इससे भी पूरी क्षमता के उपयोग में कठिनाई होती है।

दूसरा प्रश्न यह था कि विद्युत बोर्डों के प्रशासन में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। हाल में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि इन विद्युत बोर्डों के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति स्थापित की जाये। यह भी सुझाव दिया गया था कि बिजली बोर्डों में व्यवसाय प्रणाली आरम्भ की जाए तथा उनमें ऐसे सदस्य नियुक्त किए जाएं जिनकी योग्यता बहुत अधिक हो। राज्य विद्युत बोर्डों ने इन सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है। सी० ई० ए० द्वारा भी इन बोर्डों की सहायता की जा रही है।

बिजली घरों के कार्यकरण का अध्ययन करने तथा उनकी त्रुटियों को जानने तथा उनको दूर करने में सहायता करने के लिये हमने विभिन्न विद्युत बोर्डों में अपने विशेषज्ञ भी भेजे हैं। इस मामले में हम कुछ देशों के विशेषज्ञों की भी सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

यह सच है कि बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन को हानि होती है किन्तु यह भी सच है कि औद्योगिक उत्पादन से हानि होने के कुछ अन्य कारण भी हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन और राज्य विद्युत बोर्डों के चेयरमैनों के सम्मेलन में किए गए निर्णय के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीन एक 'टास्क फोर्स' नियुक्त किया गया था जिसे इस वर्ष फरवरी के अन्त तक वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता में सुधार करने का कार्य सौंपा गया ?

क्या गैस टर्बाइन के द्वारा विद्युत् उत्पादन क्षमता में सुधार किया जा सकता है ? क्या इस दिशा में कोई प्रयत्न किया गया है ? बिजली की अखिल भारतीय औसत खपत 120 यूनिट प्रति व्यक्ति है किन्तु आसाम में यह केवल 20 यूनिट है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये एक संयुक्त परियोजना पर सरकार विचार कर रही थी। इस मंत्रालय द्वारा इस संयुक्त कार्यक्रम में क्या योगदान देने का विचार है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : उत्तर से यह स्पष्ट हो गया है कि विद्युत बोर्डों में कुप्रबन्ध है तथा वितरण के मामले में योजना दोषपूर्ण है। भारत कृषि प्रधान देश है तथा सरकार की भी यह नीति है कि कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास किया जायेगा। किन्तु बिजली की कमी के कारण औद्योगिक विकास की गति धीमी हुई है। कर्नाटक के बारे में भी यह बताया गया है कि वहां 50 प्रतिशत कटौती होगी।

केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पनबिजली परियोजनाओं को अभी तक पूरा नहीं किया गया। इडुक्की परियोजना को गत वर्ष पूरा हो जाना चाहिये था किन्तु वह अभी तक पूरी नहीं हुई। केन्द्र सरकार ने इस मामले में समुचित नीति नहीं बनाई है।

विद्युत बोर्डों में भ्रष्टाचार बहुत है क्योंकि उनमें राजनीतिक व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है न कि विशेषज्ञों की। क्या इन परियोजनाओं के बारे में कोई समयबद्ध कार्यक्रम है।

देश में 80 प्रतिशत किसान हैं जो बिजली का उपयोग करते हैं। किन्तु बिजली की दर ऐसे दोषपूर्ण तरीके से निर्धारित की गई है कि किसानों को अधिक राशि देनी पड़ती है और बड़े उद्योगपतियों को कम दर पर बिजली मिलती है। यह नीति नितांत दोषपूर्ण है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर आधे घंटे की चर्चा उठाने के लिये हमें श्री दामाणी के प्रति आभारी होना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय ने 15 मार्च के अतारांकित प्रश्न संख्या 3151 के भाग (ख) का अत्यन्त विस्तृत उत्तर तो दिया है लेकिन तथ्यात्मक निरूपण नहीं किया है। मुख्य प्रश्न यह है कि सरकार पूरे देश में विद्युत बोर्डों के कार्यकरण में गड़बड़ी और भाई-भतीजावाद के बारे में क्या कर रही है। क्या सभी स्तरों पर ठेकों को देने के बारे में लाखों रुपये का भ्रष्टाचार व्याप्त है और इनमें कुप्रबन्ध हैं।

राज्य विद्युत बोर्डों के बहुत से अध्यक्ष और सदस्य इस विषय में विशेषज्ञ नहीं हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। क्या सरकार विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के प्रश्न के बारे में किसी सांविधिक उपबन्ध का सुझाव दे रही है कि इनमें से अधिकांश अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा और वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ और तकनीकविद् होंगे।

शायद सदन को इस बात की जानकारी हो कि वर्तमान वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल कई वर्षों तक गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने बोर्ड को अपनी विशेषज्ञ जानकारी दी और उन्हें प्रबंध, प्रशासन आदि की गहन पकड़ थी। लेकिन मेरे अपने राज्य में ऐसा सभी विद्युत बोर्डों के सभी अध्यक्षों और सदस्यों के बारे में सच नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है और यदि हां, तो इसके निदेश पद क्या हैं और यह अपना प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

क्या इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये कोई विभाग है ? क्या मंत्री महोदय ने विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों और समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये

किसी विभाग का गठन किया है ? क्या मंत्री महोदय आश्वासन दे सकते हैं कि सरकार इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है और वह प्रभावी ढंग से कार्यवाही करेगी ताकि विद्युत् बोर्डों की सभी बुराइयों से छुटकारा पाया जा सके, बिजली की कटौती न हो सके, बिजली के उत्पादन में वृद्धि की जाये जिसके परिणामस्वरूप देश में औद्योगिक विकास और उत्पादन को गति मिल सके।

श्री पी० रामचन्द्रन : प्रश्न किया गया है कि क्या सी० ई० ए० ने वर्तमान संयत्रों में सुधार करने तथा अधिकाधिक बिजली पैदा करने के लिये अन्तिम रूप से निर्णय किया है। उन्होंने इस कार्यक्रम को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया है। वर्ष 1978-79 में वर्तमान संयंत्रों के बिजली उत्पादन में 15 प्रतिशत तक सुधार हो जायेगा।

हाल ही में मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को बताया है कि गैस टर्बाइन के बारे में निर्णय ले लिया गया है और उन्हें एक अथवा दो सप्ताह के भीतर ब्यौरे बता दिये जायेंगे। यह मामला सी० ई० ए० के विचाराधीन है। हमने पनबिजली निगम में एक नये विभाग का गठन किया है और इसे विभिन्न क्षेत्रों में जांच-पड़ताल करने और इस बारे में प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कुछ धनराशि भी आवंटित की है।

यह प्रश्न किया गया है कि राज्य विद्युत् बोर्डों के प्रशासन में सुधार करने और इन में भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद को खत्म करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं। माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि राज्यों में विद्युत बोर्ड स्वायत्तशासी हैं और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को योजनाओं की मंजूरी देने के केवल कुछ अधिकार हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किये जा रहे हैं। हाल में हुए बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में अनेक सुझाव दिये गए हैं और सुझावों को कार्यान्वित किया जा रहा है। एक सुझाव यह दिया गया था कि विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाये। एक सप्ताह या दस दिन के भीतर यह विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जायेगी और इसके निदेश पदों को भी अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। ज्यों ही यह समिति अध्ययन आरम्भ करेगी और फिर अपनी सिफारिशें देगी, हम भी अपनी अनुवर्ती कार्यवाही करेंगे।

सम्मेलन में दिये गए सुझावों का विश्लेषण करने तथा उन्हें कार्य रूप देने के लिये बिजली मंत्रियों तथा अधिकारियों में ही एक स्थायी समिति गठित की जा रही है। यह समिति समय-समय पर मामलों पर चर्चा करेगी और आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करेगी। यह स्थायी समिति भी अगले दो दिन में गठित कर ली जायेगी।

कुछ परियोजनाएं समय पर चालू नहीं की जा सकीं। हम राज्य सरकारों और राज्य विद्युत् बोर्डों को ये परियोजनायें समय पर चालू करने के लिये सदैव सहायता देते रहते हैं। यदि यह विशेषज्ञता की कमी का प्रश्न है तो इसे हम दे सकते हैं। यदि वित्त संबंधी मामला बीच में आता है तो राज्य सरकारों को स्वयं ही संसाधनों की खोज करनी चाहिये या इसके लिये योजना आयोग से अनुरोध करना चाहिए।

ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में वस्तुतः कर्नाटक को अत्यधिक बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तथापि हम उन्हें सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने

राज्य सरकार को रायचूर में एक तापीय बिजलीघर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा है। हम उसमें यथासम्भव शीघ्रता बरतना चाहते हैं। अब यह राज्य सरकार का काम है कि इस परियोजना पर कार्यवाही करे जिससे कि चार वर्ष के अन्दर उन्हें बिजली मिल सके।

कालिंदी स्थित विचाराधीन परियोजना के बारे में आगामी दो वर्षों में परिणाम प्राप्त होंगे।

जहां तक भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध का प्रश्न है यह बात सही भी हो सकती है और गलत भी। हम देश के सभी बिजली बोर्डों के बारे में इस प्रकार का व्यापक आरोप नहीं लगा सकते। हम इन सभी बिजली बोर्डों को वाणिज्यिक रूप से सक्षम तथा प्रबन्ध के मामले में कुशल बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमने राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे थे और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उनके अनुसार योग्य व्यक्ति तथा इस व्यवसाय के व्यक्ति ही बिजली बोर्डों के सदस्य नियुक्त किये जायें।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को राज्यों के बिजली बोर्डों को निदेश देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हम तो समय-समय पर उनको एक प्रकार की मंत्रणा ही दे सकते हैं तथा उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। राज्य सरकारों को अपने विद्युत बोर्डों को वर्तमान की तुलना में इन्हें अधिक कुशल बनाना चाहिये। अब तक वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य विद्युत बोर्डों अथवा राज्य सरकारों को परामर्श देने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई है। मेरे विचार से मात्र सांविधिक उपबंध कोई अधिक सहायक नहीं होगा। अतः इस बारे में हमने विचार नहीं किया है।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 30 मार्च, 1978/9 चैत्र, 1900 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

[*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March* 30, 1978/ *Chaitra* 9, 1900 (*Saka*)]